राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

(सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक सांविधिक निगम–रा.स.वि.नि. अधिनियम, 1962 की धारा 3 के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित)

वार्षिक रिपोर्ट

2023–24

(राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम अधिनियम 1962 की धारा 14 (2) एवं यथा संशोधित रा.स.वि.नि. नियमावली, 1975 के नियम 14 (ख) के अंतर्गत यथा अपेक्षित)

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
NCDC
Assisting Cooperatives. Always!
सहकारिताओं की सहायता में सदैव तत्पर!

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

4, सीरी इंस्टीट्यूशनल एरिया, हौज़ खास, नई दिल्ली-110016

फैक्स: 91-11-26962370 एवं 20862619

वैबसाइट: www.ncdc.in

रा.स.वि.नि. के क्षेत्रीय निदेशालय

बेंगलुरू के.एच.बी. कॉम्प्लेक्स, तीसरा तल, नैशनल गेम्स विलेज, कोरमंगला, बेंगलुरू, कर्नाटक–560047 फोन: 080–25702112 फैक्स: 080–25701860 मो.नं.–9311765334 ईमेल: RO.Bangalore@ncdc.in क्षेत्राधिकार : कर्नाटक	**भोपाल** ए–8 तीसरा तल, प्लेटिनम प्लाजा, टी.टी. नगर, भोपाल, मध्य प्रदेश –462003 फोन: 0755–4902397 फैक्स–0755–4902392 मो.नं.–9311765335 ई–मेल : RO.Bhopal@ncdc.in क्षेत्राधिकार : मध्य प्रदेश	**भुवनेश्वर** आलोक भारती कॉम्प्लेक्स, भू–तल, शहीद नगर, भुवनेश्वर, ओडिशा–751007 फोन: 0674–4617676 फैक्स: 0674–2545874 मो.नं.–9311765336 ई–मेल : RO.Bhubaneswar@ncdc.in क्षेत्राधिकार : ओडिशा
चंडीगढ़ बे नं. 1 एवं 2, सेक्टर 14, पंचकुला, हरियाणा – 134113 फोन: 0172–2992857 फैक्स: 0172–2992657 मो.नं.–9311765337 ई–मेल: RO.Chandigarh@ncdc.in क्षेत्राधिकार : पंजाब, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, तथा चंडीगढ़	**चेन्नई** 35,रेडिमेट गार्मेंट कॉम्प्लेक्स, दूसरा तल, इंडस्ट्रियल एस्टेट, गिंडी, चेन्नई, तमिलनाडु–600032 फोन: 044–22500034 फैक्स: 044–22500034 मो.नं.–9311765338 ई–मेल: RO.Chennai@ncdc.in क्षेत्राधिकार : तमिलनाडु तथा पुदुचेरी	**देहरादून** बी–2, फ्रेन्ड्स एन्क्लेव, शाह नगर, गोरखपुर डाकघर, डिफेंस कॉलोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड –248001 फोन / फैक्स: : 0135–4144359 मो.नं.–9311765339 ई–मेल : RO.Dehradun@ncdc.in क्षेत्राधिकार : उत्तराखंड
गांधीनगर प्लॉट नं.– 272–273, जी.एच.रोड, सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के पीछे, सेक्टर–16, गांधीनगर, गुजरात – 382016 फोन: 079–23222293, फैक्स: 079–23238292 मो.नं.–9311765340 ई–मेल : RO.Gandhinagar@ncdc.in क्षेत्राधिकार : गुजरात तथा दमन एवं दीव	**गुवाहाटी** ब्लॉक नं. अ, तीसरा तल, हाउसफेड कॉम्प्लेक्स, बेलटोला, गुवाहाटी, असम –781006 फोन: 0361–2526327 मो.नं.–9311765341 ई–मेल: RO.Guwahati@ncdc.in क्षेत्राधिकार : असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश तथा मिजोरम	**हैदराबाद** 5–10–193, एच.ए.सी.ए.भवन, दूसरा तल, पब्लिक गार्डन के सामने, हैदराबाद, तेलंगाना – 500004 फोन: 040–23233760 फैक्स 040–23240615 मो.नं.–9311765342 ई–मेल : RO.Hyderabad@ncdc.in क्षेत्राधिकार : आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना
जयपुर प्रथम तल, सेंट्रल ब्लॉक, नेहरू सहकार भवन, भवानी सिंह रोड, जयपुर, राजस्थान – 302001 फोन / फैक्स: 0141–2740327 मो.नं.–9311765343 ई–मेल: RO.Jaipur@ncdc.in क्षेत्राधिकार : राजस्थान	**कोलकाता** पी–161 / 1, चौथा तल, वी.आई.पी. रोड, कोलकाता, पश्चिम बंगाल –700054 फोन: 033–23554943 फैक्स: 033–2355538 मो.नं.–9311765344 ई–मेल : RO.Kolkata@ncdc.in क्षेत्राधिकार : पश्चिम बंगाल, सिक्किम तथा अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	**लखनऊ** सहकारिता भवन, 14 डॉ. भीमराव अम्बेडकर मार्ग, लखनऊ, उत्तर प्रदेश – 226001 फोन: 0522–2289093 फैक्स: 0522–4231523 मो.नं.–9311765345 ई–मेल : RO.Lucknow@ncdc.in क्षेत्राधिकार : उत्तर प्रदेश
पुणे 5, बी.जे. रोड, प्रथम तल, एमआरएसएस भवन, पुणे, महाराष्ट्र –411001 फोन: 020–26127049 मो.नं.–9311765347 ई–मेल: RO.Pune@ncdc.in क्षेत्राधिकार : महाराष्ट्र, गोवा तथा दादरा एवं नगर हवेली	**पटना** ए–ब्लॉक, कमरा सं. 20–21, दूसरा तल, मौर्य लोक कॉम्प्लेक्स, डाक बंगला रोड, पटना, बिहार –800001 फोन: 0612–2221467 फैक्स: 0612–2211604 मो.नं.–9311765346 ई–मेल: RO.Patna@ncdc.in क्षेत्राधिकार : बिहार	**रायपुर** दसवां तल, टावर–सी कॉमर्शियल कॉम्प्लैक्स, सी.बी.डी., सैक्टर–21, नवा रायपुर, अटल नगर, छत्तीसगढ़– 492002 फोन : 0771–2999370 फैक्स: 0771–2999370 मो.नं.–9311765348 ई–मेल : RO.Raipur@ncdc.in क्षेत्राधिकार : छत्तीसगढ़
रांची एम–23 / डीएस, हरमू हाउसिंग कालोनी, हरमू, रांची, झारखण्ड–834002 फोन: 0651–3501552 मो.नं.–9311765349 ई–मेल : RO.Ranchi@ncdc.in क्षेत्राधिकार : झारखंड	**शिमला** गार्गे निवास, सरकारी हाईस्कूल के नजदीक, लोअर कैथू, शिमला, हिमाचल प्रदेश –171003 फोन: 0177–2657689 फैक्स: 0177–2658735 मो.नं.–9311765350 ई–मेल : RO.Shimla@ncdc.in क्षेत्राधिकार : हिमाचल प्रदेश तथा लद्दाख	**तिरूवनन्तपुरम** टी.सी. नं–11 / 808, जी.वी.–2, नालन्दा जंक्शन, नन्थनकोड जंक्शन, कोडियार, पो.–तिरूवनन्तपुरम, केरल–695003, फोन: 0471–2318497 फैक्स: 0471–2311673 मो.नं.–9311765351 ई–मेल : RO.TVM@ncdc.in क्षेत्राधिकार : केरल तथा लक्षद्वीप

रा.स.वि.नि. के उप कार्यालय

विजयवाड़ा (क्षेत्रीय निदेशालय हैदराबाद के अधीन) चर्तुथ तल, एपीमार्कफेड भवन, विजयवाड़ा, आन्ध्र प्रदेश–520007 मो.नं.–9167889654 ई–मेल : so.vijayawada@ncdc.in क्षेत्राधिकार: आन्ध्रप्रदेश	**मिजोरम** (क्षेत्रीय निदेशालय गुहावाटी के अधीन) द्वितीय तल, आरसीएस कार्यालय बाबुतलांग, जारकावत, आईजावल, मिजोरम –796001 फोन:0389–2348017 मो.नं.–8527855188 ई–मेल : mirza.akik.beg@ncdc.in क्षेत्राधिकार : मिजोरम	**अरूणाचल प्रदेश** (क्षेत्रीय निदेशालय गुहावाटी के अधीन) कमरा नं.6, प्रथम तल, सहकारिता भवन, टी सेक्टर, नाहरलागुन, अरूणाचल प्रदेश–791110. मो.नं.–9131970828 ई–मेल : abhishek.jain@ncdc.in क्षेत्राधिकार : अरूणाचल प्रदेश
त्रिपुरा (क्षेत्रीय निदेशालय गुहावाटी के अधीन) त्रिपुरा पुनर्वास प्लांटेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, (टीआरआरपीसी लिमिटेड), प्रथम तल, हैमखरी नुह्युंग बिल्डिंग, पंडित नेहरू कॉम्प्लेक्स, अगरतला, पश्चिम त्रिपुरा – 799006 मो.नं.–7002618654 ई–मेल : pranjal1993@ncdc.in क्षेत्राधिकार : त्रिपुरा	**मणिपुर** (क्षेत्रीय निदेशालय गुहावाटी के अधीन) कमरा नं. 9, प्रथम तल, आरसीएस का प्रशासनिक भवन, लैम्फेलपट, इंफाल पश्चिम जिला, मणिपुर–795004 मो.नं.–8119046788 ई–मेल : kosamnandalala@ncdc.in क्षेत्राधिकार : मणिपुर	

विषय सूची

क्र.सं.	शीर्षक	पृष्ठ सं.
	भाग – I अध्याय	
1	विशिष्टताएं	1-10
2	उत्पति एवं कार्य	11-14
3	वित्त	15-25
4	संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक भूमिका	26-31
5	सहकारिता मंत्रालय की पहलें	32-39
6	विपणन एवं कृषि निवेश	40-43
7	प्रसंस्करण	44-56
8	भंडारण एवं शीत श्रृंखला	57-63
9	सेवा एवं औद्योगिक सहकारिताएं	64-68
10	कमजोर वर्गों की सहकारिताएं	69-83
11	उपभोक्ता सहकारिताएं	84-86
12	एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं	87-94
13	एफ.पी.ओ. एवं एफ.एफ.पी.ओ. के गठन तथा संवर्धन में रा.स.वि.नि. की भूमिका	95-97
14	सहकारिताओं का कंप्यूटरीकरण	98-99
15	अल्पतम/अल्प विकसित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारिताएं	100-102
16	सहकारिताओं में महिलाएं	103-104
17	लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक)	105-111
18	राजभाषा का संवर्धन	112
	भाग – II अनुबंध	
I	दिनांक 31 मार्च, 2024 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की महापरिषद के सदस्य	114-121
II	दिनांक 31 मार्च, 2024 को राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के प्रबंधन मंडल के सदस्य	122-123
III	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम का संगठनात्मक चार्ट (दिनांक 31 मार्च, 2024)	124
IV	वर्ष 2023–24 के दौरान कार्यान्वित स्कीमें/सहायता प्रदत्त कार्यकलाप	125-128
V	वर्ष 2023–24 के दौरान सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए सहायता की पद्धति (पैटर्न)	129-157
VI	दिनांक 31 मार्च, 2024 को रा.स.वि.नि. में कर्मचारियों की कुल संख्या और अनुसूचित जातियों एवं अनु.जन जातियों की संख्या	158
VII	वर्ष 2023–24 के दौरान रा.स.वि.नि. में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के सदस्यों द्वारा भरी गई आरक्षित रिक्तियों की संख्या	159
VIII	वर्ष 2023–24 के दौरान किए गए संवितरण का राज्यवार एवं स्कीमवार विवरण	160-167
IX	वर्ष 1962–63 से 2023–24 तक रा.स.वि.नि. की सभी सहकारी विकास स्कीमों के अंतर्गत राज्यवार संवितरित निधियां	168-169
X	संक्षिप्तियां	170-172

रा.स.वि.नि. अधिनियम, 1962 की प्रस्तावना

इस अधिनियम के अंतर्गत सहकारी सिद्धांतों के आधार पर कृषि उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, निर्यात एवं आयात, खाद्यानों, औद्योगिक वस्तुओं, पशुधन, कुछेक अन्य वस्तुओं और सेवाओं तथा इससे जुड़े मामलों तथा इसके अनुषंगिक मामलों के लिए योजना तैयार करने तथा कार्यक्रमों का संवर्धन करने के उद्देश्य से निगम की संस्थापना तथा नियमन की व्यवस्था है।

गुणवत्ता नीति

हम राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम में अपनी गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली के सतत सुधार द्वारा सहकारिता के सिद्धांतों पर, आर्थिक विकास हेतु, सभी नियमों का अनुपालन करते हुए उत्कृष्टता की प्राप्ति एवं ग्राहकों की संतुष्टि के लिए प्रतिबद्ध हैं।

अध्याय – 1

विशिष्टताएं

1.1 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (रा.स.वि.नि.) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक संविधिक निगम है, जिसकी स्थापना सहकारी समितियों के माध्यम से आर्थिक विकास करने हेतु एक संसदीय अधिनियम (रा.स.वि.नि. अधिनियम – 1962) के अंतर्गत दिनांक 14.03.1963 को हुई। निगम का मुख्य उद्देश्य उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि तथा फसलोत्तर सुविधाओं को गठित करने हेतु कृषक सहकारिताओं का संवर्धन, सुदृढ़ीकरण तथा विकास करना है। निगम कृषि विपणन एवं निवेशों, प्रसंस्करण, भंडारण, शीत श्रृंखला तथा कृषि उत्पाद के विपणन तथा बीजों, उर्वरकों एवं अन्य कृषि निवेशों आदि कार्यक्रमों पर विशेष रुप से बल देता है। निगम गैर कृषि क्षेत्रों में कमजोर वर्गों जैसे डेयरी, पशुधन, हथकरघा, कोशकीटपालन, कुक्कुटपालन, मात्स्यिकी, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति, महिला सहकारिताओं आदि पर विशेष बल देते हुए आय सृजित कार्यकलापों के संवर्धन हेतु सुविधाओं से सज्जित सहकारिताओं के लिए प्रयासरत है।

1.2 रा.स.वि.नि. ने वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुशल कार्यनिष्पादन करना जारी रखा। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान अर्जित उपलब्धियाँ निम्नवत हैं :

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान उपलब्धियाँ

स्वीकृतियाँ एवं संवितरण

- 11015 सहकारी समितियों को लाभान्वित करने वाली 2529 इकाइयों/परियोजनाओं हेतु 92013.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये।
- 399.93 करोड़ रुपये की सब्सिडी जिसमें रा.स.वि.नि. के स्वयं के कोष से 6.75 करोड़ रुपये शामिल हैं सहित, 60618.47 करोड़ रुपये संवितरित किये गये।
- संवितरण 50,000 करोड़ रुपये के लक्ष्य से 21% अधिक रहा।

वित्तीय प्रदर्शन

- **कर पूर्व शुद्ध लाभ** : 740.23 करोड़ रुपये
- **शुद्ध एनपीए** : शून्य प्रतिशत
- **ऋण की वसूली** 99.70% रही।
- **प्रति कर्मचारी शुद्ध लाभ** 2.68 करोड़ रुपये रहा।

मितव्ययी वित्तीय कार्य

- ब्याज दरों को प्रतिस्पर्धी स्तरों पर बनाए रखा गया।
- फ्लोटिंग तथा अंतर ब्याज दरें।
- सख्त नियामक एव वित्तीय मानदंडो का पालन करने वाले कार्मिकों का संगठन।

सांविधिक अनुपालन

- वित्तीय वर्ष 2022–23 की वार्षिक रिपोर्ट एवं वार्षिक लेखे **दिनांक 13.12.2023** को राज्य सभा और **दिनांक 19.12.2023 को लोक सभा** के समक्ष प्रस्तुत किए गए।
- राजभाषा दिशानिर्देशो के अनुरूप तथा भारत सरकार के सभी मानदंडों का पालन किया गया।

नई पहलें

- **एआईएफ:** रा.स.वि.नि. ने दिनांक 25.08.2023 को कृषि अवसंरचना निधि योजना की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
- केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 31.05.2023 को सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना की पायलट परियोजना को मंजूरी दी तथा रा.स.वि.नि. को नाबार्ड, नैबकॉन्स, एफसीआई तथा सीडब्ल्यूसी द्वारा समर्थित कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया।
- **पीएमयू:** सभी पंचायतों/गांवों को सम्मिलित करने वाली नई बहुउद्देशीय पैक्स/डेयरी/मत्स्य पालन/प्राथमिक सहकारी समितियों के गठन और विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के कार्यान्वयन के लिए रा.स.वि.नि. मे एक परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) की स्थापना की गई। पीएमयू ने दिनांक 27.04.2023 को अपना संचालन शुरू किया।
- रा.स.वि.नि. ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान नई केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के तहत 25 सीएसएम को 3728.23 करोड़ रुपये स्वीकृत किए।
- रा.स.वि.नि. अब सीजीटीएमएसई तथा सीजीएसएफपीओ के अंतर्गत एमएलआई/ईएलआई के रूप में नामांकित है।

1.3 वित्तीय वर्ष 2023–24 हेतु वित्तीय सहायता की क्षेत्रवार स्वीकृति तथा लाभार्थी समितियों एवं सदस्यों की संख्या निम्नवत है :

क्र. सं.	क्षेत्र	इकाइयों की संख्या	लाभार्थी समितियों की संख्या	लाभार्थी सदस्यों की संख्या (लाख में)	स्वीकृत राशि (करोड़ रुपये में)
1	विपणन एवं निवेश	46	5697	6057512	74557.57
2	उपभोक्ता सहकारिताएँ	3	3	8636	0.61
3	कृषि प्रसंस्करण	52	40	500561	3774.57
4	भंडारण एवं शीत श्रृंखला	217	210	409177	64.42
5	कमजोर वर्ग कार्यक्रम (मात्स्यिकी, डेयरी/पशुधनए कुक्कुटपालन, जनजातीय, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, हथकरघा, जूट, कॉयर एवं महिला सहकारिताएँ)	1884	4740	969115	168.31
6	युवा सहकार सहित औद्योगिक, ऋण एवं सेवा सहकारिताएं	35	33	1474442	13253.48
7	एफ.पी.ओ.	292	292	55069	187.73
8	संवर्धन एवं विकास	0	0	0	6.75
योग		**2529**	**11015**	**9474512**	**92013.44**

1.4 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, निगम ने 60618.47 करोड़ रुपये का संवितरण किया जिसमें 60218.53 करोड़ रुपये ऋण के रुप में और 399.94 करोड़ रुपये सब्सिडी के रुप में सम्मिलित हैं, (जिसमें रा.स.वि.नि. के स्वयं के कोष से 6.75 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं)। वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए क्षेत्रवार संवितरण निम्नवत है :

क्र.सं.	कार्यकलाप	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान संवितरित राशि (करोड रुपये में)
1	विपणन एवं निवेश	52919.63
2	उपभोक्ता सहकारिताएं	4.13
3	सेवा, ऋण सहकारिताएँ एवं युवा सहकार	5001.66
4	कृषि प्रसंस्करण	2223.65
5	एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाऐं (आईसीडीपी)	23.26
6	कमजोर वर्ग सहकारिताएँ	371.49
7	एफ.पी.ओ	48.33
8	सहकारिताओं का कंप्यूटरीकरण	0.42
9	भंडारण एवं शीत श्रृंखला	19.14
10	संवर्धन एवं विकास	6.76
	योग	**60618.47**

संचयी संवितरण तथा विकास पथ

1.5 रा.स.वि.नि. ने अपनी स्थापना के बाद से दिनांक 31.03.2024 तक संचयी रूप से 313198.43 करोड़ रुपये का संवितरण किया है। दिनांक 31.03.2024 तक की स्थिति के अनुसार क्षेत्रवार संचयी संवितरण नीचे दर्शाया गया है:

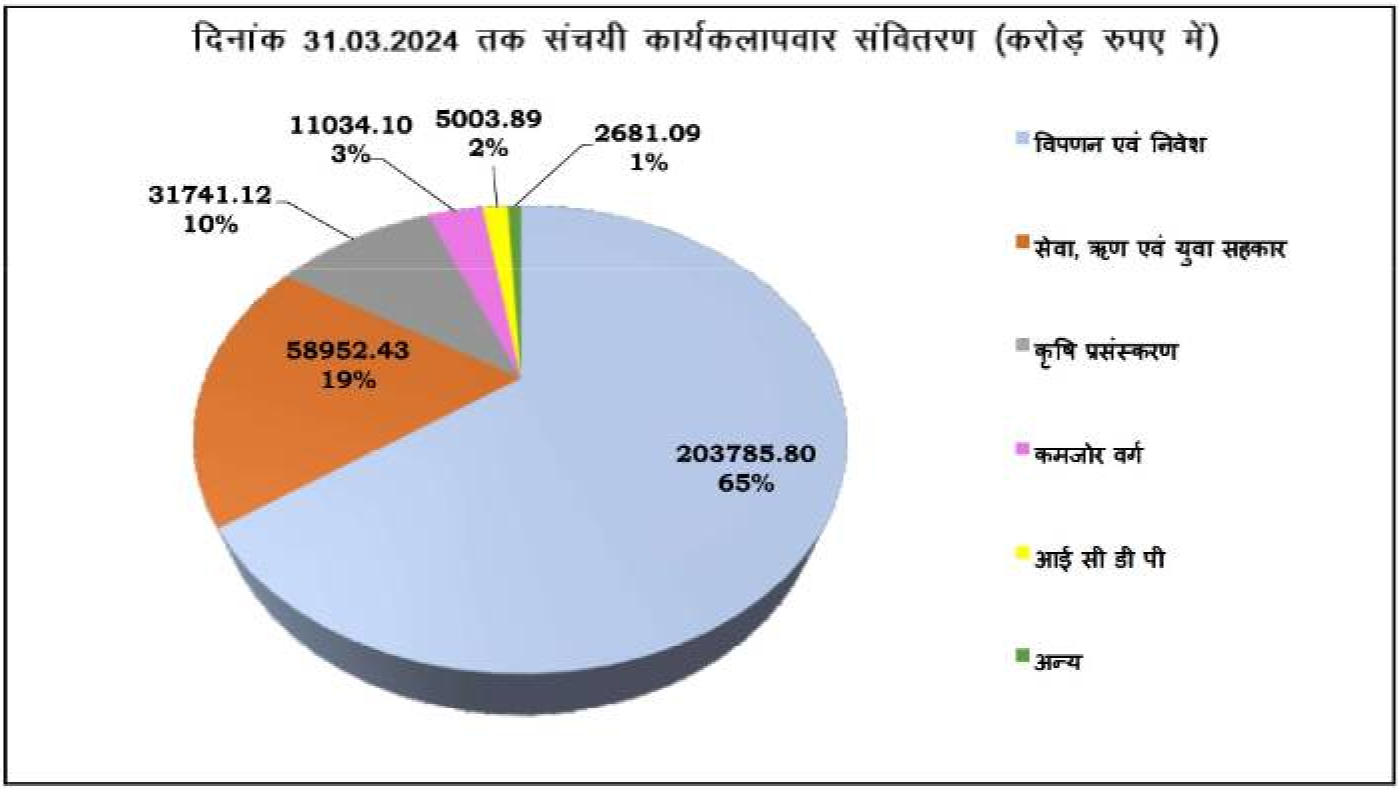

1.5.1 वर्ष 2017–18 में संवितरण 21968.58 करोड रुपये से बढ़कर वर्ष 2023–24 में 60618.47 करोड़ रुपये हो गया है।

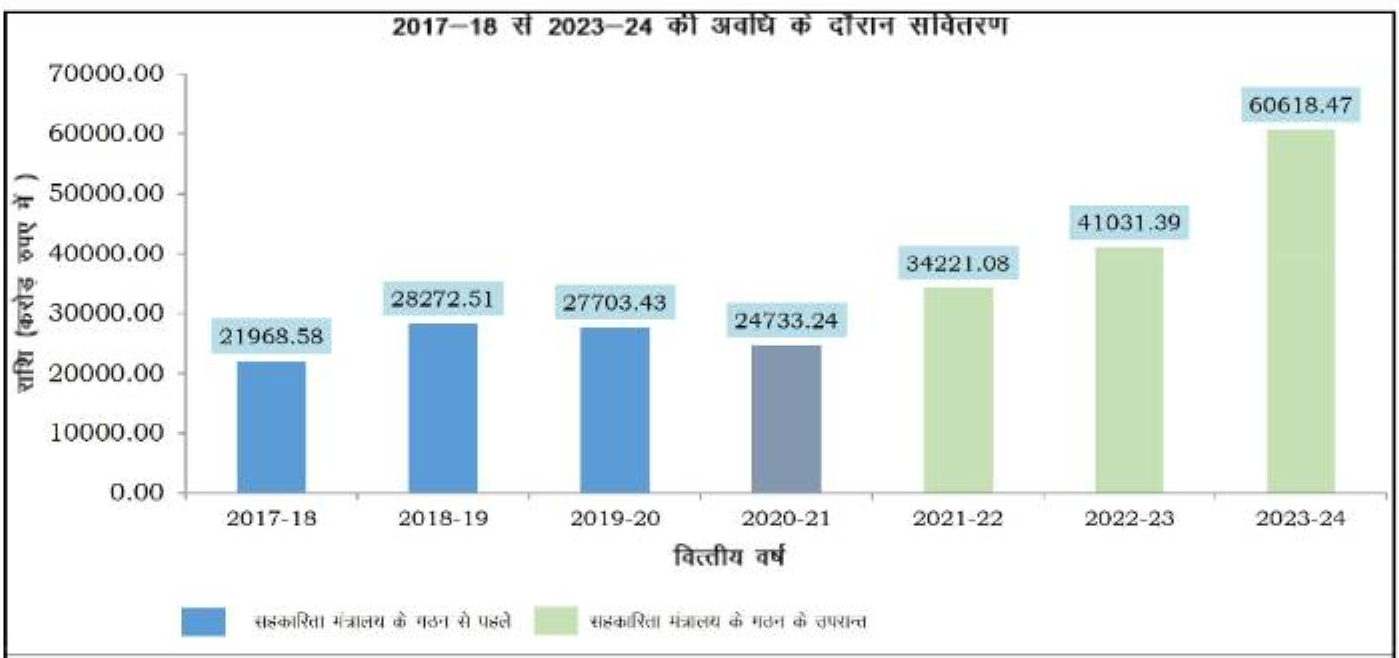

वित्तीय वर्ष 2023–24 तथा पिछले वर्षों में स्वीकत वित्तीय सहायता निम्नवत दर्शाई गई है:

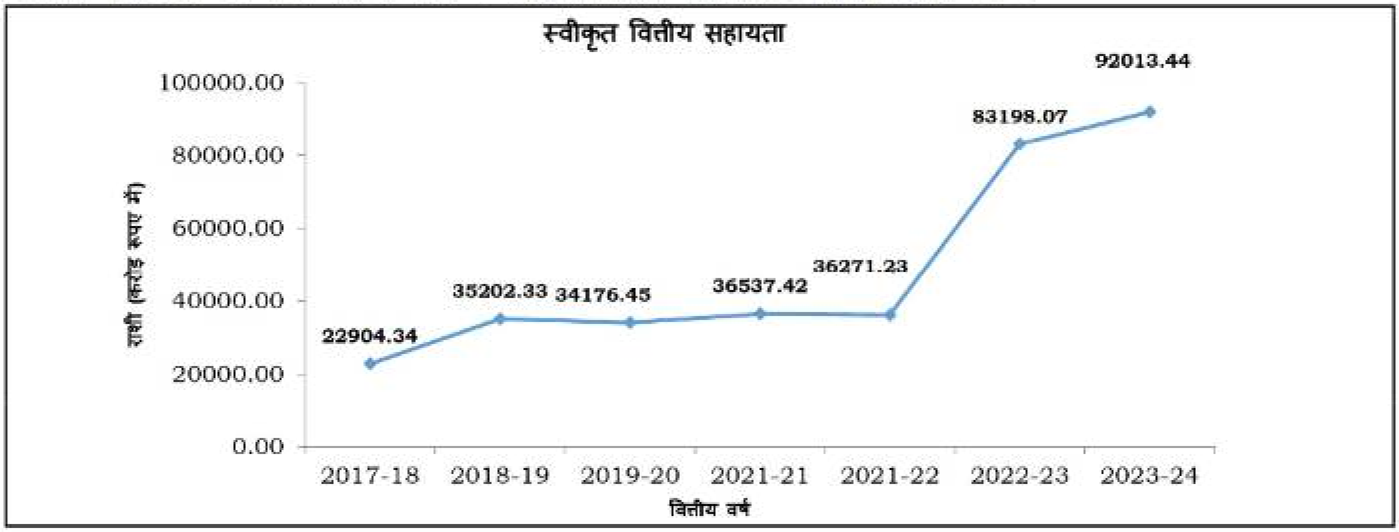

वित्तीय वर्ष 2023–24 तथा पिछले वर्षों में स्वीकृत वित्तीय सहायता निम्नवत दर्शाई गई है:

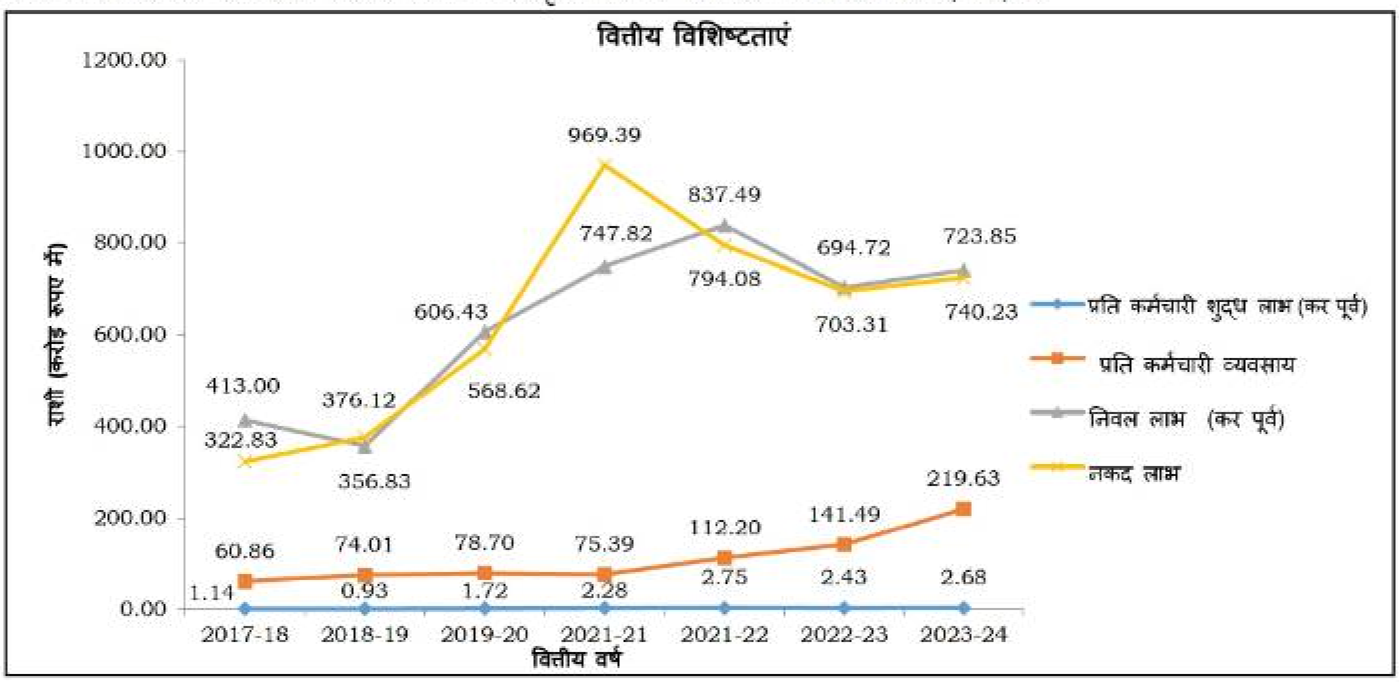

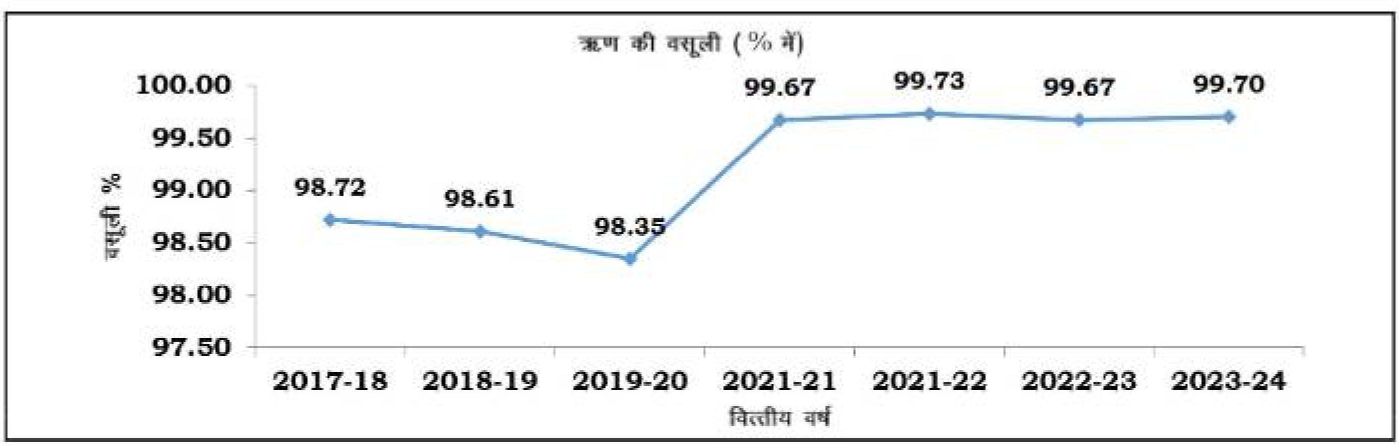

सहकारिता की दृष्टि से अल्पतम/अल्प विकसित राज्यों की सहकारिताओं में संवितरण

1.5.2 सहकारिता की दृष्टि से अल्पतम/अल्प विकसित राज्यों में कार्यक्रमों का संवर्धन तथा वित्तपोषण करना, रा.स.वि.नि. के कार्यक्रमों का एक प्रमुख जोर दिया जाने वाला क्षेत्र है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने अल्पतम/अल्प विकसित राज्यों को 54934.22 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत तथा 45840.91 करोड़ रुपये की सहायता संवितरित की, जो कि रा.स.वि.नि. द्वारा अब तक की कुल वित्तीय सहायता की 59.70% स्वीकृति तथा 75.62% संवितरित राशि बनती है।

प्राथमिक सहकारिताओं का पोषण

1.6 रा.स.वि.नि. 'प्राथमिक स्तरीय सहकारिताओं के पोषण' हेतु एक वर्ष में 5000 प्राथमिक स्तरीय सहकारिताओं के लक्ष्य के साथ कार्यक्रम को कार्यान्वित करता है। निगम ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 4255 प्राथमिक स्तरीय सहकारिताओं के सापेक्ष में 4260 प्राथमिक स्तरीय सहकारिताओं तक पहुँच दर्ज की है।

ए.ई.एन.ई.सी. – एक्ट पूर्व एवं पूर्वोत्तर सहकारिताएँ

1.7 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान रा.स.वि.नि. ने पूर्व एवं पूर्वोत्तर राज्यों में नामतः ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, असम, सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, और त्रिपुरा में सहकारिताओं के लाभ हेतु सहकारी समितियों को सहायता प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में निगम ने देश के पूर्वी तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र को 839.96 करोड़ रुपये विमुक्त किए।

रा.स.वि.नि. की महापरिषद तथा प्रबंध मंडल की बैठकें

1.8 महापरिषद (जीसी) नीति दिशा निर्देश निर्धारित करती है तथा प्रबंध मंडल (बीओएम) निगम के सामान्य प्रबंधन की देख–रेख करता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, महापरिषद की दिनांक 09.10.2023 तथा 02.12.2023 (परिचालन के माध्यम से) को बैठक आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित प्रबंधन मंडल की बैठकें निम्नवत हैं:–

बैठकों की संख्या	दिनांक
224	16.05.2023
225	10.08.2023
226	07.11.2023
227	02.12.2023
228	18.01.2024
229	14.03.2024

अन्य पहलें/प्रमुख विकास

1.9 रा.स.वि.नि. ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान मौजूदा पहलों में विकास के साथ–साथ कई नई पहलें शुरू की हैं, जो कि नीचे सूचीबद्ध हैं:–

1.9.1 देश की सभी पंचायतों/गांवों को सम्मिलित करते हुए नई बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मत्स्यपालन सहकारी समितियों की स्थापना के लिए परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू):

भारत सरकार ने दिनांक 15.02.2023 को अगले 5 वर्षों में देश के सभी पंचायतों/गांवों को सम्मिलित करते हुए नई बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मत्स्यपालन सहकारी समितियों की स्थापना की योजना को स्वीकृति प्रदान की।

रा.स.वि.नि. को योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है तथा योजना के कार्यान्वयन हेतु परियोजना निगरानी इकाई (पीएमयू) स्थापित करने का कार्य सौंपा गया है। नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी नैबकॉन्स को योजना के कार्यान्वयन के लिए पीएमयू के रूप में शामिल किया गया है। नई बहुउद्देशीय पैक्स या प्राथमिक डेयरी/मत्स्यपालन सहकारी समितियों की स्थापना के लिए कार्य योजना नाबार्ड, एनडीडीबी एवं एनएफडीबी के समन्वय से तैयार की जा रही है।

1.9.2 **सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण परियोजनाः**

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दिनांक 31.05.2023 को आयोजित अपनी बैठक में "सहकारी क्षेत्र में दुनिया की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" को स्वीकृति प्रदान की, जिसे पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाएगा। इस योजना में 'संपूर्ण सरकार' दृष्टिकोण का लाभ उठाकर पैक्स स्तर पर गोदामों, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयों, उचित मूल्य की दुकानों आदि सहित विभिन्न कृषि अवसंरचना सृजन करना सम्मिलित है।

रा.स.वि.नि. नाबार्ड, नाबार्ड परामर्शन सेवाएँ (नैबकॉन्स), केंद्रीय भंडारण निगम (सीडब्ल्यूसी) तथा भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) आदि के सहयोग से परियोजना को कार्यान्वित कर रहा है। पायलट परियोजना 11 पैक्स में पूर्ण हो चुकी है, जो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड, राजस्थान, महाराष्ट्र, असम, गुजरात एवं कर्नाटक राज्यों में एक–एक है तथा इसका उद्घाटन दिनांक 24.02.2024 को माननीय प्रधानमंत्री द्वारा किया गया।

1.9.3 **सीजीटीएमएसई के अंतर्गत सदस्य ऋणदाता संस्थान (एमएलआई):**

रा.स.वि.नि. ने दिनांक 16.05.2023 से सदस्य ऋण देने वाली संस्था (एमएलआई) के रूप में सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की सदस्यता प्राप्त की है। सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों (एमएसई) को संस्थागत ऋण के प्रवाह को तीव्र करने हेतु सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम मंत्रालय, भारत सरकार तथा सिडबी द्वारा संयुक्त रूप से सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के लिए ऋण गारंटी निधि ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) की स्थापना की गई है। सदस्य ऋण देने वाली संस्था के रूप में, रा.स.वि.नि. को गारंटी कवर प्रति उधारकर्ता 5.00 करोड रुपए तक सीमित है।

1.9.4 एआईएफ योजनाः वित्तीय वर्ष 2023–24 में रा.स.वि.नि. को एआईएफ योजना की कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। रा.स.वि.नि. ने दिनांक 25.08.2023 को कृषि अवसंरचना निधि योजना के कार्यान्वयन हेतु कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

1.9.5 **सहकारिता मंत्रालय के समन्वय के साथ रा.स.वि.नि. द्वारा आयोजित कार्यक्रमः**

सहकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में रा.स.वि.नि. ने जुलाई 2023 से मार्च 2024 तक देश भर में सहकारी समितियों के लाभ हेतु 10 राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में विभिन्न सहकार बंधुओं, किसान सदस्यों ने भाग लिया तथा सहकारी क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक मंच के रूप में कार्य किया।

राष्ट्रीय स्तर की बहु–राज्य सहकारी समितियों में रा.स.वि.नि. की भागीदारी

1.9.6 सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार की पहल पर रा.स.वि.नि. ने एमएससीएस अधिनियम, 2002 के तहत निम्नलिखित तीन राष्ट्रीय स्तर की बहु–राज्य सहकारी समितियों की स्थापना के लिए एक प्रमोटर सदस्य के रूप में भाग लिया।

(i) भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड – इस समिति का गठन एक ही ब्रांड नाम के तहत गुणवत्ता वाले बीजों के उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन और वितरण आदि के लिए किया गया है। रा.स.वि.नि. समिति के प्रमोटर सदस्यों में से एक है और समिति को शेयर पूंजी के रूप में 50.00 करोड़ रुपये का योगदान देगा। अन्य प्रमोटर सदस्यों में कृभको, इफको, नेफेड और एनडीडीबी शामिल हैं। संचयी रुप में दिनांक 31.03.2024 तक रा.स.वि.नि. ने बीबीएसएसएल को हिस्सा पूंजी के रूप में 2.01 करोड़ रुपये का योगदान किया है।

(ii) नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड – देशभर में सहकारी समितियों के प्रमाणित तथा प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण तथा विपणन के लिए इस समिति का गठन किया गया है। रा. स.वि.नि. नेशनल कोऑपरेटिव ऑर्गेनिक्स लिमिटेड समिति के प्रमोटर सदस्यों में से एक है तथा समिति को हिस्सा पूंजी के रूप में 20.00 करोड़ रुपये तक का योगदान देगा। अन्य प्रमोटर सदस्यों में एनडीडीबी, जीसीएमएमएफ, नेफेड और एनसीसीएफ शामिल हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 में रा. स.वि.नि. ने 4.00 करोड़ रुपए का योगदान दिया। संचयी रुप में दिनांक 31.03.2024 तक रा.स.वि.नि. ने एनसीओएल को हिस्सा पूंजी के रुप में 5.01 करोड़ रुपये का योगदान किया है ।

(iii) नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट्स लिमिटेड – सहकारी समितियों द्वारा निर्यात को बढ़ावा देने के लिए इस समिति का गठन किया गया है। रा.स.वि.नि. समिति के प्रमोटर सदस्यों में से एक है और समिति में शेयर पूंजी के रूप में 100.00 करोड़ रुपये का योगदान देगा। अन्य प्रमोटर सदस्यों में जीसीएमएमएफ, इफको, कृभको तथा नेफेड शामिल हैं। संचयी रुप में दिनांक 31.03.2024 तक रा.स.वि.नि. ने एनसीइएल को हिस्सा पूंजी के रुप में 1.01 करोड़ रुपये का योगदान किया है ।

(iv) राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी)

कंपनी को अप्रैल, 2020 में शहरी सहकारी बैंकों हेतु एक अम्ब्रेला संगठन के रूप में कार्य करने के लिए गठित किया गया था। रा.स.वि.नि. संगठन के प्रमोटर सदस्यों में से एक है और हिस्सा पूंजी के रूप में 200.00 करोड़ रुपए का योगदान देगा। वित्तीय वर्ष 2023–24 में रा.स.वि.नि. ने पहले ही हिस्सा पूंजी योगदान के रूप में 20 करोड़ रुपए का योगदान दिया है।

एफपीओ तथा एफएफपीओ का गठन एवं संवर्धन

1.10 रा.स.वि.नि. को 10,000 किसान उत्पादक संगठनों के गठन एवं संवर्धन की केंद्रीय क्षेत्रक योजना के तहत एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है। वित्तीय वर्ष 2020–21, 2022–23 तथा 2023–24 में रा.स.वि.नि. को आवंटित लक्ष्यों के अनुसार, 157568 किसान सदस्यों के साथ 1863 एफपीओ के कुल लक्ष्य के सापेक्ष 777 एफपीओ सहकारी समितियां पंजीकृत की गई हैं।

संचयी रूप से, दिनांक 31.03.2024 तक रा.स.वि.नि. ने केंद्रीय क्षेत्रक योजना – 10,000 एफपीओ के गठन एवं संवर्धन के तहत 95.71 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की है।

मत्स्य किसान उत्पादक संगठन

रा.स.वि.नि. को मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) के गठन एवं संवर्धन के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के रूप में सशक्त बनाया गया है। पीएमएमएसवाई के अंतर्गत एफएफपीओ योजना का उद्देश्य एक समग्र एवं सहायक पारिस्थितिकी तंत्र का सृजन के माध्यम से मत्स्यपालन क्षेत्र के समावेशी एवं टिकाऊ परिवर्तन को प्राप्त करना है। रा.स.वि.नि. को 70 एफएफपीओ का प्रारंभिक लक्ष्य आवंटित किया गया था जो पहले ही पूरा हो चुका है। मत्स्यपालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने वित्तीय वर्ष 2023–24 एवं वित्तीय वर्ष 2024–25 के लिए एफएफपीओ के रूप में 1000 मौजूदा पीएफसीएस को मजबूत करने का अतिरिक्त लक्ष्य दिया। वित्तीय वर्ष 2023–24 में रा.स.वि.नि. ने आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक और ओडिशा राज्यों में 1000 मौजूदा पीएफसीएस के लक्ष्य के सापेक्ष 860 पीएफसीएस का आवंटन पूरा कर लिया है।

एमएसपी ऑपरेशन संचालन हेतु सहायता

1.11 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, निगम ने एमएसपी ऑपरेशन हेतु 73,347.74 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी सहायता स्वीकृत की तथा 52,555.93 करोड़ रुपये संवितरित किए । रा.स.वि.नि. ने इस उद्देश्य हेतु दिनांक 31.03.2024 तक संचयी रुप से 1,96,306.93 करोड़ रुपये

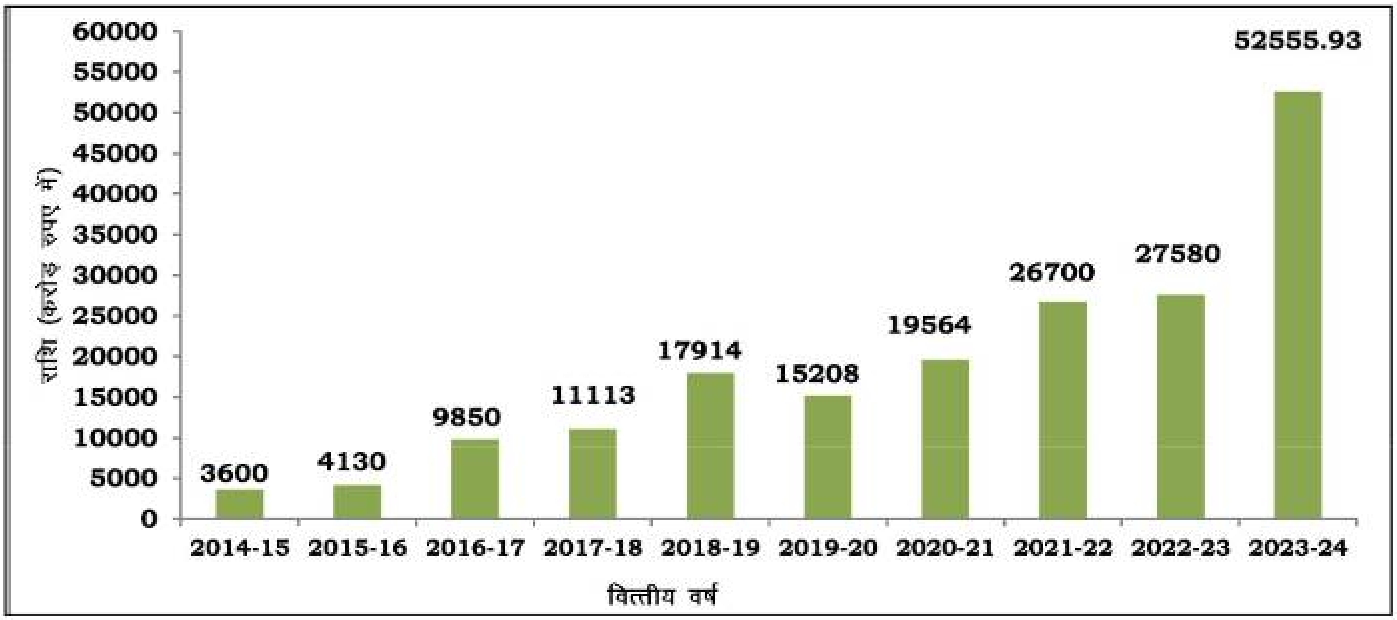

संवितरित किए हैं जिनमें 1,88,214.93 करोड़ रुपये पिछले 10 वर्षों में संवितरित किए गए जैसा कि उपरोक्त ग्राफ में दर्शाया गया है:–

1.12 महाराष्ट्र एवं गुजरात में गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों को सहायता देने की मेगा परियोजना

वित्तीय वर्ष 2023–24 में, रा.स.वि.नि. ने महाराष्ट्र सरकार के मत्स्य पालन विभाग को रा.स.वि.नि. की निगम प्रायोजित योजना के तहत 20.30 करोड़ रुपये की कुल ब्लॉक लागत पर महाराष्ट्र की तटीय मत्स्य सहकारी समितियों के लिए 14 गहरे समुद्र में मछली पकड़ने वाले जहाजों के अधिग्रहण हेतु 11.55 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की।

गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए एक और परियोजना श्री महावीर मछलीमार सहकारी मंडली लिमिटेड, जूनागढ़, गुजरात को 14.40 करोड़ रुपए में स्वीकृत की गई, जिससे समिति के 30 सदस्यों हेतु गहरे समुद्र में मछली पकड़ने के लिए जहाज खरीदे जा सकें, जिसकी कुल ब्लॉक लागत 36.00 करोड़ रुपए है।

सहकारिता में महिलाएं

1.13 रा.स.वि.नि. देश भर में महिला सशक्तिकरण के लिए महिला सहकारी समितियों के उत्थान के लिए वर्षों से महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने सेवा सहकारिताओं, वस्त्र, डेयरी एवं पशुधन, उपभोक्ता क्षेत्र के अंतर्गत 7 परियोजनाओं/इकाईयों को 1000.69 करोड़ रुपए स्वीकृत किए तथा सेवा सहकारी समितियों, आईसीडीपी, डेयरी तथा पशुधन, वस्त्र और खाद्यान्न सहकारिताओं को 711.55 करोड़ रुपये संवितरित किए। उपर्युक्त स्वीकृत 7 परियोजनाओं/इकाईयों में महिला सहकारी समितियों में 2.52 लाख महिलाएं सदस्य के रूप में नामांकित हैं, जिससे 4.00 लाख महिला सदस्यों को निरंतर रोजगार में समर्थन मिलने की उम्मीद है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 10723 सहकारी समितियों (युवा सहकार सहित) को स्वीकृत 2529

इकाइयों/परियोजनाओं में, अनुमान है कि 21.25 लाख महिलाएं सदस्यों के रूप में नामांकित हैं, जिनमें से 3355 महिला सदस्य प्रबंध मंडल में निदेशक हैं।

संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलाप

1.14 रा.स.वि.नि. के संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यों का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में विकासात्मक योजनाओं और परियोजनाओं की सफल अवधारणा एवं कार्यान्वयन का मार्ग प्रशस्त करने के लिए उपयुक्त परिस्थितियों और तालमेल का निर्माण करना है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान किये गये संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलापों का विवरण अध्याय–4 में दिया गया है तथा संक्षेप में निम्न प्रकार से प्रस्तुत हैः

- रा.स.वि.नि. ने विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों, सरकारी संगठनों के साथ सहकारी विकास के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2023–24 में 6 समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए ।
- **एफपीओ मेलाः** वित्तीय वर्ष 2023–24 में रा.स.वि.नि. ने लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के सहयोग से रा.स.वि.नि. मुख्यालय, नई दिल्ली में 3 एफपीओ मेले आयोजित किए। इन मेलों में देश भर से 125 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) ने भाग लिया। इन मेलों में विभिन्न नवीन एवं जैविक उत्पादों का प्रदर्शन भी किया गया तथा 2750 से अधिक लोगों ने भाग लिया, जिससे आगंतुकों को उत्पादों का एक नया अनुभव प्राप्त हुआ।
- रा.स.वि.नि. तथा इसके क्षेत्रीय कार्यालयों ने रा.स.वि.नि. द्वारा चलाई जा रही योजनाओं एवं भारत सरकार की प्रमुख योजनाओं जैसे युवा सहकार, पीएमएमएसवाई, एनबीएचएम, पीएमएफएमई, एएमआई, एआईएफ, एफपीओ आदि के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए नियमित आधार पर प्रचार बैठकें आयोजित कीं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने पीएमएमएसवाई योजना के तहत जागरूकता पैदा करने के लिए 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।
- दिनांक 31.03.2024 तक, उत्तम कार्य करने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों को पहचान देने के लिए 13 राज्यों तथा 1 केंद्र शासित प्रदेश में रा.स.वि.नि. सहकारी उत्कृष्टता एवं योग्यता के लिए क्षेत्रीय पुरस्कार – 2023 का आयोजन किया गया।
- निगम एक उत्तम प्रकार से सुसज्जित पुस्तकालय का रखरखाव करता है जो पाठकों को संदर्भ सेवाएं और पुस्तकालय ऋण सुविधाएं प्रदान करता है।

राजभाषा का संवर्धन

1.15 रा.स.वि.नि. अपने दैनिक कार्यों में हिंदी के प्रगतिशील प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों का पालन करना जारी रखे हुए है। इस संबंध में, अन्य बातों के अलावा, रा.स.वि.नि. के प्रधान कार्यालय और क्षेत्रीय निदेशालयों में दिनांक 19.09.2023 से 25.09.2023 तक ''हिंदी सप्ताह'' का आयोजन किया गया था।

मानव संसाधन केंद्रित क्षेत्र– प्रशिक्षण एवं विकास

1.16 रा.स.वि.नि. एक ज्ञान आधारित संगठन है, और लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक) तथा 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों के साथ–साथ अन्य प्रमुख केंद्रों में आयोजित प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से सीखने और ज्ञान के उन्नयन का वातावरण बनाने के लिए लगातार प्रयासरत है। रा.स.वि.नि. में प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया रही है। इसके अलावा, अपने अधिदेश को प्रभावी ढंग से पूरा करने के लिए, लिनाक ने दिनांक 31.03.2024 तक 1292 प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 53430 कर्मियों को प्रशिक्षित किया है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, लिनाक तथा इसके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र ने 175 के लक्ष्य के सापेक्ष में कुल 194 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। इन प्रशिक्षणों में से, लिनाक में 88 के लक्ष्य के सापेक्ष में 96 प्रशिक्षण

आयोजित किए गए एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में 87 के लक्ष्य के मुकाबले 98 प्रशिक्षण आयोजित किए गए। अकादमी द्वारा 951 महिला प्रतिभागियों सहित कुल 11864 कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया।

1.17 **सतर्कता जागरूकता सप्ताह** दिनांक 30 अक्तूबर, 2023 से 5 नवम्बर, 2023 तक "भ्रष्टाचार का विरोध करें, राष्ट्र के प्रति समर्पित रहें।" विषय के साथ मनाया गया। निगम के कर्मचारियों के लिए दिनांक 31 अक्टूबर 2023 को उपर्युक्त विषय पर एक निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। निगम के कर्मचारियों के लिए सतर्कता तथा संबंधित मुद्दों पर एक आशु भाषण प्रतियोगिता और प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता भी आयोजित की गई।

अध्याय – 2

उत्पत्ति एवं कार्य

रा.स.वि.नि. की उत्पत्ति

2.1 रा.स.वि.नि. एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना सहकारिताओं के माध्यम से ग्रामीण आर्थिक कार्यकलापों के विकास की गति को तेज करने के लिए अखिल भारतीय ऋण सर्वेक्षण समिति की सिफारिश पर एक संसदीय अधिनियम के अंतर्गत दिनांक 14.03.1963 को हुई थी। इसकी नीतियां तथा कार्यक्रम महापरिषद तथा प्रबंध मण्डल के मार्गदर्शन में तैयार किए जाते हैं, जिनका गठन भारत सरकार द्वारा सहकारिताओं, सरकारी अधिकारियों तथा गैर–सरकारी अधिकारियों के प्रतिनिधिक समूह में से किया जाता है। केंद्र सरकार ने अपनी राजपत्र अधिसूचना संख्या 2516, दिनांक 6 जुलाई, 2021 को "सहकारिता से समृद्धि की ओर" दृष्टिकोण के साथ नए सहकारिता मंत्रालय के गठन की घोषणा की। उपर्युक्त अधिसूचना के माध्यम से रा.स.वि.नि. अब सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत है।

लक्ष्य एवं उद्देश्य

2.2 रा.स.वि.नि. एक गैर– इक्विटी आधारित विकासात्मक वित्तीय संस्थान है जिसकी स्थापना सहकारी सिद्धांतों के आधार पर विशिष्ट रुप से कृषि उत्पादों के उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण तथा निर्यात एवं आयात, कृषि उत्पाद, खाद्यान्नों तथा कुछेक अधिसूचित वस्तुओं की योजना, संवर्धन तथा वित्तपोषण हेतु की गई हैं। वर्ष 1974 में रा.स.वि.नि. अधिनियम में संशोधन किया गया ताकि मात्स्यिकी, कुक्कुटपालन, डेयरी, हथकरघा तथा कोशकीटपालन जैसे अन्य व्यवसायों को सम्मिलित किया जा सके। इस संशोधन के माध्यम से रा.स.वि.नि. के संसाधन आधार को विस्तृत किया गया ताकि यह बाजार से धन जुटा सके। वर्ष 2002 में पशुधन, औद्योगिक माल, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प, ग्रामीण शिल्प तथा जल संरक्षण कार्यों, सिंचाई, पशु स्वास्थ्य देखभाल, बीमारी की रोकथाम, कृषि बीमा तथा कृषि ऋण, ग्रामीण स्वच्छता तथा श्रमिक सहकारिताओं से संबंधित सेवाओं जैसी कुछ अधिसूचित सेवाओं को सम्मिलित करने के लिए इस अधिनियम में पुनः संशोधन किया गया । इसके अतिरिक्त, इस अधिनियम से रा.स.वि.नि. कुछ निर्धारित शर्तें पूरी किये जाने पर अपनी विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत सहकारी समितियों का प्रत्यक्ष रूप में वित्तपोषण करने में भी सक्षम हुआ है।

प्रबंधन एवं प्रशासनिक संरचना

2.3 रा.स.वि.नि. का प्रबंधन एक 51 सदस्यीय महापरिषद तथा 12 सदस्यीय प्रबंधन मण्डल में निहित है जो केन्द्रीय सरकार द्वारा नामित किए जाते हैं। महापरिषद निगम के लिए नीतियों का निर्धारण करती है तथा प्रबंध मण्डल निगम के सामान्य प्रबंधन को देखता है। दिनांक 31.03.2024 को महापरिषद तथा प्रबंध मण्डल के गठन की स्थिति क्रमशः अनुबंध i तथा ii पर देखी जा सकती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, महापरिषद की बैठक दिनांक 09.10.2023 तथा 02.12.2023 को (परिचालन के माध्यम से) संपन्न हुई । वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आयोजित प्रबंध मंडल की बैठकों का विवरण इस प्रकार है :–

बैठक संख्या	दिनांक
224	16.05.2023
225	10.08.2023
226	07.11.2023
227	02.12.2023
228	18.01.2024
229	14.03.2024

रा.स.वि.नि. सचिवालय

2.4 निगम के सचिवालय प्रमुख प्रबंध निदेशक हैं तथा यह मुख्यालय एवं 18 क्षेत्रीय कार्यालयों अर्थात बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, देहरादून, चेन्नई,

गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे, रायपुर, रांची, शिमला तथा तिरूवनंतपुरम तथा 2 उप–कार्यालयों के माध्यम से कार्य करता है। सहकारिताओं तक बेहतर पहुँच के लिए रा.स.वि.नि. के दो उप कार्यालयों का संचालन आंध्र प्रदेश (विजयवाड़ा) तथा मिजोरम (आईजोल) में किया जा रहा है। 18 कार्यालयों में से 12 अल्पतम/ अल्प विकसित राज्यों में स्थित हैं। रा.स.वि.नि. की प्रशिक्षण अकादमी लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक) गुरुग्राम, हरियाणा में स्थित है और विभिन्न राज्यों में इसके 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (क्षे.प्र.कें.) हैं। निगम ने शीर्ष संस्थान की भूमिका पूर्ण रूप से निभाने के लिए, आंतरिक तकनीकी एवं प्रबंधकीय क्षमताएं विकसित की हैं।

2.4.1 दिनांक 31.03.2024 तक, रा.स.वि.नि. की संगठनात्मक संरचना अनुबंध–III पर दर्शाई गई है।

कार्यकलापों का दायरा एवं वित्त पोषण की पद्धति

2.5 रा.स.वि.नि. की योजनाएं/कार्यकलाप कारीगरों, बुनकरों, ग्रामीण जनसंख्या एवं अनुसूचित जनजातियों की आय बढ़ाने तथा उनकी आजीविका में सुधार करने हेतु तैयार की जाती हैं । इस उद्देश्य के लिए बनाई गई योजना के अंतर्गत केवल महिलाओं द्वारा संघटित सहकारिताओं को भी सहायता दी जाती है। निगम कार्यकलाप आधारित सहायता के अतिरिक्त, चयनित जिलों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (आईसीडीपी) जैसी क्षेत्र आधारित परियोजनाओं का भी संवर्धन करता है। एकीकृत सहकारी विकास परियोजना एक ऐसी परियोजना है जो विभिन्न सहकारी कार्यकलापों के विकास के माध्यम से जिले की संभावनाओं को उन्मुक्त कर एक जिले के लोगों के समग्र विकास हेतु कार्य करती है। कार्यान्वित योजनाओं एवं रा.स.वि.नि. द्वारा सहायता प्राप्त गतिविधियों का विवरण **अनुबंध IV एवं V** में दर्शाया गया है।

पारदर्शिता संबंधी पहलें

2.6 रा.स.वि.नि. भारत सरकार द्वारा निर्धारित सांविधिक आवश्यकता के अनुरूप है तथा इसका कार्य पूर्णतः स्पष्ट एवं पारदर्शी मानदंडों पर आधारित है।

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

2.6.1 पारदर्शिता, सक्रिय प्रकटीकरण एवं सांविधिक दायित्वों के अनुपालन के अपने लक्ष्यों के अनुसरण में, रा.स.वि.नि. सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई जानकारी को प्रभावी ढंग से प्रदान कर रहा है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम, 2005 के अंतर्गत सांविधिक दायित्वों का पालन करने हेतु प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों एवं लिनाक के वरिष्ठ अधिकारियों सहित केंद्रीय जन सूचना अधिकारियों को नामित किया गया है। सीपीआईओ, पीआईओ तथा अपीलीय प्राधिकारी का विवरण रा.स.वि.नि. की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

आंतरिक प्रक्रियाओं की सुदृढ़ता

2.7 रा.स.वि.नि. ने दूसरों के बीच, ग्राहक की उच्च संतुष्टि के लिए, जोखिमों को कम करने के लिए तथा आंतरिक प्रक्रियाओं को बेहतर बनाने और मजबूत करने के लिए कई उपाय किए। प्रमुख प्रणालियां निम्न प्रकार से हैं :–

(क) रा.स.वि.नि. की परिसंपत्ति–देयता प्रबंध समिति

(ख) ऋण वसूली और समीक्षा तंत्र,

(ग) आंतरिक लेखा परीक्षा प्रकोष्ठ और

(घ) प्रबलित निर्माता और जांच प्रणाली।

2.7.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, रा.स.वि.नि. द्वारा निम्नलिखित सूचना तकनीकी पहलें की गई :

(क) रा.स.वि.नि. ने एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (ईआरपी) सॉफ्टवेयर का विकास शुरु किया है जिसके अंतर्गत सहकारी समितियाँ रा.स.वि.नि. से वित्तीय सहायता हेतु आवेदन कर सकेंगी तथा ऋण की स्वीकृति, संवितरण तथा पुर्नभुगतान आदि के बारे में सूचना प्राप्त कर सकेंगी। यह सॉफ्टवेयर ऋण आवेदन प्रक्रिया को निर्बाध बनाएगा तथा गतिशील रिपोर्ट तैयार करेगा।

(ख) रा.स.वि.नि. मुख्यालय में इंटरनेट लीज लाइन को डीडीओएस सुरक्षा के साथ पूर्णतः अद्यतन कर दिया गया है।

(ग) फाईलों के निपटान तथा अंतरण की निगरानी के लिए डीडीएफएस में प्रदर्शन आधारित रिपोर्ट सम्मिलित की गई है।

मानव संसाधन तथा प्रशिक्षण एवं विकास

2.8 कर्मचारियों की कुल संख्या तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कर्मचारियों की संख्या तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा भरी गई रिक्तियों की संख्या क्रमशः अनुबंध–VI और VII पर दर्शाई गई है।

2.8.1 रा.स.वि.नि. एक ज्ञान–आधारित संगठन है, तथा लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक) एवं 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों के साथ–साथ बाहर के अन्य प्रमुख केंद्रों में आयोजित प्रशिक्षण और कार्यशालाओं के माध्यम से सीखने एवं ज्ञान के उन्नयन हेतु लगातार प्रयासरत है। रा.स.वि.नि. में प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया रही है। प्रशिक्षण आवश्यकता मूल्यांकन (टीएनए) अभ्यास के आधार पर, कार्मिकों के कौशल के उन्नयन के लिए इन–हाउस एवं स्थान विशेष प्रशिक्षण पाठ्यक्रम डिजाइन, संचालित या आयोजित किए जाते हैं। कार्मिकों की गुणवत्ता में बढ़ोतरी शुरूआती अवस्था से ही की जाती है। भर्ती के बाद, कार्मिकों को शुरु में निगम के विभिन्न प्रभागों के काम के बारे में एक दिशा प्रदान की जाती है और इसके बाद, उन्हें रा.स.वि.नि. की प्रशिक्षण अकादमी – लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक) में प्रशिक्षित किया जाता है।

2.8.2 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान लिनॉक ने निगम के कार्मिकों हेतु 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। निगम के कुल 248 कार्मिकों ने इन कार्यक्रमों में भाग लिया।

अनुक्रम नीति

2.8.3 सेवानिवृत्ति के परिणामस्वरूप उभरने वाली रिक्तियों को ध्यान में रखते हुए एक सुचारु परिवर्तन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों की पदस्थापना की जाती है। जहां सेवानिवृत्त अधिकारी को बदलने के लिए अपेक्षित विशेषज्ञता वाले एक अधिकारी द्वारा तत्काल प्रतिस्थापन संभव नहीं है, अपेक्षित विशेषज्ञता/अनुभव वाले सेवानिवृत्त अधिकारी अनुबंध पर तब तक बने रहते हैं जब तक रिक्त पद भरे नहीं जाते हैं । इस अंतराल को पूरा करने के लिए रा.स.वि.नि. अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर भी भर्ती करता है । विशेष आवश्यकता या जहां विशेषज्ञता/ पेशेवरों की आवश्यकता होती है, को पूरा करने के लिए, निगम ने एक योजना शुरू की है, जिसमें सेवानिवृत्त सरकार/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकारियों को सलाहकार के रूप में कार्य करने की अनुमति दी गई है। इसके साथ ही निगम यंग प्रोफेशनल/परामर्शदाताओं/वरिष्ठ परामर्शदाताओं को आवश्यकता अनुसार भर्ती करता है।

रा.स.वि.नि. की उपस्थिति

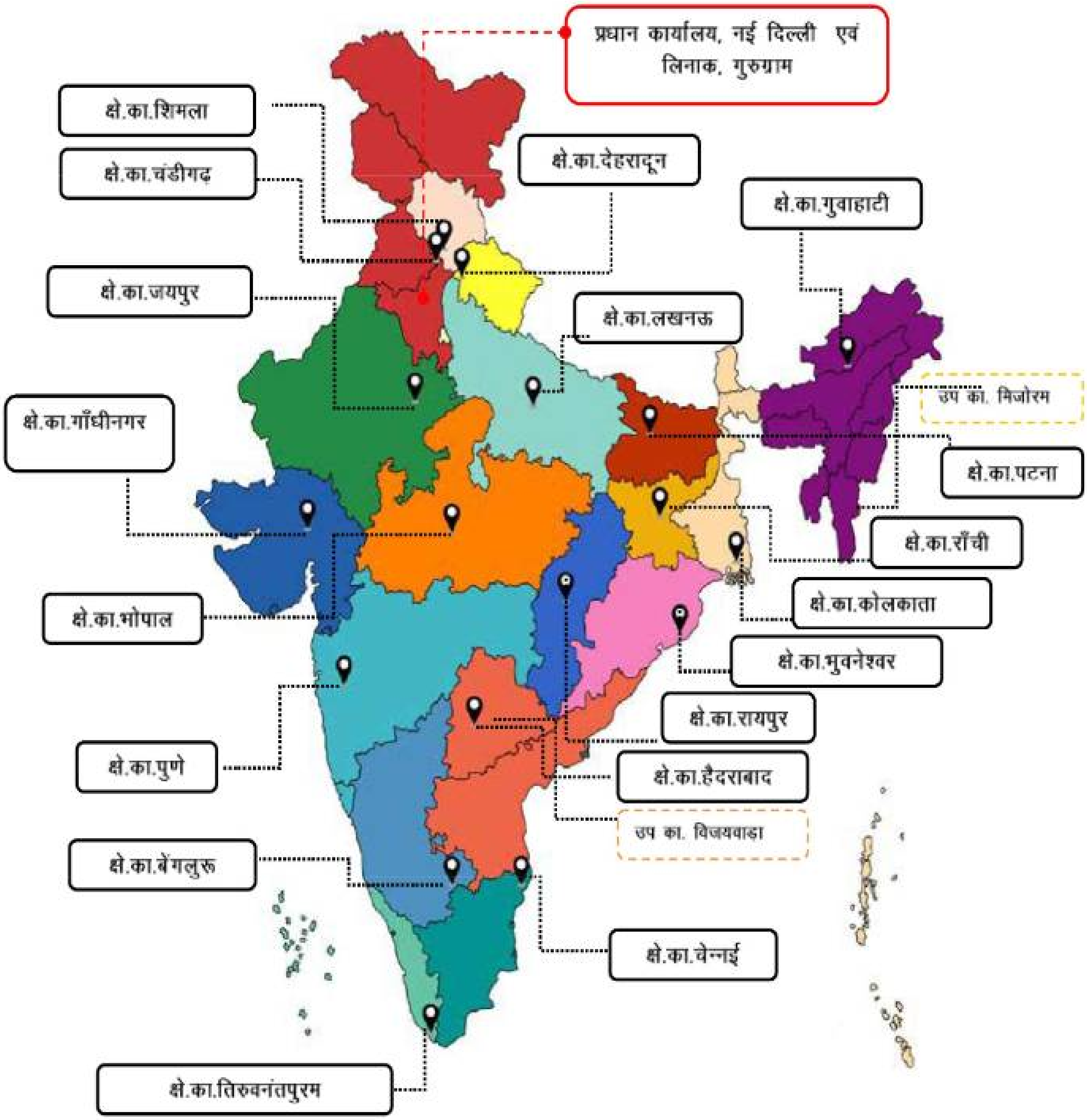

Map not to scale

अध्याय – 3

वित्त

3.1 निगम की निधियों के स्रोतों तथा प्रयोज्यता को दर्शाते हुए दिनांक 31.03.2024 की वित्तीय स्थिति तालिका–1 पर दर्शायी गई है।

3.2 पिछले वर्ष के तुलनात्मक आंकड़ों सहित वित्तीय वर्ष 2023–24 की वित्तीय विशिष्टताएं निम्न प्रकार से हैं :–

(रुपये करोड़ में)

		2023-24	2022-23
(i)	**संवितरण**	**60618.47**	41031.40
(ii)	**निवल लाभ (कर पूर्व)**	**740.23**	703.31
(iii)	**निवल एनपीए**	-	-
(iv)	**बकाया ऋण**	**37028.88**	28508.18
(v)	**ऋणों की वसूली**	**99.70%**	99.67%

3.3 रा.स.वि.नि. संसाधन एवं निधियों की उपयोगिता निम्न प्रकार से है:

(रुपये करोड़ में)

		2023-24	2022-23
संसाधन			
i)	भारत सरकार, चीनी विकास निधि, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) एवं ब्याज सब्सिडी **(तालिका–2)**	**393.67**	514.22
ii)	रा.स.वि.नि. के आंतरिक उपचय एवं बाजार उधार (परिक्रामी निधियों सहित)	**60224.80**	40517.18
	कुल संसाधन	**60618.47**	41031.40
उपयोगिता			
संवितरण		**60618.47**	41031.40

3.3.1 निगम प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर निधियां जुटाने में सफल रहा, जैसा कि तालिका–3 में दर्शाया गया है। बैंकों से ऋण जुटाने के अलावा, निगम ने पूंजी बाजार साधन यथा कॉमर्शियल पेपर, करयुक्त बाण्डों के निर्गम तथा सर्वोच्च कृषि वित्तीय संस्था अर्थात् नाबार्ड से उधार लेकर अपने वित्त पोषण प्रोफाइल को भी विविधीकृत किया है जिससे निधियों की लागत में कमी आयी है।

3.4 बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए वित्तीय प्रणाली पर नरसिम्हम समिति द्वारा की गई सिफारिशें और तत्पश्चात भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा गैर–निष्पादक परिसंपत्तियों (एनपीए) के संबंध में बैंकों को जारी किए गए मार्गदर्शी नियम, निगम में वर्ष 1992–93 से स्वैच्छिक तौर पर कार्यान्वित किये जा रहे हैं, जो कि प्रबंधन मंडल द्वारा दिनांक 30.06.1993 को आयोजित बैठक में अनुमोदित किए गए। वर्ष 2006–07 से भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, वे ऋण जिनके संबंध में ब्याज 180 से अधिक दिनों की अवधि तक अतिदेय रहा और/अथवा उनके मूलधन की किश्त 365 दिन की अवधि तक अतिदेय रही, ऐसे ऋण एनपीए के रूप में माने गए और इन एनपीए पर उपचित ब्याज को ब्याज आय में शामिल नहीं किया गया। यही नीति वर्ष 2023–24 में भी जारी रही। एनपीए के संबंध में 80.19 करोड़ रुपये का उपचित ब्याज (गत वर्ष 56.63 करोड़ रुपये) को वर्ष के ब्याज की आय में परिकलित नहीं किया गया है।

3.5 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, निम्नलिखित एनपीए प्रावधान का प्रत्यावर्तन हो गया :–

(i) पैक्स कोनापुर लि.– 0.07 करोड़ रुपये।

(ii) गडक कपास बिक्री सहकारी– 0.75 करोड़ रुपये।

(iii) पुरी जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि., ओडिशा – 0.071 करोड़ रुपये।

(iv) भारतीय राष्ट्रीय कृषक खरीद प्रसंस्करण एवं खुदरा सहकारी संघ (नैफकॉफ)– 4.074 करोड़ रुपये।

उपर्युक्त के आलोक में, वर्ष 2023–24 हेतु लेखों में 4.97 करोड़ रुपये के एनपीए प्रावधान के साथ प्रत्यावर्तित किया गया।

3.5.1 वर्ष 2023–24 के दौरान, लेखों पर सृजित 10301.25 लाख रुपये के प्रावधान के संबंध में निम्नलिखित लेखों को एनपीए के रूप उदघोषित किया गया है :–

(i) श्री गजानन सहकारी सूत घिरनी लि., महाराष्ट्र– 4566.38 लाख रुपये ।

(ii) सूरत वानकर सहकारी संघ लि., गुजरात– 5734.87 लाख रुपये।

3.6 गत वर्ष के अंत में एनपीए हेतु मूलधन की वसूली तथा वर्ष 2023–24 में अगली वृद्धियों के परिणामस्वरूप दिनांक 31.03.2023 को 316.83 करोड़ रुपये का सकल एनपीए जो दिनांक 31.03.2024 को बढ़कर 414.87 (316.83+103.01–4.97) करोड़ रुपये हो गया। दिनांक 31.03.2024 को निवल एनपीए शून्य था। दिनांक 31.03.2024 को एनपीए प्रावधानों का विवरण तालिका–4 पर दर्शाया गया है।

3.7 मानक परिसंपत्तियों के लिए 0.40% की दर से सामान्य प्रावधान तैयार किया गया है। दिनांक 31.03.2023 को 86.69 करोड़ रुपये का प्रावधान पहले ही रखा जा चुका है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 32.44 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है। पुनः सृजित ऋण पर वित्तीय वर्ष 2020–21 में 5% की दर से 13.85 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान बनाए रखा गया है। इसके साथ ही रा.स.वि.नि. प्रबंधन मंडल की 214वीं बैठक में गजानन सहकारी सूत गिरनी लि. की पुनःसंरचना में यह निर्णय लिया गया था कि रा.स.वि.नि. इस ऋण के लिए 25% का प्रावधान करेगा। अतः 11.41 करोड़ रुपये का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2022–23 में किया गया। अब तक गजानन सूत गिरनी लि. का एनपीए बन चुका है तथा संदेह परिसंपत्ति हेतु प्रावधान में 100% का प्रावधान है। इस प्रकार 11.41 करोड़ रुपये के प्रावधान को प्रत्यावर्तित किया गया है। इसलिए दिनांक 31.03.2024 तक लेखों में मानक परिसम्पत्ति के संबंध में 132.98 करोड़ रुपये का कुल प्रावधान रखा गया है।

3.8 दिनांक 31.03.2024 को केन्द्रीय सरकार का बकाया ऋण "शून्य" था ।

3.9 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान निगम द्वारा कार्यान्वित स्कीमें/सहायता प्राप्त कार्यकलाप तथा सहायता पद्धति अनुबंध– IV एवं V पर दर्शाए गये हैं।

3.10 निगम ने वर्ष 2023–24 के दौरान 399.93 करोड़ रुपये की सब्सिडी (6.75 करोड़ रुपये राशि निगम की अपनी निधियों से) सहित 60618.47 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की । वर्ष 2023–24 के दौरान योजनावार संवितरण के विवरण तालिका–5 पर दर्शाए गए हैं। संवितरण के राज्यवार/कार्यकलापवार विवरण अनुबंध–VIII पर दिए गए हैं।

3.11 वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान निगम की उधार देने की शर्तें तालिका–6 तथा 7 में दी गई हैं।

3.12 निगम द्वारा वर्ष 2023–24 तक विभिन्न स्कीमों के लिये प्रदान की गई संचयी वित्तीय सहायता 313198.43 करोड़ रुपये है जो तालिका–10 पर दर्शाई गई है। संचयी सहायता का राज्यवार विवरण अनुबंध–IX पर दर्शाया गया है।

तालिका–1

31 मार्च, 2024 को निधियों के स्रोत एवं प्रयोज्यता

(तुलन पत्र के अनुसार)

(करोड़ रुपये में)

			दिनांक 31.03.2024 को			दिनांक 31.03.2023 को	
			राशि	%		राशि	%
(क)	स्रोत						
1	रा.स.वि.नि. की निधि/रिजर्व		**5849.63**	15.79%		**4887.02**	16.87%
2	अन्य निधियां		**0.00**	0.00%		**505.30**	1.74%
3	रा.स.वि.नि. बांड		**0.00**	0.00%		**980.00**	3.38%
4	बैंकों से प्राप्त ऋण		**31123.54**	84.02%		**22501.28**	77.68%
5	एनएसटीएफडीसी से ऋण		**68.36**	0.18%		**93.22**	0.32%
	योग :		**37041.53**	**100%**		**28966.82**	**100%**
(ख)	**प्रयोज्यताएं**						
1	लाभार्थियों को दिए गए अग्रिम ऋण		37028.88			28508.18	
2	स्थाई परिसंपत्तियां		10.42			11.25	
3	सहकारिताओं का हिस्सा		33.56			8.56	
	पूंजी में निवेश						
4	**निवल अन्य परिसम्पतियां**	**(i-ii)**	-31.34		**(i-ii)**	438.83	
	(i) अन्य परिसंपतियां						
	(क) उपचित ब्याज		532.83			404.00	
	(ख) अग्रिम, प्राप्य एवं कर		41.10			93.38	
	(ग) नकदी एवं बैंक शेष		147.13			458.38	
		i	721.07			955.75	
	(ii) अन्य देयताएं एवं प्रावधान						
	(क) बाजार उधार/एनएसटीएफडीसी ऋण पर ब्याज		15.43			32.90	
	(ख) संदिग्ध ऋणों, मानक परिसंपत्तियों तथा निवेशों हेतु प्रावधान		541.16			430.09	
	(ग) अनप्रयुक्त अनुदान		147.73			11.72	
	(घ) अन्य		40.08			42.22	
		ii	752.41			516.92	
	योग		**37041.53**			**28966.82**	

तालिका–2

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान केन्द्र सरकार/ राज्य सरकार तथा एनएसटीएफडीसी से प्राप्त सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	स्कीम	ऋण	अनुदान
क.	**केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाएं**		
I	पूर्ववर्ती केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम – सहकारिताओं के विकास हेतु रा.स.वि.नि. के कार्यक्रम को सहायता (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)		306.34
	– सहकारी विपणन, प्रसंस्करण एवं भंडारण आदि हेतु सहायता		
	– एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं		
II	कृषिक विपणन एकीकृत स्कीम (आईएसएएम–डीएमआई)		
III	किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ)		48.33
IV	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) (एफएफपीओ सहित)		29.06
V	ब्याज सब्सिडी (महाराष्ट्र राज्य सरकार)		9.45
ख.	एनएसटीएफडिसी	0.46	
ग.	सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) का औपचारीकरण	0.03	
	योग	**0.49**	**393.18**
	योग (ऋण + अनुदान)	**393.67**	

तालिका–3

निगम द्वारा जुटाये गए ऋणों/निधियों की नियम एवं शर्तें (अप्रैल, 2023 से मार्च, 2024)

क्रम संख्या	ऋण का विवरण	अवधि	अदायगी की शर्तें
क.	अल्पावधिक ऋण/ विदेशी मुद्रा ऋण पूर्णतया हेज्ड	7 दिन से 6 माह	मूलधन की वापसी परिपक्वता पर और ब्याज मासिक आधार पर देय है ।
ख.	बैंकों से दीर्घकालीन ऋण	5 वर्ष	एक वर्ष के विलंबकाल के बाद मूलधन वार्षिक किश्तों में देय हैं तथा ब्याज मासिक रूप से देय है!
ग.	नकद ऋण सुविधा	1 वर्ष	मूलधन की अदायगी ऋण की अवधि के दौरान किसी भी समय की जा सकती है और ब्याज मासिक आधार पर देय है।
घ.	कॉमर्शियल पेपर	88 दिन से 90 दिन	मूलधन और ब्याज की अदायगी परिपक्वता पर

तालिका–4
दिनांक 31.03.2024 को एनपीए प्रावधानों के विवरण

(लाख रुपये में)

क्र.सं.	ऋणी का नाम	गैर निष्पादन परिसम्पति का स्वरूप	दिनांक 31.03.2024 को बकाया ऋण	दिनांक 31.03.2023 तक किए गए प्रावधान		वर्ष 2023–24 के दौरान प्रस्तावित प्रावधान	दिनांक 31.03.2024 को कुल प्रावधान		दिनांक 31.03.2024 तक निवल एनपीए	प्रतिभूति
				राशि	प्रतिशत		राशि	प्रतिशत		
1	सतपुडातापी एस.एस.के. (महाराष्ट्र)	3 वर्ष से अधिक संदिग्ध	2,250.16928	2,250.16928	100%	-	2250.16928	100%	-	रेहन
2	पेट्रोफिल्स (गुजरात)	परिसंपति घाटा	667.44000	667.44000	100%	-	667.44000	100%	-	रेहन
3	दौलत एस.एस.के (महाराष्ट्र)	3 वर्ष से अधिक संदिग्ध	1,401.98800	1,401.98800	100%	-	1,401.98800	100%	-	राज्य सरकार गारंटी
4	मयूर सहकारी दुग्ध संघ (महाराष्ट्र)	3 वर्ष से अधिक संदिग्ध	395.49853	395.49853	100%	-	395.49853	100%	-	रेहन
5	दुर्गापुर कुक्कुटपालन सह.समि. लि0 (पश्चिम बंगाल)	3 वर्ष से अधिक संदिग्ध	28.68500	28.68500	100%	-	28.68500	100%	-	रेहन
6	मैट्रिसीज प्राथमिक औद्योगिक सह. समिति, (अरूणाचल प्रदेश)	3 वर्ष से अधिक संदिग्ध	20.63000	20.63000	100%	-	20.63000	100%	-	रेहन
7	वसंतराव दादा पटिल एसएसके लि0 (महाराष्ट्र)	3 वर्ष से अधिक संदिग्ध	54.23015	54.23015	100%	-	54.23015	100%	-	रेहन
8	टेक बोगो बहुउद्दशीय सहकारी समिति (अरूणाचल प्रदेश)	3 वर्ष से अधिक संदिग्ध	23.51800	23.51800	100%	-	23.51800	100%	-	रेहन
9	किमिन कुव बहुउद्दशीय समिति लि0 (अरूणाचल प्रदेश)	3 वर्ष से अधिक संदिग्ध	145.70100	145.70100	100%	-	145.70100	100%	-	राज्य सरकार गारंटी
10	श्री विठ्ठल एसएसके – (महाराष्ट्र)	3 वर्ष से अधिक संदिग्ध	3,320.71400	3,320.71400	100%	-	3320.71400	100%	-	रेहन
11	आदिनाथ एसएसके (महाराष्ट्र)	3 वर्ष से अधिक संदिग्ध	2,500.00000	2,500.00000	100%	-	2500.00000	100%	-	रेहन
12	अम्मा अब्बा एमपीसीएस लि0 (अरूणाचल प्रदेश)	3 वर्ष से अधिक संदिग्ध	132.18000	132.18000	100%	-	132.18000	100%	-	रेहन
13	प्राथमिक कृषि पट्टिना सहकारी संघए इंल्लई (कर्नाटक)	1–3 वर्ष से संदिग्ध	20.84200	20.84200	100%	-	20.84200	100%	-	रेहन

क्र.सं.	ऋणी का नाम	गैर निष्पादन परिसम्पति का स्वरूप	दिनांक 31.03.2024 को बकाया ऋण	दिनांक 31.03.2023 तक किए गए प्रावधान		वर्ष 2023–24 के दौरान प्रस्तावित प्रावधान	दिनांक 31.03.2024 को कुल प्रावधान		दिनांक 31.03.2024 तक निवल एनपीए	प्रतिभूति
				राशि	प्रतिशत		राशि	प्रतिशत		
14	जवाहर शेतकारी सहकारी सूत गिरनी लि0 (महाराष्ट्र)	1–3 वर्ष से संदिग्ध	2,800.00000	2,800.00000	100%	-	2800.00000	100%	-	रेहन
15	नेशनल फेडरेशन ऑफ फार्मर्स पीपीआरसी इंडिया लि0 नई दिल्ली (नैकॉफ, नई दिल्ली)	–	-	407.44285	NA	(407.44285)	0.00000	NA	-	रेहन
16	पुरी जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0 , उड़ीसा	3 वर्ष से अधिक संदिग्ध	5.91095	13.03257	220%	(7.12162)	5.91095	100%	-	रेहन
17	महुआ सहकारी कोल्ड स्टोरेज लि0, बिहार	1–3 वर्ष से संदिग्ध	1,492.62981	1,503.50898	101%	(10.87917)	1492.62981	100%	-	रेहन
18	मंगल सिद्धी एमएमएसएस लि0, महाराष्ट्र	1–3 वर्ष से संदिग्ध	41.77871	41.77871	100%	-	41.77871	100%	-	रेहन
19	लोकनायक जयप्रकाश नारायण एराएराएरा जीजी लि0, महाराष्ट्र	1–3 वर्ष से संदिग्ध	6,411.90000	6,411.90000	100%	-	6411.90000	100%	-	रेहन
20	इछाबा चाय उत्पादक सहकारी समिति लि0, नागालैंड	1–3 वर्ष से संदिग्ध	258.29959	258.29959	100%	-	258.29959	100%	-	राज्य सरकार गारंटी
21	सम्पतराव देशमुख सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ, महाराष्ट्र	1 वर्ष से संदिग्ध	750.75171	750.75171	100%	-	750.75171	100%	-	रेहन
22	श्री शक्ति विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, मध्य प्रदेश	1 वर्ष से संदिग्ध	30.71200	30.71200	100%	-	30.71200	100%	-	रेहन
23	ताप्ती बीज उत्पादक संस्था मर्यादित, मध्य प्रदेश	1 वर्ष से संदिग्ध	3.20000	3.20000	100%	-	3.20000	100%	-	रेहन
24	कावेरी विभाग एसकेयूएम, गुजरात	उप मानक	2,941.64700	-	0%	2,941.64700	2941.64700	100%	-	रेहन
25	तापी शेतकारी सत गिरनी	1–3 वर्ष से संदिग्ध	5,477.53560	5,477.53560	100%	-	5,477.53560	100%	-	रेहन
26	गडग सहकारी कपास	–	-	74.99818	NA	(74.99818)	0.00000	NA	-	रेहन
27	पैक्स कोनापूर	1–3 वर्ष से संदिग्ध	9.92277	17.22206	174%	(7.29929)	9.92277	100%	-	रेहन
28	सूरत वानकर संघ	उप मानक	5,734.87720	-	0%	5,734.87720	5,734.87720	100%	-	रेहन
29	श्री गजानन सूत गिरनी	उप मानक	4,566.37780	-	0%	4,566.37780	4,566.37780	100%	-	रेहन
योग			**41,487.13910**	**31,682.74604**		**9,804.39306**	**41,487.13910**			

तालिका–5

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान योजनावार संवितरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	योजना	ऋण	अनुदान
क.	**केन्द्रीय क्षेत्रक योजनाएं**		
	1. पूर्ववर्ती केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम–सहकारिताओं के विकास हेतु रा.स.वि.नि. के कार्यक्रमों को सहायता (कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार)		
	(i) सहकारी विपणन, प्रसंस्करण तथा भंडारण आदि हेतु सहायता	111.67	282.93
	(ii) एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं	-	21.16
	(iii) कृषि विपणन एकीकृत स्कीम (आईएसएएम–डीएमआई)	7.92	2.25
	(iv) प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) (एफएफपीओ सहित)	-	29.06
	(v) एक्वाकल्चर अवसंरचना निधि (एआईएफ)	0.14	-
	(vi) कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)	-	48.33
	(vii) सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम का औपचारीकरण (पीएमएफएमई)	0.07	-
	(viii) सहकारी चीनी मिलें	1926.51	-
	(ix) महाराष्ट्र सरकार से ब्याज सब्सिडी	-	9.45
ख.	**निगम प्रायोजित स्कीम**	58172.23	6.75
	योग	**60218.54**	**399.93**
	योग (ऋण + अनुदान)	**60618.47**	

तालिका–6

सुनिश्चित ब्याज दरों पर निगम द्वारा ऋण उधार देने की शर्त

ऋण का विवरण	ब्याज की प्रभावी दर	
	दिनांक 01.04.2023 से 26.03.2024	दिनांक 27.03.2024 से 31.03.2024
क. आवधिक ऋण:		
– राज्य सरकारों के माध्यम से संवितरण (वार्षिक अंतराल पर)		
(i) कमजोर वर्गों के कार्यक्रम	11.50%	11.50%
(ii) अन्य कार्यक्रम	11.70%	11.70%
– सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष संवितरण (अर्धवार्षिक अंतराल पर)		
(I) **कमजोर वर्गों के कार्यक्रम**		
– 100.00 लाख रुपये तक की परियोजना	11.80%	11.80%
– 100 लाख रुपये से अधिक की परियोजना	11.92%	11.92%
(II) अन्य कार्यक्रम	11.97%	11.97%
ख. कार्यशील पूंजी ऋण**		
– राज्य सरकारों के माध्यम से		
(i) 180 दिनों तक	9.23%	8.77%
(ii) 181 दिन – एक वर्ष तक	से	से
(iii) 1 वर्ष से अधिक – 2 वर्षों तक	10.61%	9.81%
– प्रत्यक्ष वित्त पोषण		
(i) 180 दिनों तक	9.29%	8.87%
(ii) 181 दिन – एक वर्ष तक	से	से
(iii) 1 वर्ष से अधिक – 2 वर्षों तक	10.66%	9.91%

नोट:

(i) किश्त का भुगतान देय तिथि या उसके पहले प्राप्त न होने की स्थिति में, सामान्य दर (प्रभावी 1%) लागू है।

(ii) विलंबित भुगतानों पर ब्याज की सामान्य दर से 2.50% ब्याज लिया जाता है।

(iii) ब्याज धनराशि जारी करने के समय विद्यमान दरों पर लिया जाएगा और मासिक चक्रवृद्धि आधार पर लिया जाएगा।

(iv) ऋण की अवधि 6 महीने से 8 वर्ष तक होती है।

(v) प्रत्यक्ष वित्त पोषण के मामले में, प्रसंस्करण शुल्क प्रत्येक मामले में स्वीकृत राशि का 0.5% लिया जाता है, जो 3 लाख रूपये से अधिक नहीं है (6 करोड़ रुपये का 0.5%) हालाँकि, एक वर्ष तक के कार्यशील पूंजी ऋण के लिए प्रसंस्करण शुल्क नहीं लिया जाएगा।

तालिका – 7

निगम द्वारा फ्लोटिंग दरों पर ऋण उधार देने की शर्त

ऋण का विवरण	दिनांक 14.02.2023 से 15.02.2024	दिनांक 16.02.2024 से 31.03.2024
क. आवधिक ऋण:		
– राज्य सरकारों के माध्यम से संवितरण (वार्षिक अंतराल पर)		
(i) कमजोर वर्गों के कार्यक्रम	9.26%	9.61%
(ii) अन्य कार्यक्रम	9.46%	9.81%
– सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष संवितरण (अर्धवार्षिक अंतराल पर)		
(I) कमजोर वर्गों के कार्यक्रम – 100.00 लाख रुपये तक की परियोजना	9.57%	9.92%
– 100 लाख रुपये से अधिक की परियोजना	9.67%	10.02%
(II) अन्य कार्यक्रम	9.72%	10.07%
ख. कार्यशील पूंजी ऋण**		
(क) राज्य सरकारों के माध्यम से		
(i) 180 दिनों तक (ii) 181 दिन – एक वर्ष तक (iii) 1 वर्ष से अधिक – 2 वर्षों तक	8.21% से 9.17%	8.67% से 9.17%
(ख) प्रत्यक्ष वित्त पोषण		
(i) 180 दिनों तक (ii) 181 दिन – एक वर्ष तक (iii) 1 वर्ष से अधिक – 2 वर्षों तक	8.24% से 9.47%	8.77% से 9.81%

तालिका–8

दिनांक 27 मार्च, 2024 से प्रत्यक्ष वित्त पोषण के अंतर्गत राज्य सरकार के माध्यम से कार्यशील पूंजी ऋण हेतु प्रभावी स्थाई ब्याज दर*

ख. कार्यशील पूंजी ऋण		180 दिनों तक	181 दिनों से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक
राज्य सरकार/सीधे वित्त पोषण के माध्यम से कार्यशील पूंजी ऋणों के संवितरण हेतु राशिवार, अवधिवार ब्याज दर		प्रत्यक्ष वित्त पोषण	प्रत्यक्ष वित्त पोषण	प्रत्यक्ष वित्त पोषण
(i)	100 करोड़ रुपये तक	9.36%	9.56%	9.91%
(ii)	> 100 करोड़ रुपये	9.35%	9.55%	9.90%
(iii)	प्राधिकृत निकायों द्वारा एमएसपी प्राचलनों हेतु 1000 करोड़ रुपये तक	9.07%	9.27%	9.62%
(iv)	प्राधिकृत निकायों द्वारा एमएसपी प्राचलनों हेत 1000 करोड़ रुपये से ऊपर	8.87%	9.07%	9.48%

* देय दिनांक या उससे पहले किश्त के भुगतान के अधीन

\# राज्य सरकार के माध्यम से वित्तीय सहायता के मामले में, उपर्युक्त दर्शाई गई ब्याज दर में 10 बेसिस प्वाइंट की छूट लागू होगी ।

तालिका–9

दिनांक 17 फरवरी, 2024 से प्रत्यक्ष वित्त पोषण के अंतर्गत राज्य सरकार के माध्यम से कार्यशील पूंजी ऋण हेतु प्रभावी ब्याज दर

ख. कार्यशील पूंजी ऋण: 180 से 181 दिनों तक		180 दिनों तक	181 दिनों से 1 वर्ष तक	1 वर्ष से 2 वर्ष तक
राज्य सरकार/सीधे वित्त पोषण के माध्यम से कार्यशील पूंजी ऋणों के संवितरण हेतु राशिवार, अवधिवार ब्याज दर		प्रत्यक्ष वित्त पोषण	प्रत्यक्ष वित्त पोषण	प्रत्यक्ष वित्त पोषण
(i)	100 करोड़ रुपये तक	9.26%	9.46%	9.81%
(ii)	> 100 करोड़ रुपये	9.25%	9.45%	9.80%
(iii)	प्राधिकृत निकायों द्वारा एमएसपी प्राचलनों हेतु 1000 करोड़ रुपये तक	8.97%	9.17%	9.52%
(iv)	प्राधिकृत निकायों द्वारा एमएसपी प्राचलनों हेत 1000 करोड़ रुपये से ऊपर	8.77%	8.97%	9.38%

* देय दिनांक या उससे पहले किश्त के भुगतान के अधीन

\# राज्य सरकार के माध्यम से वित्तीय सहायता के मामले में, उपर्युक्त दर्शाई गई ब्याज दर में 10 बेसिस प्वाइंट की छूट लागू होगी ।

तालिका – 10

रा.स.वि.नि. द्वारा कार्यकलापवार संवितरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	कार्यकलाप	वर्ष 2023–24 के दौरान संवितरण		दिनांक 31.03.2024 तक संचयी संवितरण	
		राशि	%	राशि	%
i)	विपणन एवं निवेश	52919.63	87.30%	203785.79	65.07%
ii)	कृषि प्रसंस्करण	2223.65	3.67%	31741.6	10.13%
iii)	औद्योगिक एवं सेवा सहकारिताएं	5000.77	8.25%	58950.39	18.82%
iv)	एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं	23.26	0.04%	5003.89	1.60%
v)	कमजोर वर्गों के कार्यक्रम	344.79	0.57%	11005.10	3.51%
vi)	भंडारण (शीत भंडारण सहित)	19.15	0.03%	1405.25	0.45%
vii)	उपभोक्ता सहकारिताएं	4.13	0.01%	353.60	0.11%
viii)	सहकारिताओं का कम्प्यूटरीकरण	0.42	0.00%	647.03	0.21%
ix)	संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलाप	6.75	0.01%	161.85	0.05%
x)	युवा सहकार	0.89	0.00%	1.21	0.00%
xi)	कृषक उत्पादक संगठन (एफपीओ)	48.33	0.08%	96.94	0.03%
xii)	आयुष्मान सहकार		-	16.94	0.01%
xiii)	मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ)	26.69	0.04%	29.00	0.01%
xiv)	पर्यटन एवं आतिथ्य		-	0.27	0.00%
	योग	**60618.47**	**100.00%**	**313198.43**	**100.00%**

अध्याय–4

संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक भूमिका

4.1 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम देश में सहकारी विकास कार्यक्रमों के नियोजन, संवर्धन, समन्वयन एवं वित्त पोषण के कार्यों में संलग्न है। यह कृषकों और कृषि एवं संबद्ध ग्रामीण आर्थिक कार्यकलापों से जुड़ी कमजोर वर्गों की सहकारी संस्थाओं को वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करता है। रा.स.वि.नि. की नीति इन संस्थाओं को सुदृढ़ एवं विकसित करने की है ताकि वे अपने सदस्यों की सेवा कर सकें तथा उनकी आय में सतत वृद्धि बनाए रखने में सक्षम हो सकें।

4.1.1 निगम की संवर्धनात्मक तथा विकासात्मक भूमिका विशिष्ट रूप से इसके कार्यकलापों के निम्नलिखित क्षेत्रों में परिलक्षित होती है:–

(i) सहकारी विकास हेतु केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों के आवश्यक सहयोग से कार्यक्रमों एवं कार्यकलापों के नियोजन एवं संवर्धन में सहायता करना।

(ii) देश में सहकारी विकास हेतु विशिष्ट एवं एकीकृत परियोजनाओं हेतु वित्तीय सहायता करना।

(iii) रा.स.वि.नि. क्षेत्रीय सहकारी उत्कृष्टता एवं मैरिट योजना के माध्यम से नकद पुरस्कार एवं प्रशस्ति प्रमाण पत्र के द्वारा उत्तम कार्य निष्पादित करने वाली सहकारिताओं को सम्मानित करना।

(iv) विभिन्न सरकारी कार्यालयों, संस्थाओं आदि के साथ सहकारिताओं के कार्यकलापों का समन्वय करना।

(v) निगम द्वारा वित्तपोषित परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु सहकारी कार्मिकों की कार्यात्मक दक्षताओं का उन्नयन करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना।

(vi) सूचनाओं के आदान–प्रदान को सरल बनाने और प्रगति की समीक्षा आदि करने हेतु अखिल भारतीय तथा क्षेत्रीय सम्मेलनों/कार्यशालाओं का आयोजन करना।

4.1.2 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान रा.स.वि.नि. द्वारा विभिन्न संवर्धनात्मक कार्यकलापों हेतु 6.75 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की गई। रा.स.वि.नि. द्वारा दिनांक 31.03.2024 तक विभिन्न संवर्धनात्मक तथा विकासात्मक कार्यक्रगों को चलाने हेतु कुल 161.85 करोड़ रुपए राशि प्रदान की गई।

व्यवसायिक संगठनों की सदस्यता

4.2 रा.स.वि.नि. संबंधित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकीय तथा प्रबंधकीय विकास के क्षेत्र में निरंतर अन्तरसंवाद तथा सूचना उन्नयन के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक निकायों का संस्थागत सदस्य है। रा.स.वि.नि. निम्नलिखित व्यवसायिक संगठनों का सदस्य है :–

(i) क्षेत्रीय कृषिक सहकारिता विकास नेटवर्क, एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र (नेडैक), बैंकॉक। **प्रबंध निदेशक, रा.स.वि.नि. नेडैक के अध्यक्ष हैं।**

(ii) अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए) ब्रुसेल्स, बेल्जियम।

(iii) अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता एवं कृषिक बैंकिंग प्रशिक्षण केन्द्र, (सिस्टैब), पुणे।

(iv) भारतीय उर्वरक संघ (एफएआई), नई दिल्ली।

(v) ग्रामीण प्रबंधन संस्थान (इरमा), आणंद, गुजरात।

(vi) अंतर्राष्ट्रीय सहकारी बैंकिंग संगठन (आईसीबीए), मुम्बई।

अन्य संगठनों से संबद्धता

4.2.1 रा.स.वि.नि. को निम्नलिखित मंचों/संस्थाओं में भी प्रतिनिधित्व/संबद्धता प्राप्त है:–

- भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल, नई दिल्ली)।
- राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड ।
- राष्ट्रीय सहकारी आर्गेनिक्स लिमिटेड।
- अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल संघ लिमिटेड (एफकोस्पिन), मुंबई।
- प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) की तकनीकी सलाह सह निगरानी समिति (टीएएमसी), वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार।
- कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा)।
- राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी)।
- इण्डियन पोटाश लिमिटेड (आईपीएल)।
- विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।
- राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी संघ लिमिटेड, (फिश्कोपफेड)।
- अखिल भारतीय जनजाति सहकारी विपणन विकास संघ, (ट्राइफेड)।
- नारियल विकास बोर्ड, कोच्चि।
- भारतीय मसाला बोर्ड ।
- केरल राज्य सहकारी रबड़ विपणन संघ (रबड़ मार्क), कोच्चि।
- भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लिमिटेड (इफको), नई दिल्ली।
- कृषक भारती सहकारी लिमिटेड (कृभको), नोएडा, उत्तर प्रदेश।
- भारतीय राष्ट्रीय सहकारी उपभोक्ता संघ (एन.सी.सी. एफ.), नई दिल्ली।
- भारतीय फार्म वानिकी विकास सहकारी लिमिटेड (आई.एफ.एफ.डी.सी.), गुरुग्राम।

समझौता ज्ञापन

4.3 रा.स.वि.नि. ने विभिन्न राज्य सरकारों और संगठनों के साथ सहकारिता, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के विकास एवं सतत विकास के लिए समग्र दृष्टिकोण से संबंधित मुद्दों एवं क्षेत्रों पर आपसी सहयोग बनाने के उद्देश्य से समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किये हैं। रा.स.वि.नि. ने 63 ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं, जिसमें से 6 समझौता ज्ञापन (एमओयू) वित्तीय वर्ष 2023–24 में निष्पादित किए गए हैं जोकि निम्न प्रकार से है :–

- विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 09.08.2023 को सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार एवं भारतीय खाद्य निगम के साथ समझौता ज्ञापन।
- एआईएफ योजना के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 25.08.2023 को कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के साथ समझौता ज्ञापन।
- विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 13.12.2023 को नाबार्ड एवं एनबीसीसी इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन।
- संयुक्त ऋण या किसी अन्य परस्पर सम्मत तंत्र के माध्यम से रा.स.वि.नि. सहायता द्वारा डेयरी/पशुधन सहकारिताओं को संवर्धित एवं विकसित करने हेतु दिनांक 24.01.2024 को एनडीडीबी के साथ समझौता ज्ञापन ।

- सहकारिता मंत्रालय की पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन अध्ययन करने हेतु आरएमपी को मार्गदर्शन दिये जाने हेतु दिनांक 16.02.2024 को लिनाक (रा.स.वि.नि.) के साथ रामभाऊ म्हालगी प्रबोधिनी (आरएमपी) के साथ समझौता ज्ञापन।

- विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण परियोजना के अंतर्गत गोदाम निर्माण हेतु वित्तीय सहायता हेतु इच्छुक पैक्स को संयुक्त ऋण प्रदान करने के लिए दिनांक 02.02.2024 को भारतीय स्टेट बैंक के साथ समझौता ज्ञापन।

सहकारिता / रा.स.वि.नि. अधिकारियों के लिए लिनाक द्वारा आयोजित प्रशिक्षण एवं अन्य कार्यक्रम

4.4 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान लिनाक और इसके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों ने 175 के लक्ष्य के मुकाबले कुल 194 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए । इन प्रशिक्षणों में से, लिनाक, गुरुग्राम में 88 के लक्ष्य के मुकाबले 96 प्रशिक्षण आयोजित किए गए तथा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में 87 के लक्ष्य के मुकाबले 98 प्रशिक्षण आयोजित किए गए । इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लिनाक द्वारा 7923 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया एवं क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा 3941 कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया।

4.5 लिनाक ने सहकारिता मंत्रालय के सहयोग से एससीबी, डीसीसीबी तथा अन्य संगठनों के अधिकारियों हेतु 30 ऑनलाइन / ऑफलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए ताकि सहकारिता मंत्रालय की प्रमुख पहलों का प्रसार किया जा सके, जिसमें 4236 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में रा.स.वि.नि. कार्मिकों हेतु निम्नलिखित अनुसार सेवाकालीन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए :

- 248 प्रतिभागियों हेतु लिनाक द्वारा 6 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए ।

- 55 प्रतिभागियों के लिए प्रमुख प्रबंधन संस्थानों द्वारा 10 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

- 28 प्रतिभागियों के लिए नेडैक तथा सिस्टैब द्वारा 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

सम्मेलनों / सेमिनारों / कार्यशालाओं / कार्यक्रमों / प्रदर्शनियों में भागीदारी

4.6 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने देश भर में मुख्यालय और अपने क्षेत्रीय कार्यालयों में रा.स.वि.नि. योजनाओं के बारे में जागरुकता पैदा करने के लिए प्रचार बैठकें आयोजित करना जारी रखा। कुछ प्रचार बैठकों, सम्मेलनों, संगोष्ठियों और कार्यशालाओं की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं :

(i) रा.स.वि.नि. ने दिनांक 30 जून, 2024 को पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री द्वारा आयोजित राष्ट्रीय सहकारी बैठक में भाग लिया तथा निगम की उपलब्धियों को प्रस्तुत किया।

(ii) रा.स.वि.नि. ने सहकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में दिनांक 14 जुलाई, 2023 को आईईसीसी कन्वेंशन सेंटर, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में ''एफपीओ के रुप में पैक्स'' विषय पर एक दिवसीय मेगा सेमिनार का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्‌घाटन माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, माननीय केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर, माननीय सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल. वर्मा एवं अन्य गणमान्य पदाधिकारियों द्वारा किया गया। इस कार्यक्रमें 900 से अधिक प्रतिभागियों ने भाग लिया।

(iii) सहकारिता मंत्रालय के मार्गदर्शन में रा.स.वि.नि. ने कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी), इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार की ''पैक्स द्वारा कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) सेवाओं का शुभारंभ'' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित करने

में सहायता की। इस कार्यक्रम में 21 जुलाई, 2023 को केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने भाग लिया ।

(iv) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में निगम ने 23 अक्तूबर, 2023 को "सहकारी निर्यात पर राष्ट्रीय संगोष्ठी" विषय पर आयोजित की। यह संगोष्ठी एनएएससी, कॉम्प्लेक्स, आईसीएआर, पूसा, नई दिल्ली में आयोजित की गई । इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल तथा सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल.वर्मा एवं सहकारी क्षेत्र के कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

(v) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में रा.स.वि.नि. ने 26 अक्टूबर, 2023 को " सहकारी क्षेत्र में उन्नत एवं पारंपरिक बीजों के उत्पादन पर राष्ट्रीय संगोष्ठी" का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह तथा सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल.वर्मा सहित सहकारी क्षेत्र के कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति ने गरिमामयी आयोजन को गौरवान्वित किया।

(vi) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में रा.स.वि.नि. ने 08 नवम्बर, 2023 को" सहकारिता के माध्यम से जैविक उत्पादों का संवर्धन" विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की। इस संगोष्ठी का आयोजन एनएएससी कॉम्प्लेक्स, आईसीएआर, पूसा, नई दिल्ली में किया गया। माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह इस संगोष्ठी के मुख्य अतिथि थे तथा सहकारिता क्षेत्र के कई अन्य गणमान्य व्यक्तियों के साथ सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल.वर्मा भी उपस्थित थे।

(vii) रा.स.वि.नि. ने निर्यात, प्रमाणित बीजों एवं जैविक खेती को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए 3 नई राष्ट्रीय स्तर की बहु–राज्य सहकारी समितियों के लिए लखनऊ में एक सुविधा केंद्र स्थापित करने में उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को सुविधा प्रदान की गई।

(viii) रा.स.वि.नि. ने दिनांक 30.10.2023 से 05.11.2023 तक "भ्रष्टाचार को कहें ना, राष्ट्र के प्रति प्रतिबद्ध" विषय पर सतर्कता जागरुकता सप्ताह का आयोजन किया।

(ix) रा.स.वि.नि. ने दिनांक 21–22 नवंबर, 2023 को अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित वैश्विक मत्स्य सम्मेलन में भाग लिया। इस कार्यक्रम में केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्री श्री पुरुषोत्तम के. रुपाला मुख्य अतिथि थे ।

(x) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में रा.स.वि.नि. ने 02 मार्च, 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "शहरी सहकारी बैंकों हेतु एक अम्ब्रेला संगठन–एनयूसीएफडीसी का शुभारंभ" के आयोजन में सहायता प्रदान की। इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह तथा सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल.वर्मा प्रमुख गणमान्य व्यक्ति थे।

(xi) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में रा.स.वि.नि. ने 08 जनवरी, 2024 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में "प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के रुप में पैक्स पर राष्ट्रीय संगोष्ठी" के आयोजन में सहायता की । इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह सम्मिलित हुए, इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री श्री मनसुख मंडाविया एवं सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल.वर्मा

तथा सहकारी क्षेत्र के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे।

(xii) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में निगम ने 30 जनवरी, 2024 को एनएएससी कॉम्प्लेक्स, आईसीएआर–पूसा, नई दिल्ली में "राज्य पंजियक कार्यालयों एवं कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंकों के कम्प्यूटरीकरण की योजना का शुभारम्भ" कार्यक्रम के आयोजन हेतु सहायता की। उक्त कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में श्री अमित शाह, माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, भारत सरकार, श्री बी.एल.वर्मा, सहकारिता राज्य मंत्री तथा सहकारिता क्षेत्र के कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

(xiii) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के साथ रा.स.वि.नि. ने 24 फरवरी, 2024 को भारत मंडपम, प्रगति मैदान, नई दिल्ली में "सहकार से समृद्धिः ई–पैक्स से अनाज भंडारण तक" विषय पर कार्यक्रम का आयोजन किया । इस अवसर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी तथा केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह मुख्य अतिथि थे।

(xiv) सहकारिता मंत्रालय, भारत सरकार के मार्गदर्शन में निगम ने 8 मार्च, 2024 को एनएएससी कॉम्प्लेक्स, आईसीएआर–पूसा, नई दिल्ली में "राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस का उद्घाटन" कार्यक्रम के आयोजन में सहायता प्रदान की । इस अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री, श्री अमित शाह तथा सहकारिता राज्य मंत्री श्री बी.एल.वर्मा प्रमुख गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

(xv) एफपीओ मेलाः रा.स.वि.नि. ने वित्तीय वर्ष 2023–24 में लघु कृषक कृषि व्यवसाय संघ (एसएफएसी) के सहयोग से रा.स.वि.नि. मुख्यालय, नई दिल्ली में 3 एफपीओ मेले आयोजित किए गए। पहला एफपीओ मेला 19–20 अक्टूबर, 2023 को आयोजित किया गया तथा अन्य दो मेले क्रमशः 8–10 फरवरी, 2024 और 19–21 मार्च, 2024 को आयोजित किए गए। इन मेलों में देश के विभिन्न हिस्सों से 125 से अधिक किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) ने भाग लिया । इन आयोजनों में विभिन्न नवीन एवं जैविक उत्पादों का प्रदर्शन किया गया तथा 2750 से अधिक लोगों ने भाग लिया ।

(xvi) **एनसीडीसी क्षेत्रीय सहकारी मैरिट एवं उत्कृष्टता पुरस्कार 2023:** वित्तीय वर्ष 2023–24 में, रा.स.वि.नि. ने जमीनी स्तर पर अच्छा काम करने वाली प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रेरित करने के लिए 13 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में क्षेत्रीय सहकारी मैरिट एवं उत्कृष्टता पुरस्कारों का आयोजन किया । मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड, गुजरात, असम, अरुणाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, बिहार, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में प्राथमिक सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने के लिए कुल 54 उत्कृष्टता पुरस्कार और 44 योग्यता पुरस्कार प्रदान किए गए ।

4.7. रा.स.वि.नि. पुस्तकालय

4.7.1 रा.स.वि.नि. पुस्तकालय में लगभग 20466 पुस्तकें हैं जिनमें सहकारिताओं के संबंध में ऑडियो पुस्तकें, कृषि रिपोर्टें और 44 प्रसिद्ध पत्रिकाएं एवं 28 तकनीकी शोधपत्र हैं । इस पुस्तकालय में पाठकों हेतु प्रतिदिन दिल्ली और विभिन्न महत्वपूर्ण महानगरों से 28 समाचार पत्र जिनमें 12 हिन्दी तथा 16 अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र आते हैं ।

4.7.2 वित्तीय वर्ष 2023–24 में मुख्यालय में पुस्तकालय के लिए खरीदी गई कुल 84 पुस्तकों में से 63 पुस्तकें हिंदी की है तथा 21 पुस्तकें अंग्रेजी की है एवं हिन्दी पुस्तकों की खरीद पर 59.36% व्यय किया गया।

4.7.3 पुस्तकालय दस्तावेज अर्थात प्रबंधन मंडल एवं

महापरिषद की बैठकों की कार्यसूची एवं कार्यवृत्त, वार्षिक रिपोर्ट, रा.स.वि.नि. कार्यालय रिकॉर्ड/दस्तावेजों आदि का डिजिटाइजेशन कार्य भी कर रहा है तथा रा.स.वि.नि. के प्रबंध सूचना प्रणाली प्रभाग की सहायता से आई.डी.एम.एस. सॉफ्टवेयर भी अपलोड किया जा रहा है। दिनांक 31.03.2024 तक कुल मिलाकर डिजिटाइज किये गये पेजों की कुल संख्या 61.21 लाख थी जो पाठकों के लिए आई.डी.एम.एस. के माध्यम से अब आसानी से उपलब्ध हैं।

अध्याय – 5

सहकारिता मंत्रालय की पहलें

सहकारिता मंत्रालय का गठन

5.1 सहकारिता से संबंधित विषय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अंर्तगत पूर्ववर्ती कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के सहकारिता प्रभाग के माध्यम से प्रशासित किया जाता था। एक ऐतिहासिक कदम के रूप में केंद्र सरकार द्वारा "सहकार से समृद्धि" के मंत्र को साकार करने हेतु मंत्रिमंडल सचिवालय की राजपत्र अधिसूचना संख्या 2516, दिनांक 6 जुलाई, 2021 के माध्यम से एक पृथक 'सहकारिता मंत्रालय' बनाया गया।

5.1.1 उपर्युक्त समर्पित मंत्रालय के सृजन के पश्चात, रा.स.वि.नि. ने वित्तीय सहायता के वार्षिक संवितरण में महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की, जो कि वित्तीय वर्ष 2020–21 में 24733.24 करोड़ रुपये से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023–24 में 60618.47 करोड़ रुपये हो गई, जो वर्ष दर वर्ष लगभग 35% की औसत वार्षिक वृद्धि का संकेत देती है। रा.स.वि.नि. सहकारी क्षेत्र के समग्र विकास हेतु सहकारिता मंत्रालय की पहलों के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

5.2 'सहकार से समृद्धि' की दिशा में नई पहलें

माननीय प्रधानमंत्री के 'सहकार से समृद्धि' की परिकल्पना को साकार करने की दिशा में एक कदम के रूप में, सहकारिता मंत्रालय द्वारा निम्नवत विवरण के अनुसार विभिन्न पहलें की गई हैं। रा.स.वि.नि. इन योजनाओं के कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

(1) बहुद्देश्यीय पैक्स हेतु मॉडल उपनियम

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, राष्ट्रीय महासंघों एवं अन्य हितधारकों के परामर्श के बाद सहकारिता मंत्रालय द्वारा पैक्स हेतु मॉडल उपनियम तैयार किए गए तथा दिनांक 05 जनवरी, 2023 को परिचालित किए गए । इससे पैक्स/लैम्प्स के आय के स्रोत में वृद्धि होगी तथा 25 से अधिक नए क्षेत्रों जैसे डेयरी, मात्स्यिकी, भंडारण आदि में रोजगार के नए अवसर का सृजन करेगा।

(2) प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) का कम्प्यूटरीकरण

पैक्स की कार्यक्षमता की वृद्धि हेतु पैक्स/लैम्प्स का कम्प्यूटरीकरण शुरु कर दिया गया है। कुल 63,000 कार्यात्मक पैक्स/लैम्प्स को 2,516 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ एकल राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर नेटवर्क प्रक्रिया के माध्यम से नाबार्ड के साथ संयुक्त किया जा रहा है।

(3) प्रत्येक पंचायत/गांव में बहुउद्देश्यीय पैक्स, डेयरी, मात्स्यिकी सहकारी समितियों की स्थापना

कैबिनेट द्वारा दिनांक 15 फरवरी, 2023 को अनुमोदित इस योजना के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में अब तक कवर न की गई पंचायतों/गाँवों में नई बहुउद्देशीय पैक्स/ डेयरी/मात्स्यिकी सहकारी समितियां गठित किये जाने का लक्ष्य है। इसके अंतर्गत, भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं को प्राथमिक सहकारी समितियों के स्तर पर एकीकृत किया जाएगा। यह योजना रा.स.वि.नि. द्वारा नाबार्ड, एनडीडीबी, एनएफडीबी, राष्ट्रीय स्तरीय सहकारी संघों एवं राज्य सरकार के सहयोग से कार्यान्वित की जा रही है।

(4) खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी विकेंद्रीकृत अन्न भण्डारण योजना

कैबिनेट द्वारा दिनांक 31 मई, 2023 को सहकारिता क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अन्न भण्डारण योजना

को स्वीकृति दी गई। इस योजना के अंतर्गत पैक्स स्तर पर भारत सरकार की विभिन्न योजनाओं के अभिसरण से विभिन्न प्रकार की कृषि अवसंरचनाएं, जैसे कि गोदाम, कस्टम हायरिंग सेंटर, प्रसंस्करण इकाइयाँ, उचित मूल्य दुकान, इत्यादी का निर्माण किया जाएगा। माननीय प्रधानमंत्री द्वारा दिनांक 24 फरवरी, 2024 को भारत मंडपम, नई दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के अंतर्गत 11 राज्यों की 11 पैक्स में गोदामों का उद्घाटन तथा 500 अतिरिक्त पैक्स में शिलान्यास किया गया है।

(5) ई–सेवाओं तक बेहतर पहुँच के लिए सामान्य सेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में पैक्स

पैक्स के माध्यम से ई–सेवाएं प्रदान करने के लिए सहकारिता मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नाबार्ड एवं सीएससी–ई–गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड के बीच दिनांक 02.02.2023 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए जिससे पैक्स अब सीएससी द्वारा प्रदान की जाने वाली 300 से अधिक सेवाएं प्रदान करने में समक्ष हो गए हैं।

(6) पैक्स द्वारा नए किसान उत्पादक संगठनों का निर्माण

एफपीओ योजना के तहत राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (रा.स.वि.नि.) को सहकारिता के क्षेत्र में 1100 अतिरिक्त एफपीओ के आवंटन का निर्णय लिया गया है। अब पैक्स एफपीओ के रूप में कृषि संबंधित अन्य आर्थिक कार्यकलाप करने में सक्षम होंगी।

(7) पैक्स की एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए पात्रता

सहकारिता मंत्रालय की पहल पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पैक्स को एलपीजी वितरक बनाने की पात्रता हेतु नियमों में संशोधन किए गए, जिसके बाद से पैक्स भी एलपीजी वितरण हेतु सक्षम हो गई है। पैक्स द्वारा एलपीजी वितरक बनने हेतु दिशानिर्देश जारी कर दिए गए हैं।

(8) पैक्स द्वारा संचालित बल्क कंज्यूमर पेट्रोल पम्प को रिटेल आउटलेट में बदलने की अनुमति

सहकारिता मंत्रालय की पहल पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने मौजूदा थोक उपभोक्ता लाइसेंसधारी पैक्स को रिटेल आउटलेट में बदलने के लिए सहमति दी। पैक्स द्वारा संचालित बल्क कंज्यूमर पेट्रोल पम्प को रिटेल आउटलेट में बदलने हेतु भारत सरकार द्वारा ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए।

(9) पैक्स को नये पेट्रोल/डीजल पंप डीलरशिप में प्राथमिकता

पैक्स को नई पेट्रोल/डीज़ल पंप डीलरशिप के लिए भी प्राथमिकता दी गई है। ओएमसी/पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा पैक्स को संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी–2) के अंतर्गत विज्ञापन जारी कर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किये गए।

(10) ग्रामीण स्तर पर जेनरिक दवाइयों की पहुँच के लिए जन औषधि केंद्र के रुप में पैक्स

इस पहल से ग्रामीण/ब्लॉक स्तर पर सस्ती जेनरिक दवाइयाँ भी आम लोगों को उपलब्ध हो सकेंगी और पैक्स को रोजगार के अतिरिक्त अवसर मिलेंगे। इच्छुक पैक्स को चिन्हित कर राज्य सरकार द्वारा उन्हें ऑनलाइन आवेदन के लिए प्रोत्साहित किया गया है।

(11) पैक्स का प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र (पीएमकेएसके) के रूप में उन्नयन

पहले से उर्वरक वितरण केंद्र के रूप में कार्यरत पैक्स को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों (पीएमकेएसके) के रूप में उन्नयन करने का निर्णय लिया गया। पैक्स को उर्वरक और कीटनाशकों के छिड़काव के

लिए ड्रोन उद्यमियों के रूप में भी कार्य करने का निर्णय लिया गया।

(12) नाबार्ड के सहयोग से बैंक मित्र सहकारी समितियों को माइक्रो–एटीएम

डेयरी और मात्स्यिकी सहकारी समितियों को भी जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों तथा राज्य सहकारी बैंकों का बैंक मित्र बनाया गया है। इन बैंक मित्र सहकारी समितियों के लिए व्यापार में सुगमता, पारदर्शिता, वित्तीय समावेशन सुनिश्चित करने के लिए नाबार्ड के सहयोग से 'घर बैठे वित्तीय सेवाएं' प्रदान करने के लिए माइक्रो–एटीएम दिए जा रहे हैं।

(13) सहकारी समिति के सदस्यों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड

गुजरात के पंचमहल और बनासकांठा जिलों में एक पायलट परियोजना शुरू की गई। इस परियोजना के तहत सहकारी समितियों के सभी सदस्यों के बैंक खाते संबंधित जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकों में खोले जा रहे हैं तथा खाताधारकों को नाबार्ड के सहयोग से रुपे किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) वितरित किए जा रहे हैं।

(14) पानी समिति के रूप में पैक्स

पैक्स की ग्रामीण क्षेत्रो में गहरी पहुँच के लाभ का उचित उपयोग करने हेतु सहकारिता मंत्रालय की पहल पर जल शक्ति मंत्रालय द्वारा एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पैक्स को भी 'पानी समिति' के रूप में पाइप्ड जल आपूर्ति योजनाओं के संचालन एवं रखरखाव (ओ एण्ड एम) का कार्य करने हेतु पात्र बनाने के लिए सभी राज्यों को पत्र लिखा है।

(15) पैक्स स्तर पर पीएम–कुसुम योजना का अभिसरण

पैक्स की संरचना व इसकी पहुँच, जिनसे 13 करोड़ से अधिक किसान बतौर सदस्य जुड़े हैं, का लाभ पंचायत स्तर पर विकेंद्रीकृत सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए किया जा सकता है। इस विषय पर सहकारिता मंत्रालय की नवीन और नवीकरणीय उर्जा मंत्रालय के साथ चर्चा जारी है।

(16) मत्स्य किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) का गठन

मछुआरों को बाजार लिंकेज तथा प्रसंस्करण सुविधाएं प्रदान करने के लिए, रा.स.वि.नि. द्वारा प्रारम्भिक चरण में 70 एफएफपीओ का पंजीकरण किया गया है। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के मत्स्य पालन विभाग ने 225.50 करोड़ रुपये के अनुमोदित परिव्यय के साथ रा.स.वि.नि. को 1000 मौजूदा मात्स्यिकी सहकारी समितियों को एफएफपीओ में बदलने का कार्य सौंपा है।

(17) निर्यात के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहु–राज्यीय सहकारी समिति

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत नई राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड (एनसीईएल) की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में की गयी है जो सहकारी क्षेत्र से किए जाने वाले निर्यातों को बढ़ावा देगी। इस समिति से किसानों के उत्पादों का निर्यात सुलभ होगा एवं उनको उत्पादों के लिये मिलने वाले मूल्य में वृद्धि होगी।

(18) प्रमाणित बीजों के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहु–राज्यीय सहकारी समिति

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत नई भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड (बीबीएसएसएल) की स्थापना की गई है जो अंब्रेला संगठन के रूप में एकल ब्रांड नाम के अंतर्गत उन्नत बीजों की खेती, उत्पादन व वितरण करेगी।

(19) जैविक खेती के लिए राष्ट्रीय स्तर की नई बहु–राज्यीय सहकारी समिति

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 के तहत राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड (एनसीओएल) की स्थापना एक अंब्रेला संगठन के रूप में की गई है जो प्रमाणित व प्रामाणिक जैविक उत्पादों के उत्पादन, वितरण व विपणन का कार्य करेगी।

(20) सहकारी समितियों के लिए आयकर पर लगने वाले अधिभार में कटौती

1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए तक की आय वाली सहकारी समितियों के आयकर पर लगने वाले अधिभार को कंपनियों के समतुल्य 12% से घटाकर 7% कर दिया गया है।

(21) सहकारी समितियों पर लगने वाले न्यूनतम वैकल्पिक कर (एमएटी) में कटौती

न्यूनतम वैकल्पिक कर की दर को 18.5% से घटा कर 15% कर दिया गया है। इस प्रावधान से सहकारी समितियों एवं कंपनियों के मध्य इस क्षेत्र में समतुल्यता आई है।

(22) पैक्स और पीसीएआरडीबी द्वारा नकद जमा राशियों व नकद ऋणों की सीमा में बढ़ोत्तरी

पैक्स तथा प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (पीसीएआरडीबी) द्वारा नकद जमा राशियों व नकद ऋणों की सीमा को 20,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए प्रति सदस्य कर दी गई है।

(23) नई विनिर्माण सहकारी समितियों के लिए कर में कटौती

दिनांक 31 मार्च, 2024 तक विनिर्माण कार्य आरंभ करने वाली नई विनिर्माण सहकारी समितियों को अधिभार के साथ 30% तक की मौजूदा कर दर की तुलना में 15% की फ्लैट दर से कर लगेगा।

(24) नगद निकासी में स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) की सीमा में वृद्धि

केंद्र सरकार ने केन्द्रीय बजट 2023–24 के माध्यम से सहकारी समितियों की स्रोत पर कर कटौती किए बिना उनकी नकद निकासी सीमा को 1 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 3 करोड़ रुपए प्रति वर्ष कर दिया गया है।

(25) आयकर अधिनियम की धारा 269एसटी के तहत नगद लेनदेन में राहत

आयकर विभाग द्वारा जारी परिपत्र से यह स्पष्ट है कि सहकारी समितियों का उनके डिस्ट्रीब्यूटर के साथ किए 'अनुबंध' को एक घटना नही माना जायेगा । इस स्पष्टीकरण से, समिति द्वारा उसके वितरकों से एक दिन में किए गए 2 लाख से कम की नगद लेनदेन को अलग से माना जायेगा, उनपर आयकर जुर्माना नहीं लगाया जायेगा। इससे राज्य व जिला दुग्ध संघ अब अपने वितरकों से प्रतिदिन 2 लाख रुपए से कम का भुगतान नगद में प्राप्त कर सकेंगे तथा बैंक अवकाश के दौरान सदस्य दुग्ध उत्पादकों को नगद में भुगतान कर पायेंगे।

(26) केन्द्रीय पंजीयक कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण

केंद्रीय पंजीयक का कार्यालय बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के प्रशासन के लिए जिम्मेदार है। बहु राज्य सहकारी समितियों के लिए एक डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए केंद्रीय पंजीयक के कार्यालय का कम्प्यूटरीकरण किया गया है।

(27) बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023

बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 का उद्देश्य 97वें संविधान संशोधन के प्रावधानों

को समाविष्ट करने तथा बहुराज्य सहकारी समितियों में शासन सशक्तिकरण, पारदर्शिता वृद्धि, जवाबदेही बढ़ाने, निर्वाचन प्रक्रिया में सुधार लाने, इत्यादि के लिए बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 2002 को संशोधित करना है। बहुराज्य सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम, 2023 दिनांक 03 अगस्त, 2023 से प्रभाव में आया है।

(28) सहकारी चीनी मिलों को आयकर से राहत

सहकारी चीनी मिलों पर किसानों को उचित और लाभकारी मूल्य अथवा राज्य की सलाह मूल्य तक, गन्ने के उच्चतर मूल्यों के भुगतान करने पर अतिरिक्त आयकर नहीं देना पड़ेगा। दिनांक 25.10.2021 को जारी स्पष्टीकरण के अनुसार यह प्रावधान दिनांक 01.04.2016 से लागू है और तब से सहकारी चीनी मिलों के माध्यम से उनके सदस्य किसानों को यह लाभ मिल रहा है।

(29) सहकारी चीनी मिलों के आयकर से संबंधित दशकों पुराने लम्बित मुद्दों का समाधान

केन्द्रीय बजट 2023–24 के माध्यम से यह प्रावधान कर दिया गया है कि मूल्यांकन वर्ष 2016–17 से पूर्व सहकारी चीनी मिलों द्वारा गन्ना किसानों को किए गए भुगतानों को व्यय के रूप में दावा करने की अनुमति होगी। इसके लिए आयकर की धारा 155 में एक नई उपधारा 19(1) को सम्मिलित किया गया है । इस सम्बन्ध में सीबीडीटी ने दिनांक 27.07.2023 को मानक संचालन प्रक्रिया भी जारी की है।

(30) सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए रा.स.वि.नि. के माध्यम से 10,000 करोड़ रुपए की ऋण योजना

सहकारिता मंत्रालय ने 'सहकारी चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण के लिए रा.स.वि.नि. को अनुदान सहायता' नाम की एक नई योजना शुरू की है जिसके अंतर्गत भारत सरकार रा.स.वि.नि. को 1,000 करोड़ रुपए का अनुदान दे रही है। रा.स.वि.नि. इस अनुदान का उपयोग सहकारी चीनी मिलों को 10,000 करोड़ रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए करेगी।

(31) सहकारी चीनी मिलों को इथेनोल खरीद में वरीयता एवं कोजेन बिजली संयंत्रो की स्थापना

इथेनोल ब्लेंडिंग कार्यक्रम (ईबीपी) के तहत पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा सहकारी चीनी मिलों को इथेनोल खरीद के लिए निजी कंपनियों के समतुल्य रखा जाएगा। गन्ने की खोई (बगास) से कोजन बिजली संयत्रों की स्थापना पर भी कार्य किया जा रहा है।

(32) सहकारी चीनी मिलों की सहायता के लिए शीरा पर जीएसटी 28% से घटाकर 5% किया गया

सरकार ने शीरा पर मौजूदा जीएसटी 28% से घटा कर 5% करने का महत्वपूर्ण निर्णय लिया है।

(33) **शहरी सहकारी बैंकों (यूसीबी)** को अब अपना व्यवसाय बढ़ाने हेतु नई शाखाएँ खोलने की अनुमति है।

(34) **सहकारी बैंक** को भी वाणिज्यिक बैंको की तरह शेष ऋण का निपटान एकमुश्त में करने की अनुमति है।

(35) **शहरी सहकारी बैंको** को दिए गए प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग (पीएसएल) लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अतिरिक्त समय–सीमा दी गई है।

(36) **शहरी सहकारी बैंकों** (33) से नियमित संवाद के लिए आरबीआई में एक नोडल अधिकारी नामित किया गया है।

(37) **शहरी सहकारी बैंकों** को अपने ग्राहकों को घर बैठे बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के अनुमति मिल गई है।

(38) आरबीआई ग्रामीण व शहरी सहकारी बैंकों के लिए व्यक्तिगत आवास ऋण की सीमा दोगुनी से अधिक बढ़ाई गई है।

(39) ग्रामीण सहकारी बैंक अब वाणिज्यिक रियल एस्टेट–रिहाइशी आवास क्षेत्र को ऋण दे सकेंगे जिससे उनका व्यापार विविधिकरण हो सकेगा।

(40) सहकारी बैंकों को सीजीटीएमएसई के सदस्य ऋणदाता संस्थान (एमएलआई) के रूप में शामिल किया गया है। जिससे अब सदस्य सहकारी बैंक दिए गए ऋणों पर 85 प्रतिशत तक जोखिम कवरेज का लाभ ले सकेंगे। साथ ही, सहकारी क्षेत्रक उद्यमों को भी अब सहकारी बैंकों से कोलेटरल मुक्त ऋण मिल सकेगा।

(41) सहकारी बैंकों की आधुनिक 'आधार सक्षम भुगतान प्रणाली' (एइपीएस) पर ऑनबोर्डिंग के लिए लाइसेंस शुल्क को लेन–देन की संख्या से जोड़ कर कम कर दिया है। इसके अलावा, सहकारी वित्तीय संस्थानों को पहले तीन महीने के प्री–प्रोडक्शन चरण तक निःशुल्क सुविधा भी मिल सकेगी।

(42) सरकार द्वारा शहरी सहकारी बैंकों के लिए शेड्यूलिंग मानदंडों की अधिसूचना प्रकाशित की गई है।

ऐसे शहरी सहकारी बैंक जो वित्तीय सुदृढ़ता एवं सुप्रबंधित (एफएसडब्ल्यूएम) मानदंडों को पूरा करते हैं तथा टियर 3 के रूप में वर्गीकरण के लिए आवश्यक न्यूनतम जमा राशि पिछले दो वर्ष तक बनाए रखे हों, अब वे भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम 1934 की अनुसूची–II में सम्मिलित किए जाने और अनुसूचित दर्जा प्राप्त करने के पात्र हैं।

(43) आरबीआई द्वारा बुलेट पुनर्भुगतान योजना के तहत गोल्ड लोन की मौद्रिक सीमा को दुगनाकर 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख कर दिया गया है। ऐसे यूसीबी इसके पात्र होंगे जिन्होंने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण (पीएसएल) के लक्ष्य को पूरा कर लिया है।

(44) शहरी सहकारी बैंकों के लिए अम्ब्रेला संगठन

आरबीआई ने यूसीबी क्षेत्र के लिए राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड (एनयूसीएफडीसी) नामक एक अम्ब्रेला संगठन (यूओ) की स्थापना के लिए नैशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को–ऑपरेटिव बैंक्स एण्ड क्रेडिट सोसाईटीज लिमिटेड (नैफकब) को मंजूरी दे दी गई है, जिससे लगभग 1,500 यूसीबी को आवश्यक आईटी अवसरंचना और संचालन में सहायता मिलेगी। आरबीआई द्वारा दिनांक 08.02.2024 के पत्रांक के माध्यम से अम्ब्रेला संगठन पंजीकरण प्रमाण पत्र (सीओआर) जारी किया गया है, जिससे संगठन को सर्वसम्मति एनबीएफसी के रुप में व्यवसाय करने की अनुमति मिल गई है ।

(45) रा.स.वि.नि. द्वारा सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं

रा.स.वि.नि. द्वारा विभिन्न सेक्टरों में सहकारी समितियों के लिए नई योजनाएं जैसे स्वयं–सहायता समूहों के लिए 'स्वयंशक्ति सहकार'; दीर्घकालिक कृषि ऋण के लिए 'दीर्घावधि कृषक सहकार'; डेयरी के लिए 'डेयरी सहकार' और महिला सहकारी संस्थाओं के लिए 'नंदिनी सहकार' आदि आरंभ की गई है। भारत सरकार ने भी निर्धारित नियम शर्तों का पालन किए जाने पर राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम को भारत सरकार द्वारा गारंटी प्रदत्त 2000 करोड़ रुपए के बांड जारी करने की अनुमति दी है।

(46) रा.स.वि.नि. द्वारा गहरे समुद्री ट्रौलरों के लिये वित्तीय सहायता

रा.स.वि.नि. गहरे समुद्र में चलने वाले ट्रॉलरों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

रा.स.वि.नि. द्वारा विभिन्न वित्तीय सहायताएं जैसे; महाराष्ट्र में 14 गहरे समुद्र के ट्रालरों की खरीद हेतु 20.30 करोड़ रुपये की ब्लॉक लागत पर 11.55 करोड़ रुपये, राजमाता विकास मच्छीमार सहकारी संस्था लिमिटेड, मुंबई को समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाई स्थापित करने के लिए 46.74 करोड़ रुपये की ब्लॉक लागत पर 37.39 करोड़ रुपये, केरल सरकार की एकीकृत मत्स्य विकास परियोजना (आईएफडीपी) के लिए 32.69 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं । इसके अलावा, रा.स.वि.नि. ने श्री महावीर मच्छीमार सहकारी मंडली लिमिटेड, गुजरात के 30 गहरे समुद्री ट्रॉलर खरीदने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की है, जिसकी ब्लॉक लागत 36.00 करोड़ रुपये है ।

(47) जेम पोर्टल पर सहकारी समितियां बतौर 'क्रेता' के रूप में शामिल

कैबिनेट द्वारा सहकारी समितियों को गवर्मेंट ई–मार्केटप्लेस (जेम) पर बतौर 'क्रेता' पंजीकृत होने का दिनांक 1 जून, 2022 को अनुमोदन प्रदान किया है। सहकारी समितियां जेम के एकल प्लेटफॉर्म से देश भर में उपलब्ध लगभग 60 लाख प्रामाणिक विक्रेताओं/सेवा प्रदाताओं से खरीद कर सकेंगी।

(48) नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का निर्माण

देश में नई सहकारिता नीति बनाने का निर्णय लिया गया है। नई सहकारिता नीति तैयार करने हेतु पूर्व केन्द्रीय मंत्री श्री सुरेश प्रभु के नेतृत्व में विभिन्न राज्यों तथा देश भर से लिए गए विशेषज्ञों व हितधारकों सहित एक बहुविषयक एवं राष्ट्रीय स्तरीय 49 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

(49) नया राष्ट्रीय सहकारी डेटाबेस

सहकारिता मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों के सहयोग से, एक व्यापक, प्रमाणिक और अद्यतित राष्ट्रीय सहकारी डाटाबेस विकसित करने का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।

(50) सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना

सहकारी शिक्षण, प्रशिक्षण, परामर्श, अनुसंधान एवं विकास के लिए राष्ट्रीय सहकारी विश्वविद्यालय की स्थापना की योजना भी तैयार की जा रही है। यह विश्वविद्यालय सहकारिता के क्षेत्र में अपनी तरह का पहला विशेषीकृत विश्वविद्यालय होगा।

(51) एनसीसीटी के माध्यम से प्रशिक्षण एवं जागरूकता को प्रोत्साहन

राष्ट्रीय सहकारी प्रशिक्षण परिषद (एनसीसीटी), सहकारिता मंत्रालय के अधीन एक स्वायत्त संस्था है जो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सहकारी विभागों के कार्मिकों सहित देश भर के सहकारी समितियों के कार्मिकों, सदस्यों एवं बोर्ड के सदस्यों के लिए सहकारी शिक्षण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करता है।

(52) कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) का कम्प्यूटरीकरण

दीर्घावधि सहकारी ऋण संरचना के सुदृढ़ीकरण के लिये सहकारिता मंत्रालय ने कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों (एआरडीबी) के कंप्यूटरीकरण के लिए केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है। इस योजना में आने वाले खर्च का 25 प्रतिशत एआरडीबी द्वारा एवं शेष 75 प्रतिशत केंद्र व राज्य सरकारों द्वारा वहन किया जाएगा ।

(53) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालय के कंप्यूटरीकरण की योजना

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सहकारी समितियों हेतु व्यापार में सुगमता बढ़ाने एवं पारदर्शी पेपर रहित विनियमन का एक डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करने

हेतु सहकारिता मंत्रालय ने सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के सहकारी समितियों के पंजीयक कार्यालयों के कंप्यूटरीकरण हेतु केंद्र प्रायोजित योजना को मंजूरी दी है।

(54) सहारा समूह समितियों के निवेशकों को रिफंड

सहकारिता मंत्रालय की याचिका पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 29.03.2023 के आदेश में सहारा समूह की 4 सहकारी समितियों (सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव लि., सहारयन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लि., हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लि. और स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लि.) के जमाकर्ताओं के वैध बकाया संवितरण हेतु सहारा–सेबी रिफंड खाते से 5,000 करोड़ रुपए सहकारी समितियों के केंद्रीय पंजीयक को अंतरित करने हेतु निर्देश दिए।

अध्याय–6

विपणन एवं कृषिक निवेश

6.1 रा.स.वि.नि., संरचनात्मक सुविधाओं के सृजन तथा व्यवसायिक कार्य करने के लिए विपणन सहकारिताओं को विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है ।

6.2 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान रा.स.वि.नि. द्वारा विभिन्न विपणन एवं कृषिक निवेश कार्यकलापों हेतु 74,557.58 करोड़ रुपये स्वीकृत तथा 52,919.63 करोड़ रुपये संवितरित किये गये। दिनांक 31.03.2024 तक रा.स.वि.नि. ने संचयी रुप से 2,03,610.41 करोड़ रुपये संवितरित किये। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान स्वीकृत और संवितरित की गई सहायता तथा दिनांक 31.03.2024 तक संवितरित की गई संचयी सहायता के विवरण **तालिका–1 क और 1 ख** में दिये गये हैं।

कृषिक उत्पाद के विपणन हेतु स्कीमें

कार्यशील पूंजी सहायता

6.2.1 भारत सरकार 24 फसलों हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य (एम.एस.पी.) तथा गन्ने हेतु उचित एवं लाभकारी मूल्य (एफ.आर.पी.) की उद्घोषणा करती है जो कि संबंधित राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखते हुए कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (सी.ए.सी.पी.) की सिफारिशों पर किए जाते हैं। इसमें सम्मिलित फसलें हैं :

- खरीफ मौसम के लिए 14 अर्थात धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी, अरहर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन (पीला), सूरजमुखी के बीज, तिल, काला तिल एवं कपास;
- रबी मौसम के लिए 7 अर्थात गेहूं, जौ, चना, मसूर, सरसों, तोरिया तथा कुसुम्भ एवं
- 3 अन्य वाणिज्यिक फसलें अर्थात जूट, छिलका रहित नारियल एवं कोपरा।

6.2.2 रा.स.वि.नि., सहकारी विपणन संघों तथा अन्य सहकारी एजेंसियों के माध्यम से एम.एस.पी. क्रियाकलापों हेतु कार्यशील पूंजी सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, निगम ने 73,347.74 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी सहायता स्वीकृत की तथा 52,555.93 करोड़ रुपये की सहायता संवितरित की। दिनांक 31.03.2024 तक संचयी रुप से रा.स.वि.नि. ने एम.एस.पी. क्रियाकलापों हेतु 1,96,306.93 करोड़ रुपये कार्यशील पूंजी के रुप में संवितरण किए जिसमें 1,88,214.93 करोड़ रुपये पिछले 10 वर्षों में संवितरित किए गए जैसा कि पूर्व पृष्ट पर निम्नवत दर्शाया गया है।

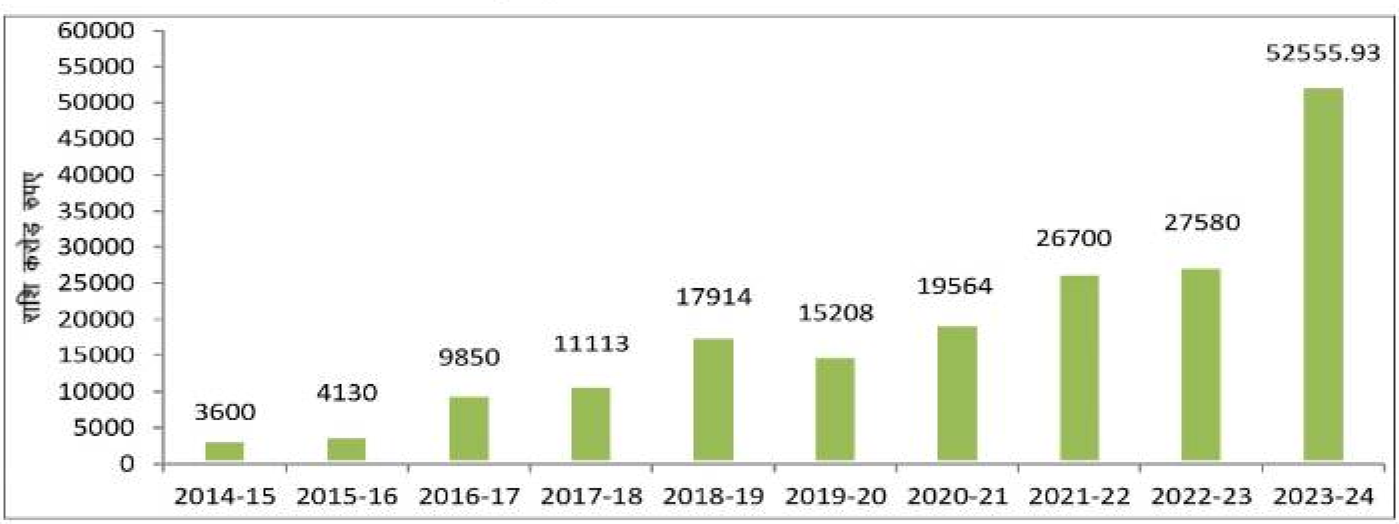

6.2.3 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने अन्य विपणन गतिविधियों हेतु 1206.84 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी स्वीकृत तथा 313.54 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं।

मार्जिन मनी सहायता

6.3 रा.स.वि.नि. द्वारा व्यवसायिक कार्यकलापों के विकास हेतु कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए राष्ट्रीय, राज्य, जिला, क्षेत्रीय और प्राथमिक स्तरीय सहकारी विपणन/कॅमोडिटी संघों/समितियों को मार्जिन मनी सहायता प्रदान की जाती है। रा.स.वि.नि. ने वर्ष 2023–24 के दौरान केरल में 0.25 करोड़ रूपये वित्तीय सहायता संवितरित की है। रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2024 तक कृषि उत्पादों के विपणन हेतु संचयी रूप से 856.50 करोड़ रुपये की मार्जिन मनी सहायता संवितरित की है।

प्राथमिक सहकारी विपणन समितियों (पी.सी.एम.एस.) के अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण

6.4 रा.स.वि.नि., प्राथमिक/जिला सहकारी विपणन समितियों के व्यवसाय विस्तार के लिए अंश पूंजी आधार को सुदृढ़ करने तथा कमजोर सहकारिताओं के पुनरुद्ध ार हेतु राज्य सरकारों को वितीय सहायता प्रदान करता है। हरियाणा में वर्ष 2023–24 के दौरान रा.स.वि.नि. ने 0.25 करोड़ रुपये स्वीकृत किए। निगम ने दिनांक 31.03.2024 तक, इस योजना के अंतर्गत संचयी रूप से 124.56 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की है।

विपणन कॉम्पलेक्स, कस्टम हायरिंग केन्द्र, सामूहित कृषि की स्थापना

6.5 कृषि मशीनीकरण की कृषि उत्पादकता एवं उत्पादन बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका है। अधिकांशतः किसान आवश्यक उपकरण खरीदने हेतु पूंजी की कमी के कारण मशीनीकरण का लाभ नहीं उठा पाते। खेती की लागत को कम करने के लिए त्वरित और समयानुसार कृषि संचालन के लिए बेहतर कृषि उपकरणों और मशीन का प्रयोग आवश्यक है। बहुफसल पद्धति के लिए कृषि कार्य जैसे कि निराई, गुड़ाई, मिट्टी का ढीला पड़ना, ऊपर उठना, सिंचाई, कीट और बीमारी नियंत्रण, कटाई, थ्रेशिंग आदि को समय से पूर्ण कर भूमि को अगली फसल के लिए शीघ्र रिक्त करने हेतु आवश्यक है।

6.6 वर्ष 2018–19 में रा.स.वि.नि ने लघु एवं सीमांत किसानों को कृषि संबंधी मशीनरी एवं उपकरण उपलब्ध कराने हेतु उत्तराखंड सरकार को 628.23 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता कस्टम हायरिंग केन्द्र की स्थापना, अवसंरचना का सृजन, एम.पी.ए.सी.एस. के लिए सामूहिक–कृषि एवं ब्रांडिंग एवं विपणन हेतु कार्यशील पूंजी के लिए स्वीकृत की। वर्ष 2023–24 के दौरान रा.स.वि.नि. ने 47.41 करोड़ रुपये उत्तराखंड में संवितरित किए है। अब तक रा.स.वि.नि. ने राज्य सरकार को 65.98 करोड़ रुपए की राशि संवितरित की जा चुकी है।

6.7 वर्ष 2019–20 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने 1692.60 करोड़ रुपये की ब्लॉक लागत पर 8463 पैक्स के माध्यम से फार्म मशीनरी हब की स्थापना हेतु बिहार सरकार के प्रस्ताव को नियमतः स्वीकृति प्रदान की । प्रथम चरण में 2927 पैक्स को लाभान्वित करने हेतु 439.05 करोड़ रुपये उक्त परियोजना के लिए संवितरित किये जा चुके हैं।

6.8 रा.स.वि.नि. ने 1000 पैक्स द्वारा फार्म मशीनीकरण इकाइयों की स्थापना के लिए पश्चिम बंगाल को वित्तीय वर्ष 2018–19 में स्वीकृत 400 करोड़ रुपये में से, संचयी रूप से परियोजना हेतु दिनांक 31.03.2024 तक पश्चिम बंगाल सरकार को 151.60 करोड़ रुपये संवितरित किये हैं।

निवेश हेतु योजना

कृषि निवेश, विनिर्माण एवं संबद्ध इकाईयों तथा किसान सेवा केंद्रों की स्थापना

6.9 इस योजना के अंतर्गत ऐसे सहकारी समितियों, जो फर्टिलाईजर के खुदरा वितरण एवं अन्य कृषि निवेश तथा गैर ऋण गतिविधियों से जुड़े हैं, को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है, जिसका उद्देश्य सहकारी समितियों को प्रभावी किसान सेवा केंद्रों के रूप में विकसित करना है, जो आवश्यक कृषि आदानों की विस्तृत श्रृंखला की आपूर्ति के साथ–साथ किसानों की गैर ऋण आवश्यकताओं की आपूर्ति भी करेंगे। अवसंरचना सृजन तथा आवश्यकता आधारित कृषि वस्तुएं जैसे हल, थ्रेशर, कुल्हाड़ियां, फावड़े,

चारा काटने वाली मशीनें, कल्टिवेटर, बीज ड्रिल इत्यादि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। ये वस्तुएँ सदस्यों द्वारा बेहद कम कीमत पर प्रयोग की जाएंगी। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, केरल में सहकारिताओं को किसान सेवा केंद्र हेतु 0.25 करोड़ रुपये की सहायता मार्जिन मनी के रुप में स्वीकृत की गई तथा कर्नाटक एवं तेलंगाना में समितियों को 2.50 करोड़ रुपये की सहायता कार्यशील पूँजी के रूप में स्वीकृत एवं संवितरित की गई है।

तालिका –1क

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कृषिक विपणन और निवेश कार्यकलापों हेतु केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के अंतर्गत की गई स्वीकृतियों और संवितरण का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य / संघ राज्य / महासंघ	वर्ष 2023–24में स्वीकृत इकाइयो की संख्या	राशि		दिनांक 31.03.2024 को संचयी स्थिति	
			वर्ष 2023–24 में स्वीकृत	वर्ष 2023–24 मे संवितरित	स्वीकृत इकाइयो की संख्या	संवितरित राशि
क. सहकारिता की दृष्टि से विकसित राज्य / महासंघ						
1	गुजरात				2	0.12
2	केरल				2	0.17
3	नैफेड				26	70.75
4	एनसीसीएफ				2	1.18
	उप–योग (क)				**32**	**72.22**
ख. सहकारिता की दृष्टि से अल्प विकसित राज्य / सं.रा.क्षे.						
5	आंध्र प्रदेश				50	215.01
6	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह				1	0.10
7	छत्तीसगढ़				148	55.82
8	गोवा				5	0.64
9	हिमाचल प्रदेश				221	153.43
10	मध्य प्रदेश				14	4.36
11	ओडिशा				204	16.22
12	राजस्थान				385	26.87
13	तेलंगाना				8	1.89
14	उत्तर प्रदेश				68	26.98
15	उत्तराखंड			47.41	683	125.26
16	पश्चिम बंगाल				374	165.46
	उप–योग (ख)			**47.41**	**2161**	**792.05**
ग. सहकारिता की दृष्टि से अल्पतम विकसित राज्य / सं.रा.क्षे.						
17	अरुणाचल प्रदेश				9	0.28
18	असम				177	9.10
19	बिहार				8080	614.47
20	जम्मू एवं कश्मीर				15	1.00
21	झारखंड				20	1.19
22	मणिपुर				15	0.73
23	मेघालय				42	2.34
24	मिजोरम				18	4.39
25	नागालैंड				26	2.24
26	सिक्किम				5	10.60
27	त्रिपुरा				37	1.19
	उप–योग(ग)				**8444**	**647.53**
	कुल योग(क+ख+ग)			**47.41**	**10637**	**1511.80**

तालिका–1ख

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कृषिक विपणन एवं निवेश कार्यकलापों हेतु निगम प्रायोजित योजना के अंतर्गत की गई स्वीकृतियों और संवितरण का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत इकाइयों की संख्या	राशि		दिनांक 31.03.2024 को संचयी स्थिति	
			वर्ष 2023–24 में स्वीकृत	वर्ष 2023–24 में संवितरित	स्वीकृत इकाइयों की संख्या	संवितरित राशि
क. सहकारिता की दृष्टि से विकसित राज्य/महासंघ						
1	गुजरात	9	202.05	410.70	160	850.74
2	हरियाणा	2	12284.98	9884.73	312	43310.34
3	कर्नाटक	3	4.39	4.32	1271	104.09
4	केरल	2	0.25	0.25	1191	168.54
5	महाराष्ट्र				441	73.30
6	पंजाब	1	18700.00	1650.00	324	1952.08
7	तमिलनाडु				264	199.34
8	इफको				6	1690.00
9	नैफेड	1	500.00		9	5274.45
10	नैकोफ (दिल्ली)				1	99.30
11	एनसीसीएफ	1	500.00		1	
	उप–योग (क)	**19**	**32191.67**	**11950.00**	**3980**	**53722.18**
ख. सहकारिता की दृष्टि से अल्प विकसित राज्य						
12	आंध्र प्रदेश	1	8199.90	9999.90	569	15985.99
13	छत्तीसगढ़	1	20000.00	18990.00	91	96956.41
14	गोवा				1	0.20
15	हिमाचल प्रदेश				9	56.02
16	मध्य प्रदेश				394	1644.85
17	ओडिशा				63	30.45
18	राजस्थान	11	0.74		354	103.16
19	तेलंगाना	2	13651.61	11930.30	19	29205.41
20	उत्तर प्रदेश	2	512.00	1.50	2757	4361.47
21	उत्तराखण्ड	10	1.66	0.52	207	13.14
22	पश्चिम बंगाल				1557	13.90
	उप–योग (ख)	**27**	**42365.91**	**40922.22**	**6021**	**148371.00**
ग. सहकारिता की दृष्टि से अल्पतम विकसित राज्य						
23	असम				24	0.31
24	बिहार				1	0.18
25	मणिपुर				83	2.89
26	नागालैंड				28	0.52
27	त्रिपुरा				122	1.53
	उप–योग(ग)	**0**	**0.00**	**0.00**	**258**	**5.43**
	कुल योग(क+ख+ग)	**46**	**74557.58**	**52872.22**	**10259**	**202098.61**
1	तालिका 1क			47.41	10637	1511.80
2	तालिका 1ख	46	74557.58	52872.22	10259	202098.61
	तालिका 1क, 1ख का योग	**46**	**74557.58**	**52919.63**	**20896**	**203610.41**

अध्याय–7

प्रसंस्करण

7.1 रा.स.वि.नि. कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों जैसे चीनी मिलों, चीनी उप–उत्पाद इकाइयों जैसे डिस्टिलरी एवं कोजनरेशन संयंत्र, कताई मिलों, कपास जिनिंग और प्रेसिंग इकाइयों, पावरलूम, तेल मिलों, चावल मिलों, दाल मिलों, कॉफी, चाय, रबर तथा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों आदि की स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तारण एवं विविधीकरण हेतु निवेश ऋण, आवधिक ऋण, मार्जिन मनी तथा कार्यशील पूंजी ऋण के माध्यम से सहकारी समितियों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है। समीक्षाधीन रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान निगम द्वारा की गई फसलवार/वस्तुवार गतिविधियां निम्नवत हैं:

चीनी सहकारिताएं

7.2 रा.स.वि.नि. द्वारा चीनी सहकारिताओं को वित्त पोषित करना प्रसंस्करण क्षेत्र में इसकी सहायता का प्रमुख भाग है।

सहकारी चीनी क्षेत्र का विकास

7.2.1 देश में संस्थापित सहकारी चीनी कारखानों की संख्या वर्ष 1950–51 में 2 से बढ़कर वित्तीय वर्ष 2023–24 में 312 हो गई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के अंत तक सहकारी क्षेत्र की संस्थापित चीनी उत्पादन क्षमता 139.00 लाख मैट्रिक टन थी जो देश की कुल 472.00 लाख मैट्रिक टन क्षमता का लगभग 29.45% है।

सहकारी चीनी मिलों की सहायता हेतु योजनाएँ

7.2.2 रा.स.वि.नि., सहकारी चीनी कारखानों की स्थापना तथा उनके विकास के संवर्धन के लिए निम्नलिखित योजनाओं के माध्यम से सहायता प्रदान करता है:

(i) नई सहकारी चीनी मिलों में इक्विटी में सहभागिता हेतु राज्य सरकारों के संसाधनों की संपूर्ति के लिए उन्हें निवेश ऋण सहायता प्रदान करना।

(ii) नई सहकारी चीनी मिलों की स्थापना तथा वर्तमान सहकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण/क्षमता विस्तारण हेतु आवधिक ऋण सहायता प्रदान करना।

(iii) इथेनॉल/डिस्टिलेरी एवं कोजेनरेशन संयंत्रों जैसी चीनी उपोत्पाद इकाइयों की स्थापना हेतु आवधिक ऋण सहायता प्रदान करना ।

(iv) सहकारी चीनी मिलों की कार्यशील पूंजी/मार्जिन मनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अल्पावधिक/मध्यावधिक ऋण प्रदान करना।

7.2.2.1 सहकारी चीनी मिलों के आधुनिकीकरण, इथेनॉल तथा कोजेनरेशन परियोजनाएं स्थापित करने के लिए प्रदान की गई चीनी विकास निधि (एसडीएफ) सहायता की निगरानी तथा वसूली करने हेतु रा.स.वि.नि. को भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी के रूप में नियुक्त किया गया है।

7.2.2.2 खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग (डीएफपीडी), उपभोक्ता मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, नई दिल्ली "इथेनॉल उत्पादन क्षमता में बढ़ोत्तरी तथा वृद्धि के लिए चीनी मिलों को वित्तीय सहायता प्रदान करने" की योजना के अंतर्गत ब्याज छूट प्रदान करता है । इस योजना के अंतर्गत, केंद्र सरकार नई डिस्टिलरी स्थापित करने/मौजूदा डिस्टिलरी के विस्तार और इन्सिनरेशन बॉयलर की स्थापना या शून्य तरल निर्वहन हेतु केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अनुमोदित किसी भी प्रकार की स्थापना के लिए मिलों को रा.स.वि.नि./बैंकों के माध्यम से उदार ऋण प्रदान करती है। सरकार पांच वर्षों की अवधि के लिए बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋण पर 6% प्रति वर्ष या बैंकों द्वारा ली जाने वाली ब्याज दर का 50% जो भी कम हो, ब्याज छूट के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

रा.स.वि.नि. सहायता

7.2.3 रा.स.वि.नि. ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान चीनी सहकारिताओं को क्रमशः 3728.23 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत तथा 2176.31 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की। निगम ने चीनी सहकारिताओं के विकास हेतु दिनांक 31.03.2024 तक संचयी रुप से 25336.24 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त की है जिसका विवरण तालिका–1 में दर्शाया गया है। एसडीएफ ने दिनांक 31.03.2024 तक, चीनी सहकारिताओं के विकास हेतु कुल 2434.59 करोड़ रुपये की संचयी सहायता संवितरित की है। एसडीएफ (चीनी विकास निधि) सहायता के संबंध में संवितरण राज्यवार विवरण तालिका–2 में दर्शाया गया है। चूँकि चीनी विकास निधि एसडीएफ अधिनियम, 1982 के अंतर्गत दिनांक 21.09.2021 से वित्तीय सहायता की सभी योजनाएं बंद कर दी गई हैं, अतः वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, कोई भी राशि संवितरित नहीं की गई है।

सहकारी चीनी मिलों का कार्यशील परिणाम

7.2.4 वर्ष 2023.24 की अवधि के दौरान 217 सहकारी चीनी कारखाने परिचालन में थे। इन चीनी मिलों ने 89.80 लाख मै. टन चीनी का उत्पादन किया जो कि दिनांक 31.03.2024 तक देश में कुल 299.35 लाख मै. टन के चीनी उत्पादन का 30.00% है।

वस्त्र सहकारितायें

7.3 रा.स.वि.नि. द्वारा वस्त्र क्षेत्र को दी जाने वाली सहायता में सहकारी कताई मिलों, बुनाई, कढ़ाई एवं परिधान क्षेत्र के अलावा कमजोर वर्ग की वस्त्र सहकारिताओं का वित्त पोषण सम्मिलित है।

7.3.1 सहकारी कताई मिलें

सहकारी क्षेत्र में संस्थापित क्षमता

7.3.1.1 देश में कुल 38.00 लाख तकुओं (स्पिंडल्स) तथा 10670 रोटरों की संस्थापित क्षमता के साथ 181 (जिनमें 40% के करीब प्रचालन में हैं) सहकारी कताई मिलें कार्यरत हैं।

सहकारी कताई मिलों की सहायता हेतु योजनाएं

7.3.1.2 रा.स.वि.नि. ने वर्ष के दौरान सहकारी क्षेत्र में नई जिन्निंग एवं प्रेस्सिंग इकाइयों तथा कताई मिलों की स्थापना तथा वर्तमान इकाइयों के विस्तारण/आधुनिकीकरण, रूग्ण सहकारी कताई मिलों की पुनर्स्थापना तथा सहकारी कताई मिलों और राज्य सहकारी कपास विपणन महासंघों को मार्जिन मनी/कार्यशील पूंजी सहायता प्रदान करने संबंधि कार्यक्रमों के संवर्धन हेतु, अपनी योजनाओं को जारी रखा। रा.स.वि.नि. ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 6 कार्यक्रमों के लिए 44.77 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की तथा 44.35 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की। रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2024 तक संचयी रूप में सहकारी कताई मिलों को 3289.91 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की, जिसका विवरण तालिका–3 में दर्शाया गया है।

7.3.1.2.1 रा.स.वि.नि. ने निगम प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत केरल हाईटेक टैक्सटाईल कॉपरेटिव लि0 (केलटैक्स), जिला मल्लापुरम की ग्रीनफील्ड तकनीकी वस्त्र परियोजना की स्थापना हेतु केरल सरकार को 8.13 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की, जिसका विवरण तालिका–3 में दर्शाया गया है।

7.3.2 सहकारी कपास जिनिंग एवं प्रोसेसिंग इकाइयाँ

7.3.2.1 रा.स.वि.नि. सहकारी क्षेत्र में आधुनिक प्रौद्योगिकी निवेशों से युक्त नई कपास जिन्निंग एवं प्रेस्सिंग इकाइयों की स्थापना, वर्तमान जिन्निंग एवं प्रेस्सिंग इकाइयों के आधुनिकीकरण तथा उनकी मार्जिन मनी/कार्यशील पूँजी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी वितीय सहायता प्रदान करता है। रा.स.वि.नि. ने इस शीर्ष के अंतर्गत दिनांक 31.03.2024 तक कुल मिलाकर 32.70 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की है, जिसका विवरण तालिका–4 में दिया गया है।

7.3.3 पॉवरलूम

सहकारी पावरलूम इकाइयों हेतु सहायता

7.3.3.1 इस योजना के अंतर्गत सहायता, पॉवरलूम सेक्टर

के विकास, अर्थात (क) मार्जिन मनी पर्याप्त कार्यशील पूँजी जुटाने हेतु अंश पूँजी सहायता प्रदान करने (ख) करघों की खरीद/करघों एवं साजो सामान सहित वर्कशेडों के निर्माण, गोदामों/शोरूमों/विपणन परिसरों/सहकारी वस्त्र संपदाओं के आधुनिकीकरण/निर्माण/नवीनीकरण/उदघाटन और (ग) पूर्व/उत्तर लूम प्रसंस्करण/वस्त्र/बुनाई इकाइयों की स्थापना, हेतु प्रदान की जाती है। रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2024 तक पॉवरलूम सहकारिताओं की 453 परियोजनाओं/इकाइयों को संचयी रूप में 360.13 करोड़ रूपये की राशि स्वीकृत की तथा 341.01 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त की, जिनका विवरण तालिका–5 में दर्शाया गया है।

खाद्यान्न

7.4 रा.स.वि.नि., भारत सरकार की विभिन्न स्कीमों जैसे कृषिक विपणन अवसंरचना (एएमआई) तथा प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों का औपचारीकरण (पीएमएफएमई) आदि स्कीमों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों जैसे चावल मिलों, चावल के पापड़ों की इकाइयों, दाल मिलों, गेहूँ आटा मिलों, मक्का प्रसंस्करण इकाइयों, पशुचारा इकाइयों आदि की संस्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

रा.स.वि.नि. सहायता

7.4.1 रा.स.वि.नि. ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान राजस्थान में 3 खाद्यान्न प्रसंस्करण इकाइयों को 0.50 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत तथा गुजरात तथा उत्तराखंड राज्यों की 3 खाद्यान्न प्रसंस्करण इकाई को 1.44 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता विमुक्त की। रा.स.वि.नि. ने इस शीर्ष के अंतर्गत दिनांक 31.03.2024 तक कुल मिलाकर 1401 खाद्यान्न प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता प्रदान की तथा 170.29 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त की, जिनका विवरण तालिका–6 में दर्शाया गया है।

तेलहन प्रसंस्करण

7.5 रा.स.वि.नि. तेलहन प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान रा.स.वि.नि. ने मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य की 4 तेलहन प्रसंरकरण इकाइयों को 0.32 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की तथा मध्य प्रदेश एवं उत्तर प्रदेश राज्य में 2 प्रसंस्करण इकाई को 0.17 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता विमुक्त की। रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2024 तक संचयी रुप में 166 तेलहन प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता प्रदान की तथा 695.93 करोड़ रुपये की सहायता विमुक्त की है जिनका विवरण तालिका–7 में दर्शाया गया है।

बागानी फसलें

7.6 रा.स.वि.नि. ने बागानी फसलों की प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना हेतु निरंतर सहायता प्रदान करता है।

रा.स.वि.नि. सहायता

7.6.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने राजस्थान में 2 प्रसंस्करण इकाईयों के लिए 0.38 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की तथा इसी के साथ कर्नाटक राज्य में 1 प्रसंस्करण इकाई हेतु 1.31 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता विमुक्त की गई । रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2024 तक संचयी रूप में बागानी फसलों की 124 प्रसंस्करण इकाइयों को सहायता प्रदान की तथा 179.46 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त की है, जिनका विवरण तालिका–8 में दर्शाया गया है।

फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाइयां

7.7 रा.स.वि.नि., सहकारिताओं द्वारा फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने की योजना का कार्यान्वयन करना जारी रखा है । रा.स.वि.नि. की योजना का प्राथमिक उद्देश्य, कुशल ढंग से प्रसंस्करण के माध्यम से उत्पादकों को बागवानी उत्पाद के मूल्य वृद्धि का लाभ प्रदान करना है, जिससे कृषकों की आय में वृद्धि करने में मदद मिल सके।

रा.स.वि.नि. सहायता

7.7.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान रा.स.वि.नि. ने

उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा हरियाणा की 4 प्रसंस्करण इकाईयों को 0.58 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गए तथा मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश की 2 प्रसंस्करण इकाईयों को 0.12 करोड़ रुपये विमुक्त किए। रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2024 तक कुल मिलाकर 85 फल एवं सब्जी प्रसंस्करण इकाइयों के लिए 61.40 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त की है। स्वीकृति एवं विमुक्ति का विवरण तालिका–9 में दर्शाया गया है।

तालिका –1

सहकारी चीनी कारखानों को स्वीकृत तथा संवितरित सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये मे)

क्र. सं.	राज्य / सं.रा.क्षे. / संस्थान	कार्यकलाप	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत इकाइयों की संख्या	राशि		दिनांक 31.03.2024 को संचयी स्थिति		
				वर्ष 2023–24 में स्वीकृत	वर्ष 2023–24 में संवितरण	स्वीकृत इकाई	पूर्ण इकाई	विमुक्त राशि
1	आंध्र प्रदेश	नई मिलें				11	11	5.80
		आधु. सह विस्तारण				6	6	36.61
		कार्यशील पूंजी				7	7	681.45
		ब्रिज ऋण				1	1	7.50
		टी. एवं पी. सेल						0.05
		उप–योग (1)				**25**	**25**	**731.41**
2	असम	नई मिलें				1	1	1.58
		पुनर्स्थापना				1	1	0.50
		उप –योग (2)				**2**	**2**	**2.08**
3	छत्तीसगढ़	नई मिलें				2	2	101.63
		कार्यशील पूंजी				7	7	308.94
		उप –योग (3)				**9**	**9**	**410.57**
4	गोवा	पुनर्स्थापना				**1**	**1**	**0.36**
5	गुजरात	नई मिलें				13	12	40.27
		आधु. सह विस्तारण				14	14	152.06
		पुनर्स्थापना				4	4	2.90
		उप–उत्पाद इकाई	2	162.84	58.42	5	3	98.83
		टी. एवं पी. सेल						0.05
		मार्जिन मनी				1	1	10.00
		कार्यशील पूंजी	3	135.00	105.55	46	45	1702.83
		उप –योग (5)	**5**	**297.85**	**163.97**	**83**	**79**	**2006.94**
6	हरियाणा	नई मिले				8	8	15.65
		आधु. सह विस्तारण				2	2	0.66
		पुनर्स्थापना				2	2	1.01
		उप–उत्पाद इकाई				1	1	0.78
		टी. एवं पी. सेल						0.05
		कार्यशील पूंजी				5	5	2000.00
		उप –योग (6)				**18**	**18**	**2018.15**

क्र. सं.	राज्य / सं.रा.क्षे. / संस्थान	कार्यकलाप	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत इकाइयो की संख्या	राशि		दिनांक 31.03.2024 को संचयी स्थिति		
				वर्ष 2023–24 में स्वीकृत	वर्ष 2023–24 में संवितरण	स्वीकृत इकाई	पूर्ण इकाई	विमुक्त राशि
7	केरल	आधु. सह विस्तारण				1	1	0.24
		उप–उत्पाद इकाई				1	1	1.32
		उप–योग (7)				**2**	**2**	**1.56**
8	कर्नाटक	नई मिलें				24	24	238.98
		आधु. सह विस्तारण				13	13	186.81
		टी. एवं पी. सेल						0.05
		उप–उत्पाद इकाई				3	3	180.37
		कार्यशील पूंजी				22	22	1428.24
		उप–योग (8)				**62**	**62**	**2034.45**
9	मध्य प्रदेश	नई मिलें				4	4	24.01
		उप–उत्पाद इकाई	1	69.38	0.00	1	0	0.00
		पुनर्स्थापना				1	1	0.47
		कार्यशील पूंजी	2	62.60	8.00	4	3	15.60
		उप–योग (9)	**3**	**131.98**	**8.00**	**10**	**8**	**40.08**
10	महाराष्ट्र	नई मिलें				125	125	711.25
		आधु. सह विस्तारण				52	52	939.96
		उप–उत्पाद इकाई	6	725.28	78.38	65	60	1111.74
		पुनर्स्थापना				1	1	0.50
		ब्रिज ऋण				14	14	334.23
		टी. एवं पी. सेल						0.14
		मार्जिन मनी	4	702.04	677.54	12	10	810.04
		कार्यशील पूंजी	18	1871.08	1248.42	180	176	12318.71
		उप–योग (10)	**28**	**3298.40**	**2004.34**	**449**	**438**	**16226.57**
11	ओडिशा	नई मिलें				2	2	1.80
		आधु. सह विस्तारण				1	1	9.05
		उप–उत्पाद इकाई				1	1	0.28
		पुनर्स्थापना				1	1	1.72
		उप–योग (11)				**5**	**5**	**12.85**
12	पुडुचेरी	कार्यशील पूंजी				1	1	20.00
13	पंजाब	नई मिलें				11	11	26.85
		आधु. सह विस्तारण				6	6	37.11
		उप–उत्पाद इकाई				3	3	22.02
		टी. एवं पी. सेल						0.15
		उप–योग (13)				**21**	**21**	**86.13**
14	राजस्थान	पुनर्स्थापना				1	1	0.60
15	तमिलनाडु	नई मिलें				8	8	26.24
		आधु. सह विस्तारण				5	5	63.49
		उप–उत्पाद इकाई				9	9	23.05
		पुनर्स्थापना				1	1	0.60
		कार्यशील पूंजी				12	12	333.78
		उप–योग (15)				**36**	**36**	**447.16**

क्र. सं.	राज्य / सं.रा.क्षे. / संस्थान	कार्यकलाप	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत इकाइयो की संख्या	राशि		दिनांक 31.03.2024 को संचयी स्थिति		
				वर्ष 2023–24 में स्वीकृत	वर्ष 2023–24 में संवितरण	स्वीकृत इकाई	पूर्ण इकाई	विमुक्त राशि
16	उत्तर प्रदेश	नई मिलें				25	25	24.85
		आधु. सह विस्तारण				14	14	212.50
		उप–उत्पाद इकाई				13	13	30.74
		पुनर्स्थापना				4	4	4.51
		टी. एवं पी. सेल						0.05
		कार्यशील पूंजी				32	32	1005.80
		उप –योग (16)				**88**	**88**	**1278.45**
17	उत्तराखंड	नई मिलें				3	3	2.24
		आधु. सह विस्तारण				3	3	15.60
		उप –योग (17)				**6**	**6**	**17.84**
18	एनएफसीएसएफ	टी. एवं पी. सेल						0.14
19	एनएचईसी	अंश पूंजी						0.90
		कुल योग (1 से 19)	**36**	**3728.23**	**2176.31**	**817**	**800**	**25336.24**

आधु.–आधुनिकीकरण,

विस्ता.–विस्तारण

नोटः कुछ समितियों ने एक से अधिक बार सहायता प्राप्त की है।

तालिका–2

चीनी विकास निधि (एसडीएफ) के अंतर्गत सहकारी चीनी कारखानों को स्वीकृत एवं संवितरण सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये मे)

क्र.सं.	राज्य का नाम	दिनांक 31.3.2024 को संवितरित संचयी सहायता
1	आंध्र प्रदेश	19.66
2	गुजरात	80.97
3	हरियाणा	35.66
4	कर्नाटक	212.44
5	मध्य प्रदेश	13.97
6	महाराष्ट्र	1878.39
7	ओडिशा	7.19
8	तमिलनाडु	31.78
9	उत्तर प्रदेश	116.07
10	उत्तराखंड	10.54
11	पंजाब	27.92
	योग	**2434.59**

*चूंकि चीनी विकास निधि (एसडीएफ) अधिनियम, 1982 के अंतर्गत दिनांक 21.09.2021 की प्रभावी तिथि से वित्तीय सहायता को बंद कर दिया गया है, अतः वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कोई भी राशि संवितरित नहीं की गई है।

तालिका – 3

सहकारी कताई मिलों एवं तकनीकी वस्त्र परियोजनाओं को स्वीकृत तथा संवितरित सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये मे)

क्र.सं.	राज्य/संघ	वर्ष 2023–24 में स्वीकृतियों की संख्या	वर्ष 2023–24 मे स्वीकृतियों की संख्या	राशि		दिनांक 31.03.2024 को संचयी स्थिति		
				वर्ष 2023–24 में स्वीकृत	वर्ष 2023–24 में संवितरित	स्वीकृत इकाइयों (संख्या)	पूर्ण इकाइयों (संख्या)	संवितरित राशि
क.	**पूर्ववर्ती केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम (सीएसआईएसएसी)**							
1	आंध्र प्रदेश					19	19	60.71
2	असम					3	3	12.05
3	बिहार					3	3	8.97
4	गुजरात					1	1	0.39
5	हरियाणा					1	1	0.71
6	कर्नाटक					21	21	79.42
7	केरल					17	17	233.88
8	महाराष्ट्र					80	80	689.80
9	मध्य प्रदेश					7	7	24.95
10	ओडिशा					7	7	15.61
11	पुडुचेरी					1	1	22.26
12	पंजाब					8	8	34.47
13	राजस्थान					14	14	108.24
14	तमिलनाडु					48	48	159.07
15	उत्तर प्रदेश					15	15	44.39
16	पश्चिम बंगाल					11	11	93.29
	योग (क)					**256**	**256**	**1588.21**
ख	**निगम प्रायोजित स्कीम**							
1	गुजरात					20	20	141.13
2	कर्नाटक					10	10	5.06
3	केरल					1	1	0.34
4	मध्य प्रदेश					15	15	309.39
5	महाराष्ट्र	1	1	35.00	34.90	87	86	1177.73
6	ओडिशा					5	5	1.35
7	पुडुचेरी					1	1	7.00
8	पंजाब					11	11	7.66
9	राजस्थान					1	1	7.50
10	तमिलनाडु					14	14	2.70
11	पश्चिम बंगाल					1	1	7.63
12	जम्मू एवं कश्मीर	1	1	0.32	0.00	1	0	0.00
	योग (ख)	**2**	**2**	**35.32**	**34.90**	**167**	**165**	**1667.49**
ग	**निगम प्रायोजित स्कीम (तकनीकी वस्त्र परियोजना)**							
1	केरल					**1**	**1**	**8.13**
घ	**अन्य राज्य सरकार स्कीमें**							
1	महाराष्ट्र	**4**	**3**	**9.45**	**9.45**	**18**	**18**	**26.08**
	योग (क+ख+ग+घ)	**6**	**5**	**44.77**	**44.35**	**442**	**440**	**3289.91**

तालिका – 4

जिन्निंग एवं प्रेस्सिंग इकाइयों को स्वीकृत एवं संवितरित सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये मे)

क्र. सं.	राज्य/ संघ.शासित क्षेत्र	दिनांक 31.03.2024 को संचयी स्थिति		
		स्वीकृत इकाइयां (संख्या)	पूर्ण इकाइयां (संख्या)	संवितरित राशि
क	**केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम**			
1	आंध्र प्रदेश	2	2	4.88
2	मेघालय	1	1	0.63
3	ओडिशा	1	1	3.76
4	राजस्थान	11	11	1.44
5	तेलंगाना	1	1	1.16
	योग (क)	**16**	**16**	**11.87**
ख	निगम प्रायोजित स्कीम			
1	आंध्र प्रदेश	1	1	0.11
2	गुजरात	8	8	1.05
3	कर्नाटक	19	19	14.21
4	मध्य प्रदेश	15	15	1.00
5	महाराष्ट्र	15	15	0.24
6	पुडुचेरी	1	1	0.08
7	पंजाब	10	10	3.81
8	तमिलनाडु	8	8	0.33
	योग (ख)	**77**	**77**	**20.83**
	कुल योग (क+ख)	**93**	**93**	**32.70**

*वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कोई भी राशि स्वीकृत/संवितरित नहीं की गई है ।

तालिका – 5

पावरलूम इकाइयों को स्वीकृत एवं संवितरित सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	कार्यकलाप	दिनांक 31.03.2024 को संचयी स्थिति		
			स्वीकृत इकाइयाँ (संख्या)	पूर्ण इकाइयाँ (संख्या)	संवितरित राशि
क.	**निगम प्रायोजित स्कीम**				
1	गुजरात	मार्जिन मनी	1	1	0.05
		वर्कशेड	1	1	0.50
		उप योग	**2**	**2**	**0.55**
2	कर्नाटक	वर्कशेड	10	10	9.11
		प्रसंस्करण इकाई	1	1	8.73
		उप योग	**11**	**11**	**17.84**
3	केरल	मार्जिन मनी	5	5	0.57
		वर्कशेड	8	8	24.76
		प्रसंस्करण इकाई	1	1	0.40
		उप योग	**14**	**14**	**25.73**
4	मध्य प्रदेश	प्रसंस्करण इकाई	1	1	0.50
5	महाराष्ट्र	मार्जिन मनी	79	79	11.35
		वर्कशेड	307	307	190.47
		प्रसंस्करण इकाई	18	18	74.19
		गारमेंट/बुनाई इकाई	12	12	15.47
		उप योग	**416**	**416**	**291.48**
6	नागालैण्ड	वर्कशेड	1	1	0.43
7	पश्चिम बंगाल	मार्जिन मनी	2	2	0.28
		वर्कशेड	3	3	3.24
		उप योग	**5**	**5**	**3.52**
		योग (क)	**450**	**450**	**340.05**
ख.	**केंद्रीय प्रायोजित स्कीम**				
1	पश्चिम बंगाल	मार्जिन मनी	3	3	0.96
		योग (ख)	**3**	**3**	**0.96**
		योग (क+ख)	**453**	**453**	**341.01**

तालिका– 6

खाद्यान्न इकाइयों हेतु स्वीकृत एवं संवितरित वित्तीय सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये मे)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2023–24 में स्वीकृतियों की संख्या	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत इकाइयाँ	राशि		दिनांक 31.03..2024 को संचयी स्थिति		
				वर्ष 2023–24 में स्वीकृत	वर्ष 2023–24 में संवितरित	स्वीकृत इकाइयाँ (सं)	पूर्ण इकाइयाँ (सं)	संवितरित सहायता
क	सहकारिता की दृष्टि से अल्प/अल्पतम विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र							
1	आंध्र प्रदेश					109	109	7.64
2	असम					31	31	0.79
3	बिहार					12	12	0.58
4	छत्तीसगढ़					68	68	0.00
5	झारखण्ड					2	2	0.00
6	जम्मू एवं कश्मीर					22	22	0.00
7	मध्य प्रदेश					65*	65	6.94
8	मणिपुर					2	2	0.11
9	नागालैण्ड					2	2	0.33
10	ओडिशा					30	30	0.63
11	राजस्थान	3	3	0.50		17	14	0.49
12	तेलंगाना					4	4	13.63
13	उत्तर प्रदेश					32	32	0.99
14	उत्तराखण्ड				1.18	655	5	4.05
15	पश्चिम बंगाल					17	17	2.61
16	हिमाचल प्रदेश					1	1	0.02
17	मार्जिन मनी/कार्यशील पूंजी (आंध्र प्रदेश की 2 इकाइयां)					2	2	1.46
	उप –योग (क)	**3**	**3**	**0.50**	**1.18**	**1071**	**418**	**40.27**
ख	सहकारिता की दृष्टि से विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र							
1	दिल्ली (नैफेड)					1	1	0.07
2	गुजरात				0.26	33	33	3.52
3	हरियाणा					17	17	1.78
4	कर्नाटक					97	97	4.99
5	केरल					10	9	5.45
6	महाराष्ट्र					129	113	109.78
7	पंजाब					14	14	1.38
8	तमिलनाडु					26	26	1.37
9	मार्जिन मनी/कार्यशील पूंजी					3	3	1.68
	उप–योग (ख)				**0.26**	**330**	**313**	**130.02**
	योग (क+ख)	**3**	**3**	**0.50**	**1.44**	**1401**	**731**	**170.29**

*5 इकाइयां क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में अस्वीकृत की गई ।

तालिका –7

तेलहन एवं अन्य प्रसंस्करण इकाइयों को स्वीकृत एवं संवितरित सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये मे)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2023–24 में स्वीकृतियों की संख्या	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत इकाइयाँ	राशि		दिनांक 31.03.2024 को संचयी स्थिति		
				वर्ष 2023–24 में स्वीकृत	वर्ष 2023–24 में संवितरित	स्वीकृत इकाइयाँ (संख्या)	पूर्ण इकाइयाँ (संख्या)	संवितरित सहायता
क	सहकारिता की दृष्टि से अल्प/अल्पतम विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र							
1	आंध्र प्रदेश					10	10	129.29
2	असम					10	10	24.58
3	छत्तीसगढ़					3	3	1.09
4	जम्मू एवं कश्मीर					1	1	5.46
5	मध्य प्रदेश	2	2	0.11	0.08	19**	16	145.27
6	ओडिशा					13	13	6.42
7	राजस्थान					21	21	151.76
8	उत्तर प्रदेश	2	2	0.21	0.09	7	5	2.05
9	उत्तराखंड					4	4	11.24
10	पश्चिम बंगाल					1	1	0.16
11	तेलंगाना					2	2	79.47
	योग (क)	**4**	**4**	**0.32**	**0.17**	**91**	**86**	**556.79**
ख.	सहकारिता की दृष्टि से विकसित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र							
1	गुजरात					18	18	10.00
2	हरियाणा					2	2	0.37
3	कर्नाटक					13	13	28.27
4	केरल					19	17	77.68
5	महाराष्ट्र					9	9	5.64
6	पंजाब					6	6	13.04
7	तमिलनाडु					8	8	3.12
8	दिल्ली (नेफेड)*					0	0	1.02
	योग (ख)					**75**	**73**	**139.14**
	योग (क+ख)	**4**	**4**	**0.32**	**0.17**	**166**	**159**	**695.93**
ग.	महाराष्ट्र में पार्टिकल बोर्ड/पेपर बोर्ड, ब्रिकेट					**5**	**5**	**78.71**

** रा.स.वि.नि. सहायता प्राप्त रायचुर इकाई, कर्नाटक को संभालने हेतु नेफेड को प्रदान की गई सहायता।*

*** 2 इकाइयां क्षेत्रीय कार्यालय, भोपाल में अस्वीकृत की गई ।*

तालिका–8

बागानी फसलें इकाइयों हेतु स्वीकृत एवं संवितरित सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये मे)

क्र.सं.	राज्य	कार्यकलाप	वर्ष 2023–24 में स्वीकृतियों की संख्या	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत इकाइयों की संख्या	राशि		दिनांक 31.03.2024 को संचयी स्थिति		
					वर्ष 2023–24 में स्वीकृत	वर्ष 2023–24 में संवितरित	स्वीकृत इकाइयाँ (संख्या)	पूर्ण इकाइयाँ (संख्या)	संवितरित राशि
क.	सहकारिता की दृष्टि से अल्प/अल्पतम विकसित राज्य								
1	अरुणाचल प्रदेश	प्रसंस्करण					7	7	43.79
2	हिमाचल प्रदेश	प्रसंस्करण					5	5	3.30
3	मेघालय	प्रसंस्करण					3	3	0.13
4	नागालैण्ड	प्रसंस्करण					2	2	6.20
5	ओडिशा	प्रसंस्करण					2	2	0.03
6	राजस्थान	प्रसंस्करण	2	2	0.38		3	1	0.03
		योग (क)	**2**	**2**	**0.38**		**22**	**20**	**53.48**
ख.	सहकारिता की दृष्टि से विकसित राज्य								
1	गुजरात	प्रसंस्करण					1	1	1.08
2	कर्नाटक	प्रसंस्करण				1.31	18	18	10.39
3	केरल	प्रसंस्करण					37*	37	50.20
		विपणन					2	2	1.80
4	महाराष्ट्र	प्रसंस्करण					22	18	52.02
5	तमिलनाडु	प्रसंस्करण					22	22	10.49
		योग (ख)				**1.31**	**102**	**98**	**125.98**
		योग (क+ख)	**2**	**2**	**0.38**	**1.31**	**124**	**118**	**179.46**

** 1 इकाई क्षेत्रीय कार्यालय, तिरूअनंतपुरम् में अस्वीकृत की गई।*

तालिका – 9

फल एवं सब्जी की प्रसंस्करण इकाइयों हेतु स्वीकृत एवं संवितरित सहायता

(करोड़ रुपये मे)

क्र.सं.	राज्य	क्रियाकलाप	वर्ष 2023–24 में स्वीकृतियो की संख्या	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत इकाइयाँ (संख्या)	राशि		दिनांक 31.03.2024 को संचयी स्थिति		
					वर्ष 2023–24 मे स्वीकृत	वर्ष 2023–24 मे संवितरित	स्वीकृत इकाइयाँ (संख्या)	पूर्ण इकाइयाँ (संख्या)	संवितरित राशि
क.	सहकारिता की दृष्टि से अल्प/अल्पतम विकसित राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र								
1	आंध्र प्रदेश	प्रसंस्करण					2	2	0.02
2	अरुणाचल प्रदेश	प्रसंस्करण					1	1	0.51
3	उत्तराखंड	प्रसंस्करण					2	2	0.48
4	ओडिशा	प्रसंस्करण					2	2	0.11
5	असम	प्रसंस्करण					1	1	0.10
6	बिहार	प्रसंस्करण					1	1	0.00
7	हिमाचल प्रदेश	प्रसंस्करण					12	12	2.81
8	मणिपुर	प्रसंस्करण					1	1	0.39
9	नागालैण्ड	प्रसंस्करण					2	2	1.13
10	राजस्थान	प्रसंस्करण					2	2	0.06
11	पश्चिम बंगाल	प्रसंस्करण					3	3	0.39
12	मिजोरम	प्रसंस्करण					1	1	0.14
13	उत्तर प्रदेश	प्रसंस्करण	2	2	0.21	0.05	2	0	0.05
14	मध्य प्रदेश	प्रसंस्करण	1	1	0.27	0.07	3	2	0.14
		उप योग (क)	**3**	**3**	**0.48**	**0.12**	**35**	**32**	**6.33**
ख.	सहकारिता की दृष्टि से विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र								
1	केरल	प्रसंस्करण					12*	12	12.44
2	महाराष्ट्र	प्रसंस्करण					21	11	39.86
3	पंजाब	प्रसंस्करण					1	1	0.33
4	तमिल नाडु	प्रसंस्करण					5	5	0.39
5	कर्नाटक	प्रसंस्करण					3	3	0.20
6	दिल्ली	प्रसंस्करण					1	1	0.21
7	गुजरात	प्रसंस्करण					2	2	1.31
8	हरियाणा	प्रसंस्करण	1	1	0.10		5	4	0.33
		उप योग (ख)	**1**	**1**	**0.10**	**0.00**	**50**	**39**	**55.07**
		योग (क+ख)	**4**	**4**	**0.58**	**0.12**	**85**	**71**	**61.40**

** 2 इकाई क्षेत्रीय कार्यालय, तिरुअनंतपुरम् में अस्वीकृत की गई ।*

अध्याय–8

भंडारण एवं शीत श्रृंखला

सहकारी भंडारण

8.1 रा.स.वि.नि. अपने स्थापना वर्ष 1962–63 से सहकारी क्षेत्र में विभिन्न स्तरों पर वैज्ञानिक भंडारण सुविधाएं सृजित करने में सहायता प्रदान करने हेतु सुनियोजित एवं सतत प्रयास करता रहा है। इन ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप, रा.स.वि.नि. से सहायता प्राप्त सहकारिताओं के स्वामित्व वाली भंडारण क्षमता वर्ष 1962–63 में लगभग 11 लाख मैट्रिक टन से बढ़कर दिनांक 31.03.2024 तक 165.85 लाख मैट्रिक टन हो गई है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत गोदामों के निर्माण, गोदामों की मरम्मत एवं नवीनीकरण एवं अंतर्राष्ट्रीय सहायियत अवयव समेत अस्वीकृत कार्यक्रमों से संबंधित वसूल सहायता के अंतर्गत व्यवसाय संवर्धन हेतु मार्जिन मनी सहायता के संबंध में कुल मिलाकर 1119.77 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त की गई है। सृजित भण्डारण क्षमता एवं संचयी संवितरण का राज्यवार विवरण तालिका–1 में दिया गया है।

8.1.1 रा.स.वि.नि. ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान विभिन्न स्कीमों अर्थात केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक विपणन योजना (सीएसआईएसएएम) की उपयोजना कृषि विपणन अवसंरचना (भंडारण संरचना), पूर्ववर्ती केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम (सीएसआईएसएसी) के अंतर्गत 82.78 करोड़ रुपये की कुल ब्लॉक लागत पर 39675 मैट्रिक टन क्षमता के 217 गोदामों के निर्माण हेतु कार्यक्रम की अनुमति दी, जिसमें रा.स.वि.नि. के 64.42 करोड़ रुपये के सहायतांश में 51.65 करोड़ रुपये ऋण के रूप में तथा 12.77 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में सम्मिलित हैं। वर्ष 2023–24 हेतु योजनावार विवरण एवं कार्यनिष्पादन तालिका–2 तथा तालिका–3 में दिया गया है।

सहकारी शीत श्रृंखला

8.2 रा.स.वि.नि. ने अपना संपूर्ण ध्यान जल्दी खराब होने वाली वस्तुओं को बाजार में लम्बे समय तक विपणन के लिए बनाये रखने हेतु किसानों की उपज में मूल्यवर्धन लाने पर केन्द्रित किया है । इसलिए देश में शीत श्रृंखला सुविधाओं के बृहत नेटवर्क की तत्काल आवश्यकता है। रा.स.वि.नि. द्वारा सहायता प्राप्त शीत श्रृंखला के घटकों में व्यापक रूप से – (i) एकीकृत पैक हाउस (ii) रीफर परिवहन वाहन (iii) शीत भंडारण (थोक–फार्म गेट के नजदीक) (iv) शीत भंडारण (हब– बाजार के नजदीक) एवं (v) पकने वाली इकाइयाँ इत्यादि। रा.स.वि.नि. ऋण विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध सहायता अनुदान के साथ प्रदान किया जाता है जो कि (i) एकीकृत बागवानी विकास मिशन स्कीम/राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड/राष्ट्रीय बागवानी मिशन, (ii) खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की स्कीम (एमओएफपीआई) तथा (iii) मात्स्यिकी, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय (पीएमएमएसवाई) की स्कीम के माध्यम से होगा।

8.2.1 दिनांक 31.03.2024 तक 9.69 लाख मैट्रिक टन क्षमता वाली 319 शीत भंडारण परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं। इसके सापेक्ष, रा.स.वि.नि. से सहायता प्राप्त कुल 9.36 लाख मैट्रिक टन क्षमता वाली 307 सहकारी शीत भंडारण परियोजनाएं पूर्ण/संस्थापित कर ली गई हैं। दिनांक 31.03.2024 तक सहकारी शीत भंडारों तथा विमुक्त वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण तालिका–4 में दर्शाया गया है।

8.2.2 दिनांक 31.03.2024 तक, उत्तराखण्ड, मणिपुर एवं बिहार राज्यों में 3 शीत श्रृंखला परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं और लाभार्थी समितियों को 20.28 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त की गई है। दिनांक 31.03.2024 तक स्वीकृत तथा विमुक्त शीत श्रृंखला अवसंरचना वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण तालिका–5 में दिया गया है। रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2024 तक देश भर में सहकारी शीत भंडारणों तथा शीत श्रृंखला के संवर्धन एवं विकास हेतु संचयी रुप में 231.61 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की है।

तालिका–1

दिनांक 31.03.2024 तक स्वीकृत एवं पूर्ण की गई भंडारण क्षमता का राज्यवार विवरण

(क्षमता मैट्रिक टनों में, रुपये करोड़ में)

राज्य/संघ राज्य/संस्थान	स्वीकृत इकाइयों की संख्या			निरस्त इकाइयों की संख्या			पूर्ण इकाइयों की संख्या				संचयी संवितरण
	ग्रामीण	विपणन	क्षमता	ग्रामीण	विपणन	क्षमता	ग्रामीण	विपणन	योग	क्षमता	
(क) सहकारी रूप से अल्पतम विकसित राज्य											
अरुणाचल प्रदेश	5	14	5848	0	6	2500	5	7	12	3250	0.31
असम	1053	287	367510	283	22	67960	770	265	1035	299550	12.24
बिहार	2974	579	650550	519	83	92950	2455	496	2951	557600	51.39
झारखंड	539	32	68292	202	0	21000	139	4	143	14292	0.77
जम्मू एवं कश्मीर	170	72	39600	37	27	16400	133	45	178	23200	0.43
मणिपुर	241	22	38283	83	4	11750	158	18	176	26130	0.85
मेघालय	108	74	45750	18	15	10250	90	59	149	35500	1.51
मिजोरम	129	11	15989	2	1	250	124	10	134	15336	7.28
नागालैण्ड	154	14	18300	38	0	1900	116	14	130	16400	2.66
त्रिपुरा	249	24	31835	63	5	7650	186	19	205	24185	10.26
अन्य संघ राज्य क्षेत्र	11	17	25450	11	12	14550	0	5	5	10900	0.70
योग (क)	**5633**	**1146**	**1307407**	**1256**	**175**	**247160**	**4176**	**942**	**5118**	**1026343**	**88.40**
(ख) सहकारी रूप से अल्प विकसित राज्य											
आंध्र प्रदेश	4278	1018	818974	265	119	90670	4013	899	4912	728304	52.43
छत्तीसगढ़	81	132	464550	0	11	112672	80	121	201	351550	35.95
हिमाचल प्रदेश	1739	222	215265	95	12	9450	1644	210	1854	205815	18.31
मध्य प्रदेश	6632	1223	1786666	1182	105	285362	5500	1125	6625	1535054	124.39
ओडिशा	2286	679	548680	335	84	61900	1951	595	2546	486780	19.70
राजस्थान	5164	477	673240	360	80	93450	4795	396	5191	576170	51.40
तेलंगाना	11	7	27657	0	0	0	5	7	12	21465	8.41
उत्तर प्रदेश	9554	901	2368930	261	95	248740	9302	798	10100	2113690	135.39
उत्तराखंड	60	43	88800	0	1	0	60	42	102	88800	5.21
पश्चिम बंगाल	3688	612	631860	851	139	146500	2837	473	3310	485360	31.75
योग (ख)	**33493**	**5314**	**7624622**	**3349**	**646**	**1048744**	**30187**	**4666**	**34853**	**6592988**	**482.94**

राज्य/संघ राज्य/ संस्थान	स्वीकृत इकाइयों की संख्या			निरस्त इकाइयों की संख्या			पूर्ण इकाइयों की संख्या				संचयी संवितरण
	ग्रामीण	विपणन	क्षमता	ग्रामीण	विपणन	क्षमता	ग्रामीण	विपणन	योग	क्षमता	
(ग) सहकारी रूप से विकसित राज्य											
दिल्ली	0	1	1000	0	1	1000	0	0	0	0	0
गुजरात	1996	539	896640	129	54	82234	1873	456	2329	744179	99.83
हरियाणा	1592	511	1374734	135	18	49607	1490	457	1947	1315789	146.16
कर्नाटक	5948	1094	1353349	722	114	142037	5232	967	6199	1199967	93.56
केरल	2422	170	397384	262	25	31909	2142	145	2287	362025	34.42
महाराष्ट्र	4488	1794	2616272	626	260	285132	3864	1528	5392	2323090	103.79
पंजाब	4647	875	2182301	760	45	194611	3887	830	4717	1987690	44.37
तमिलनाडु	4807	606	1068248	48	195	84520	4759	411	5170	983728	21.24
नैफेड	0	13	55300	0	4	15100	0	9	9	40200	3.64
एनसीसीएफ	0	1	10000	0	0	0	0	1	1	10000	1.41
पुडुचेरी	0	1	4000	0	1	4000	0	0	0	0	0
योग (ग)	**25900**	**5605**	**9959228**	**2682**	**717**	**890150**	**23247**	**4804**	**28051**	**8966668**	**548.42**
कुल योग (क+ख+ग)	**65026**	**12065**	**18891257**	**7287**	**1538**	**2186054**	**57610**	**10412**	**68022**	**16585999**	**1119.77**

*उत्तर प्रदेश के संचयी संवितरण में आईएफएफडीसी सम्मिलित है ।

तालिका – 2

वित्तीय वर्ष 2023–24 में भंडारण परियोजनाओं हेतु स्वीकृत एवं संवितरित सहायता

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2023–24 में स्वीकृतियों की संख्या	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत इकाईयों की संख्या	राशि (करोड़ रुपये में)	
				वर्ष 2023–24 में स्वीकृत	वर्ष 2023–24 में संवितरित
(क)	सहकारिता की दृष्टि से अल्पतम विकसित राज्य				
1	झारखण्ड	1	200	56.19	0.00
2	मिजोरम	0	0	0.00	0.15
	योग (क)	**1**	**200**	**56.19**	**0.15**
(ख)	सहकारिता की दृष्टि से अल्प विकसित राज्य				
1	राजस्थान	4	4	1.02	0.32
2	मध्य प्रदेश	2	1	0.30	0.94
3	तेलंगाना	1	2	0.16	0.79
4	उत्तर प्रदेश	0	0	0.00	1.45
	योग (ख)	**7**	**7**	**1.48**	**3.50**
(ग)	सहकारिता की दृष्टि से विकसित राज्य				
1	गुजरात	2	8	5.34	2.48
2	कर्नाटक	2	2	1.41	1.26
	योग (ग)	**4**	**10**	**6.75**	**3.74**
(घ)	**संस्थान**				
1	आईएफएफडीसी	0	0	0.00	**0.69**
	उपयोग (घ)				
	कुल योग (क+ख+ग+घ)	**12**	**217**	**64.42**	**8.08**

तालिका–3

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान स्वीकृत भंडारण कार्यक्रम तथा संवितरित वित्तीय सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये मे)

राज्य/संस्थान	स्वीकृत इकाइयों की संख्या			स्वीकृत क्षमता (मै.ट.)			अनुमोदित ब्लॉक लागत	स्वीकृत राशि			विमुक्त राशि		
	ग्रामीण	विप.	योग	ग्रामीण	विप.	योग		ऋण	सब्सिडी	योग	ऋण	सब्सिडी	योग
1. गोदामों का निर्माण													
क. कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) –आईएसएएम की उपयोजना/कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ)													
गुजरात.	0	3	3	0	10017	10017	7.83	3.91	0.75	4.66	1.96	0.23	2.19
कर्नाटक	2	0	2	280	0	280	1.97	1.10	0.31	1.41	0.00	0.00	0.00
झारखंड	200	0	200	20000	0	20000	70.23	44.88	11.32	56.19	0.00	0.00	0.00
मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.15
राजस्थान	3	1	4	1495	983	2478	1.29	0.77	0.25	1.02	0.18	0.01	0.19
मध्य प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.71	0.23	0.94
तेलंगाना	2	0	2	375	0	375	0.25	0.13	0.03	0.16	0.65	0.14	0.79
उत्तर प्रदेश	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.30	0.15	1.45
आईएफएफडीसी	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.19	0.69
उप–योग (क)	**207**	**4**	**211**	**22150**	**11000**	**33150**	**81.57**	**50.79**	**12.66**	**63.44**	**5.45**	**0.95**	**6.40**
ख. निगम प्रायोजित स्कीम													
राजस्थान	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.00	0.14
कर्नाटक	0	0	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	1.26	0.00	1.26
मध्य प्रदेश	1	0	1	500	0	500	0.30	0.30	0.00	0.30	0.00	0.00	0.00
उप–योग (ख)	**1**	**0**	**1**	**500**	**0**	**500**	**0.30**	**0.30**	**0.00**	**0.30**	**1.40**	**0.00**	**1.40**
ग. बीज उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सहायता पर केन्द्रीय क्षेत्रक योजना – शून्य													
घ. केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता योजना (सीएसआईएसएसी) – शून्य													
योग (क+ख+ग+घ)	**208**	**4**	**212**	**22650**	**11000**	**33150**	**81.87**	**51.09**	**12.66**	**63.74**	**6.85**	**0.95**	**7.80**
2. गोदामों का नवीकरण													
(क) कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई) –आईएसएएम की उपयोजना													
गुजरात	0	5	5	0	6025	6025	0.91	0.57	0.11	0.68	0.28	0.00	0.28
योग	**0**	**5**	**5**	**0**	**6025**	**6025**	**0.91**	**0.57**	**0.11**	**0.68**	**0.28**	**0.00**	**0.28**
कुलयोग (1+2) (गोदामों का निर्माण एवं नवीकरण)	**208**	**9**	**217**	**22650**	**17025**	**39675**	**82.78**	**51.66**	**12.77**	**64.42**	**7.13**	**0.95**	**8.08**

तालिका–4

दिनांक 31.03.2024 तक रा.स.वि.नि. द्वारा शीत भंडारों तथा संवितरित वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपये मे)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य/ संस्थान	स्वीकृत		संस्थापित		संवितरित सहायता
		संख्या	क्षमता (टन में)	संख्या	क्षमता (टन में)	
1	आंध्र प्रदेश	2 (1)	6000 + 5000	1	1000	3.96
2	असम	1	1000	1	1000	0.06
3	बिहार	20 (4)	59850 + 12000	20 (4)	59850 +12000	36.19
4	गुजरात	4 (1)	5200 + 1800	4 (1)	5200+1800	4.10
5	हरियाणा	4	12000	4	12000	2.20
6	हिमाचल प्रदेश	2	1080	2	1080	0.60
7	जम्मू एवं कश्मीर	3	3400	3	3400	0.14
8	झारखंड	1	5000	-		1.00
9	मध्य प्रदेश	24 (9)	90400 + 22250	24 (9)	90400+22250	25.59
10	कर्नाटक	5	7800	5	7800	2.71
11	महाराष्ट्र	4	7000	3	4000	4.43
12	नागालैण्ड	1	1000	1	1000	0.17
13	ओडिशा	21 (3)	36170 + 4000	21 (3)	36170+4000	7.14
14	पंजाब	16 (1)	22300 + 2000	16 (1)	22300+2000	0.44
15	राजस्थान	3	6000	3	6000	0.27
16	तमिलनाडु	2	3750	2	3750	1.20
17	त्रिपुरा	1 (1)	2000 + 3000	1 (1)	2000 + 3000	2.38
18	उत्तर प्रदेश	97 (1)	282660 + 2000	96 (1)	282630 + 2000	30.15
19	पश्चिम बंगाल	68 (17)	271625 + 90200	62 (16)	265050 + 80800	88.51
20	चंडीगढ	1	1000	1	1000	0.00
21	नैफेड, नई दिल्ली	1	2500	1	2500	0.07
22	एनपीसी अध्ययन	-	-	-	-	0.02
योग		**281 (38) = 319**	**827735 + 142250 = 969985**	**271 (36) =307**	**808130 + 127850 =935980**	**211.33**

नोटः ( ) शीत भंडारणों की संख्या जहाँ क्षमता विस्तार किया गया + विस्तारित क्षमता (टनों में)

तालिका–5

रा.स.वि.नि. द्वारा दिनांक 31.03.2024 को शीत श्रृंखला अवसंरचना एवं संवितरित वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण

(कार्यान्वयधीन परियोजनाएँ)

(करोड़ रुपये मे)

क्र. सं.	राज्य	स्वीकृत इकाइयाँ		स्वीकृत क्षमता												कुल संवितरित सहायता
				एकीकृत पैक हाऊस			पूर्व प्रशीतन इकाईयाँ			एकल अवसंरचना			रीफर वाहन			
		लाभार्थी समिति	कुल स्वीकृत इकाइयों की संख्या	संख्या	प्रति इकाई क्षमता (मै०ट०/है०)	कुल (मै०ट०/है०)	संख्या	प्रति इकाई क्षमता (मै०ट०)	कुल (मै०ट०)	संख्या	प्रति इकाई क्षमता (मै०ट०)	कुल (मै०ट०)	संख्या	प्रति इकाई क्षमता (मै०ट०)	कुल (मै०ट०)	
1	बिहार	1	14	2	5	10	3	6	18	1	2500	2500	5	15	75	9.00
							2	10	20	1	1000	1000				
							उप–योग		**38**	उप–योग		**3500**				
2	मणिपुर	7	17	6	1	6	6	6	36	5	100	500	6	4	24	
										6	30	180				
										उप–योग		**680**				
3	उत्तराखंड	401	556	400	2	800	Nil			2	5000	10000	150	4	600	11.28
										2	2000	4000	2	15	30	
												14000		उप–योग	**630**	
	योग	**409**	**587**	**408**	**8**	**816**			**74**			**18180**			**729**	**20.28**

अध्याय–9

सेवा एवं औद्योगिक सहकारिताएं

सेवा सहकारिताएं

9.1 रा.स.वि.नि. ''सेवा सहकारिताओं'' को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है और इस उद्देश्य हेतु निम्नलिखित क्षेत्रों में वित्त पोषण की पहलें की गईं:–

क. ग्रामीण क्षेत्रों में किए जाने वाले जल संरक्षण कार्य/सेवाएं, सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई;

ख. पशु देखभाल/स्वास्थ्य, बीमारी की रोकथाम;

ग. कृषि बीमा एवं कृषि ऋण; तथा

घ. ग्रामीण स्वच्छता/जल निकासी/मल जल व्ययन प्रणालियां।

9.1.1 अधिसूचित सेवाओं की सूची में विस्तार कर (क) पर्यटन (ख) आतिथ्य (ग) परिवहन (घ) नवीन, गैर पारम्पारिक एवं अक्षय ऊर्जा स्रोतों द्वारा ऊर्जा का उत्पादन एवं वितरण तथा (ड.) ग्रामीण आवास (च) अस्पताल (छ) स्वास्थ्य देखभाल एवं (ज) शिक्षा सहकारिताएं सम्मिलित की गई हैं । श्रम सहकारिताओं से संबंधित सेवाओं को भी अधिसूचित सेवाओं की सूची में शामिल किया गया है।

9.1.2 रा.स.वि.नि. ने भारतीय चिकित्सा प्रणाली, एलोपैथी, होम्योपैथी आदि को सम्मिलित करते हुए स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी ढांचे के निर्माण और स्वास्थ्य संबंधी शिक्षा एवं स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए सहकारिताओं की सहायता हेतु ''आयुष्मान सहकार'' योजना शुरु की है। इस योजना में योग कल्याण केंद्रों, बुजुर्गों की देखभाल सेवाओं सहित उपशामक देखभाल, टेलीमेडिसिन और दूरस्थ चिकित्सा सहायता प्रक्रियाओं, डिजिटल स्वास्थ्य से संबंधित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी सम्मिलित है। प्रोत्साहन के रुप में, रा.स.वि.नि. उधारकर्ता सहकारिताओं की परियोजना गतिविधियों के लिए आवधिक ऋण पर लागू ब्याज दर से 1% कम ब्याज दर प्रदान करेगा, जहां पुनर्भुगतान के मामले में ऋण की वसूली यथासमय की जाए एवं ऋण की संपूर्ण अवधि में महिला सदस्यों की संख्या अधिक हैं ।

9.1.3 रा.स.वि.नि. द्वारा सेवा सहकारिताओं को निम्नलिखित कार्यकलापों हेतु सहायता दी जाती है:

क. अवसंरचनात्मक सुविधाओं का सृजन, आधुनिकीकरण, विस्तारण, मरम्मत, नवीनीकरण आदि;

ख. मार्जिन मनी सहायता;

ग. कार्यशील पूंजी सहायता;

घ वर्तमान सेवा सहकारी इकाइयों का विस्तारण/आधुनिकीकरण/नवीनीकरण; तथा

ङ. कृषि क्लीनिकों/शोरूमों/सेवा परिसरों की स्थापना/निर्माण।

रा.स.वि.नि सहायता

9.1.4 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने 4 सहकारी समितियों को अवसंरचना सुविधाओं के सृजन हेतु 1.77 करोड़ रुपये स्वीकृत किए तथा 5.69 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की है। दिनांक 31.03.2024 तक संचयी रूप में, रा.स.वि.नि. ने 378.51 करोड़ रुपये विमुक्त किए हैं। जिसका विवरण तालिका–1 में दिया गया है।

कृषिक ऋण सहकारिताएं :

9.1.5 रा.स.वि.नि. द्वारा वित्तपोषित कृषि ऋण सहकारिताएं निम्न प्रकार से हैं :–

क. प्राथमिक कृषि ऋण सहकारिताएंय

ख. प्राथमिक सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंकय

ग. जिला केन्द्रीय सहकारी बैंकय

घ. राज्य सहकारी बैंकय तथा

ड. राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक।

9.1.6 कृषि ऋण सहकारिताओं को निम्न योजनाओं हेतु सहायता दी जाती है:

क. अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण/मार्जिन मनी सहायता;

ख. रा.स.वि.नि. के वित्तपोषण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कृषि ऋण सहकारिताओं को अल्पावधिक ऋण प्रदान करना जिसकी अवधि दो वर्ष से अधिक न हो /कार्यकलापों हेतु अग्रिम/वस्तुओं/सेवाओं के लिए अल्पावधिक ऋण;

ग. रा.स.वि.नि. के वित्त पोषण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत कार्यकलापों/सेवाओं/वस्तुओं हेतु दीर्घकालिक ऋणों (5 वर्षों तक) के उधार हेतु,

घ. रा.स.वि.नि. के वित्तपोषण के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत ऋण संवितरण हेतु महिला ऋण सहकारिताओं को कार्यशील पूंजी ऋण प्रदान करना जिसकी अवधि तीन वर्ष से अधिक न हो/कार्यकलापों हेतु अग्रिम/वस्तुओं/सेवाओं हेतु ऋणय तथा

ड. कृषि ऋण सहकारिताओं की शाखा/कार्यालय भवनों, बैंकिंग काउंटर, स्ट्रांग रूमों, सुरक्षित जमा वाल्ट्स, वाहनों, फर्नीचर एवं फिक्सचर आदि जैसी संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन, आधुनिकीकरण, विस्तारण, मरम्मत, नवीनीकरण आदि।

रा.स.वि.नि. सहायता

9.1.7 रा.स.वि.नि. ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखण्ड, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश राज्यों में सहकारी बैंक (6), ऋण सहकारी समितियों (18), राज्य स्तरीय महासंघ (1) को 13,250.73 करोड़ रुपये की कार्यशील पूंजी ऋण सहायता स्वीकृत की। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 4995.08 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की । रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2024 तक कृषि ऋण सहकारिताओं हेतु संचयी रूप में 57,587.93 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की। सहायता का विवरण तालिका–1 में दर्शाया गया है ।

श्रम सहकारिताएं

9.2 रा.स.वि.नि., वर्ष 2014–15 से श्रम संविदा/निर्माण, खनन, वन एवं अन्य श्रम साध्य सहकारिताओं जिनमें ग्रामीण कारीगर, शिल्पी, रिक्शा चालक, भूमिहीन ग्रामीण श्रमिक आदि कामगार सम्मिलित हैं, को लाभ पहुंचाने हेतु सहायता प्रदान कर रहा है। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित हेतु सहायता दी जाती है :–

(i) अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण/मार्जिन मनी सहायता

(ii) निर्माण से संबंधित मशीनों एवं उपकरणों/उपकरणों एवं साजो सामान तथा श्रमिक सहकारिताओं से संबंधित लोडिंग/अनलोडिंग/पैकिंग उपकरणों की खरीद

(iii) श्रम सहकारिताओं द्वारा सेवा परिसरों/गोदामों की स्थापना/निर्माणय तथा

(iv) राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तरीय श्रमिक सहकारी संघों द्वारा डेटा बैंक की स्थापना के लिए कम्प्यूटरीकरण, फर्नीचर तथा ढांचागत सुविधाएं।

रा.स.वि.नि. सहायता

9.2.1 रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2024 तक श्रम सहकारिताओं को संचयी रूप में 399.02 करोड़ रूपये की सहायता स्वीकृत तथा 398.51 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई है जिसका विवरण तालिका–1 में दर्शाया गया है।

औद्योगिक सहकारिताएं

9.3 रा.स.वि.नि. वर्ष 2003–04 से औद्योगिक माल के

उत्पादन, प्रसंस्करण, विपणन, भंडारण, आयात और निर्यात हेतु औद्योगिक सहकारिताओं को सहायता प्रदान कर रहा है। स्कीम के अंतर्गत ये सहायता निम्नलिखित कार्यकलापों हेतु दी जाती है :–

(i) औद्योगिक वर्कशेडों की स्थापना /इकाइयों एवं संयंत्र और मशीनरी के उत्पादन/निर्माण/जुड़ाव/औद्योगिक माल प्रसंस्करण, हस्तशिल्प, ग्रामीण शिल्प और अन्य उत्पादों हेतु य

(ii) वर्तमान औद्योगिक सहकारी इकाइयों का विस्तारण/आधुनिकीकरण/नवीनीकरणय

(iii) शोरूमों/वेयरहाउसों/परिवहन वाहनों आदि सहित विपणन संरचनाओं का निर्माणय

(iv) अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण/मार्जिन मनी सहायता तथा व्यवसायिक प्रचालनों हेतु औद्योगिक सहकारिताओं को कार्यशील पूंजी सहायताय तथा

(v) लघु उद्योगों के लिए सहकारी औद्योगिक सम्पदाओं की स्थापना।

रा.स.वि.नि. सहायता

9.3.1 रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2024 तक औद्योगिक सहकारिताओं को संचयी रूप में 11.66 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की, जिसका विवरण तालिका–1 में दर्शाया गया है।

युवा सहकार – सहकारी उद्यम सहयोग नवीन स्कीम

9.4 ''युवा सहकार'' योजना का उद्देश्य नवाचारी तथा/या नए विचारों के साथ नवगठित सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करना है। यह रा.स.वि.नि. द्वारा बनाए गए सहकारी स्टार्ट–अप एवं इनोवेशन फंड से जुड़ा हुआ है। प्रोत्साहन के रूप में, रा.स.वि.नि. समय पर पुर्नभुगतान के मामले में परियोजना गतिविधियों के लिए आवधिक ऋण पर ब्याज की लागू दर से 2: कम प्रदान करेगा। यह पूर्वोत्तर क्षेत्र की सहकारी समितियों, नीति आयोग द्वारा चिन्हित सहकारिताओं का महत्वाकांक्षी जिलों में पंजीकृत और संचालित, 100: महिलाओं/अ.जा./अ.ज.जा./ दिव्यांग सदस्यों वाली सहकारी समितियों के लिए अधिक उदार है। सहकारी समिति, जो एक वर्ष या उससे अधिक समय से चल रही है, के मामले में परियोजना की लागत 3.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। सहकारी समिति, जो तीन महीने से अधिक समय से चल रही हो परन्तु एक वर्ष से कम है, के मामले में परियोजना की लागत 1.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। अपितु, एक बार सहकारी समिति द्वारा अपने संचालन के एक वर्ष पूरा करने के बाद, यह एक वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत सहकारी समिति के लिए स्वीकार्य सहायता हेतु पहले ली गई सहायता को छोडकर, यदि कोई हो, के पात्र हो जाएगी।

रा.स.वि.नि. सहायता

9.4.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने उत्तर प्रदेश (4), जम्मू –कश्मीर (4), मध्य प्रदेश (2), कर्नाटक (1), राजस्थान (1) तथा पश्चिम बंगाल (1) में 13 सहकारितओं को 2.96 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 1.36 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की गई। दिनांक 31.03.2024 तक रा.स.वि.नि. ने युवा सहकार स्कीम के अंतर्गत संचयी रुप में 2.04 करोड़ रुपये की सहायता संवितरित की। स्वीकृत परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। सहायता का विवरण तालिका–1 में दिया गया है।

तालिका–1

दिनांक 31.03.2024 तक सहाय्यित औद्योगिक, श्रम, ऋण एवं सेवा सहकारिताओं का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2023–24 में स्वीकृतियों की संख्या	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत इकाइयों की संख्या	राशि		31.03.2024 को सचयी स्थिति		
				स्वीकृत वर्ष 2023–24	संवितरित वर्ष 2023–24	स्वीकृत इकाईयाँ	पूर्ण इकाईयाँ	संवितरित राशि
(I)	सेवा सहकारिताएं							
(A)	सेवा सहकारिताएं							
1	अरुणाचल प्रदेश					2	2	3.64
2	दिल्ली					1	1	0.003
3	हरियाणा					22	21	137.88
4	हिमाचल प्रदेश					1	1	0.38
5	कर्नाटक					1	1	2.52
6	केरल	2	2	1.44	5.42	164	80	210.87
7	तेलंगाना					1	1	3.22
8	उत्तराखंड					1		0.00
9	पश्चिम बंगाल					1		2.79
10	तमिलनाडु					2	1	16.94
11	नागालैंड					1		0.00
12	उत्तर प्रदेश	1	1	0.27	0.27	1	1	0.27
13	राजस्थान	1	1	0.06	0.00	1		0.00
	उप–योग (क)	**4**	**4**	**1.77**	**5.69**	**199**	**109**	**378.51**
(ख)	**कृषि ऋण सहकारिताएं**							
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह					1	1	20.00
2	आंध्र प्रदेश	2	2	6000.00	3270.00	29	23	12802.53
3	बिहार	1	1	5000.00	800.00	9	7	10000.00
4	गुजरात					11	9	470.88
5	हिमाचल प्रदेश					1	1	300.00
6	कर्नाटक	7	7	452.44	253.07	139	124	634.84
7	केरल	4	4	525.00	265.50	96	73	7274.63
8	मध्य प्रदेश	5	5	400.14	310.06	59	41	6359.01
9	महाराष्ट्र	3	3	71.40	36.40	29	20	158.73
10	ओडिशा					10	7	2908.02
11	राजस्थान	3	3	0.75	60.05	15	10	11347.05
12	तेलंगाना	1	1	1.00	0.00	9	7	1246.00
13	तमिलनाडु					11	11	2060.15
14	उत्तर प्रदेश					17	8	775.50
15	पश्चिम बंगाल					6	5	660.00
16	पंजाब					4	2	570.00
17	अरुणाचल प्रदेश					2	2	0.59
18	मणिपुर					1		0.00
19	झारखण्ड	1	1	800.00	0.00	1		0.00
20	हरियाणा					1	0	0.00
	उप–योग (ख)	**27**	**27**	**13250.73**	**4995.08**	**451**	**351**	**57587.93**

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2023–24 में स्वीकृतियों की संख्या	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत इकाइयों की संख्या	राशि		31.03.2024 को संचयी स्थिति		
				स्वीकृत वर्ष 2023–24	संवितरित वर्ष 2023–24	स्वीकृत इकाईयाँ	पूर्ण इकाईयाँ	संवितरित राशि
(ग)	श्रम सहकारिताएं							
1	दिल्ली					1	1	0.10
2	हिमाचल प्रदेश					1	1	0.23
3	केरल					15	14	398.08
4	तेलंगाना					1	1	0.10
	उप–योग (ग)	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**18**	**17**	**398.51**
	योग (क+ख+ग) (सेवा)	**31**	**31**	**13252.50**	**5000.77**	**668**	**477**	**58364.95**
(II)	**औद्योगिक सहकारिताएं**							
1	अरूणाचल प्रदेश					7	6	7.93
2	हरियाणा					1	1	0.04
3	केरल					11	11	3.04
4	मेघालय					1	1	0.16
5	नागालैंड					2	2	0.49
	योग (औद्योगिक)					**22**	**21**	**11.66**
(III)	**युवा सहकार**							
1	आंध्र प्रदेश					1	1	0.31
2	उत्तराखंड					1		
3	पश्चिम बंगाल	1	1	0.70	0.70	1	1	0.70
4	केरल					1		0.27
5	तेलंगाना					1		
6	उत्तर प्रदेश	2	2	0.21	0.24	4	2	0.25
7	राजस्थान	1	1	0.07	0.04	1		0.04
8	महाराष्ट्र					1		0.00
	योग (युवा सहकार)	**4**	**4**	**0.98**	**0.98**	**12**	**4**	**1.57**
	कुल योग (सेवा+औद्योगिक +युवा सहकार)	**35**	**35**	**13253.48**	**5001.65**	**702**	**502**	**58378.17**

उपर्युक्त परियोजनाओं (III) के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान युवा सहकार के अंतर्गत निम्नलिखित परियोजनाओं को भी स्वीकृति प्रदान की गई तथा संवितरण भी किया गया। (तथा संबंधित प्रभागों के अनुवर्ती / आगामी अध्यायों में सम्मिलित किया गया) : (करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2023–24 के दौरान स्वीकृतियों की संख्या	वर्ष 2023–24 के दौरान स्वीकृत इकाईयों की संख्या	राशि	
				वर्ष 2023–24 के दौरान स्वीकृत	वर्ष 2023–24 के दौरान संवितरित
	युवा सहकार				
1	जम्मू एवं कश्मीर	4	4	1.44	0.00
2	कर्नाटक	1	1	0.22	0.00
3	मध्य प्रदेश	2	2	0.11	0.00
4	उत्तर प्रदेश	2	2	0.21	0.00
5	बिहार	0	0	0.00	0.39
	योग	**9**	**9**	**1.98**	**0.39**

* वित्तीय वर्ष 2022–23 के दौरान बिहार में 0.77 करोड़ रुपये की मात्स्यिकी परियोजना को स्वीकृति प्रदान की गई।

अध्याय–10

कमजोर वर्गों की सहकारिताए

10.1 राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम मात्स्यिकी, कुक्कुटपालन, डेयरी, पशुधन, हथकरघा, कॉयर, जूट, कोशकीटपालन, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, श्रम तथा महिला सहकारिताओं से संबंधित समितियों हेतु विभिन्न प्रकार की परियोजनाओं तथा कमजोर वर्गों के कार्यक्रमों का संवर्धन एवं वित्तपोषण कर रहा है।

मात्स्यिकी

10.2 रा.स.वि.नि., मात्स्यिकी सहकारिताओं को उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, विपणन आदि कार्यकलाप शुरू करने के लिए सहायता प्रदान करता है और इस कार्यक्रम में निम्नलिखित कार्यकलाप सम्मिलित हैं :–

(i) मत्स्य नौका, जालों और इंजनों जैसे प्रचालनात्मक निवेशों की खरीद ।

(ii) विपणन, परिवहन वाहनों, बर्फ संयंत्रों, शीत भंडारों, खुदरा दुकानों, प्रसंस्करण इकाइयों आदि हेतु संरचनात्मक सुविधाओं का सृजन।

(iii) अंतर्देशीय मात्स्यिकी, मत्स्यपालन, बीज फार्मों, हैचरीज आदि का विकास।

(iv) व्यवहार्यता रिपोर्टों को तैयार करना।

(v) एकीकृत मात्स्यिकी विकास परियोजनाएं (समुद्रीय, अंतर्देशीय और खारा जल)।

10.2.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, निगम प्रायोजित योजना के अंतर्गत 60.43 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई थी। प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के अंतर्गत 224 परियोजनाओं हेतु 74.96 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की गई तथा सब्सिडी के रूप में 29.06 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई ।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 231 परियोजनाओं हेतु 135.66 करोड़ रुपये (जिसमें 60.43 करोड़ रुपये ऋण के रूप में तथा 75.23 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में) स्वीकृत की तथा 68.07 करोड़ रुपये (जिसमें 30.15 करोड़ रुपये ऋण के रूप में तथा 37.92 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में) की राशि संवितरित की गई।

एकीकृत मत्स्य विकास परियोजनाएँ

10.2.2 रा.स.वि.नि. ने मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल आदि में दिनांक 31.03.2024 तक कुल 70 एकीकृत मत्स्य विकास परियोजनाएँ स्वीकृत करते हुए (43 समुद्री और 27 अंतर्देशीय मत्स्य पालन परियोजनाएं) सहायता प्रदान की है, जिसमें उत्पादन से उपभोक्ता तक सभी गतिविधियाँ (खेत से थाली तक) फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज के साथ एकीकृत हैं। मुख्य घटक मछली बीज उत्पादन, मछली उत्पादन, मछली पकड़ने के उपकरण, हार्वेस्टिंग तथा विपणन के बुनियादी ढांचे, परिवहन वाहन, शीत भंडारण, शीत श्रृंखला, नवाचारी परियोजनाएं, क्षमता विकास, परियोजना प्रबंधन, विस्तार, कम्प्यूटरीकरण आदि हैं। इन परियोजनाओं में पूर्ण मूल्य श्रृंखला मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास पर जोर दिया जाता है। सभी एकीकृत परियोजनाओं से लाभान्वित होने वाले मछुआरों की कुल संख्या 6 लाख से अधिक होने का अनुमान है।

रा.स.वि.नि., ने दिनांक 31.03.2024 तक इस शीर्ष के अंतर्गत कुल 2741.08 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की है, जिसका विवरण तालिका–1 में दिया गया है।

मात्स्यिकी एवं एक्वाकल्चर अवसंरचना विकास निधि (एफ.आई.डी.एफ.) योजना

10.2.3 भारत सरकार ने मत्स्य पालन क्षेत्र में अवसंरचना परियोजनाओं के वित्तपोषण के लिए 7522.48 करोड़ रुपये के कोष के साथ एक एफ.आई.डी.एफ. योजना शुरु की

गई है। नाबार्ड, रा.स.वि.नि. तथा सभी अनुसूचित बैंक नोडल ऋणदाता एजेंसियों के रूप में काम करते हैं। यह योजना क्षेत्र से संबंधित सभी गतिविधियों को शामिल करती है तथा योजना में स्पष्ट रूप से परिभाषित की गई है। रा.स.वि.नि. सहकारी क्षेत्र में योग्य संस्थाओं (ईई) को राज्य सरकारों/संघ शासित प्रदेशों के माध्यम से या सीधे पात्र सहकारी समितियों और संघ आदि जो अपने वित्तीय नियमों और शर्तों के अनुसार ब्याज की निर्धारित दर के अनुसार एफ.आई.डी.एफ. के अंतर्गत निर्दिष्ट ब्याज सबवेंशन पर सीलिंग और योजना के संचालन दिशानिर्देशों के अनुसार पात्रता मानदंड को भी पूरा करते हैं, को ऋण प्रदान करता है।

10.2.4 एफआईडीएफ योजना के अंतर्गत, रा.स.वि.नि. ने वित्तीय वर्ष 2023–24 में मंदाद एक्वा मत्स्य सहकारी समिति, रायगढ़, महाराष्ट्र को मात्स्यिकी तथा एक्वाकल्वर अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ) तथा निगम प्रायोजित स्कीम के माध्यम से प्रत्यक्ष वित्त पोषण के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में स्वीकृत 1.50 करोड़ रुपये की ब्लॉक लागत पर 0.50 करोड़ रुपये बीज प्रति साइकिल के लघु झींगा उद्योग पालन को स्थापित करने हेतु 0.40 करोड़ रुपये विमुक्त किए हैं ।

प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.)

10.2.5 केंद्रीय बजट वर्ष 2019–20 में पी.एम.एम.एस.वाई. की घोषणा की गई थी तथा इसे मछली उत्पादन और उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, फसलोत्तर बुनियादी ढांचे और प्रबंधन, आधुनिकीकरण, मूल्य श्रृंखला के सुदृढ़ीकरण, सुगमता, मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचा और मछुआरों के कल्याण में गम्भीर अंतराल को सरल करने के उद्देश्य से सृजित किया गया है । पी.एम.एम.एस.वाई. एक छत्रक योजना (अम्ब्रेला स्कीम) है जिसमें दो अलग–अलग अवयव हैं (क) केंद्रीय क्षेत्रक योजना (सीएस) तथा (ख) केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस)। पी.एम.एम.एस.वाई. को कुल अनुमानित निवेश 20050.00 करोड़ रुपये के निवेश के रूप में स्वीकृत किया गया है, जिसमें केंद्रीय अंश 9407.00 करोड़ रुपये तथा राज्य अंश 4880.00 करोड़ रुपये एवं लाभार्थियों का अंशदान 5763.00 करोड़ रुपये है। पी.एम.एम.एस.वाई. को वित्तीय वर्ष 2020–21 से वित्तीय वर्ष 2024–25 तक 5 वर्ष की अवधि के लिए सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्यान्वित किया जाएगा।

मात्स्यिकी विभाग, मात्स्यिकी, पशुधन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने दिनांक 15.10.2020 की अधिसूचना सं. जे–13001/3/2020–एफ वाई के माध्यम से प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा योजना (पीएमएमएसवाई) के लिए राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (रा.स.वि.नि.) को अंतिम क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में अधिसूचित किया है।

मत्स्यिकी विभाग ने दिनांक 17.01.2022 के पत्रांक जे–13001/3/2020–एफ वाई के माध्यम से केंद्रीय क्षेत्रक पीएमएमएसवाई अवयव के अंतर्गत कुल 55.15 करोड़ रुपये की लागत पर रा.स.वि.नि. के पीएमएमएसवाई कार्यात्मक योजना 2021–22 (वर्ष 2020–21 की गतिविधियों को सम्मिलित करके) हेतु प्रशासनिक अनुमोदन के बारे में सूचित किया गया है। दिनांक 31.03.2024 तक रा.स.वि.नि.ने इस शीर्ष के अंतर्गत 36.80 करोड़ रुपये का उपयोग किया है ।

10.2.6 योजना परिचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, जब भी लाभार्थी उन्मुख परियोजनाओं के लिए संस्थागत वित्त का लाभ उठाने का इच्छुक होता है, रा.स.वि.नि. ऋण सहायता प्रदान कर सकता है तथा ऋण गारंटी कवर का यथासंभव विस्तार कर सकता है।

उत्तराखंड मत्स्य पालन क्षेत्र में मेगा परियोजना

10.2.7 रा.स.वि.नि. ने उत्तराखंड राज्य में मत्स्य पालन के एकीकृत विकास के लिए उत्तराखंड सरकार को 148.04 करोड़ रुपये की स्वीकृति की, जिसमें विभिन्न गतिविधियाँ जैसे ट्राउट खेती, ट्राउट हैचरी, आंतरिक ट्राउट हैचरी, पंगासिंग फार्मिंग, प्रमुख कार्प फार्मिंग, बीट डेवलपमेंट एंड एंगलिंग प्रमोशन तथा प्रदूषण मुक्त ग्राम तालाब, बत्तख हैचरी, एकीकृत खेती, मछली खुदरा दुकानों, बाजार, वन

स्टॉप एक्वा दुकान और सूचना सेवाओं (ओएएसआईएस), ट्राउट खेती के माध्यम से विपणन विकास, विपणन एवं प्रबंधन महासंघ तथा जिला सहकारी मत्स्य विकास एवं विपणन महासंघ के माध्यम से बाजार विकास (हरिद्वार) के लाभ हेतु प्रत्यक्ष रूप से 2441 सदस्यों को लाभान्वित किया गया है। दिनांक 31.03.2024 तक, परियोजना के कार्यान्वयन हेतु 93.75 करोड़ रुपये का संवितरण किया गया है, जिसमें से 26.98 करोड़ रुपये का संवितरण वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान किया गया है।

कुक्कुटपालन

10.3 रा.स.वि.नि. वर्ष 1974–75 से कुक्कुटपालन सहकारिताओं की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं हेतु संरचना सृजन के लिए (स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तारण आदि) सहायता प्रदान कर रहा है । इस क्षेत्र में जिन कार्यकलापों हेतु सहायता दी जाती है, वे इस प्रकार से हैं:–

(i) एकीकृत कुक्कुटपालन परियोजनाएं (लेयर्स एवं ब्रायलर्स);

(ii) कुक्कुटपालन उत्पादों हेतु प्रसंस्करण इकाई तथा वर्तमान प्रसंस्करण सुविधाओं का सुदृढ़ीकरण;

(iii) बैकयार्ड कुक्कुटपालन कृषि हेतु सदस्य कृषकों को पुल्लेट्स बिक्री कुक्कुटपालन इकाइयों/ड्रेसिंग इकाइयों के क्लस्टर की स्थापना;

(iv) समितियों को नवजात चूजे प्रदान करने हेतु इन्क्यूबेटर्स, हैचर्स तथा साजो सामान की खरीद;

(v) कुक्कुटपालन उत्पादों का विपणन (खुदरा आउटलेट);

(vi) पुलेट रियरिंग इकाइयां;

(vii) चारा विनिर्माण संयंत्रों की स्थापना; तथा

(viii) मार्जिन मनी/कार्यशील पूँजी आवश्यकताएं।

10.4 रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2024 तक संचयी रूप में कुक्कुटपालन सहकारिताओं के लिए 117.27 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत तथा 96.38 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की है। निगम द्वारा कुक्कुटपालन परियोजनाओं के संबंध में स्वीकृत तथा संवितरित की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण तालिका–2 में दर्शाया गया है।

डेयरी

10.5 रा.स.वि.नि. वर्ष 1974–75 से डेयरी सहकारिताओं की कार्यशील पूंजी आवश्यकताओं हेतु संरचना सृजन (स्थापना, आधुनिकीकरण, विस्तारण आदि) सहायता प्रदान कर रहा है । इस क्षेत्र में जिन कार्यकलापों हेतु सहायता दी जाती है, परन्तु यहाँ तक सीमित नहीं हैं, वे इस प्रकार से हैं:–

(i) डेयरी प्रयोजन हेतु नस्ल गुणन सह मवेशी प्रवर्तन;

(ii) डीजी सेट स्वचालित दूध एकत्रीकरण संयंत्र (ए.एम.सी.एस.) के साथ बल्क मिल्क कुलरों सहित दूध एकत्रीकरण केंद्रों की स्थापना;

(iii) परिवहन वाहनों की खरीद (इंसुलेटेड टैंकर एवं रेफ्रीजरेटेड वैन);

(iv) दूध परीक्षण उपकरण की खरीद एवं परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना;

(v) दूध प्रशीतन संयत्र, तरल दूध प्रसंस्करण संयंत्र एवं अपशिष्ट उपचार संयंत्र (ईटीपी) तथा भंडारण सुविधाओं के साथ मूल्य संवर्धन, औद्योगिक उत्पाद विनिर्माण उपकरण;

(vi) दुग्ध पालरों, दुग्ध एवं दूध उत्पादों के खुदरा दुकान सहित विपणन अवसंरचना;

(vii) पशुचारा कारखानों की स्थापना ;

(viii) पीईईटी बोतल/पैकेजिंग विनिर्माण इकाई;

(ix) डेयरी सहकारिताओं में मोबाईल पशु चिकित्सा देखभाल, कृत्रिम गर्भाधान एवं चारा विकास कार्यक्रम के लिए तकनीकी निवेश के प्रावधानों के साथ एकीकृत डेयरी परियोजनाओं की स्थापना,

(x) डेयरी हेतु नवीकरणीय ऊर्जा अवसंरचना (सौर एवं बायोगैस संयंत्र), तथा

(xi) मार्जिन मनी एवं कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं।

डेयरी प्रसंस्करण तथा अवसंरवना विकास निधि (डीआईडीएफ) स्कीम

रा.स.वि.नि. पशुपालन एवं डेयरी विभाग, पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन मंत्रालय, भारत सरकार की डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि (डीआईडीएफ) योजना के अंतर्गत नोडल ऋणदात्री संस्थाओं (एनएलई) में से एक है। इस योजना के अंतर्गत डेयरी सहकारी समितियां, दुग्ध संघ, राज्य सहकारी डेयरी संघ और बहु–राज्य डेयरी सहकारी समितियां रा.स.वि.नि. से ऋण प्राप्त करने के लिए पात्र हैं। दिनांक 31.03.2024 तक, रा.स.वि.नि. ने डीआईडीएफ योजना के अंतर्गत 6 परियोजनाओं (तमिलनाडु राज्य की 5 परियोजनाएं और मध्य प्रदेश राज्य की 1 परियोजना) को 295.95 करोड़ रुपये के ऋण के रूप में स्वीकृति दी है और 9.33 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं।

10.5.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान रा.स.वि.नि. ने डेयरी कार्यक्रमों के अंतर्गत डेयरी सहकारिताओं की 1645 इकाइयों को 27.54 करोड़ रुपये स्वीकृत तथा 13.49 करोड़ रुपये संवितरित किये। रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2024 तक संचयी रुप से डेयरी सहकारिताओं को 3502.89 करोड़ रुपये स्वीकृत तथा 1533.84 करोड़ रुपये संवितरित किये हैं। डेयरी परियोजनाओं से संबंधित निगम द्वारा स्वीकृत एवं संवितरित किये गये वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण तालिका–3 पर दर्शाया गया है।

पशुधन

10.6 रा.स.वि.नि. प्राथमिक, जिला तथा राज्य स्तरीय पशुधन सहकारिताओं हेतु निम्नलिखित कार्यकलापों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करता है :–

(i) एकीकृत पशुधन परियोजनाएं,

(ii) प्रजनन (बेहतर नस्ल), मांस, पालन–पोषण, त्वचा, ऊन एवं अन्य उप–उत्पादों के लिए पशुधन की खरीद;

(iii) सॉसेज, नगेट्स, हैम, सलामी, बेकन या किसी अन्य मांस उत्पाद आदि जैसे मांस उत्पादों के निर्माण के लिए मांस प्रसंस्करण सुविधाएं;

(iv) बूचड़खानों की स्थापना;

(v) जीवित पशुओं के लिए परिवहन वाहनों और प्रसंस्कृत उत्पादों के लिए प्रशीतित वैन की खरीद;

(vi) मांस गुणवत्ता परीक्षण और प्रमाणन सुविधाएं;

(vii) चारा निर्माण इकाइयाँ;

(viii) विपणन अवसंरचना (खुदरा दुकानें); तथा

(ix) मार्जिन मनी और कार्यशील पूंजी आवश्यकताएं।

10.6.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान रा.स.वि.नि. ने पशुधन कार्यक्रम हेतु राज्य सरकारों / संघों को 1.98 करोड़ रुपए स्वीकृत किए तथा 287.959 करोड़ रुपए संवितरित किए।

10.6.2 रा.स.वि.नि. ने पशुधन सहकारिताओं को संचयी रुप में दिनांक 31.03.2024 तक 13282.75 करोड़ रुपए स्वीकृत किए तथा 5489.20 करोड़ रुपए संवितरित किए। पशुधन परियोजनाओं के संबंध में स्वीकृत एवं संवितरित की गई वित्तीय सहायता का राज्यवार विवरण तालिका–4 में दर्शाया गया है।

हथकरघा

10.7 हथकरघा सहकारिताओं के विकास की स्कीम के अंतर्गत (क) शीर्ष, क्षेत्रीय तथा प्राथमिक हथकरघा सहकारिताओं के अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण/ मार्जिन मनी सहायता, (ख) पूर्व (प्रि) तथा उत्तर (पोस्ट) लूम प्रसंस्करण सुविधाओं का सृजन, (ग) शोरूमों तथा गोदामों का निर्माण तथा नवीकरण तथा (घ) हथकरघा वर्कशेडों की स्थापना सम्मिलित हैं।

10.7.1 रा.स.वि.नि. ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान ऋण के रूप में 0.75 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत तथा 0.23 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की। रा.स.वि.नि. योजना के प्रारम्भ से 3575 इकाइयों/ परियोजनाओं हेतु 608.82 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत तथा 3572 हथकरघा इकाइयों की पूर्णता होने के साथ 600.91 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त कर चुका है, जिनका विवरण तालिका–5 में दर्शाया गया है।

कॉयर

10.8 रा.स.वि.नि., शीर्ष/क्षेत्र स्तरीय कॉयर सहकारिताओं द्वारा (क) अंशपूंजी आधार/मार्जिनी मनी सहायता का सुदृढ़ीकरण, (ख) प्रसंस्करण सुविधाओं के सृजन, (ग) गोदामों तथा शोरुमों के निर्माण तथा (घ) परिवहन वाहनों की खरीद हेतु कॉयर सहकारिताओं को सहायता प्रदान करती है।

केरल में एकीकृत कॉयर विकास परियोजना

10.8.1 केरल सरकार ने कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में कॉयरफेड के माध्यम से 1000 कॉयर सहकारी समितियों के एकीकृत विकास के लिए सहायता प्राप्त की है। स्वीकृत 200.00 करोड़ रुपये की सहायता में से, राज्य सरकार ने 140.00 करोड़ रुपये की सहायता प्राप्त की है, जिसके परिणामस्वरूप 300 कॉयर सहकारी समितियों द्वारा परियोजनाएं पूरी की गई हैं, जबकि शेष कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं।

10.8.2 इस परियोजना के स्थापना काल से रा.स.वि.नि. ने संचयी रूप में 267.57 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं और 721 इकाइयों के पूरा होने के साथ 207.57 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं। दिनांक 31.03.2024 तक की राज्यवार स्वीकृति तथा संवितरण की स्थिति तालिका–6 में दर्शायी गई है।

जूट

10.9 यह स्कीम (क) जूट मिलों की स्थापना/ विस्तारण/ आधुनिकीकरण तथा (ख) गोदामों तथा शोरुमों के निर्माण समेत जूट सहकारिताओं के विकास हेतु तैयार की गई है। रा.स.वि.नि. ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान जूट सहकारिताओं को 0.05 करोड़ रुपये स्वीकृत तथा संवितरित किये। रा.स.वि.नि. ने संचयी रुप में 185 इकाईयों/ परियोजनाओं के पूर्ण होने तक 48.42 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत तथा संवितरित की। दिनांक 31.03.2024 तक राज्यवार स्वीकृतियों एवं संवितरणों की स्थिति तालिका–7 पर दर्शायी गई है।

अनुसूचित जाति (एससी) की सहकारिताएं

10.10 निगम ने अनुसूचित जाति की सहकारिताओं के आर्थिक उत्थान के लिए विशिष्ट स्कीम तैयार की है। जिन समितियों में 40: से अधिक सदस्य अनुसूचित जातियों के होते हैं, उन्हें रा.स.वि.नि. की सहायता के उद्देश्यार्थ अनुसूचित जाति की सहकारिताएं माना जाता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान रा.स.वि.नि. द्वारा 1.61 करोड़ रुपये की सहायता संवितरित की गई। रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2024 तक संचयी रुप में, 9088 इकाइयाँ स्वीकृत की हैं तथा 323.26 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की है। अनुसूचित जाति की सहकारिताओं को प्रदान की गई सहायता का विवरण तालिका–8 में दर्शाया गया है।

अनुसूचित जनजाति (एसटी) की सहकारिताएं

10.11 अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों की सहकारी संरचना में मुख्यतः प्राथमिक स्तर पर 3621 बृहत आकारीय कृषि बहुद्देशीय सहकारी समितियां (लैम्पस), 12 जनजातीय विकास सहकारी निगम/महासंघ (टीडीसीसीएफ) और राज्य स्तरीय झारखंड राज्य सहकारी लाख विपणन सघं (झास्कोलैम्फ) और राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि0 (ट्राइफेड) सम्मिलित हैं। निगम ने लैम्पस के अंशपूंजी आधार को सुदृढ़ करने हेतु विशिष्ट स्कीम तैयार की है और यह लघुवनोपजों तथा अधिशेष (सर्प्लस) कृषि उत्पादों की खरीद एवं विपणन, उर्वरकों तथा अन्य कृषि निवेशों के वितरण, उपभोक्ता वस्तुओं आदि की बिक्री करने के लिए जनजाति सहकारी विकास निगम (टीडीसीसीएफ) को मार्जिन मनी/

कार्यशील पूंजी प्रदान करता है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान रा.स.वि.नि. ने 68 इकाइयों हेतु जनजातीय सहकारिताओं को 36.41 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत की और 6.36 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की। रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2024 तक संचयी रूप में 8109 इकाइयाँ स्वीकृत की हैं तथा 5278.38 करोड़ रुपये की सहायता संवितरित की है। जनजाति सहकारिताओं को प्रदान की गई सहायता का विवरण तालिका–8 में दर्शाया गया हैं।

श्रम सहकारिताएं

10.12 रा.स.वि.नि., श्रम सहकारिताओं को सहायता प्रदान कर रहा है जिसमें श्रम संविदा/निर्माण/वन खनन तथा ग्रामीण दस्तकारों, शिल्पकारों, रिक्शाचालकों, भूमिहीन श्रमिकों आदि जैसी अन्य श्रम गतिविधियां शामिल हैं। इस स्कीम के अंतर्गत निम्नलिखित कार्यकलाप सम्मिलित हैं :–

(i) अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण/मार्जिन मनी सहायता;

(ii) श्रम सहकारिताओं से संबंधित मशीनों एवं उपकरणों, उपकरणों तथा साजोसामान, लोडिंग/अनलोडिंग/पैकिंग के उपकरणों की खरीद;

(iii) सेवा परिसरों/गोदामों की स्थापना/निर्माण; तथा

(iv) राष्ट्रीय, राज्य तथा जिला स्तर के श्रम सहकारी संघों द्वारा डेटा बैंक स्थापित करने के लिए कम्प्यूटरीकरण, फर्नीचर तथा संरचनात्मक सुविधाएं।

10.12.1 रा.स.वि.नि. ने संचयी रुप में दिनांक 31.03.2024 तक श्रम सहकारिताओं को 399.02 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की तथा 398.51 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की है।

महिला सहकारिताएं

10.13 रा.स.वि.नि. महिलाओं द्वारा गठित सहकारिताओं को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है। निगम ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 7 महिला सहकारिताओं को 1000.69 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की है तथा 711.55 करोड़ रुपये की सहायता संवितरित की है। विवरण निम्न प्रकार से है:–

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान महिला सहकारिताओं को वित्तीय सहायता

(करोड़ रुपये में)

कार्यकलाप	सहाय्यित समितियो की संख्या	महिला समितियों को स्वीकृत सहायता	महिला समितियों को विमुक्त सहायता
डेयरी तथा पशुधन	1	0.08	0.04
सेवा सहकारिता	3	1000.14	710.06
आईसीडीपी	0	0.00	1.14
वस्त्र, जूट एवं बुनकर (बुनाई –युवा सहकार)	2	0.37	0.05
उपभोक्ता	1	0.10	0.00
खाद्यान्न	0	0.00	0.26
योग	**7**	**1000.69**	**711.55**

तालिका–1

दिनांक 31.03.2024 तक मात्स्यिकी सहकारिताओं हेतु सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	कार्यकलाप	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत इकाइयाँ	राशि		दिनांक 31.03.2024 को संचयी स्थिति	
				वर्ष 2023–24 में स्वीकृत	वर्ष 2023–24 में संवितरित	स्वीकृत इकाइयों की संख्या	संवितरित राशि
क.	**केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम (सीएसआईएसएसी)**						
1	असम	मत्स्यपालन	-	-	-	39	0.19
2	आंध्र प्रदेश	आईएफडीपी	-	-	-	637	47.19
3	बिहार	मत्स्यपालन	-	-	-	7	0.02
4	हिमाचल प्रदेश	मत्स्यपालन	-	-	-	15	0.21
5	केरल	आईएफडीपी	-	-	-	6	213.32
6	केरल	टी एंड पी सेल	1	0.26	0.26	1	0.26
7	मध्य प्रदेश	मत्स्यपालन	-	-	-	15	0.01
8	मणिपुर	मत्स्यपालन	-	-	6.32	128	38.10
9	मिजोरम	मत्स्यपालन	-	-	-	4	0.19
10	नागालैंड	मत्स्यपालन	-	-	-	202	7.95
11	ओडिशा	नौका एवं जाल	-	-	-	538	2.79
12	राजस्थान	नौका एवं जाल	-	-	-	95	0.15
13	उत्तर प्रदेश	मत्स्यपालन	-	-	-	4	0.01
14	त्रिपुरा	मत्स्यपालन	-	-	-	60	0.37
15	पश्चिम बंगाल	आईएफडीपी	-	-	-	174	338.64
16	तेलंगाना	आईएफडीपी	-	-	-	5	972.59
17	उत्तराखंड	आईएफडीपी	-	-	26.98	1	93.74
	उपयोग क		**1**	**0.26**	**33.56**	**1931**	**1715.70**
क.1	**संस्थान**						
1	फिशकोपफैड		-	-	-	6	1.07
2	अन्य		-	-	-	3	0.37
	उपयोग क 1		**0**	**0**	**0**	**9**	**1.44**
		योग (क)	**1**	**0.26**	**33.56**	**1940**	**1717.14**
ख	**प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)**						
ख.1	**संस्थान**						
1	केन्द्रीय समुद्री मत्स्यिकी अनु. संधान संस्थान (सीएमएफआ. रआई), कोच्चि	व्यवसाय योजना के रूप में सजावटी मछलियों के संचालन में तकनीकी प्रदर्शन परियोजना	-	-	-	1	0.53
2	(कॉपएक्सिल– कोलकाता एवं मंगलौर)	निर्यात संवर्धन कार्यशाला	-	-	-	2	0.24
	*एन्स रायपुर की स्वीकृति को रद्द किया गया ।						

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	कार्यकलाप	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत इकाइयाँ	राशि		दिनांक 31.03.2024 को संचयी स्थिति	
				वर्ष 2023–24 में स्वीकृत	वर्ष 2023–24 में संवितरित	स्वीकृत इकाइयों की संख्या	संवितरित राशि
ख.2	**संवर्धनात्मक कार्यशाला एवं जागरुकता सह प्रशिक्षण कार्यक्रम**						
1	लिनाक–गुरुग्राम	एफएफपीओ का प्रषिक्षण, संसाधन लागत, प्रशासनिक लागत, स्थापना और लिफिक–प्रशिक्षण	32	2.34	2.34	201.00	5.97
	वित्तीय वर्ष 2022–23 में राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय जागरूकता कार्यकम आयोजित किये गये।						
ख.3	**पीएमएमएसवाई – एक्वेरियम की स्थापना हेतु अनुदान**						
1	आंध्र प्रदेश	एक्वेरियम की स्थापना	-	-	0.0257	1	0.03
2	बिहार	एक्वेरियम की स्थापना	-	-	-	1	0.01
3	छत्तीसगढ़	एक्वेरियम की स्थापना	-	-	-	1	0.01
4	दिल्ली	एक्वेरियम की स्थापना	-	-	-	2	0.04
5	गुजरात	एक्वेरियम की स्थापना	-	-	0.0082	2	0.0182
6	हरियाणा	एक्वेरियम की स्थापना	1	0.005	0.005	2	0.005
7	झारखण्ड	एक्वेरियम की स्थापना	-	-	-	4	0.05
8	कर्नाटक	एक्वेरियम की स्थापना	-	-	-	1	0.01
9	केरल	एक्वेरियम की स्थापना	-	-	-	1	0.01
10	मध्य प्रदेश	एक्वेरियम की स्थापना	-	-	0.0042	1	0.01
11	महाराष्ट्र	एक्वेरियम की स्थापना	-	-	0.0166	6	0.32
12	ओडिशा	एक्वेरियम की स्थापना	-	-	-	1	0.01
13	सिक्किम	एक्वेरियम की स्थापना	-	-	-	1	0.01
14	तमिलनाडु	एक्वेरियम की स्थापना	-	-	-	1	0.00
15	तेलंगाना	एक्वेरियम की स्थापना	-	-	-	2	0.05
16	उत्तराखंड	एक्वेरियम की स्थापना	-	-	-	1	0.26
17	उत्तर प्रदेश	एक्वेरियम की स्थापना	-	-	0.0012	3	0.03
ख.4	**मत्स्य किसान उत्पादक संगठन (एफएफपीओ) जिसमें वैनक्यूबेशन लागत, इक्विटी अनुदान तथा प्रबंधन लागत, स्टार्ट–अप को सहायता, युवा सहकार शामिल है:–**						
1	आंध्र प्रदेश	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ)	10	14.21	7.03	13	7.17
2	असम	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ)	1	0.18	0.08	3	0.12
3	बिहार	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ), स्टार्ट अप को सहायता, युवा सहकार	3	0.48	0.29	8	0.45
4	छत्तीसगढ़*	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ)	-	-	0.02	3	0.02
5	दिल्ली*	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ)	-	-	0.25	2	0.52
6	गुजरात	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ)	8	11.21	3.13	11	3.45
7	हिमाचल प्रदेश	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ)	1	0.18	0.03	2	0.05
8	जम्मू एवं कश्मीर	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ)	2	0.33	0.09	5	0.15
9	झारखण्ड	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ)	2	0.33	0.12	3	0.14
10	कर्नाटक	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ)	6	0.99	0.16	8	0.22
11	केरल	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ)	104	16.33	2.13	105	2.13

क्र. सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	कार्यकलाप	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत इकाइयाँ	राशि		दिनांक 31.03.2024 को संचयी स्थिति	
				वर्ष 2023–24 में स्वीकृत	वर्ष 2023–24 में संवितरित	स्वीकृत इकाइयों की संख्या	संवितरित राशि
12	मध्य प्रदेश	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ), स्टार्ट अप को सहायता, युवा सहकार	4	0.66	0.67	14	1.07
13	महाराष्ट्र	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ), स्टार्ट अप को सहायता, युवा सहकार	10	18.06	8.82	19	9.23
14	मणिपुर	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ)	0	0.00	0.04	4	0.15
15	मिजोरम	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ)	2	0.33	0.07	3	0.09
16	ओडिशा	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ)	11	1.57	0.87	18	1.27
17	तेलंगाना	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ)	4	0.66	0.17	5	0.21
18	त्रिपुरा	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ)	1	0.18	0.14	2	0.16
19	तमिलनाडु	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ), स्टार्ट अप को सहायता, युवा सहकार	3	1.24	0.26	7	0.89
20	उत्तराखण्ड	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ), स्टार्ट अप को सहायता, युवा सहकार	6	1.05	0.39	9	0.50
21	उत्तर प्रदेश	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ)	4	0.66	0.28	5	0.33
22	पश्चिम बंगाल	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ)	4	3.13	1.48	5	1.48
23	दमन एवं दीव	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ)	4	0.66	0.11	4	0.11
24	मेघालय	मत्स्यपालन एफपीओ (एफएफपीओ)	1	0.18	0.03	1	0.03
		उप योग (ख=ख1+ख2+ख3+ख4)	**224**	**74.96**	**29.06**	**494.00**	**37.55**
	*रायपुर और दिल्ली में एफएफपीओ की स्वीकृति रद्द की गई (4.166 लाख रुपये)						
ग	**निगम प्रायोजित योजना**						
1	गोवा	हिमसंयंत्र	-	-	-	3	1.52
2	गुजरात	एफआरपी नावें	1	14.4	-	1104	36.18
3	हरियाणा	मछली पालन	-	-	-	1	0.01
4	कर्नाटक	आईएफडीपी	1	0.22	-	72	15.61
5	केरल	आईएफडीपी	1	32.70	-	42	310.49
6	महाराष्ट्र*	यंत्रीकृत नावें	3	13.11	5.25	3678	584.57
7	तमिलनाडु	आईएफडीपी	-	-	-	3625	35.58
8	दमन एवं दीव	यंत्रीकृत नावें	-	-	-	19	1.81
9	पुडुचेरी	नावें एवं जाल	-	-	-	5	0.03
10	पश्चिम बंगाल	बर्फखाना	-	-	-	1	0.00
11	बिहार	युवा सहकार	-	-	0.19	-	0.19
		उप–योग (ग)	**6**	**60.43**	**5.445**	**8550**	**985.99**
घ	**मत्स्य पालन अवसंरचना विकास निधि (एफआईडीएफ)**						
1	महाराष्ट्र	छोटे पैमाने पर झींगा पालन	-	-	-	1	0.40
		कुल योग (क+ख+ग+घ)	**231**	**135.66**	**68.07**	**10985**	**2741.08**

** 132 भुगतान रद्द परियोजनाओं में से 2 की पुनःस्वीकृति की गई ।*

तालिका–2

वित्तीय वर्ष 2023–24 में कुक्कुटपालन सहकारिताओं को स्वीकृत एवं विमुक्त सहायता

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 2023–24 में स्वीकृतियों की संख्या	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत इकाईयों की संख्या	राशि		दिनांक 31.03.2024 को संचयी स्थिति		
				वर्ष 2023–24 में स्वीकृत	वर्ष 2023–24 में विमुक्ति	स्वीकृत इकाई (संख्या)	पूर्ण इकाई (संख्या)	विमुक्त राशि
क	पूर्ववर्ती केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम							
1	आंध्र प्रदेश				0.00	2		0.09
2	अरुणाचल प्रदेश				0.00	1		1.43
3	असम				0.00	1		0.08
4	बिहार				0.00	1		0.00
5	हिमाचल प्रदेश				0.00	1		0.04
6	जम्मू एवं कश्मीर				0.00	87		21.18
7	झारखंड				0.00	5		14.34
8	मेघालय				0.00	1		0.00
9	मणिपुर				0.00	33		2.36
10	मिजोरम				0.00	1		0.10
11	नागालैंड				0.00	143		8.60
12	उत्तर प्रदेश				0.00	2		0.12
13	पश्चिम बंगाल				0.00	8		1.66
	योग (क)	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**286**		**50.00**
ख	निगम प्रायोजित योजना							
1	गुजरात				0.00	1		1.55
2	हरियाणा				0.00	1		0.05
3	कर्नाटक				0.00	7		0.48
4	केरल				0.00	3		0.12
5	महाराष्ट्र				0.00	78		44.17
6	तमिलनाडु				0.00	1		0.01
	योग (ख)	**0**	**0**	**0**	0.00	**91**		**46.39**
	कुल योग (क+ख)	**0**	**0**	**0**	**0.00**	**377**		**96.38**

तालिका–3

वित्तीय वर्ष 2023–24 में डेयरी सहकारिताओं हेतु की गई स्वीकृतियों तथा विमुक्तियों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2023–24 में स्वीकृतियों की संख्या	वर्ष 2023–24 मे स्वीकृत इकाइयों की संख्या	धनराशि वर्ष 2023–24 में स्वीकृत	धनराशि वर्ष 2023–24 में विमुक्त	दिनांक 31.03.2024 तक संचयी स्थिति: स्वीकृत इकाइयाँ (संख्या)	पूर्ण इकाइयाँ (संख्या)	विमुक्त राशि
(क)	पूर्ववर्ती केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम							
1	आंध्र प्रदेश					6		14.75
2	अरुणाचल प्रदेश					17		0.69
3	असम					1		0.20
4	बिहार					38		324.72
5	गुजरात*	4	1637	23.91	3.19	2630		320.58
6	कर्नाटक					120		44.82
7	मध्य प्रदेश					1		0.00
8	महाराष्ट्र					18		33.46
9	मेघालय					2094		51.36
10	नागालैंड					8		0.58
11	उडिसा	1	5	0.82	0.30	5		0.30
12	पंजाब					1		32.00
13	राजस्थान					7		227.83
14	तेलंगाना					1		0.72
15	उत्तराखंड				10.01	5276		37.22
16	उत्तर प्रदेश					4		8.40
	योग (क)	**5**	**1642**	**24.72**	**13.49**	**10227**		**1097.61**
(ख)	निगम प्रायोजित योजना							
1	गुजरात					4063		330.39
2	कर्नाटक					477		43.83
3	केरल	1	1	2.12		1		0.00
4	महाराष्ट्र					31		35.52
5	ओडिशा					1		2.00
6	पंजाब					7		6.21
7	तमिलनाडु					3		8.94
8	उत्तर प्रदेश					1		0.00
	योग (ख)	**1**	**1**	**2.12**	**0.00**	**4584**		**426.90**
(ग)	दुग्ध प्रसंस्करण एवं संरचना विकास निधि (डीआईडीएफ)							
1	मध्य प्रदेश					1		0.00
2	तमिलनाडु					5		9.33
	योग (ग)	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**6**		**9.33**
घ	युवा सहकार							
1	जम्मू एवं कश्मीर	2	2	0.70		2		0.00
	योग	2	**2**	0.70	0.00	2		0.00
	कुल (डेयरी)	**8**	**1645**	**27.55**	**13.49**	**14819**		**1533.84**

** एएमआई स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजना सम्मिलित ।*

तालिका–4

वित्तीय वर्ष 2023–24 में पशुधन सहकारिताओं हेतु की गई स्वीकृतियों तथा विमुक्तियों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	राज्य / संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2023–24 में स्वीकृतियों की संख्या	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत इकाइयों की संख्या	धनराशि		दिनांक 31.03.2024 तक संचयी स्थिति		
				वर्ष 2023–24 में स्वीकृत	वर्ष 2023–24 में विमुक्त	स्वीकृत इकाइयाँ (संख्या)	पूर्ण इकाइयाँ (संख्या)	विमुक्त राशि
(क)	पूर्ववर्ती केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम							
1	अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह					544		0.00
2	आंध्र प्रदेश					13857		167.17
3	मणिपुर					140		0.00
4	मेघालय					2		57.89
5	मिजोरम					2		0.20
6	नागालैंड					18		1.10
7	तेलंगाना				241.47	613919		4874.56
8	उत्तराखंड				46.45	10019		138.57
9	पश्चिम बंगाल					100000		162.00
	योग (क)	**0**	**0**	**0.00**	**287.92**	**738501**		**5401.48**
(ख)	निगम प्रायोजित योजना							
1	कर्नाटक					20000		87.50
2	केरल	1	2	1.90		3		0.18
3	तेलंगाना					350000		0.00
	योग (ख)	1	**2**	**1.90**	**0.00**	**370003**		**87.68**
ग	राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम)							
1	मध्य प्रदेश	1	1	0.08	0.04	1		0.04
	योग (ग)	1	**1**	**0.08**	**0.04**	**1**		**0.04**
	कुल (पशुधन)	**2**	**3**	**1.98**	**287.96**	**1108505**		**5489.20**

तालिका–5

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान हथकरघा सहकारिताओं को स्वीकृत एवं विमुक्त सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2023–24 में स्वीकृतियों की संख्या	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत इकाईयों की संख्या	राशि		दिनांक 31.03.2024 तक संचयी स्थिति		
				वर्ष 2023–24 में स्वीकृत	वर्ष 2023–24 में विमुक्त	स्वीकृत इकाइयाँ (संख्या)	पूर्ण इकाइयाँ (संख्या)	विमुक्त राशि
I	केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम							
क.	सहकारी रूप से अल्प विकसित राज्य							
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0.00	0.00	556	556	386.05
2	हिमाचल प्रदेश	0	0	0.00	0.00	257	257	12.11
3	मध्य प्रदेश	0	0	0.00	0.00	33	33	0.56
4	ओडिशा	0	0	0.00	0.00	55	55	23.82
5	राजस्थान	0	0	0.00	0.00	32	32	3.41
6	तेलंगाना	0	0	0.00	0.00	38	38	66.04
7	उत्तराखंड	0	0	0.00	0.00	9	9	0.51
8	उत्तर प्रदेश	0	0	0.00	0.00	19	19	0.99
9	पश्चिम बंगाल	0	0	0.00	0.00	257	257	4.36
	योग (क)	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**1256**	**1256**	**497.85**
ख.	सहकारी रूप से अल्पतम विकसित राज्य							
1	असम	0	0	0.00	0.00	183	183	7.49
2	अरुणाचल प्रदेश	0	0	0.00	0.00	3	3	0.39
3	बिहार	0	0	0.00	0.00	1	1	0.05
4	मणिपुर	0	0	0.00	0.00	739	739	4.72
5	मेघालय	0	0	0.00	0.00	51	51	0.51
6	मिजोरम	0	0	0.00	0.00	115	115	7.10
7	नागालैंड	0	0	0.00	0.00	222	222	5.97
8	त्रिपुरा	0	0	0.00	0.00	1	1	0.30
	योग (ख)	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**1315**	**1315**	**26.53**
ग.	सहकारी रूप से विकसित राज्य							
1	तमिलनाडु	0	0	0.00	0.00	2	2	5.58
	योग (क+ख+ग)	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**2573**	**2573**	**529.96**
II	निगम प्रायोजित स्कीम							
1	दिल्ली	0	0	0.00	0.00	2	2	0.26
2	गुजरात	0	0	0.00	0.00	1	1	0.10
3	हरियाणा	0	0	0.00	0.00	6	6	0.29
4	हिमाचल प्रदेश	0	0	0.00	0.00	2	1	10.90
5	कर्नाटक	0	0	0.00	0.00	171	171	3.43
6	केरल	0	0	0.00	0.00	226	226	20.43
7	महाराष्ट्र	0	0	0.00	0.00	111	111	5.86
8	पंजाब	0	0	0.00	0.00	34	34	3.86
9	तमिलनाडु	0	0	0.00	0.00	445	445	16.24
10	मिजोरम	2	2	0.75	0.23	2	0	0.23
11	अन्य (पेट्रोफिल्स)	0	0	0.00	0.00	2	2	9.35
	योग (II)	**2**	**2**	**0.75**	**0.23**	**1002**	**999**	**70.95**
	कुल योग (I+II)	**2**	**2**	**0.75**	**0.23**	**3575**	**3572**	**600.91**

तालिका – 6

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान कॉयर सहकारिताओं को स्वीकृत तथा विमुक्त सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2023–24 में स्वीकृतियों की संख्या	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत इकाईयों की संख्या	राशि		दिनांक 31.03.2024 तक संचयी स्थिति		
				वर्ष 2023–24 में स्वीकृत	वर्ष 2023–24 मे विमुक्त	स्वीकृत इकाइयाँ (संख्या)	पूर्ण इकाइयाँ (संख्या)	विमुक्त राशि
क	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम							
1	ओडिशा	0	0	0.00	0.00	34	34	4.13
ख	निगम प्रायोजित स्कीम							
1	कर्नाटक	0	0	0.00	0.00	27	27	10.65
2	केरल	0	0	0.00	0.00	1333	633	188.78
3	तमिलनाडु	0	0	0.00	0.00	27	27	4.01
	योग (ख)	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**1387**	**687**	**203.44**
	योग (क+ख)	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**1421**	**721**	**207.57**

तालिका – 7

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान जूट सहकारिताओं को स्वीकृत तथा विमुक्त सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वर्ष 2023–24 में स्वीकृतियों की संख्या	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत इकाईयों की संख्या	राशि		दिनांक 31.03.2024 तक संचयी स्थिति		
				वर्ष 2023–24 में स्वीकृत	वर्ष 2023–24 में विमुक्त	स्वीकृत इकाइयाँ (संख्या)	पूर्ण इकाइयाँ (संख्या)	विमुक्त राशि
क	केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम							
1	असम	0	0	0.00	0.00	4	4	44.96
2	बिहार	0	0	0.00	0.00	27	27	0.58
3	मेघालय	0	0	0.00	0.00	5	5	0.28
4	ओडिशा	0	0	0.00	0.00	13	13	0.14
5	त्रिपुरा	0	0	0.00	0.00	21	21	0.27
6	पश्चिम बंगाल	0	0	0.00	0.00	108	108	1.92
	योग (क)	**0**	**0**	**0.00**	**0.00**	**178**	**178**	**48.15**
ख	निगम प्रायोजित स्कीम							
1	आंध्र प्रदेश	0	0	0.00	0.00	6	6	0.22
2	तेलंगाना	1	1	0.05	0.05	1	1	0.05
	योग (ख)	**1**	**1**	**0.05**	**0.05**	**7**	**7**	**0.27**
	कुल योग (क+ख)	**1**	**1**	**0.05**	**0.05**	**185**	**185**	**48.42**

तालिका–8

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान अनु0जाति तथा अनु0जन जा0 सहकारिताओं को स्वीकृत एवं विमुक्त सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क्रम सं.	कार्यकलाप	वर्ष 2023–24 में स्वीकृत इकाइयाँ	राशि		दिनांक 31.03.2024 तक संचयी स्थिति	
			वर्ष 2023–24 में स्वीकृत	वर्ष 2023–24 में विमुक्त	स्वीकृत इकाइयाँ (संख्या)	विमुक्त राशि
I	अनुसूचित जाति की सहकारिताएं					
क	पूर्ववर्ती केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम (सीएसआईएसएसी)					
1	मत्स्यपालन	0	0.00	0.00	171	286.56
2	कुक्कुटपालन	0	0.00	0.00	8	1.66
3	ग्रामीण उपभोक्ता	0	0.00	0.00	4133	5.20
4	भंडारण	0	0.00	0.00	1	0.21
5	आईसीडीपी	0	0.00	1.61	4	21.82
6	हथकरघा	0	0.00	0.00	4	0.38
	योग (क)	0	0.00	1.61	4321	315.83
ख	निगम प्रायोजित स्कीम					
1	औद्योगिक सहकारिताएं	0	0.00	0.00	4	0.16
2	फल एवं सब्जियां	0	0.00	0.00	3	1.17
3	ग्रामीण उपभोक्ता	0	0.00	0.00	4743	6.06
4	विपणन एवं निवेश	1	0.42	0.00	1	0.00
5	लिनाक				10	0.04
6	भंडारण	1	0.30	0.00	1	0.00
	योग (ख)	2	0.72	0.00	4762	7.43
ग	कृषिक विपणन अवसंरचना योजना (एएमआई)					
1	भण्डारण	2	0.56	0.00	5	0.00
	योग (ग)	2	0.56	0.00	5	0.00
	कुल योग (क+ख+ग)–अनु0जा0 सहकारिताए	**4**	**1.28**	**1.61**	**9088**	**323.259**
II	अनुसूचित जनजाति सहकारिताएं					
क	पूर्ववर्ती केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम (सीएसआईएसएसी)*					
1	औद्योगिक सहकारिताएं	0	0.00	0.00	8	8.56
2	सेवा सहकारिताएं	0	0.00	0.00	1	0.35
3	शीत श्रृंखला	0	0.00	0.00	63	61.04
4	प्रसंस्करण (बागानी फसलें)	0	0.00	0.00	13	50.13
5	प्रसंस्करण (तिलहन)	0	0.00	0.00	3	1.09
6	मत्स्यपालन एवं जनजाति विकास	0	0.00	0.00	334	14.31
7	कुक्कुटपालन	0	0.00	0.00	151	21.80
8	डेयरी	0	0.00	0.00	2147	54.05
9	पशुधन	0	0.00	0.00	1117	59.18
10	फल एवं सब्जियां	0	0.00	0.00	9	3.21
11	विपणन एवं निवेश	0	0.00	0.00	586	83.74
12	ग्रामीण उपभोक्ता	0	0.00	0.00	465	4.14
13	आईसीडीपी	0	0.00	2.63	49	430.19
14	भंडारण	0	0.00	0.00	353	22.92
15	एमआईएस	0	0.00	0.00	4	19.98
16	हथकरघा	0	0.00	0.00	16	4.84
	योग (क)	0	0.00	2.63	5319	839.53
ख	निगम प्रायोजित स्कीम					
1	शीत श्रृंखला	0	0.00	0.00	1	1.55
2	भंडारण	0	0.00	0.00	199	35.44
3	ग्रामीण उपभोक्ता	0	0.00	1.31	1248	3.53
4	विपणन एवं निवेश	0	0.00	0.00	1158	4389.46
5	सेवा सहकारिताएं	3	30.04	0.34	9	4.12
6	लिनाक				9	0.03
7	डेयरी	0	0.00	0.00	66	1.61
8	हथकरघा	2	0.75	0.23	2	0.23
9	जनजातीय विकास	1	2.25	1.69	1	1.69
	योग (ख)	6	33.04	3.57	2693	4437.66
ग	कृषि विपणन अवसंरचना योजना (एएमआई)					
1	भंडारण	62	3.37	0.154	97	1.19
	योग (ग)	62	3.37	0.15	97	1.19
	कुल योग(ग)–अनु0जन0जा0सहकारिताएं	**68**	**36.41**	**6.36**	**8109**	**5278.38**

* पूर्ववर्ती केंद्रीय क्षेत्रक पुनर्नियोजित योजना

युवा सहकार के अंर्तगत स्वीकृत

अध्याय–11
उपभोक्ता सहकारिता

11.1 राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता सहकारिताओं की भूमिका न केवल निजी व्यापारियों की अनैतिक व्यापार–वृत्तियों के विरूद्ध उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करने में, बल्कि उन्हें प्रतिस्पर्धात्मक/उचित मूल्यों पर गुणवत्तापरक उपभोक्ता वस्तुएं उपलब्ध कराने में सक्षम बनाने हेतु भी महत्वपूर्ण है । यह सहकारिताएं उचित मूल्यों पर उपभोक्ताओं को उनके घरों तक उपभोक्ता वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कर लाभदायक सेवा प्रदान कर रही हैं तथा आवश्यक वस्तुओं के बाजार मूल्यों पर भी सकारात्मक प्रभाव डाल रही हैं।

रा.स.वि.नि. सहायता

11.2 रा.स.वि.नि. अपने विभिन्न उपभोक्ता कार्यकलापों के अंतर्गत ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण करने हेतु प्राथमिक सहकारिताओं, जिला थोक उपभोक्ता भंडारों और राज्य उपभोक्ता महासंघों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता (i) वर्तमान अवसंरचनात्मक सुविधाओं के विस्तारण/नवीकरण, नई अवसंरचनाओं जैसे शॉपिंग सेंटरों/गोदामों/केरोसीन बंक आदि के निर्माण, (ii) कार्यशील पूंजी जुटाने हेतु मार्जिन मनी प्रदान करने, (iii) फर्नीचर एवं फिक्सचर तथा परिवहन वाहनों की खरीद करने, (iv) कम्प्यूटरीकरण तथा (v) उपभोक्ता उन्मुखी प्रसंस्करण/औद्योगिक कार्यकलापों से संबंधित अवसंरचनाओं के सृजन/विस्तारण/आधुनिकीकरण हेतु प्रदान की जाती है।

11.3 उपभोक्ता सहकारिताओं हेतु जारी स्कीमों के अंतर्गत रा.स.वि.नि. के कार्यनिष्पादन का सारांश निम्न प्रकार से है :–

- रा.स.वि.नि. ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान पूर्ववर्ती केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम के अंतर्गत 2.73 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की (तालिका–1) तथा दिनांक 31.03.2024 तक संचयी रूप में 97.84 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की (तालिका–2)।
- रा.स.वि.नि. ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान निगम प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत 0.61 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत तथा 1.40 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की (तालिका–1) तथा दिनांक 31.03.2024 तक संचयी रूप से 238.95 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की (तालिका–3) गई।

तालिका–1
वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान उपभोक्ता कार्यकलापों हेतु स्वीकृत एवं संवितरित सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम				निगम प्रायोजित स्कीम				योग			
		स्वीकृतिया		संवितरण		स्वीकृतिया		संवितरण		स्वीकृतिया		संवितरण	
		इकाइयो की संख्या	राशि	इकाइयो की संख्या	राशि	इकाइयो की संख्या	राशि	इकाइयो की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि	इकाइयों की संख्या	राशि
1	केरल					1	0.09	1	0.09	1	0.09	1	0.09
2	उत्तराखंड			1	2.73							1	2.73
3	मिजोरम							1	1.31			1	1.31
4	उत्तर प्रदेश					1	0.10			1	0.10		
5	जम्मू एवं कश्मीर					1	0.42			1	0.42		
	योग	**0**	**0.00**	**1**	**2.73**	**3**	**0.61**	**2**	**1.40**	**3**	**0.61**	**3**	**4.13**

तालिका–2

दिनांक 31.03.2024 तक केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम के अंतर्गत उपभोक्ता कार्यकलापों हेतु संवितरण सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त कार्यक्रमों की संख्या			प्रदान की गई कुल सहायता
		समितियां	शाखाएं	योग	
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	1	0	1	1.08
2	आंध्र प्रदेश	1097	46	1143	1.25
3	असम	271	0	271	0.49
4	बिहार	2485	0	2485	1.41
5	छत्तीसगढ़	2	0	2	0.02
6	गोवा	38	0	38	0.02
7	गुजरात	971	22	993	0.78
8	हरियाणा	1380	0	1380	0.54
9	हिमाचल प्रदेश	1669	0	1669	24.76
10	जम्मू एवं कश्मीर	1	0	1	0.00
11	कर्नाटक	3139	2	3141	2.28
12	केरल	1314	4	1318	0.93
13	मध्य प्रदेश	5462	305	5767	7.12
14	महाराष्ट्र	2717	5	2722	2.29
15	मणिपुर	59	0	59	0.06
16	मेघालय	47	0	47	0.10
17	मिजोरम	72	0	72	1.18
18	नागालैंड	22	0	22	0.08
19	ओडिशा	2140	457	2597	3.46
20	पंजाब	2149	0	2149	1.43
21	राजस्थान	3507	76	3583	10.96
22	सिक्किम	56	0	56	0.58
23	तमिलनाडु	4497	7975	12472	10.23
24	तेलंगाना	2	0	2	0.40
25	त्रिपुरा	195	0	195	0.24
26	उत्तर प्रदेश	9007	607	9614	12.10
27	उत्तराखंड	-	0	-	2.82
28	पश्चिम बंगाल	2363	5	2368	11.23
	योग	**44663**	**9504**	**54167**	**97.84**

तालिका–3

दिनांक 31.03.2024 तक निगम प्रायोजित स्कीम के अंतर्गत उपभोक्ता कार्यकलापों हेतु संवितरित सहायता का विवरण

(करोड़ रुपये में)

क. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	सहायता प्राप्त कार्यक्रमों की संख्या				प्रदान की गई सहायता		
		छात्र स्टोर	समितियां	समितियों की शाखाएं	योग	छात्र स्टोर	समितियां और उनकी शाखाएं	योग
1	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	0	0	0	0	0.00	0.30	0.30
2	आंध्र प्रदेश	14	2311	0	2325	0.02	2.98	3.00
3	असम	2	307	0	309	0.00	0.49	0.49
4	बिहार	0	2531	0	2531	0.00	1.55	1.55
5	चंडीगढ़	0	0	0	0	0.00	0.01	0.01
6	छत्तीसगढ़	0	3	0	3	0.00	0.10	0.10
7	दिल्ली	0	17	0	17	0.00	12.25	12.25
8	गोवा	0	13	25	38	0.00	0.05	0.05
9	गुजरात	6	1395	24	1425	0.01	22.50	22.51
10	हरियाणा	0	1039	0	1039	0.00	1.92	1.92
11	हिमाचल प्रदेश	0	1543	0	1543	0.00	2.10	2.10
12	जम्मू एवं कश्मीर	1	471	0	472	0.00	0.34	0.34
13	कर्नाटक	83	3215	0	3298	0.19	8.26	8.45
14	केरल	971	1439	0	2410	1.51	130.78	132.29
15	मध्य प्रदेश	7	5844	201	6052	0.01	10.93	10.94
16	महाराष्ट्र	78	3752	12	3842	0.12	4.00	4.12
17	मणिपुर	0	140	0	140	0.00	0.13	0.13
18	मेघालय	0	45	0	45	0.00	0.09	0.09
19	मिजोरम	0	64	0	64	0.00	2.12	2.12
20	नागालैंड	0	29	0	29	0.00	0.15	0.15
21	ओडिशा	18	2520	362	2900	0.02	4.43	4.45
22	पुडुचेरी	0	0	0	0	0.00	0.01	0.01
23	पंजाब	0	2666	0	2666	0.00	4.20	4.20
24	राजस्थान	14	3956	0	3970	0.03	3.94	3.97
25	सिक्किम	0	55	0	55	0.00	0.14	0.14
26	तमिलनाडु	127	4527	1948	6602	0.19	7.95	8.14
27	त्रिपुरा	0	420	16	436	0.00	0.56	0.56
28	उत्तर प्रदेश	4	9080	223	9307	0.00	10.12	10.12
29	उत्तराखंड	0	14	0	14	0.00	0.47	0.47
30	पश्चिम बंगाल	39	3264	5	3308	0.04	3.94	3.98
	योग	**1364**	**50660**	**2816**	**54840**	**2.14**	**236.81**	**238.95**

अध्याय–12

एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं

12.1 एकीकृत सहकारी विकास परियोजना (आई.सी.डी.पी.) में स्थानीय आवश्यकताओं तथा संसाधनों को ध्यान में रखते हुए एक क्षेत्र आधारित अवधारणा अंतर्निहित है। इस स्कीम का उद्देश्य कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों में सहकारिताओं का विकास करना, सहकारिताओं को बहुद्देशीय संस्थाओं के रूप में परिवर्तित करना तथा सहकारिताओं के बीच समस्तर तथा शीर्ष स्तर होरिजेंटल एंड वर्टिकल कार्यात्मक संपर्कों का विकास करना है, ताकि सहकारिताएं ग्रामीण समुदाय की समग्र आवश्यकताओं को पूरा कर सकें।

12.2 एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत ग्राम स्तरीय सहकारिताओं के अवसंरचनात्मक विकास, जैसे आधुनिक कार्यालय एवं बैंकिंग सुविधाओं की स्थापना, उपभोक्ता दुकानों की स्थापना, वैज्ञानिक भंडारों के निर्माण सहायता प्राप्त सहकारिताओं का व्यवसायिक विकास एवं जनशक्ति विकास आदि पर बल दिया जाता है।

स्वीकृतियां

12.3 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, रा.स.वि.नि. द्वारा सीसैक योजना के बंद हो जाने के कारण किसी भी प्रकार स्वीकृति नहीं की गई।

12.3.1 रा.स.वि.नि. ने संचयी रूप में दिनांक 31.03.2024 तक, 6861.05 करोड़ रुपये की कुल लागत पर 395 परियोजनाएं स्वीकृत की हैं, जिसमें रा.स.वि.नि. की अंशदान 6514.39 करोड़ रुपये है, इसमें ऋण के रूप में 5344.90 करोड़ रुपये एवं सब्सिडी के रूप में 1169.49 करोड़ रुपये सम्मिलित हैं। उपर्युक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2023–24 तक लिनाक में सहकारी समितियों के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए 6.12 करोड़ रुपये और प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन के लिए 0.64 करोड़ रुपये की सब्सिडी सहायता भी स्वीकृत की गई। दिनांक 31.03.2024 तक स्वीकृत आईसीडी परियोजनाओं का विवरण तालिका–1 में दिया गया है।

संवितरणः

12.4 रा.स.वि.नि. ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान 10 राज्यों में 34 एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं हेतु 23.26 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की, जिसमें 2.10 करोड़ रुपये ऋण के रूप में और 21.16 करोड़ रुपये सब्सिडी के रूप में शामिल हैं। इस सब्सिडी में केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम के अंतर्गत 5.46 करोड़ रुपये की राशि परियोजना क्रियान्वयन हेतु, 15.70 करोड़ रुपये की राशि लाभार्थी सहकारी समितियों हेतु प्रयुक्त की गई।

12.4.1 रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2024 तक संचयी रूप में 4,979.78 करोड़ रुपये की राशि विमुक्त की जिसमें 4216.27 करोड़ रुपये की राशि ऋण के रूप में तथा 763.51 करोड़ रुपये की राशि सब्सिडी के रूप में सम्मिलित है। उपर्युक्त के अतिरिक्त लिनाक, गुरूग्राम में सहकारी समितियों के कार्मिकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु संचयी रूप में 6.12 करोड़ रुपये सब्सिडी सहायता प्रयुक्त की गई तथा प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन हेतु 0.64 करोड़ रुपये की सहायता प्रयुक्त की गई।

12.5 कार्यान्वयन हेतु स्वीकृत 395 परियोजनाओं में से 354 परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं 21 परियोजनाएं अस्वीकृत/बीच में समाप्त तथा शेष 20 परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन कुल 395 परियोजनाओं में से 307 परियोजनाएं पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित सहकारिता की दृष्टि से अल्प/अल्पतम विकसित राज्यों में स्वीकृत की गई हैं।

12.6 समीक्षाधीन वर्ष के दौरान राज्यवार स्वीकृत तथा संवितरित सहायता तथा संचयी संवितरणों की स्थिति

तालिका–2 पर दर्शाई गई है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान महिला सशक्तिकरण की दिशा में विभिन्न एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के माध्यम से 10 जिलों में 34 परियोजनाओं की महिला समिति सदस्यों हेतु 1.14 करोड़ रूपये की राशि संवितरित की।

तालिका–1

वित्तीय वर्ष 2023–24 तक स्वीकृत एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाए

क्रमांक	जिले का नाम	स्वीकृति का वर्ष
	अरुणाचल प्रदेश	
1	संपूर्ण राज्य	2000-01
2	अरुणाचल भाग.2	2013-14
	असम	
3	नगांव	1988-89
4	कछार	1999-00
5	हेलाकंडी	1999-00
	आंध्र प्रदेश	
6	पूर्वी गोदावरी	1989-90
7	चित्तूर	1991-92
8	कृष्णा	1993-94
9	कुरनूल	1995-96
10	गुन्टुर	1999-00
11	नेल्लौर	2003-04
12	विशाखापतनम	2003-04
13	पश्चिमी गोदावरी	2005-06
14	अनंतपुर	2005-06
15	श्रीकाकुलम	2005-06
16	कडप्पा	2005-06
17	विजयनगरम	2005-06
18	प्रकाशम	2008-09
19	कुरनूल (फेज.2)	2017-18
20	पूर्वी गोदावरी (फेज.2)	2017-18
21	चित्तूर (फेज.2)	2018-19
	अंडमान निकोबार	
22	दक्षिण, उत्तर व मध्य	2018-19
	तेलंगाना	
23	निजामाबाद	1989-90
24	नालगोंडा	1995-96

क्रमांक	जिले का नाम	स्वीकृति का वर्ष
25	निजामाबाद.पार्ट.2	2000-01
26	मेडक	2003-04
27	वारंगल	2003-04
28	आदिलाबाद	2005-06
29	रंगारेड्डी	2005-06
30	करीमनगर	2005-06
31	मेहबूब नगर	2005-06
32	खम्माम	2008-09
	बिहार	
33	भोजपुर	1987-88
34	रोहताश	1987-88
35	गोपालगंज	1999-00
36	मधुबनी	1999-00
37	सीतामढी	2001-02
38	गया	2001-02
39	भोजपुर (आरा)	2002-03
40	सारण (छपरा)	2002-03
41	सिवान	2002-03
42	कैमूर	2008-09
43	खगड़िया	2009-10
44	शिवहर	2009-10
45	वैशाली	2010-11
46	नालन्दा	2010-11
47	अररिया	2011-12
48	जहानाबाद	2011-12
49	पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	2011-12
50	दरभंगा	2014-15
51	औरंगाबाद	2014-15
52	पूर्णिया	2014-15

क्रमांक	जिले का नाम	स्वीकृति का वर्ष
53	बेगूसराय	2014-15
54	पश्चिमी चंपारण (बेतिया)	2014-15
	छत्तीसगढ	
55	दुर्ग	1987-88
56	बस्तर	1994-95
57	रायपुर	1995-96
58	जसपुर	2001-02
59	रायगढ़	2001-02
60	अम्बिकापुर (सरगुजा)	2002-03
61	राजनंदगांव	2002-03
	गुजरात	
62	पंचमहल	1991-92
63	सुरेन्द्र नगर	1991-92
	हरियाणा	
64	भिवानी	1991-92
65	अंबाला	1994-95
66	गुरूग्राम	1994-95
67	सिरसा	1994-95
68	हिसार	1995-96
69	सोनीपत	2001-02
70	पानीपत	2001-02
71	करनाल	2001-02
72	कुरूक्षेत्र	2001-02
73	कैथल	2001-02
74	रेवाड़ी	2001-02
75	यमुना नगर	2004-05
76	फरीदाबाद	2004-05
77	जीन्द	2005-06
78	महेन्द्रगढ़	2006-07
79	झज्जर	2007-08
80	रोहतक	2007-08
81	भिवानी (चरण.2)	2010-11
82	अम्बाला (चरण.2)	2012-13
83	हिसार (चरण.2)	2012-13
84	सिरसा (चरण.2)	2012-13
85	पंचकूला	2012-13

क्रमांक	जिले का नाम	स्वीकृति का वर्ष
86	फतेहाबाद (चरण.2)	2013-14
87	रेवाड़ी (चरण.2)	2017-18
88	गुरूग्राम (मेवात) (चरण.2)	2020-21
89	कैथल (चरण.2)	2020-21
90	करनाल (चरण.2)	2020-21
91	कुरूक्षेत्र (चरण.2)	2020-21
92	पानीपत (चरण.2)	2020-21
93	सोनीपत (चरण.2)	2020-21
	हिमाचल प्रदेश	
94	बिलासपुर	1986-87
95	सिरमौर	1987-88
96	हमीरपुर	1988-89
97	कांगड़ा	1990-91
98	शिमला	1991-92
99	चम्बा	1996-97
100	कुल्लू	1996-97
101	सोलन	1998-99
102	ऊना	2000-01
103	मंडी	2002-03
104	किन्नौर	2005-06
105	लाहौल स्पिती	2005-06
106	सिरमौर (चरण.2)	2010-11
107	बिलासपुर (चरण.2)	2010-11
108	हमीरपुर (चरण.2)	2010-11
109	कुल्लू (चरण.2)	2013-14
110	कांगड़ा (चरण.2)	2013-14
111	शिमला (चरण.2)	2013-14
112	सोलन (चरण.2)	2017-18
113	मंडी (चरण.2)	2018-19
114	ऊना (चरण.2)	2021-22
	जम्मू एवं कश्मीर	
115	कठुआ	2003-04
116	अनंतनाग	2003-04
117	डोडा	2014-15
118	बारामुल्ला	2014-15
	झारखंड	

क्रमांक	जिले का नाम	स्वीकृति का वर्ष
119	सिहंभूम	1997-98
120	रांची	1997-98
121	देवघर	2002-03
122	दुमका	2002-03
123	हजारीबाग	2002-03
124	गढ़वा	2006-07
125	लातेहर	2006-07
126	गिरीडीह	2006-07
127	लोहरदागा	2007-08
128	गोड्डा	2007-08
129	धनबाद	2007-08
130	पूर्वी सिंहभूम	2007-08
131	साहिबगंज	2008-09
132	चतरा	2008-09
133	पलामू	2008-09
134	कोडरमा	2008-09
135	पाकुर	2008-09
136	जामताड़ा	2008-09
137	बोकारो	2013-14
138	सिमडेगा	2013-14
139	गुगला	2013-14
	कर्नाटक	
140	बेंगलुरू	1987-88
141	चिकमंगलूर	1988-89
142	चित्रदुर्ग	1997-98
143	गुलबर्गा	2005-06
144	बेल्लारी	2011-12
145	बीजापुर	2011-12
	केरल	
146	वायानाड	1987-88
147	पालघाट	1988-89
148	कोट्टायम	1988-89
149	इडुक्की	1993-94
150	पटनमतिट्टा	1993-94
151	थ्रीसूर	1995-96
152	मालाप्पुरम	1998-99

क्रमांक	जिले का नाम	स्वीकृति का वर्ष
153	कासरगोड	1998-99
154	कन्नूर	1998-99
155	इरनाकुलम	2001-02
156	कोजीकोड	2001-02
157	कोल्लम	2001-02
158	एलापुजा	2001-02
159	तिरूअनंतपुरम	2003-04
160	वायनाड (चरण.2)	2008-09
161	इडुक्की (चरण.2)	2013-14
162	पालाक्काड (चरण.2)	2014-15
163	थ्रीसूर (चरण.2)	2015-16
	मध्य प्रदेश	
164	नरसिहंपुर	1994-95
165	रायसेन	1994-95
166	खरगौन	1995-96
167	गुना	1997-98
168	सिधी	1997-98
169	छिंदवाड़ा	1998-99
170	जबलपुर	1999-00
171	भिंड	2000-01
172	रतलाग	2000-01
173	राजगढ़	2001-02
174	झाबुआ	2006-07
175	सिहौर	2006-07
176	ऊज्जैन	2006-07
177	सागर	2006-07
178	विदिशा	2006-07
179	मंदसौर	2006-07
180	बैतूल	2007-08
181	नीमच	2007-08
182	इंदौर	2007-08
183	शहडोल	2007-08
184	अनूपपुर	2007-08
185	उमरिया	2007-08
186	टीकमगढ़	2007-08
187	खंडवा	2007-08

क्रमांक	जिले का नाम	स्वीकृति का वर्ष
188	बुरहानपुर	2007-08
189	रीवा	2011-12
190	बालाघाट	2011-12
191	शाजापुर	2011-12
192	धार	2012-13
193	होशंगाबाद	2012-13
194	शिवपुरी	2012-13
195	सिवनी	2012-13
196	देवास	2012-13
197	भोपाल	2012-13
198	हरदा	2012-13
199	छतरपुर	2013-14
200	ग्वालियर	2013-14
201	मांडला	2015-16
202	मुरैना	2015-16
203	पन्ना	2015-16
204	सतना	2015-16
205	श्योपुर	2015-16
	मणिपुर	
206	बिशनपुर	1986-87
207	थौबाल	1988-89
208	चूड़ाचांदपुर	1990-91
209	उखरूल	2000-01
210	इम्फाल पश्चिमी	2000-01
211	इम्फाल पूर्वी	2000-01
	मेघालय	
212	पूर्वी खासी हिल	1986-87
213	जयन्तिया	1999-00
214	पश्चिमी गारो हिल्स	1999-00
215	पश्चिमी खासी हिल्स	2001-02
216	पूर्वी गारो हिल्स	2001-02
217	रि.भोई	2004-05
218	दक्षिणी गारो हिल्स	2004-05
	मिजोरम	
219	आईजॉल	1993-94
220	छिमतुईपुई	1993-94

क्रमांक	जिले का नाम	स्वीकृति का वर्ष
221	लुंगलेई	1997-98
222	कोलासिब (चरण.2)	2014-15
223	लुंगलेई (चरण.2)	2014-15
224	आईजॉल (चरण.2)	2014-15
225	सरछिप (चरण.2)	2014-15
226	चम्फाई (चरण.2)	2014-15
227	मामित	2021-22
	नागालैंड	
228	कोहिमा	1987-88
229	मोकोकचुंग	1990-91
230	वोखा	1995-96
231	तुएनसांग	2000-01
232	फेक	2000-01
233	जूनहेबोटो	2008-09
234	मोन	2008-09
235	दीमापुर	2008-09
236	परेन	2017-18
237	किफरे	2017-18
238	लोंगलैंग	2017-18
239	तुएनसांग (चरण.2)	2017-18
240	कोहिमा (चरण.2)	2017-18
	ओडिशा	
241	कोरापुट एवं मलकानगिरी	2001-02
242	आंगुल	2010-11
243	धेनकैनाल	2010-11
	पंजाब	
244	फिरोजपुर	1994-95
245	होशियारपुर	1994-95
246	रोपड़	1998-99
247	पटियाला	1999-2000
	राजस्थान	
248	बांसवाड़ा	1993-94
249	जालौर	1993-94
250	सीकर	1993-94
251	अलवर	1998-99
252	सवाईमाधोपुर	1998-99

क्रमांक	जिले का नाम	स्वीकृति का वर्ष
253	टोंक	1998-99
254	झालावाड़	1998-99
255	जोधपुर	2002-03
256	दौसा	2006-07
257	बारन	2006-07
258	हनुमानगढ़	2006-07
259	अजमेर	2006-07
260	जैसलमेर	2006-07
261	बूंदी	2006-07
262	झुन्झुनू	2006-07
263	भीलवाड़ा	2006-07
264	बीकानेर	2008-09
265	बाड़मेर	2008-09
266	डूंगरपुर	2008-09
267	भरतपुर	2008-09
268	कोटा	2008-09
269	सिरोही	2011-12
270	प्रतापगढ़	2011-12
271	चुरू	2011-12
272	पाली	2011-12
273	राजसमंद	2011-12
274	चित्तौड़गढ़	2011-12
275	उदयपुर	2011-12
276	धौलपुर	2011-12
277	नागौर	2011-12
278	श्रीगंगानगर	2011-12
279	जयपुर	2011-12
280	सीकर (चरण.2)	2015-16
281	बांसवाड़ा–(चरण.2)	2015-16
282	जालौर (चरण.2)	2015-16
	सिक्किम	
283	पूर्वी सिक्किम	1992-93
284	दक्षिणी सिक्किम	1992-93
	तमिलनाडु	
285	कामराज नगर	1988-89
286	दक्षिणी आरकोट	1990-91

क्रमांक	जिले का नाम	स्वीकृति का वर्ष
287	कोयम्बटूर	1993-94
288	धर्मपुरी	1994-95
289	तिरूअन्नामलाई	1995-96
290	कांचीपुरम	1998-99
291	रामनाथपुरम	1998-99
292	तिरूवरूर	2000-01
293	तिरूचिरापल्ली	2001-02
294	पेरम्बलूर	2001-02
295	तंजावुर	2001-02
296	थेनी	2004-05
297	टूथूकुडी	2004-05
298	पुड्डुकोटाई	2006-07
299	सेलम	2006-07
300	इरोड	2006-07
301	मदुरई	2006-07
302	शिवगंगई	2009-10
303	दिंडीगुल	2009-10
304	तिरूनेलवेली	2009-10
305	वेल्लौर	2010-11
306	करूर	2010-11
307	नागापट्टिनम	2010-11
308	नीलगिरी	2012-13
309	नामाक्कल	2014-15
310	तिरूवल्लूर	2014-15
311	कन्याकुमारी	2014-15
312	चेन्नई	2016-17
	त्रिपुरा	
313	पश्चिमी त्रिपुरा	1988-89
314	दक्षिणी त्रिपुरा	2008-09
315	उत्तरी त्रिपुरा	2015-16
316	उनाकोटि	2015-16
317	धलाई	2015-16
	उत्तर प्रदेश	
318	जौनपुर	1991-92
319	वाराणसी	1991-92
320	मथुरा	1997-98

क्रमांक	जिले का नाम	स्वीकृति का वर्ष
321	रायबरेली	1997-98
322	गोरखपुर	1997-98
323	रामपुर	1999-00
324	मुजफ्फरनगर	1999-00
325	बागपत	1999-00
326	बुलंदशहर	1999-00
327	मिर्जापुर	2003-04
328	देवरिया	2003-04
329	बिजनौर	2004-05
330	लखीमपुर खीरी	2004-05
331	बाराबंकी	2004-05
332	बदायुं	2005-06
333	सोनभद्र	2005-06
334	फिरोजाबाद	2005-06
335	फर्रुखाबाद	2005-06
336	कन्नौज	2005-06
337	चित्रकूट	2006-07
338	अलीगढ़	2008-09
339	प्रतापगढ़	2008-09
340	गाजीपुर	2008-09
341	फैजाबाद	2010-11
342	मैनपुरी	2010-11
343	मऊ	2010-11
344	बांदा	2013-14
345	मुरादाबाद	2013-14
346	सहारनपुर	2013-14
347	एटा	2013-14
348	बरेली	2013-14
349	बलिया	2013-14
350	कासगंज	2013-14
351	इटावा	2013-14
352	अंबेडकरनगर	2015-16
353	कौशाम्बी	2015-16
354	इलाहाबाद	2015-16
355	जालौन	2015-16
356	हमीरपुर	2015-16
357	महोबा	2015-16
358	मेरठ	2016-17
359	शाहजहांपुर	2016-17

क्रमांक	जिले का नाम	स्वीकृति का वर्ष
360	पीलीभीत	2016-17
361	हाथरस	2016-17
362	झांसी	2016-17
363	अमरोहा	2016-17
364	सोनभद्र (चरण.2)	2018-19
365	आगरा	2020-21
366	हापुड़	2020-21
367	सीतापुर	2020-21
368	उन्नाव	2020-21
	उत्तराखंड	
369	हरिद्वार	1999-00
370	चमोली	2001-02
371	पिथौरागढ़	2002-03
372	देहरादून	2003-04
373	अल्मोड़ा	2003-04
374	टिहरी	2003-04
375	पौढ़ी गढ़वाल	2006-07
376	नैनीताल	2006-07
377	ऊधमसिंह नगर	2009-10
378	रूद्रप्रयाग	2012-13
379	बागेश्वर	2012-13
380	चंपावत	2012-13
381	उत्तरकाशी	2012-13
	पश्चिम बंगाल	
382	नदिया	1985-86
383	हुगली	1992-93
384	बीरभूम	1999-2000
385	कूचविहार	1999-2000
386	हुगली	2000-01
387	पुरूलिया	2002-03
388	उत्तरी 24 परगना	2002-03
389	मालदा	2002-03
390	दक्षिणी 24 परगना	2003-04
391	उत्तरी दिनाजपुर	2009-10
392	पश्चिमी मेदिनीपुर	2009-10
393	बर्दवान	2009-10
394	बांकुरा	2011-12
395	हावड़ा	2011-12

तालिका–2

एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाओं के अंतर्गत स्वीकृत एवं संवितरित सहायता का राज्यवार विवरण

(करोड़ रुपये में)

क. सं0	राज्य / संघ शा. सित क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान				दिनांक 31.03.2024 तक संचयी स्थिति			
		स्वीकृत इकाइयाँ	संवितरण			स्वीकृत इकाइयाँ	संवितरण		
			ऋण	सब्सिडी	योग		ऋण	सब्सिडी	योग
1	आंध्र प्रदेश					16	392.07	50.77	442.84
2	अंडमान एवं निकोबार					1	7.13	0.00	7.13
3	अरुणाचल प्रदेश					2	45.21	17.10	62.31
4	असम					3	7.42	1.77	9.19
5	बिहार		0.00	12.36	12.36	22	341.61	81.80	423.41
6	छत्तीसगढ़					7	22.08	2.85	24.93
7	गुजरात					2	8.29	0.53	8.82
8	हरियाणा		0.00	0.49	0.49	30	280.41	24.62	305.03
9	हिमाचल प्रदेश					21	244.22	64.08	308.30
10	जम्मू एवं कश्मीर					4	7.88	2.38	10.26
11	झारखंड					21	113.81	27.60	141.41
12	कर्नाटक					6	23.28	2.86	26.14
13	केरल		1.08	0.00	1.08	18	270.67	17.58	288.25
14	मध्य प्रदेश		0.00	0.20	0.20	42	490.28	118.86	609.14
15	मणिपुर					6	11.34	3.52	14.86
16	मेघालय					7	19.52	6.53	26.05
17	मिजोरम		1.02	0.42	1.44	9	43.33	16.22	59.55
18	नागालैण्ड		0.00	0.11	0.11	13	84.22	29.69	113.91
19	ओडिशा					3	25.56	5.95	31.51
20	पंजाब					4	14.74	2.44	17.18
21	राजस्थान		0.00	2.52	2.52	35	481.31	109.98	591.29
22	सिक्किम					2	0.97	0.44	1.41
23	तमिलनाडु		0.00	1.42	1.42	28	689.49	56.74	746.23
24	तेलंगाना					10	72.89	13.73	86.62
25	त्रिपुरा		0.00	0.17	0.17	5	29.00	11.36	40.36
26	उत्तर प्रदेश		0.00	3.47	3.47	51	374.63	67.71	442.34
27	उत्तराखंड					13	68.81	20.01	88.82
28	पश्चिम बंगाल					14	46.10	6.39	52.49
	योग	**0**	**2.10**	**21.16**	**23.26**	**395**	**4216.27**	**763.51**	**4979.78**

अध्याय–13

एफपीओ एवं एफएफपीओ के गठन एवं संवर्धन में रा.स.वि.नि. की भूमिका

एफपीओ

13.1 रा.स.वि.नि., जुलाई, 2020 में शुरू की गई केंद्रीय क्षेत्रक योजना, "10,000 किसान उत्पादक संगठनों का गठन एवं संवर्धन" के अंतर्गत एक कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) है। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र के परिवर्तन को उत्प्रेरित करना है, जहां 2 हेक्टेयर से कम औसत खेत/जोत भूमि वाले लघु एवं सीमांत जोत किसानों की आबादी 80: से अधिक है तथा दुखद रूप से भूमि के एक छोटे हिस्से का स्वामित्व है। यह खंड ग्रामीण परिवारों के पांचवें हिस्से से अधिक को चिन्हित करता है, जिसमें कृषि में स्वरोजगार उनके प्रमुख व्यवसाय के रूप में है। योजना के तहत, रा.स.वि.नि. एफपीओ के लिए एक कार्यान्वयन एजेंसी है जो केवल सहकारी समितियों के रूप में इनके गठन एवं संवर्धन करती है और बढ़ावा देती है। योजना के लक्ष्य और उद्देश्य इस प्रकार हैः

- जीवंत एवं सतत आय केंद्रित खेती को सुविधाजनक बनाने तथा कृषि समुदाय के समग्र सामाजिक आर्थिक विकास एवं कल्याण हेतु नए एफपीओ गठन करने के लिए एक समग्र और व्यापक आधारित सहायक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना।

- प्रभावी कुशल लागत और सतत संसाधन उपयोग के माध्यम से उत्पादकता बढ़ाना और उनकी उपज के लिए बेहतर तरलता एवं मार्केट लिंकेज के माध्यम से उच्च लाभ प्राप्त करना ।

- एफपीओ के प्रबंधन, निवेश, उत्पादन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन, मार्केट लिंकेज, क्रेडिट लिंकेज और प्रौद्योगिकी के उपयोग आदि सभी पहलुओं में गठन से 5 वर्षों तक नए एफपीओ को सहायता तथा सहयोग प्रदान करना।

- कृषि उद्यमिता कौशल विकसित करने हेतु सरकार से सहयोग की समयावधि के अतिरिक्त आर्थिक रुप से व्यवहार्य एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु एफपीओ को प्रभावी प्रशिक्षण प्रदान करना।

एफपीओ के संवर्धन में भूमिका

13.2 रा.स.वि.नि. सहकारी विकास वित्तपोषण संस्थान के रुप में, इस योजना के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसी की भूमिका निभाता है । रा.स.वि.नि. उन एफपीओ का गठन एवं संवर्धन करता है, जो सहकारी समिति अधिनियमों के तहत पंजीकृत हैं, जिसमें पारस्परिक सहायता प्राप्त या आत्मनिर्भर सहकारी समिति अधिनियम या किसी भी नाम से जाना जाने वाला या बहुउद्देशीय सहकारी समिति अधिनियम (एमएससीएस अधिनियम) सम्मिलित हैं। रा.स.वि.नि. अपने क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) के माध्यम से एफपीओ का संवर्धन करता है, जो आवंटित ब्लॉक स्तर पर कार्य करते हैं और एफपीओ के गठन और प्रचार के लिए जिम्मेदार होगा। इस योजना की पुस्तिका रा.स.वि.नि. वेबसाइट पर उपलब्ध है और योजना का विवरण संक्षेप में अनुबंध–ट में दर्शाया गया है।

रा.स.वि.नि. हेतु लक्ष्य

13.3 संदर्भित आवंटन वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान रा.स.वि.नि. को 500 एफपीओ के गठन एवं संवर्धन का लक्ष्य आवंटित किया गया है। इसके अलावा कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग के समेकित पोषण प्रबंधन (आईएनएम) प्रभाग से रा.स.वि.नि. को 29 जैविक एफपीओ भी आवंटित किया गया हैं । संदर्भित आवंटन वर्ष 2022–23 के दौरान रा.स.वि.नि. को 234 एफपीओ के गठन एवं संवर्धन हेतु अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किए गए है। संदर्भित आवंटित वर्ष 2023–24 के दौरान, रा.स.वि.नि. को पैक्स के सदस्यों के माध्यम से 1100 एफपीओ के गठन एवं संवर्धन हेतु अतिरिक्त लक्ष्य आवंटित किया गया है।

157568 किसान सदस्यों सहित कुल 1863 एफपीओ के लक्ष्य में से 777 एफपीओ सहकारिताएं पंजीकृत की गई हैं। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने सीबीबीओ लागत सहित एफपीओ गठन एवं ऊष्मायन लागत हेतु 118.91 करोड़ रुपये, एफपीओ प्रबंधन लागत हेतु 37.31 करोड़ रुपये तथा मैचिंग इक्विटी अनुदान हेतु 29.49 करोड़ रुपये स्वीकृत एवं सीबीबीओ लागत सहित एफपीओ गठन एवं ऊष्मायन लागत हेतु 12.91 करोड़ रुपये, एफपीओ प्रबंधन लागत 22.28 करोड़ रुपये और 11.13 करोड़ रुपये का मैचिंग इक्विटी अनुदान (कृषि एवं किसान कल्याण विभाग द्वारा 1.11 करोड़ रुपये का संवितरण सहित) किया। संचयी रूप से, रा.स.वि.नि. ने एफपीओ योजना के तहत 95.71 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की है। इस योजना के तहत निधिओं की राज्य–वार स्वीकृति एवं संवितरण तालिका–1 में दर्शाया गया है।

एफएफपीओ के गठन एवं संवर्धन में भूमिका

13.4 रा.स.वि.नि. मत्स्य–पालन किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) के गठन एवं संवर्धन हेतु कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) है। पीएमएमएसवाई के तहत एफएफपीओ योजना का लक्ष्य एक समग्र एवं सहायक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के माध्यम से मत्स्य पालन क्षेत्र के समावेशी तथा सतत परिवर्तन को प्राप्त करना है।

13.5 एफएफपीओ का गठन एवं संवर्धन 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ पीएमएमएसवाई के केंद्रीय क्षेत्रक योजना अवयव के अंतर्गत किया जाएगा।

13.5.1 केंद्रीय बजट 2020 के अनुसार, भारत सरकार का मत्स्य पालन विभाग 500 मछली किसान उत्पादक संगठन स्थापित करेगा। जबकि पीएमएमएसवाई के तहत 300 एफएफपीओ/सहकारिताओं के गठन एवं संवर्धन को समर्थन दिया जाएगा, जहां भी संभव हो, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की 10,000 एफपीओ योजना के साथ अभिसरण के माध्यम से शेष 200 एफएफपीओ/सहकारिताओं को समर्थन देने के प्रयास किए जाएंगे।

रा.स.वि.नि. हेतु लक्ष्य

13.6 रा.स.वि.नि. को 70 एफएफपीओ का प्रारंभिक लक्ष्य आवंटित किया गया है। मार्च, 2024 के अंत तक, रा.स.वि.नि. ने संबंधित राज्य के सहकारी समिति अधिनियम के तहत 70 एफएफपीओ का गठन एवं संवर्धन किया है।

13.7 इसके अलावा, मत्स्य विभाग, भारत सरकार ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) के केंद्रीय क्षेत्रक अवयव के तहत 100% केंद्रीय वित्त पोषण के साथ एफएफपीओ के रुप में 1000 मौजूदा सहकारिताओं के गठन के लिए रा.स.वि.नि. को 225.50 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति जारी की है। दिनांक 31.03.2024 तक, 1000 पीएफसीएस में से, 860 पीएफसीएस आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक तथा ओडिशा राज्यों में सीबीबीओ को आवंटित किए गए हैं।

13.8 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान रा.स.वि.नि. ने 53.42 करोड़ रुपये गठन एवं ऊष्मायन लागत हेतु, 9.15 करोड़ रुपये एफएफपीओ प्रबंधन लागत तथा 10.05 करोड़ रुपये मैचिंग इक्विटी अनुदान स्वीकृत की एवं 23.22 करोड़ रुपये गठन एवं ऊष्मायन लागत, 1.79 करोड़ रुपये एफएफपीओ प्रबंधन लागत तथा 1.09 करोड़ रुपये मैचिंग इक्विटी अनुदान हेतु संवितरित किये। इस प्रकार रा.स.वि.नि. द्वारा इस स्कीम के अंतर्गत संचयी रुप में 37.01 करोड़ रुपये की राशि संवितरित की गई।

तालिका–1

केंद्रीय क्षेत्रक योजना के तहत – 10,000 एफपीओ के गठन एवं संवर्धन हेतु राज्य/संघ राज्य क्षेत्र–वार निधियों की स्वीकृति एवं संवितरण

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान स्वीकृति			वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान संवितरण			दिनांक 31.03.2024 को संचयी संवितरण		
		सीबीबीओ लागत सहित एफपीओ गठन एवं ऊष्मायन लागत	एफपीओ प्रबंधन लागत	मेचिंग इक्विटी अनुदान	सीबीबीओ लागत सहित एफपी. ओ गठन एवं ऊष्मायन लागत	एफपीओ प्रबंधन लागत	मेचिंग इक्विटी अनुदान	सीबीबीओ लागत सहित एफपीओ गठन एवं ऊष्मायन लागत	एफपीओ प्रबंधन लागत	मेचिंग इक्विटी अनुदान
1	आंध्र प्रदेश	0.00	4.50	3.67	0.80	1.40	0.98	2.03	1.94	1.51
2	अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00
3	असम	6.50	0.90	0.00	0.13	0.64	0.00	0.81	1.08	0.14
4	बिहार	27.75	1.44	1.35	1.32	1.25	0.41	4.13	2.48	1.19
5	छत्तीसगढ़	5.00	1.26	1.05	0.23	0.85	0.23	1.54	1.45	0.84
6	दादर नगर हवेली	0.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	2.50	1.80	1.54	1.21	1.58	0.46	3.14	2.38	1.24
8	हरियाणा	3.50	0.00	0.00	0.09	0.09	0.00	0.71	0.33	0.42
9	हिमाचल प्रदेश	7.00	1.26	1.30	0.72	0.77	0.34	1.20	1.34	0.43
10	जम्मू एवं कश्मीर	12.50	0.72	0.60	0.23	0.29	0.10	0.67	0.54	0.18
11	झारखण्ड	6.00	2.16	2.02	0.90	1.08	0.40	2.12	1.81	0.61
12	कर्नाटक	0.00	1.80	1.50	0.19	0.66	0.38	1.02	0.92	0.67
13	केरल	0.00	1.08	0.60	0.21	0.56	0.38	1.26	0.71	0.69
14	लद्दाख	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
16	मध्य प्रदेश	0.00	1.26	1.89	0.45	1.51	0.80	1.86	2.42	1.55
17	महाराष्ट्र	5.75	2.21	1.43	0.23	0.90	1.11	0.81	0.99	1.87
18	मणिपुर	0.00	0.00	0.00	0.09	0.15	0.00	0.27	0.28	0.07
19	मेघालय	2.50	0.18	0.15	0.00	0.18	0.01	0.19	0.28	0.05
20	मिजोरम	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00
21	नागालैंड	0.00	0.00	0.00	0.23	0.33	0.00	0.91	0.83	0.27
22	ओडिशा	0.00	1.08	1.33	0.33	0.99	0.72	1.26	1.45	0.99
23	पुडुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.06	0.00	0.00
24	पंजाब	2.25	0.00	0.45	0.00	0.30	0.15	0.55	0.47	0.21
25	राजस्थान	5.16	1.80	2.07	0.87	1.68	0.58	2.60	2.49	1.29
26	सिक्किम	0.00	0.36	0.30	0.00	0.18	0.04	0.20	0.28	0.07
27	तमिलनाडु	11.00	2.52	0.91	0.80	0.83	0.91	2.21	1.44	1.60
28	तेलंगाना	0.00	2.34	0.15	0.40	0.79	0.14	1.49	1.25	0.89
29	त्रिपुरा	0.00	0.54	0.60	0.44	0.69	0.11	0.79	0.76	0.13
30	उत्तर प्रदेश	6.00	5.58	3.60	1.56	2.11	1.68	3.95	3.03	2.68
31	उत्तराखण्ड	0.00	0.36	1.17	0.86	1.22	0.29	2.20	2.10	0.58
32	पश्चिम बंगाल	14.75	2.16	1.80	0.60	1.26	0.92	1.55	1.45	1.33
	योग	**118.91**	**37.31**	**29.49**	**12.91**	**22.28**	**11.13**	**39.74**	**34.47**	**21.50**

(नोटः उपर्युक्त आंकडे रा.स.वि.नि. पर्यवेक्षण शुल्क 2.01 करोड रुपये को छोडकर दर्शाये गये हैं)

अध्याय–14

सहकारिताओं का कंप्यूटरीकरण

14.1 रा.स.वि.नि. सूचना प्रौद्योगिकी के माध्यम से सहकारिताओं को सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अपने कम्प्यूटरीकरण कार्यक्रम के तहत, रा.स.वि.नि. समितियों में आईटी सेवाओं को मजबूत करने के लिए प्राथमिक स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक सहकारी समितियों को आधुनिक आईटी और संबंधित बुनियादी ढांचे जैसे डेटा सेंटर, डेटा रिकवरी सेंटर, उद्यम स्तर नेटवर्क, लैपटॉप, डेस्कटॉप, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी अवसंरचना, नेटवर्क सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आईटी लेखापरीक्षा, भंडारण समाधान, सीबीएस, एटीएम, पीओएस मशीन, कियोस्क के साथ ई–लॉबी, कर्मियों का प्रशिक्षण तथा क्षमता निर्माण आदि हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

14.2 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, निगम ने कम्प्यूटरीकरण के लिए समितियों/सहकारी बैंकों को 0.42 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की। निगम ने संचयी रूप से 410 समितियों/बैंकों को 1558.36 करोड़ रुपये स्वीकृत एवं 646.70 करोड़ रुपये संवितरित किए, जिसमें से कुल 373 समितियों/बैंकों की कंप्यूटरीकरण परियोजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं जिसका विवरण तालिका–1 में दर्शाया गया है।

आधुनिक बैंकिंग इकाइयों के रूप में पैक्स

14.3 भारत में 97ः गाँव प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) द्वारा कवर किये जाते हैं। सहकारी संरचना में आधार स्तर पर किसानों के साथ पैक्स उनके सदस्य के रूप में शामिल हैं। रा.स.वि.नि. पैक्स को आधुनिक बैंकिंग इकाइयों में रुपान्तरित करने में सहायता प्रदान कर रहा है, ताकि वे बैंक के कार्यों का निष्पादन करने में सक्षम हो सकें। मानक सुविधाओं में पैक्स की आवश्यकताओं के अनुसार आधुनिक कैश काउंटर, माइक्रो–एटीएम, उपयुक्त सॉफ्टवेयर, सुरक्षित वॉल्ट, पावर बैकअप, डिस्प्ले बोर्ड, क्षमता निर्माण आदि सम्मिलित होंगे।

इससे निम्न प्रकार की सहायता मिलेगी :

- बैंक सुविधा रहित ग्राम पंचायतों साथ दूरस्थ क्षेत्रों में बैंकिंग सुविधाएँ प्रदान करना
- राज्य के कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह में वृद्धि हुई है क्योंकि बैंकिंग सुविधाओं तक आसान पहुंच है और ऋणों की आसान और समयबद्ध स्वीकृति के लिए सदस्य स्वेच्छा से पैक्स से संपर्क कर सकते हैं।
- औपचारिक बैंकिंग सुविधा प्रदान कर ग्रामीण क्षेत्रों में बचत और ऋण वितरण को बेहतर बनाना।
- डीसीसीबी या एससीबी से जुड़े होने के कारण सभी पैक्स सदस्यों का एनईएफटी, आरटीजीएस और अन्य ऑनलाइन भुगतान सुविधाएं उपलब्ध कराना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक सदस्यों/किसानों को आकर्षित कर पैक्स की शेयर पूंजी में बढ़ोत्तरी।
- उचित समय पर कृषि संचालन कार्यों को सुगम बनाना, जिससे फसल की उत्पादकता एवं उपज में वृद्धि हो सके।

14.3.1 रा.स.वि.नि. ने पश्चिम बंगाल सरकार को 2,631 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों (पैक्स) की सहायता के लिए 28.88 लाख सदस्यों के साथ वित्तीय वर्ष 2018–19 में बैंकिंग सर्विस पाइंट्स के रूप में पैक्स के कम्प्यूटरीकरण तथा संबंधित बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 315.72 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत की। इस प्रकार 2342 पैक्स को 282.02 करोड़ रुपये संवितरित किये गए।

14.3.2 इस अखिल राज्य दृष्टिकोण की दिशा में, अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार की परियोजनाओं की संभावना खोजी जा रही है ।

तालिका–1

दिनांक 31.03.2024 तक कंप्यूटरीकरण हेतु स्वीकृत/संवितरित सहायता

(करोड़ रुपये में)

क.सं.	राज्य/सं.रा.क्षे./संस्था	वर्ष 2023–24 में सं. वितरित राशि	दिनांक 31.03.2024 को संचयी स्थिति		
			स्वीकृतियों की संख्या	पूर्ण स्वीकृतियों की संख्या	संवितरित राशि
क. केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीम					
1	आंध्र प्रदेश		2	2	0.97
2	अरुणाचल प्रदेश		1	1	5.39
3	असम		2	1	42.00
4	बिहार		1	1	0.22
5	गुजरात		1	1	12.46
6	गोवा		8	7	1.58
7	हिमाचल प्रदेश		19	17	65.16
8	मध्य प्रदेश		15	12	14.25
9	मेघालय		1	1	0.59
10	नागालैंड		1	1	14.18
11	ओडिशा		1	1	0.01
12	राजस्थान		7	5	55.14
13	पश्चिम बंगाल		47	40	282.02
14	उत्तर प्रदेश	0.42	54	42	113.32
15	उत्तराखण्ड		18	15	22.64
16	मिजोरम		1	1	0.39
17	तेलंगाना		1	1	0.19
18	झारखंड		2	0	0.00
	उप योग (क)	**0.42**	**182**	**149**	**630.51**
ख. निगम प्रायोजित स्कीम					
1	आंध्र प्रदेश		5	5	0.59
2	असम		1	1	0.18
3	गुजरात		2	2	0.17
4	हरियाणा		2	2	0.30
5	हिमाचल प्रदेश		2	2	0.13
6	कर्नाटक		2	2	0.13
7	केरल		184	183	9.74
8	मध्य प्रदेश		3	3	0.21
9	महाराष्ट्र		8	6	2.63
10	ओडिशा		2	2	0.15
11	पंजाब		3	3	0.20
12	राजस्थान		1	1	0.11
13	तमिलनाडु		3	3	0.60
14	उत्तर प्रदेश		2	2	0.30
15	पश्चिम बंगाल		1	1	0.05
16	एफकॉस्पिन		1	1	0.03
17	फिशकोफेड		2	2	0.06
18	नेफैड		1	1	0.42
19	एनएचईसी		1	1	0.16
20	एनआईसी		1	1	0.03
21	छत्तीसगढ		1	0	0.00
	उप योग (ख)	**0.00**	**228**	**224**	**16.19**
	कुल योग (क+ख)	**0.42**	**410**	**373**	**646.70**

अध्याय–15

अल्पतम/अल्प विकसित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सहकारिताएं

15.1 भारत सरकार ने अल्पतम विकसित/अल्प विकसित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया है:–

सहकारिता की दृष्टि से अल्पतम विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों : इसमें अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, झारखण्ड, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा, जम्मू एवं कश्मीर (संघ राज्य क्षेत्र) एवं लद्दाख (संघ राज्य क्षेत्र) सम्मिलित हैं।

सहकारिता की दृष्टि से अल्प विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र : इस श्रेणी में आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल तथा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र) और लक्षद्वीप समूह (संघ राज्य क्षेत्र) आते हैं।

15.2 रा.स.वि.नि. ने वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान सहकारी रूप से अल्पतम/अल्प विकसित राज्यों को 54,934.23 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता स्वीकृत तथा 45,840.91 करोड़ रुपये की सहायता संवितरित की, जिसका विवरण **तालिका–1** पर दर्शाया गया है जो निम्न प्रकार से है :

15.3 संचयी रुप में दिनांक 31.03.2024 तक, रा.स.वि.नि. की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत अल्पतम/अल्प विकसित राज्यों हेतु 2,19,711.19 करोड़ रुपये संवितरित किए गए, जो अब तक निगम द्वारा जारी कुल सहायता 3,13,198.42 करोड़ रुपये का लगभग 70.15% है।

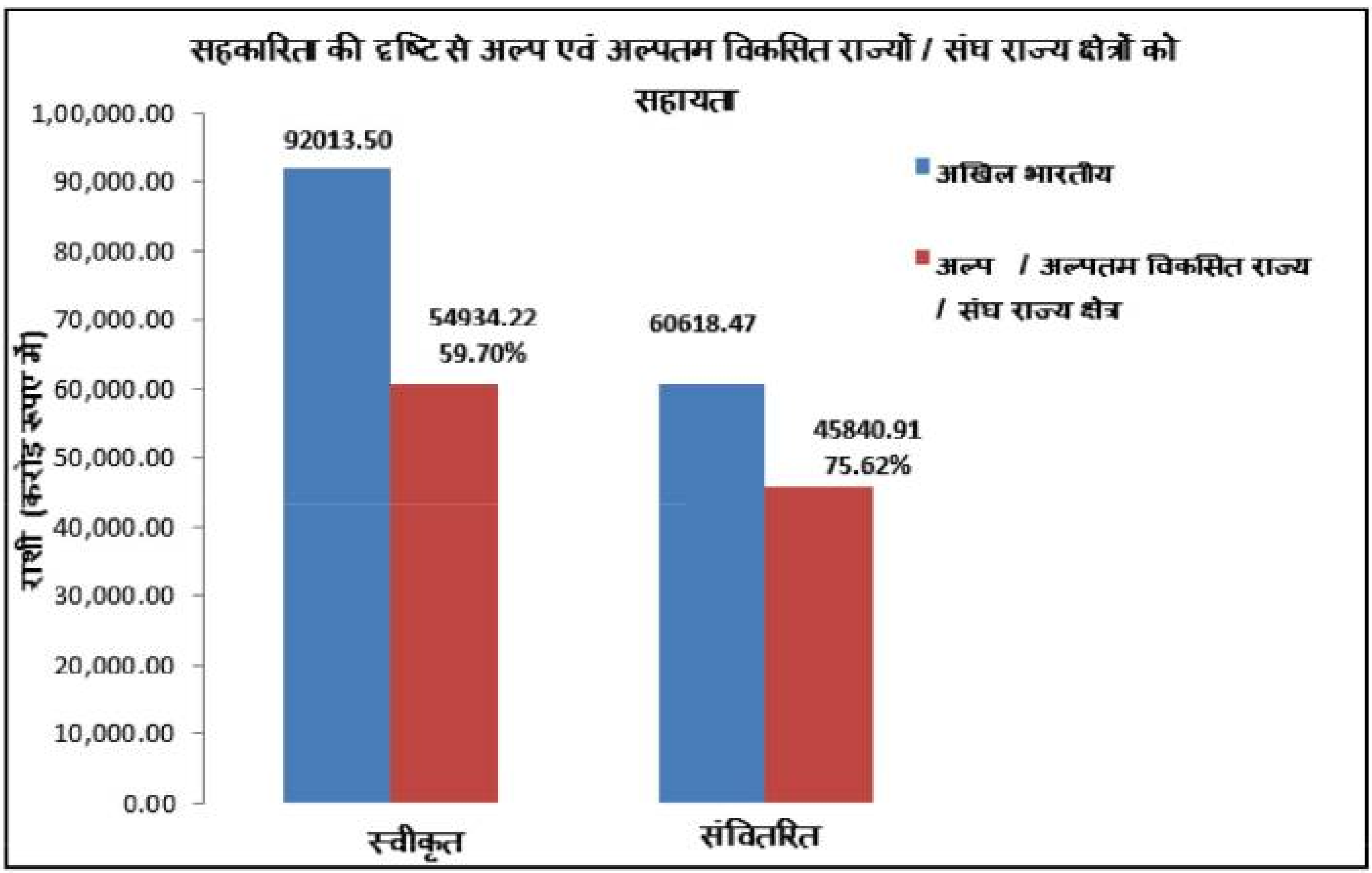

तालिका–1

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान राज्यवार स्वीकृतियों तथा संवितरणों का विवरण

(करोड़ रुपये में)

राज्य / संघ रा.क्षे.	वर्ष 2023–24 में स्वीकृति			वर्ष 2023–24 में संवितरण		
	ऋण	सब्सिडी	कुल	ऋण	सब्सिडी	कुल
(क) सहकारी रूप से अल्पतम विकसित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र						
असम	0.00	7.63	7.63	0.00	0.89	0.89
बिहार	5000.00	31.02	5031.02	800.19	15.63	815.82
जम्मू एवं कश्मीर	1.44	14.15	15.59	0.00	0.71	0.71
झारखण्ड	844.87	21.87	866.74	0.00	2.54	2.54
मणिपुर	0.00	0.00	0.00	4.66	1.95	6.61
मेघालय	0.00	3.01	3.01	0.00	0.22	0.22
मिजोरम	0.75	0.33	1.08	2.73	0.51	3.24
नागालैण्ड	0.00	0.00	0.00	0.00	0.67	0.67
सिक्किम	0.00	0.66	0.66	0.00	0.22	0.22
त्रिपुरा	0.00	1.32	1.32	0.00	1.55	1.55
योग (क)	**5847.06**	**79.99**	**5927.05**	**807.58**	**24.89**	**832.47**
(ख) सहकारी रूप से अल्प विकसित राज्य						
अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह	2.25	0.00	2.25	1.69	0.00	1.69
आंध्र प्रदेश	14199.90	22.38	14222.28	13269.90	10.23	13280.13
छत्तीसगढ़	20000.00	7.32	20007.32	18990.00	1.35	18991.35
हिमाचल प्रदेश	0.00	9.74	9.74	0.00	1.85	1.85
मध्य प्रदेश	532.82	3.90	536.72	318.93	3.94	322.87
ओडिशा	0.57	4.27	4.84	0.28	2.96	3.24
राजस्थान	3.27	9.31	12.58	60.40	5.68	66.08
तेलंगाना	13652.79	3.18	13655.97	11931.00	243.11	12174.11
उत्तर प्रदेश	512.58	16.09	528.67	3.22	9.81	13.03
उत्तराखण्ड	1.66	2.60	4.26	107.52	41.61	149.13
पश्चिम बंगाल	0.70	21.84	22.54	0.70	4.26	4.96
योग (ख)	**48906.54**	**100.63**	**49007.18**	**44683.64**	**324.80**	**45008.44**
(ग) सहकारी रूप से विकसित राज्य / संघ राज्य क्षेत्र + अन्य						
दिल्ली	0.00	2.02	2.02	0.00	2.27	2.27
दमन एवं दीव	0.00	0.66	0.66	0.00	0.11	0.11
गुजरात	534.76	26.60	561.36	578.90	8.09	586.99
हरियाणा	12285.08	5.47	12290.55	9884.73	2.63	9887.36
कर्नाटक	458.22	4.61	462.83	259.96	1.40	261.36
केरल	563.50	18.29	581.79	272.33	3.56	275.89
महाराष्ट्र	3417.92	36.91	3454.83	2080.89	20.53	2101.42
पंजाब	18700.00	2.70	18702.70	1650.00	0.44	1650.44
तमिलनाडु	0.00	15.73	15.73	0.00	4.28	4.28
अन्य	1000.00	6.75	1006.75	0.50	6.94	7.44
योग (ग)	**36959.48**	**119.74**	**37079.22**	**14727.31**	**50.25**	**14777.56**
कुल योग (क+ख+ग)	**91713.08**	**300.36**	**92013.44**	**60218.53**	**399.94**	**60618.47**
अल्प विकसित सह अल्पतम वि. (क+ख)	**54753.60**	**180.62**	**54934.22**	**45491.22**	**349.69**	**45840.91**
अल्प वि. एवं अल्पतम वि. का प्रतिशत			**59.70**			**75.62**

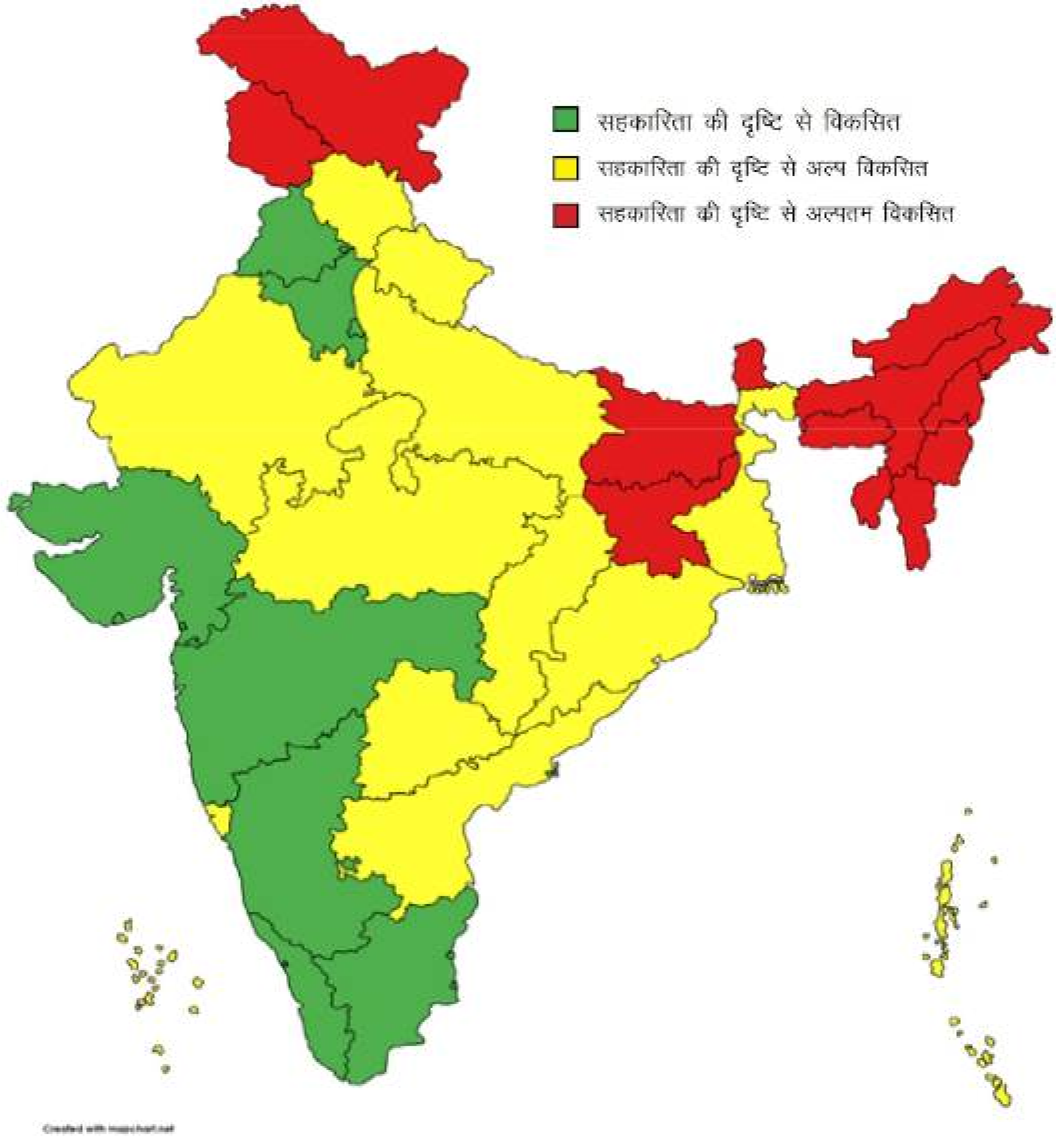

Map not to scale

सहकारिता की दृष्टि से विकसित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र

- गुजरात, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, दिल्ली (सं.रा.क्षे.), चंडीगढ़ (सं.रा.क्षे.), दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं द्वीव (सं.रा.क्षे.), पुडुचेरी (सं.रा.क्षे.)

सहकारिता की दृष्टि से अल्प विकसित राज्य/सं.रा.क्षे.

- आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, गोवा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह (सं.रा.क्षे.) एवं लक्षद्वीप (सं.रा.क्षे.)

सहकारिता की दृष्टि से अल्पतम विकसित राज्य/सं.रा.क्षे.

- असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, बिहार, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर (सं.रा.क्षे.) एवं लद्दाख (सं.रा.क्षे.)

अध्याय–16

सहकारिताओं में महिलाएं

16.1 रा.स.वि.नि., सरकार की नीति के अनुसरण में अपनी विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए महिला सहकारिताओं को प्रोत्साहित करता है। निगम द्वारा सहायता प्रदान करने में कोई लिंग भेदभाव नहीं किया जाता है। केवल महिलाओं द्वारा गठित सहकारिताएं अथवा महिला सदस्यों वाली सहकारिताएं भी निगम की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत सहायता प्राप्त कर सकती हैं। रा.स.वि.नि. ने खाद्यान्न प्रसंस्करण, बागानी फसलें, तेलहन प्रसंस्करण, मात्स्यिकी, कुक्कुट पालन, डेयरी एवं पशुधन, भंडारण, कताई मिलें, हथकरघा, जूट एवं विद्युत करघा बुनाई, एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएँ, युवा सहकार एवं सेवाओं से संबंधित कार्यकलापों हेतु सहायता प्रदान की है।

सहकारिताओं में महिलाओं को प्रोत्साहित करने हेतु रा.स.वि.नि. की पहलें

16.2 हाल के वर्षों में, रा.स.वि.नि. ने चार योजनाएँ शुरु की है जो सहकारिताओं में महिलाओं के लिए अनुकूल है। योजनाओं का विवरण अनुबंध–iv में उपलब्ध है एवं संक्षेप में विवरण निम्नलिखित प्रस्तुत है:

- **युवा सहकार** : सहकारी उद्यम सहयोग एवं नवाचार योजना : इस योजना का उद्देश्य सभी प्रकार की गतिविधियों को सम्मिलित करते हुए सहकारी क्षेत्र में स्टार्ट–अप को सक्षम बनाना है। नई, नवाचार एवं मूल्य श्रृंखला में बढ़ोतरी लाने वाली परियोजनाओं से लैस किसी भी प्रकार की सहकारी समिति इस योजना के नियमों एवं शर्तों की पूर्ति के अधीन सहायता के लिए पात्र है। 100% महिला सदस्यों वाली सहकारी समितियों के लिए वित्त पोषण पद्धति अधिक अनुकूल है। ऐसी परियोजनाएँ जिनका ऋण इक्विटी अनुपात 80:20 है, वित्त पोषण के लिए पात्र है।

- **आयुष्मान सहकार** : इस योजना का उद्देश्य सहकारी समितियों की सहायता करना है : (क) अस्पतालों/स्वास्थ्य देखभाल/ शिक्षा सुविधाओं के माध्यम से किफायती एवं समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान करनाय (ख) आयुष सुविधाओं को बढ़ावा देनाय (ग) राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों को पूर्ति करना : (घ) राष्ट्रीय डिजिटल हेल्थ मिशन में प्रतिभाग करना एवं (ड़) शिक्षा, सेवाएँ, बीमा एवं उससे संबंधित गतिविधियों सहित व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। इस योजना के माध्यम से अवसंरचना सृजन, मार्जिन मनी एवं कार्यशील पूँजी हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। प्रोत्साहन के रुप में, रा.स.वि.नि. ऋण की पूरी अवधि हेतु बहुसंख्यक महिला सदस्यों वाली उधारकर्ता सहकारिताओं को आवधिक ऋण के समय पर पुनर्भुगतान हेतु ऋण की पूरी अवधि के लिए लागू ब्याज दर से 1% कम ब्याज दर प्रदान करता है।

- **नंदिनी सहकार** : इस योजना का प्रारम्भ फरवरी, 2021 में हुआ जिसका उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को बेहतर करना है। यह महिला सहकारिताओं के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता का समर्थन करता है। यह योजना महिला उद्यमों, व्यवसाय योजना निर्माण, क्षमता विकास, ऋण तथा सब्सिडी तथा/या अन्य योजनाओं के ब्याज सबवेंशन के महत्वपूर्ण निवेश के साथ अभिसरण के माध्यम से महिला सहकारिताओं को लाभ प्रदान करता है। देश भर में किसी भी राज्य/बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कोई भी महिला सहकारी समिति पात्र है। प्राथमिक स्तर पर कोई भी सहकारी समिति जिसमें 50% महिलाएँ सदस्य हैं, वे भी इसके लिए पात्र हैं। नई तथा/या नवीन गतिविधियों से

संबंधित महिला सहकारिताएं जो कम से कम तीन महीने से परिचालित हैं, रा.स.वि.नि. के लागू दिशा निर्देशों के अनुसार भी पात्र हैं। गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर समय पर पुनर्भुगतान हेतु ब्याज सबवेंशन प्रोत्साहन (क) नई एवं नवीन गतिविधियाँ –2% एवं (ख) नई एवं नवीन गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियाँ –1% लागू होगा।

- **स्वयं शक्ति सहकार योजना** : सहकारिताओं के माध्यम से महिला एसएचजी को निधि की उपलब्धता बढ़ाने तथा महिला एसएचजी को पर्याप्त एवं शीघ्र ऋण/अग्रिम राशि प्रदान करने हेतु ऋण सहकारिताओं के संसाधनों को पूरक बनाने के दृष्टिकोण से, रा.स.वि.नि. ने ऋण सहकारिताओं को रा.स.वि.नि. अल्पकालिक ऋण (3 वर्षों तक) का विस्तार करने हेतु महिला एसएचजी को ऋण देने की दिशा में स्वयं शक्ति सहकार योजना की शुरुआत की। पैक्स, डीसीसीबी, एसटीसीबी और एसएचजी संघीय सहकारिताएँ/सहकारी संघ जैसी कृषि ऋण सहकारिताएँ इस योजना के तहत ऋण के लिए पात्र हैं। इस योजना के माध्यम से महिला एसएचजी को कार्यशील पूंजी ऋण या आवधिक ऋण प्रदान किए जाने की दिशा में सहायता दी जाएगी।

16.3 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने 7 परियोजनाओं/इकाइयों जिसमें सेवा सहकारिताएँ, वस्त्र, डेयरी एवं पशुधन, उपभोक्ता के तहत 1000.69 करोड़ रुपये स्वीकृत तथा सेवा सहकारिताओं, आईसीडीपी एवं डेयरी एवं पशुधन, वस्त्र एवं खाद्यान्न के तहत 711.55 करोड़ रुपये संवितरित किए। स्वीकृत 7 परियोजनाओं/इकाइयों में 2.52 लाख महिला सदस्य है जिससे लगभग 4.00 लाख महिला को निरंतर आजीविका मिल रही है। वित्तीय वर्ष 2023–24 में 10723 सहकारी समितियों (युवा सहकार सहित) को स्वीकृत 2529 इकाइयों/परियोजनाओं में से यह अनुमान है कि 21.25 लाख महिलाएँ सदस्यों के रुप में नामांकित हैं तथा 3355 महिलाएं प्रबंध मंडल में निदेशक भी है।

16.3.1 रा.स.वि.नि. ने दिनांक 31.03.2024 तक केवल महिलाओं द्वारा सवंर्धित सहकारिताओं के विकास हेतु संचयी रूप में क्रमशः 7,708.09 करोड़ रुपये की सहायता स्वीकृत तथा 6,426.36 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता संवितरित की है।

लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक), गुरुग्राम

16.4 महिला प्रतिभागियों को बढ़ावा देने और उन्हें नेतृत्व करने और सहकारिताओं को सशक्त बनाने के लिए अकादमी महिला निदेशकों/सहकारिताओं के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान इसके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों (क्षे.प्र.के.) के माध्यम से "सहकारिता/स्वयं सहायता समूहों में सुशासन एवं व्यवसाय विकास में महिला निदेशकों की भूमिका" विषयक 18 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में 951 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया। पिछले पाँच वर्षों के दौरान, लिनाक ने क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों (क्षे.प्र.कें.) सहित सहकारिताओं की महिला सदस्यों हेतु 84 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं।

अध्याय–17

लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक)

17.1 रा.स.वि.नि. ने वर्ष 1985 में विश्व बैंक परियोजना के माध्यम से अपना प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किया। प्रशिक्षण संस्थान अनेक वर्षों से भारत तथा विदेशों में सहकारी क्षेत्र के कर्मियों को प्रशिक्षित करने के लिए एक बड़ा संस्थान बन गया है। संस्थान के सुदृढ़ निर्माण तथा सहकारी क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा देने की आवश्यकता को देखते हुए, भारत सरकार ने प्रशिक्षण, अनुसंधान और परामर्श की व्यापक सोच के साथ संस्थान को उन्नत किया है तथा फरवरी, 2018 में इसका नाम बदलकर लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी (लिनाक) कर दिया गया। अकादमी का प्रबंधन एक शासकीय निकाय और कार्यकारिणी समिति में निहित है, जिसमें प्रत्येक में 10 सदस्य शामिल हैं।

17.2 लिनाक के कार्य एवं गतिविधियां निम्न प्रकार से हैं :–

क) सहायता प्राप्त परियोजनाओं और सहकारिताओं के प्रबंधन के कार्यान्वयन को बेहतर बनाने हेतु उचित ज्ञान, दक्षता और मानसिकता के साथ प्रमुख पदाधिकारी को युक्त करने हेतु आवश्यकता आधारित कार्यक्रम का डिजाइन और संचालन करती है। तदनुसार यह निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन करती है।

i. रा.स.वि.नि. सहायता प्राप्त परियोजनाओं के कार्मिकों के लिए।

ii. परियोजना निर्माण, समीक्षा, कार्यान्वयन, निगरानी एवं मूल्यांकन संबंधी परियोजनाएं।

iii. प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण।

iv. सार्क एवं एशिया प्रशांत क्षेत्रों के सहकारिता कर्मियों हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा देश के सहकारी संगठनों के विशेष आग्रह पर भी प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाते हैं।

v. अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

vi. सहयोगी कार्यक्रम (अर्थात् राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के साथ फल एवं सब्जी के विपणन, डब्ल्यूडीआरए के साथ भंडारण विकास, मैनेज के साथ कृषि परियोजनाओं की मानिटरिंग प्रणाली की सुदृढ़ता, नैफकब के साथ यूसीबी हेतु नेतृत्व विकास कार्यक्रम)

vii. आग्रह अनुसार (राज्य सरकार, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठनों आदि से)

viii. राष्ट्रीय कृषि विकास योजना एवं स्टेट मिशन के अंतर्गत क्षमता विकास तथा

ix. रा.स.वि.नि. कार्मिकों हेतु

ख) परामर्श एवं अनुसंधान

ग) रा.स.वि.नि. की संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन

17.3 लिनाक में विशिष्ट विशेषज्ञों एवं पेशेवरों की अपनी कोर टीम है, तथा अतिथि संकाय के रुप में, निजी/सहकारी क्षेत्रक के शीर्ष पेशेवरों तक भी इसकी पहुँच है। एक व्यवस्थित दृष्टिकोण से, प्रशिक्षण हेतु भारत सरकार की राष्ट्रीय प्रशिक्षण नीति की रुपरेखा को अपनाते हुए, लिनाक अपने ग्राहक सहकारिताओं के लिए आवश्यक प्रशिक्षण आधारित विश्लेषण (टी.एन.ए.) तैयार करता है, विशेष रुप से डिजाइन कार्यक्रम बनाता है एवं उन्हें प्रस्तुत करता है।

17.3.1 लिनाक द्वारा पूरे किए जाने वाले विभिन्न कार्य क्षेत्रों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएँ, परियोजना निर्माण, समीक्षा एवं निगरानी, सूचना प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग, साइबर–सुरक्षा, कृषि उत्पाद विपणन सहकारिताओं हेतु प्रबंधन विकासात्मक कार्यक्रम (एम.डी.पी.), महिला सहकारिताओं हेतु एम.डी.पी., डेयरी सहकारिताओं हेतु एम.डी.पी., संगठनात्मक विकास, सामान्य प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, सहकारी बैंकिंग, एफ.पी.ओ./एफ.एफ.पी.ओ. से संबंधित कार्यक्रम एवं रा.स.वि.नि. तथा सरकारी योजनाओं पर जागरूकता कार्यक्रम सम्मिलित है।

17.4 अकादमी ने अपनी गत वर्षों की यात्रा में क्षमता विकास संबंधी हस्तक्षेप के लिए अनेक प्रमुख राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों जैसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारी एवं कृषि बैंकिंग प्रशिक्षण (सिस्टैब), अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन (आईसीए), एशिया प्रशांत कृषि सहकारी विकास नेटवर्क (नेडैक), वैकुंठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान (वैमनीकॉम), राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एनएचबी), राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भंडारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यूडीआरए), राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान (नियाम), राष्ट्रीय कृषि विस्तारण प्रबंधन संस्थान (मैनेज), राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक तथा ऋण समिति लि. (नैफकब), कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (ऐपिडा) एवं भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन संघ (ट्राईफेड) से कार्यात्मक साझेदारी विकसित की है।

17.5 लिनाक, इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे, नई दिल्ली के पास दिल्ली–जयपुर एक्सप्रेसवे पर एक अत्यधिक सुगम और पांच–एकड़ वाई–फाई सक्षम परिसर में स्थित किया गया है। इसमें अत्याधुनिक अवसंरचना है जिसमें वातानुकूलित प्लेनरी हॉल, सिंडिकेट रूम, सभागार, पुस्तकालय, वातानुकूलित छात्रावास के कमरे तथा भोजन सुविधाएँ सम्मिलित हैं। लिनाक ने वर्चुअल क्लासरूम और ई–लर्निंग कोर्स चलाने के लिए अपने बुनियादी ढांचे को अपग्रेड किया है। अन्य सुविधाओं में योग हॉल, इनडोर और आउटडोर खेल मिनी व्यायामशाला शामिल हैं।

लिनाक– रा.स.वि.नि. मत्स्य पालन व्यवसाय ऊष्मायन केंद्र (लिफिक)

17.6 लिनाक – रा.स.वि.नि. मत्स्य–पालन व्यवसाय ऊष्मायन केंद्र (लिफिक) – भारत सरकार द्वारा भारत सरकार की प्रमुख स्कीम, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) के तहत देश के पहले समर्पित व्यवसाय ऊष्मायन केंद्र की स्थापना गुरुग्राम स्थित रा.स.वि.नि. के प्रशिक्षण एवं परामर्श विंग लिनाक में की गई है।

17.6.1 लिनाक द्वारा लिफिक की स्थापना भारत सरकार की प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.) के तहत मत्स्य–पालन सहकारिताओं की सहायता हेतु की गई है। लिफिक युवा पेशेवरों/उद्यमियों, प्रगतिशील मछली पालन करने वाले, मत्स्यिकी आधारित उद्योगों एवं अन्य संस्थाओं को संबद्ध ऊष्मायन समर्थन प्रदान करेगा जो कि विभिन्न स्तरों जैसे प्राथमिक, जिला, राज्य, बहु–राज्य या राष्ट्रीय संघ स्तरीय मत्स्य–पालन सहकारिताओं के साथ साझेदारी में काम करेंगे।

17.6.2 लिफिक मुख्य रूप से व्यापारिक प्रारूप लॉन्च करने पर ध्यान केंद्रित करेगा तथा स्थायी राजस्व सृजन एवं व्यवसाय संचालन के उद्देश्य के परिणामस्वरूप बाजार की गतिशीलता के असंख्य पहलुओं में उनको सहयोग प्रदान करेगा। संक्षेप में व्यवसाय ऊष्मायन स्वाभाविक रूप प्रौद्योगिकी ऊष्मायनों के बाद आगामी चरण है क्योंकि यह नए उत्पादों और नवाचार व्यापारिक प्रारूप को बाजार में संवृद्धि के लिए अग्रसित करेगा। संचयी रुप से, पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत लिफिक आधारित 13 कार्यक्रम

आयोजित किए गए हैं, जिससे पूरे भारत में 161 प्रतिभागियों को लाभान्वित किया गया।

लिनाक द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

17.7 अकादमी ने दिनांक 31.03.2024 तक संचयी रुप में 53430 कार्मिकों को 1292 प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षित किया है जिसमें भारत सरकार से सहायता प्राप्त राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, क्षमता विकास परियोजना के अंतर्गत 150 कार्यक्रमों में 4831 कार्मिकों ने भाग लिया।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, अकादमी ने 88 प्रशिक्षण कार्यक्रम के लक्ष्य के सापेक्ष में 96 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए तथा 7923 कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। पिछले पाँच वर्षों में लक्ष्यों एवं उपलब्धियों की प्रगति इस प्रकार हैं:

17.7.1 **लक्ष्य एवं उपलब्धियाँ** – पिछले पाँच वर्षों के दौरान, लिनाक द्वारा आयोजित कार्यक्रम हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या निम्नवत वर्णित है :

विशेष रूप से महिला प्रतिभागियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

17.8 महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा देने और उन्हें सहकारिताओं का नेतृत्व और सुचालन करने हेतु, अकादमी सहकारी समितियों की महिला निदेशकों/प्रबंधकों एवं एसएचजी के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है। वर्ष के दौरान, लिनाक ने अपने क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्रों (क्षे.प्र.के.) के माध्यम से 18 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें 951 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यकलाप

रा.स.वि.नि. की संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक भूमिका के अंतर्गत, संचयी रुप से उपलब्धियां निम्न प्रकार हैं :

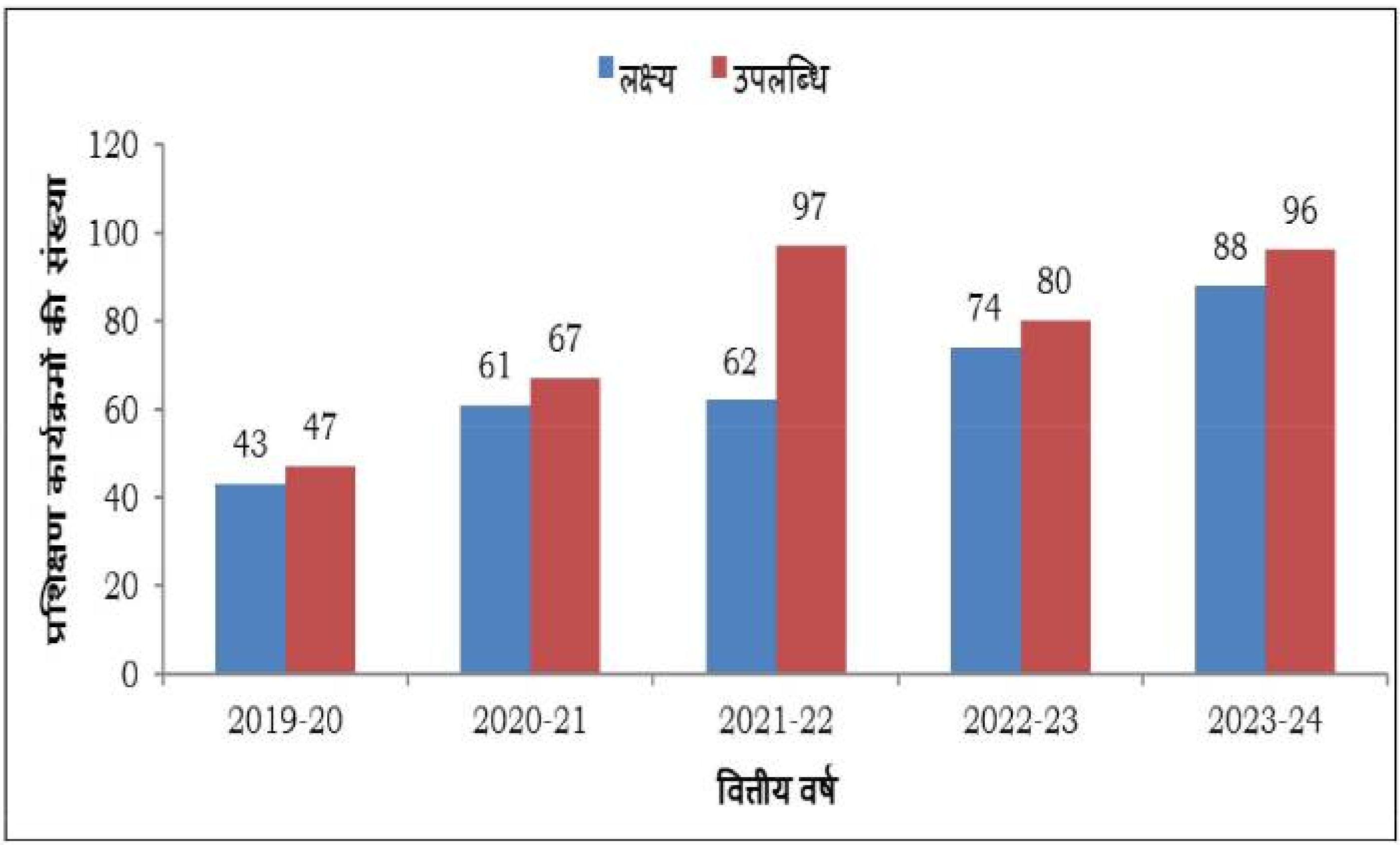

i. आई.आई.एम., अहमदाबाद में संकाय विकास कार्यक्रम (एफ.डी.पी.) हेतु 58 फैलोशिप प्रदान की गईं।

ii. वैमनीकॉम, पुणे में सहकारी व्यापार प्रबंधन (पीजीडीसीबीएम) में स्नातकोत्तर डिप्लोमा हेतु 57 फैलोशिप प्रदान की गईं।

iii. गत 10 वर्षों के दौरान, उन्नत कार्यशील सहकारी समितियों के लिए 27 अध्ययन दौरे आयोजित किए गए।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान लिनाक द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के कार्यात्मक समूहवार प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या

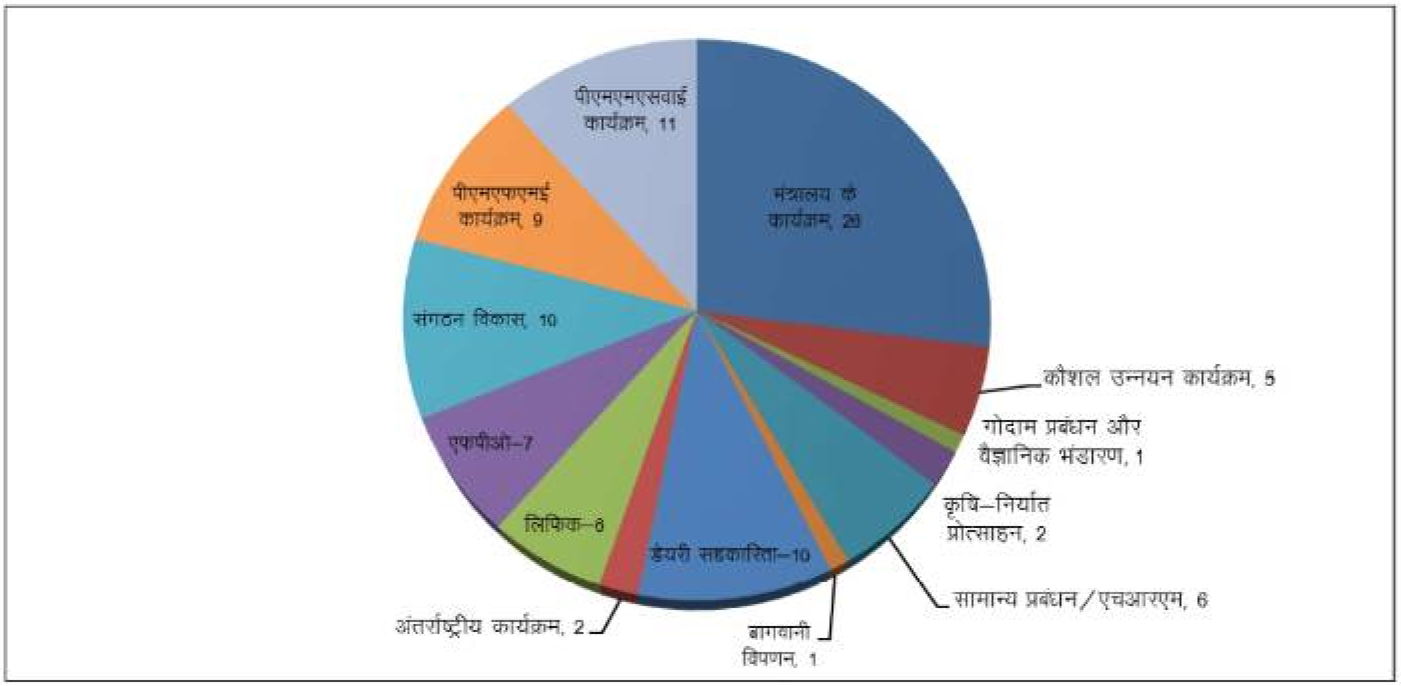

17.9 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान लिनाक द्वारा आयोजित कार्यक्रम

17.9.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान अकादमी ने 96 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए हैं, जिनमें 7923 प्रतिभागियों को प्रशिक्षित किया गया। इन प्रशिक्षण कार्यक्रमों में अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम (2), पी.एम.एम.एस.वाई के तहत लिफिक हेतु कार्यक्रम (6), किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) (7), सहकारिता मंत्रालय के कार्यक्रम (30), दुग्ध सहकारिताओं से संबंधित (10), भंडारण प्रबंधन एवं वैज्ञानिक भंडारण (डब्ल्यूएमएसएस) (1), रा.स.वि.नि. (6) एवं अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम (34) शामिल थे।

लिनाक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र

17.10 निगम लिनाक के दायरे और पहुंच का विस्तार करने और प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के पोषण पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से, लिनाक के 18 क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बेंगलुरु, भोपाल, भुवनेश्वर, चंडीगढ़, चेन्नई, देहरादून, गांधीनगर, गुवाहाटी, हैदराबाद, जयपुर, कोलकाता, लखनऊ, पटना, पुणे, रायपुर, रॉंची, शिमला एवं तिरुअनंतपुरम् में एक.एक स्थापित किए गए हैं। ये केंद्र जमीनी स्तर पर वर्ष के दौरान प्राथमिक सहकारी समितियों के प्रबंधन पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाते हैं, जिससे प्राथमिक सहकारी समितियों की क्षमता विकास संबंधी

जरूरतों को पूरा किया जाता है, जो सहकारी क्षेत्र की रीढ़ हैं। सहकारी सिद्धांतों पर समितियों के संचालन और ग्रामीण विकास केंद्रों के रूप में विकसित करने हेतु प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों के प्रमुख पदाधिकारियों को उपयुक्त ज्ञान, दक्षता एवं मानसिकता से लैस करने की आवश्यकता के आधार पर कार्यक्रमों को अनुकूलित और डिजाइन किया गया है।

17.10.1 वित्तीय वर्ष 2023–24 के लिए लिनाक के प्रशिक्षण कैलेंडर के भाग के रूप में, प्राथमिक स्तर की सहकारिताओं हेतु इन प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा कुल 98 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। लिनाक क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में कुल 3,941 कार्मिकों को प्राथमिक स्तर की सहकारी समितियों में सामान्य प्रबंधन, व्यवसाय विकास और परिसंपत्ति प्रबंधन तथा लेखा एवं बहीखाता तथा सहकारिताओं/एसएचजी अन्य में संचालन एवं व्यवसाय विकास में महिला निदेशकों की भूमिका पर आयोजित विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित किया गया है।

अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम

17.11 **"समावेशी सहकारी विकास हेतु क्षेत्र आधारित एकीकृत दृष्टिकोण अपनाना – भारतीय परिप्रेक्ष्य में रा.स.वि.नि. की आईसीडीपी योजना का अनुभव"** पर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम सिरडैब, पुणे के सहयोग से आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य देश में 7वीं योजना के बाद से रा.स.वि.नि. द्वारा वित्त पोषण किये जा रहे जिलों में सहकारी समितियों के एकीकृत विकास पर परियोजना के अनूठे मॉडल को साझा करना तथा सदस्यों को लाभान्वित करना था। दिनांक 11–15 सितम्बर, 2023 के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में सार्क देशों के सिरडैब के सदस्य संस्थानों के 12 अधिकारियों और सहकारी कर्मियों ने भाग लिया।

17.12 अकादमी ने सहकारी विभागों के अधिकारियों एवं सहकारी कार्मिकों, सहकारी संघों/बैंकों/समितियों तथा सार्क क्षेत्र के सिरडैब के सदस्य संस्थानों से ग्रामीण वित्तीय संस्थानों के लिए **"कृषि सहकारिताओं एवं ग्रामीण वित्तीय संस्थानों हेतु प्रबंधकीय कौशल का**

गत कुछ वर्षों में क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों द्वारा आयोजित कार्यक्रमों की संख्या

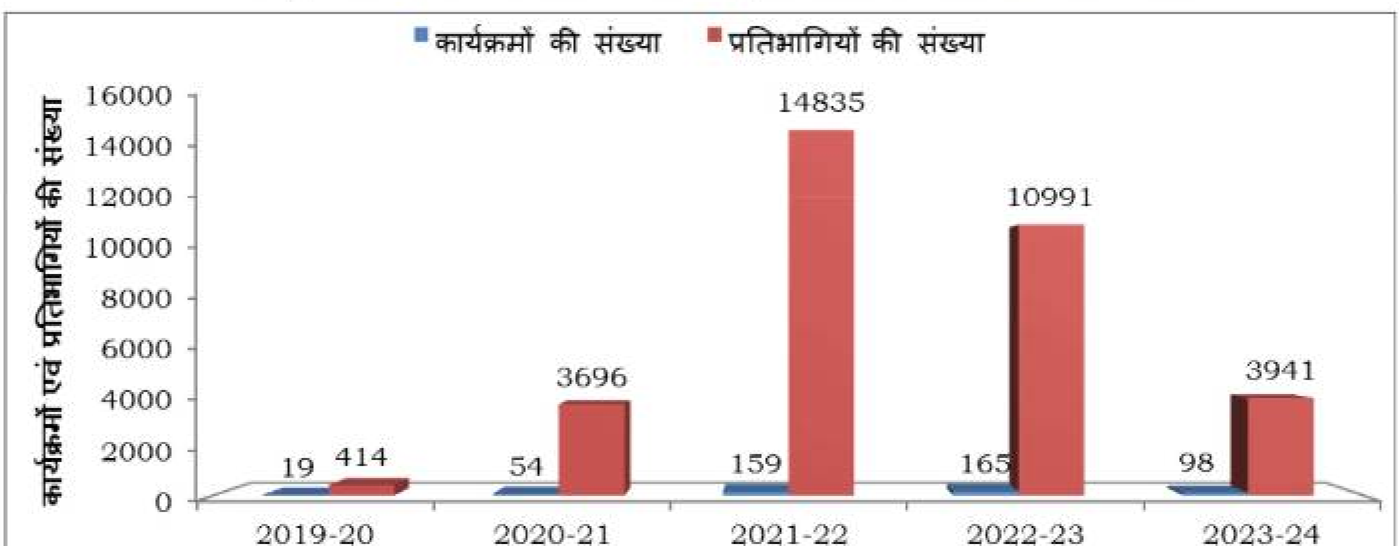

विकास" पर दिनांक 17–21 जुलाई, 2023 से अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का कार्यान्वयन किया। यह कार्यक्रम रा.स.वि.नि. के भारत में ग्रामीण ऋण एवं बहुद्देशीय सहकारी समितियों का विकास करने के अनुभव पर आधारित, प्राथमिक सहकारिताओं एवं ग्रामीण वित्तीय संस्थानों में ज्ञान एवं क्षमता का विकास करने पर केन्द्रित था। इस कार्यक्रम में 16 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

अन्य कार्यक्रम

17.13 लिनाक ने भंडागारण विकास एवं विनियामक प्राधिकरण (डब्ल्यू.डी.आर.ए.) के सहयोग से **"गोदाम प्रबंधन एवं वैज्ञानिक भंडारण"** पर 5 दिवसीय एक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया। ये कार्यक्रम पैक्स गोदामों के वेयरहाउस मैन के 30 प्रभारी/प्रबंधकों/पर्यवेक्षकों/सचिवों हेतु आयोजित किए गए थे । सीडब्ल्यूसी, एन.आई.पी.एच.एम.,

एफ.एस.एस.ए.आई., डब्ल्यू.डी.आर.ए.. एवं अन्य संबंधित संगठनों के अधिकारियों/विशेषज्ञों द्वारा सत्रों का आयोजन किया गया।

17.14 पी.एम.एम.एस.वाई. के तहत **लिनाक रा.स.वि.नि. मत्स्य व्यवसाय ऊष्मायन केंद्र (लिफिक)** आधारित 6 माह की अवधि के 6 कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिससे मत्स्य व्यवसाय से जुड़े 81 युवा पेशेवरों/उद्यमियों/प्रगतिशील मछली पालन करने वाले/सहकारी कार्मिकों को लाभान्वित किया गया।

17.15 वर्ष के दौरान **"सहकारिताओं/स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के प्रशासन एवं व्यवसाय विकास में महिला निदेशकों की भूमिका"** पर 18 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें महिला सहकारिताओं/एसएचजी की महिलाओं द्वारा भाग लिया गया। इसमें कुल 951 महिला प्रतिभागियों ने भाग लिया।

17.16 321 सहकारिता के कार्मिकों के लिए **'माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और इंटरनेट पर कौशल क्लिनिक'** पर चार ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

17.17 दो ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम कृषि–निर्यातकों के रुप में सहकारी समितियों के विकास पर आयोजित किए गए, जिनमें कृषि–निर्यात व्यवसाय से जुड़े सहकारी समितियों के 256 कार्मिकों ने भाग लिया।

17.18 लिनाक को सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत एफपीओ हेतु केंद्रीय स्तरीय नोडल प्रशिक्षण संस्थान के रुप में नामित किया गया है तथा रा.स.वि.नि. द्वारा **केंद्रीय क्षेत्रक योजना के अंतर्गत 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफ.पी.ओ.) के गठन एवं संवर्धन** को बढ़ावा दिया जाता है। लिनाक ने 7 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें प्राथमिक स्तरीय सहकारिताओं हेतु परियोजना प्रबंधन एवं निगरानी, सहकारिताओं द्वारा मांस प्रसंस्करण व्यवसाय, सहकारिताओं द्वारा नारियल प्रसंस्करण व्यवसाय, व्यवसाय उद्यम के रुप में कृषि पर अभिविन्यास कार्यक्रम पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, सहकारिताओं द्वारा शहद प्रसंस्करण व्यवसाय आदि शामिल थे। इस कार्यक्रम में 393 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

17.19 **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पी.एम.एम.एस.वाई.)** के अंतर्गत देश भर के मत्स्य पालन सहकारिताओं के 561 कार्मिकों हेतु 11 प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।

नए कार्यक्रम

17.20 देश भर में एससीबी, डीसीसीबी, महासंघों एवं अन्य संगठनों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा कार्मिकों हेतु सहकारिता मंत्रालय की पहलों के प्रसार पर तीस ऑनलाइन कार्यक्रम आयोजित किए गए। उक्त कार्यक्रम में 4236 प्रतिभागियों

ने भाग लिया।

17.21 दिनांक 13–15 फरवरी, 2023 के दौरान तीन दिवसीय आवासीय शिक्षण–सह–एक्सपोजर दौरा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उक्त कार्यक्रम सहकारिता विभाग, बिहार के 30 वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आयोजित किया गया था।

17.22 दस ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें सहकारिताओं द्वारा डेयरी व्यवसाय पर कार्यक्रम, डेयरी सहकारिताओं के विकास हेतु रा.स.वि.नि. योजनाएं, सहकारिता द्वारा सूअर पालन व्यवसाय, दुधारु पशु स्वास्थ्य प्रबंधन एवं शुद्ध दूध उत्पादन, सहकारिता द्वारा बत्तख पालन व्यवसाय, सहकारिता द्वारा पशुचारा व्यवसाय आदि शामिल थे। उक्त कार्यक्रम में कुल 576 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

ए.ई.एन.ई.सी. – एक्ट पूर्व और पूर्वोत्तर सहकारिताए

17.23 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, सहकारी क्षेत्र को लाभान्वित करने के लिए एईएनईसी के अंतर्गत, रा.स.वि.नि. ने 10 पूर्व और पूर्वोत्तर राज्यों: – असम, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड मिजोरम, त्रिपुरा एवं झारखण्ड में सहकारिताओं की सहायता की है। इन क्षेत्रों में संभावित सेक्टरों के संवर्धन और विकास हेतु क्षमता विकास कार्यक्रम नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं।

सी.ई.एम.टी.सी. – सहकारिताओं के माध्यम से बाजार के लिए उत्कृष्टता केंद्र

17.24 सी.ई.एम.टी.सी. (सहकारिताओं के माध्यम से बाजार के लिए उत्कृष्टता केंद्र) उपभोक्ताओं के साथ उत्कृष्टता केंद्र के एकीकरण और सहकारिताओं के साथ जीआरएएम और अन्य बाजारों को एकीकृत करने पर केंद्रित है। इस संबंध में, कृषि और सहकारी क्षेत्र में कार्रवाई अनुसंधान, तंत्र तथा प्रौद्योगिकी विकास की उन्नति को बढ़ावा देने के लिए, वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, रा.स.वि.नि. ने अग्रणी विश्वविद्यालयों/संस्थानों के साथ 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

अध्याय–18

राजभाषा का संवर्धन

18.1 रा.स.वि.नि. हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए राजभाषा अधिनियम, 1963 के प्रावधानों का अनुपालन कर रहा है। राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप, निगम में एक राजभाषा प्रभाग कार्यरत है। राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10 के उप–नियम (4) के अनुसरण में, रा.स.वि.नि प्रधान कार्यालय के अतिरिक्त सभी क्षेत्रीय निदेशालयों तथा लिनाक, गुरुग्राम को भारत के राजपत्र में अपने दिन–प्रतिदिन के आधिकारिक कार्य करने के लिए अधिसूचित करवा लिया है।

राजभाषा हिंदी के प्रोत्साहन हेतु प्रशिक्षण

18.2 निगम में सभी 274 अधिकारी ध्कर्मचारी (जिनमें 29 मल्टी टास्किंग स्टाफ, ड्राइवर और इलेक्ट्रीशियन शामिल हैं) को हिंदी का कामकाजी ज्ञान/प्रवीणता प्राप्त है।

वित्तीय वर्ष 2023–24 में राजभाषा हिंदी का प्रगामी प्रयोग

18.3 राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के अनुपालन में, सभी सामान्य आदेश, परिपत्र, प्रेस विज्ञप्तियां, अधिसूचनाएं और प्रशासनिक प्रतिवेदन द्विभाषी रूप में अर्थात हिंदी और अंग्रेजी दोनों में जारी किए गए थे। वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान हिंदी में कुल 4825 पत्र जारी किए गए। क्षेत्रीय कार्यालयों, राज्यों और वैयक्तिक रुप से हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया।

18.4 सरकारी कामकाज में नोटिंग, ड्राफ्टिंग तथा डिक्टेशन में हिंदी का उपयोग करने के लिए अधिकारियों और कर्मचारियों को प्रोत्साहित करने के लिए, नकद पुरस्कार योजनाएं वर्ष 2022–23 के दौरान जारी रहीं। इस योजना के अंतर्गत, व्यक्तिगत पुरस्कार की श्रेणी में 21 तथा सामूहिक पुरस्कार के अंतर्गत 01 मुख्यालय से एवं 04 क्षेत्रीय निदेशालयों को पुरस्कृत किया गया है। इसी के साथ डिक्टेशन श्रेणी हेतु 03 अधिकारियों को पुरस्कार प्रदान किया गया।

18.5 कार्यालयीन कामकाज में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए दिनांक 19.09.2023 से 25.09.2023 तक "हिंदी सप्ताह" का आयोजन किया गया था। सप्ताह भर चलने वाले समारोह के दौरान हिंदी टाइपिंग, हिंदी निबंध लेखन, हिंदी नोटिंग ड्राफ्टिंग और हिंदी कविता पाठ प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया और 61 विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके साथ ही, इस सप्ताह के दौरान एक हिंदी कार्यशाला एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। हिंदी कार्यशाला में श्री बलराम प्रेम नारायण ने "हिंदी का राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्वरुप" पर व्याख्यान दिया तथा एक कवि सम्मेलन का संचालन पोएट्स ऑफ इंडिया के कवि समूह द्वारा किया गया था और निगम के कर्मचारियों द्वारा इसकी सराहना की गई थी। प्रधान कार्यालय के अलावा लिनाक तथा सभी क्षेत्रीय निदेशालयों ने भी अपने संबंधित कार्यालयों में हिंदी के प्रयोग को बढ़ाने के लिए हिंदी सप्ताह का आयोजन किया।

18.6 वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान, राजभाषा नीति के कार्यान्वयन की प्रगति का आकलन करने हेतु प्रधान कार्यालय के सभी अनुभागों/प्रभागों, लिनाक, गुरुग्राम तथा 4 क्षेत्रीय निदेशालयों (भुवनेश्वर, पुणे, राँची एवं जयपुर) का निरीक्षण किया गया। इसके अतिरिक्त, कुल पुस्तकालय अनुदान का 59.37ः हिंदी पुस्तकों की खरीद पर व्यय किया गया। रा.स.वि.नि. में सभी शीर्षक, नामपट्ट, रबर की मुहरें एवं फॉर्म द्विभाषी रूप में तैयार किए जाते हैं।

18.7 वर्ष 2022–23 में क्षेत्रीय निदेशालय, चंडीगढ़ को नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), पंचकूला द्वारा राजभाषा हिंदी में उत्कृष्ट कार्यान्वयन हेतु द्वितीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वर्ष 2022–23 के दौरान, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा क्षेत्रीय निदेशालय, शिमला को हिंदी में सराहनीय प्रयासों के लिए 'क' क्षेत्र के अंतर्गत प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

18.8 निगम द्वारा राजभाषा हिंदी के प्रयोग के मूल्यांकन हेतु राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाती है। संचयी रुप से, समिति के गठन की तिथि से वित्तीय वर्ष 2023–24 तक कुल 152 बैठकें संपन्न हो चुकी हैं।

अनुबंध

अनुबंध –I

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

(दिनांक 31.03.2024 तक)

महापरिषद – रा.स.वि.नि.

(केन्द्र सरकार द्वारा अपनी दिनांक 02.02.2024 की राजपत्रित अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 93 (ई) के अंतर्गत गठित भारत के राजपत्र – असाधारण के भाग–II के खंड–3 के उपखंड (i) में प्रकाशित।

क. सं.	सदस्यों के नाम	पदनाम
I.	**धारा 3 (4) (i) के अंतर्गत नामित**	
1	**श्री अमित शाह** केन्द्रीय सहकारिता मंत्री, भारत सरकार, 8वाँ तल, अटल अक्षय ऊर्जा भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड, एनआईए बिल्डिंग के पीछे, **नई दिल्ली–110003.**	अध्यक्ष
2	**डॉ. आशीष कुमार भुटानी** सचिव, सहकारिता मंत्रालय, द्वितीय तल, अटल अक्षय ऊर्जा भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड, एनआईए बिल्डिंग के पीछे, **नई दिल्ली–110003.**	उपाध्यक्ष
II.	**धारा 3(4) (ii) के अंतर्गत आर्थिक मामलों से संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों से नामित**	
3	**रिक्त** अपर सचिव, सहकारिता मंत्रालय, अटल अक्षय ऊर्जा भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड, एनआईए बिल्डिंग के पीछे, **नई दिल्ली–110003.**	सदस्य
4	**श्री रोहित कुमार सिंह** सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कमरा सं. 49, कृषि भवन, **नई दिल्ली–110001.**	सदस्य
5	**श्री संजीव चोपड़ा** सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, **नई दिल्ली–110001.**	सदस्य

क. सं.	सदस्यों के नाम	पदनाम
6	**श्रीमती रचना शाह** सचिव, वस्त्र मंत्रालय, कमरा न0–130ए, उद्योग भवन, **नई दिल्ली–110011.**	सदस्य
7	**डॉ. टी. वी. सोमनाथन** सचिव, व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, कमरा नं. 129ए, नार्थ ब्लाक, **नई दिल्ली–110001.**	सदस्य
8	**श्रीमती अनिता प्रवीण** सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पंचषील भवन, खेल गांव मार्ग, **नई दिल्ली–110049.**	सदस्य
9	**श्री बी. वी. आर. सुब्राहमण्यम** मुख्य कार्यकारी अधिकारी. नीति आयोग, सीईओ का चेम्बर, पाँचवा तल, नीति भवन, संसद मार्ग, **नई दिल्ली–110001**	सदस्य
10	**श्री संजीव कुमार** अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, **नई दिल्ली–110001.**	सदस्य
III.	**धारा 3(4) (iii) के अंतर्गत नामित**	
11	**श्री शाजी के. वी.** अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), प्लॉट न0–सी–24, जी–ब्लॉक, बान्द्राकुर्ला कॉम्प्लेक्स, पोस्ट बाक्स नं. 8121, बान्द्रा (ईस्ट), **मुंबई–400051.**	सदस्य
V.	**धारा 3(4) (v) के अंतर्गत नामित**	
12	**श्री अशोक के. के. मीना** अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेषक, भारतीय खाद्य निगम, 16–20, बाराखम्बा रोड, **नई दिल्ली–110001.**	सदस्य
VI.	**धारा 3(4) (vi) के अंतर्गत नामित**	
13	**श्री अमित कुमार सिंह** प्रबंध निदेषक, केन्द्रीय भण्डारण निगम, 4/1, सीरी इंस्टीटयूषनल एरिया, खेल गांव मार्ग, **नई दिल्ली–110016.**	सदस्य

क. सं.	सदस्यों के नाम	पदनाम
VII.	**धारा 3(4) (vii) के अंतर्गत नामित**	
14	रिक्त	**सदस्य**
VIII.	**धारा 3(4) (viii) के अंतर्गत नामित**	
15	**श्री दिनेश कुमार खारा** अध्यक्ष, भारतीय स्टेट बैंक, स्टेट बैंक भवन, मैडम कामा रोड, **मुंबई–400021.**	**सदस्य**
IX.	**धारा 3(4) (ix) के अंतर्गत नामित**	
16	**श्री दिलीप संघानी** अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एन.सी.यू.आई.), 3,सीरी इंस्टीट्यूषनल एरिया, खेल गांव मार्ग, हौज खास के पीछे, **नई दिल्ली–110016.**	**सदस्य**
X.	**धारा 3(4) (x) के अंतर्गत नामित**	
17	**डॉ बिजेन्दर सिंह** अध्यक्ष, भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लि0, नेफेड हाउस, सिद्धार्थ एन्कलेव, रिंग रोड, आश्रम चौक, **नई दिल्ली–110014**	**सदस्य**
XI.	**धारा 3(4) (xi) के अंतर्गत नामित**	
18	**श्री हर्षवर्धन शाहजीराव पाटिल** अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लि0, अंसल प्लाजा, ब्लॉक –सी, दूसरा तल, अगस्त क्रांति मार्ग, **नई दिल्ली–110049**	**सदस्य**
XII.	**धारा 3(4) (xii) के अंतर्गत नामित**	
19	**श्री राजेन्द्र यदरावकर पाटिल** अध्यक्ष, अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल्स संघ लि0, कनाडा बिल्डिंग, दूसरा तल, 226, डी0 एन0 रोड, **मुंबई–400001.**	**सदस्य**
XIII.	**धारा 3(4) (xiii) के अंतर्गत नामित**	
20	**श्री कोंदुरु रविंदर राव** अध्यक्ष, राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक संघ लि0, जे0 के0 चैम्बर, 5वां तल, प्लाट नं0–76, सेक्टर–17, वाशी, **नवी मुंबई–400703.**	**सदस्य**

क. सं.	सदस्यों के नाम	पदनाम
XIV.	धारा 3(4) (xiv) के अंतर्गत राज्य सरकारों एवं संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के नामित प्रतिनिधि	
21	**डॉ. बालेपु कल्यान चक्रवर्ती** प्रधान सचिव (सहकारिता), असम सरकार, कमरा नं0–318, असम सचिवालय दिसपुर, गुवाहाटी, **असम–781006.**	सदस्य
22	**श्री राजेश कुमार सिंह** प्रधान सचिव (सहकारिता), उत्तर प्रदेष सरकार, कमरा नं.604–605, सी ब्लाक, लोक भवन, सचिवालय, लखनऊ, **उत्तर प्रदेश–226001.**	सदस्य
23	**श्रीमती दिपाली रस्तोगी** प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, मध्य प्रदेष सरकार, कमरा नं. 210, वल्लभ भवन–1, मंत्रालय, भोपाल, **मध्य प्रदेश–462004.**	सदस्य
24	**श्री सी. पॉलरासू** सचिव (सहकारिता), हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश सचिवालय, शिमला, **हिमाचल प्रदेश –171002**	सदस्य
25	**सुश्री बबिला रकवाल** सचिव (सहकारिता), संघ राज्य प्रशासन जम्मू एवं कश्मीर, सहकारिता विभाग, कमरा नं. 1/33– मुख्य भवन, सिविल सचिवालय, **जम्मू, जम्मू एवं कश्मीर – 180001** (अक्तूबर – अप्रैल के मध्य) सचिव (सहकारिता), संघ राज्य प्रशासन जम्मू एवं कश्मीर, कमरा नं. 411, मुख्य भवन, सिविल सचिवालय, **श्रीनगर, जम्मू एवं कश्मीर,** (मई –सितंबर के मध्य)	सदस्य
26	**रिक्त** अतिरिक्त मुख्य सचिव (सहकारिता), महाराष्ट्र सरकार, मंत्रालय, मदम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु स्क्वायर, नारीमन प्वाइंट, मुंबई, **महाराष्ट्र–400032.**	सदस्य
27	**डॉ. राज शेखर वुंदू** अतिरिक्त मुख्य सचिव (सहकारिता), हरियाणा सरकार, कमरा सं. 101, प्रथम तल, नया हरियाणा सिविल सचिवालय, सेक्टर–17, चण्डीगढ़, **हरियाणा–160017**	सदस्य

क. सं.	सदस्यों के नाम	पदनाम
28	**श्री विजय कुमार सिंह** विषेष मुख्य सचिव सह वित्तीय आयुक्त (सहकारिता), पंजाब सरकार, कमरा नं0–2, द्वितीय तल, सेक्टर–1, पंजाब मुख्य सचिवालय, चंडीगढ़, **पंजाब–160001**	सदस्य
29	**श्री धर्मेन्द्र प्रताप यादव** प्रधान सचिव, हथकरघा, हस्तषिल्प, वस्त्र एवं खादी विभाग, तमिलनाडु सरकार, सचिवालय परिसर, फोर्ट सेंट जॉर्ज, चेन्नई, **तमिलनाडु–600009.**	सदस्य
30	**श्रीमती सूची त्यागी** सचिव, सहकारिता विभाग, राजस्थान सरकार, कमरा नं. 2020, मेन बिल्डिंग, राजस्थान सचिवालय, जयपुर, **राजस्थान– 302008.**	सदस्य
31	**डॉ. कृष्णा गुप्ता** अतिरिक्त मुख्य सचिव (सहकारिता), पष्चिम बंगाल सरकार, नया सचिवालय भवन, ब्लाक–सी, चौथा तल, 1 के.एस. राय रोड, कोलकता, **पश्चिम बंगाल–700001.**	सदस्य
XV.	**धारा 3(4) (xv) के अंतर्गत राज्य स्तरीय सहकारी संघों के नामित प्रतिनिधि:**	
32	**श्रीमती पूर्णिमा देवी** अध्यक्ष, झारखण्ड महिला स्वयं सहायता कुक्कुटपालन सहकारी संघ लि0, मकान नं. 34/सी, रोड नं.1, पार्क रोड, अषोक नगर, राँची, **झारखण्ड–834002,**	सदस्य
33	**श्री भीमा नायक** अध्यक्ष, कर्नाटक सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लि0 (के0एम0एफ), केएमएफ कॉम्लेक्स, डा0 एम0एच0 मैरी गौड़ा रोड, बेंगलूरु, **कर्नाटक–560029**	सदस्य
34	**श्रीमती बोड्डु जयलक्ष्मी** अध्यक्ष, आंध्र प्रदेष स्त्री निधि ऋण सहकारी संघ लि0, द्वितीय तल, एनटीआर प्रषासनिक बिल्डिंग, आरटीसी काम्पलेक्स, एनटीआर डिस्ट्रिक्ट, विजयवाड़ा, **आंध्र प्रदेश–520013**	सदस्य

क. सं.	सदस्यों के नाम	पदनाम
35	**रिक्त** अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन महासंघ लि0, 6वां तल, टावर–सी, कामर्षियल काम्पलेक्स, सीबीडी, सेक्टर–21, नवा रायपुर, अटल नगर, **छत्तीसगढ़–492002.** (पंजीकृत सहकारी समिति के नियंत्रणाधीन)	**सदस्य**
36	**श्री शामलभाई बी. पटेल** अध्यक्ष, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ लि0 (जी.सी.एम.एम.एफ.), अमूल डेयरी रोड, पोस्ट बॉक्स नं0–10, आणंद, **गुजरात–388001**.	**सदस्य**
37	**श्री रमेश चन्द्र चौबे** अध्यक्ष, बिहार राज्य सहकारी बैंक लि., अशोक राजपथ, पटना, **बिहार– 800004.**	**सदस्य**
38	**श्री टी. मनोहरन** अध्यक्ष, केरल राज्य सहकारी मात्स्यिकी महासंघ लि0 (मत्स्यफेड), कमलेष्वरम, पो0ऑ0 मानाकुड, तिरूअनन्तपुरम, **केरल – 695009.**	**सदस्य**
39	**श्री के. रांगथांगपुइया** अध्यक्ष, मिजोरम राज्य सहकारी विपणन एवं उपभोक्ता संघ लि0 (मिजोफेड), न्यू कैपिटल काम्पलेक्स, माइनको, आईजोल, **मिजोरम–796001**.	**सदस्य**
40	**श्री सांग खण्डू मोसोबी** अध्यक्ष, अरुणाचल प्रदेष राज्य सहकारी विपणन संघ लि0, पी.ओ./पीएस–नाहरलागुन, पापुन परे डिस्ट्रिक्ट, **अरुणाचल प्रदेश –7911101**.	**सदस्य**
41	**रिक्त** अध्यक्ष, सिक्किम राज्य सहकारी बैंक लि0, एनएच–10, टाडांग, नीयर मेट्रो प्वाइंट, **सिक्किम–737102**.	**सदस्य**
42	**श्री टी. प्रसाद राव डोरा** अध्यक्ष, ओडिसा राज्य सहकारी बैंक लि0, पं. जे. एन. मार्ग, भुवनेष्वर, **ओडिशा–751001.**	**सदस्य**

क. सं.	सदस्यों के नाम	पदनाम
XVI.	धारा 3(4) (xvi) के अंतर्गत कृषि सहकारी विकास में विशिभट ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव रखने वाले नामित व्यक्ति।	
43	**श्री हर्षवर्धन शाहजीराव पाटिल** पोस्ट–बावडा, इंदापुर, पुणे, **महाराष्ट्र–413103.**	**सदस्य**
44	**श्री सतीश काशीनाथ मराठे** मकान नं.67, कृष्णा प्रसाद, डॉ. एम.बी. राउत रोड, शिवाजी पार्क, ब्रहम्ण अली, अलीबाग, मुम्बई, **महाराष्ट्र–400028.**	**सदस्य**
45	**श्री दीनानाथ ठाकुर** बी3ए–01/02, सुशान्त एक्वापोलिस, एनएच–24, डूंडाहेरा, गाजियाबाद, **उत्तर प्रदेश–201016.**	**सदस्य**
46	**श्री धनंजय कुमार सिंह** एस 52/82, सहकारी भवन छावनी, वाराणसी, **उत्तर प्रदेश–221002.**	**सदस्य**
XVII.	धारा 3(4) (xvii) के अंतर्गत राष्ट्रीय स्तरीय संघों का प्रतिनिधित्व करने वाले अथवा सहकारी कार्यक्रमों के संवर्धन एवं विकास में रूचि रखने वाले नामित व्यक्ति	
47	**श्री डालर कोटेचा** अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक महासंघ लि0, 701, बीएसईएल टेक पार्क, ए– विंग, सातवां तल, रेलवे स्टेषन वाषी के सामने, नवी मुंबई, **महाराष्ट्र–400703.**	**सदस्य**
48	**डॉ. मीनेश शाह** अध्यक्ष, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आनन्द, **गुजरात–388001**	**सदस्य**
49	**श्री लक्ष्मी दास** अध्यक्ष, राष्ट्रीय शहरी सहकारी बैंक एवं ऋण समिति महासंघ लि0, (नैफकब), बी –14, तीसरा तल, ए ब्लॉक, शॉपिंग परिसर, नारायणा विहार, रिंग रोड, **नई दिल्ली–110028.**	**सदस्य**
50	**डॉ. यू. एस. अवस्थी** प्रबंध निदेषक, इफको, सी–1, जिला केन्द्र, साकेत प्लेस, **नई दिल्ली–110017.**	**सदस्य**
XVIII.	धारा 3(4) (xviii) के अंतर्गत नामित	
51	**श्री पंकज कुमार बंसल** प्रबंध निदेषक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4, सिरी इंस्टीटयूशनल एरिया, हौज खास, **नई दिल्ली –110016.**	**सदस्य**

क. सं.	सदस्यों के नाम	पदनाम
XIX.	**विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में सरकार द्वारा नामित**	
52	**श्री देवेश चतुर्वेदी** सचिव, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, **नई दिल्ली–110001**	**विशेष आमंत्रित**
53	**सुश्री अलका उपाध्याय** सचिव, पशुपालन एव डेयरी विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, **नई दिल्ली–110001**	**विशेष आमंत्रित**
54	**डॉ. अभिलक्ष लिखी** सचिव, मत्स्य पालन विभाग, मत्स्य पालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, **नई दिल्ली–110001**	**विशेष आमंत्रित**

अनुबंध –II

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम

(दिनांक 31.03.2024 तक)

प्रबंधन मंडल – रा.स.वि.नि.

(केन्द्र सरकार द्वारा अपनी दिनांक 02.02.2024 की राजपत्रित अधिसूचना संख्या जी.एस.आर. 92 (ई) के अंतर्गत गठित भारत के राजपत्र – असाधारण के भाग–II के खंड–3 के उपखंड (i) में प्रकाशित।

क. सं.	सदस्यों के नाम	पदनाम
धारा 10 (1) (i) के अंतर्गत नामित		
1	**डॉ. आशीष कुमार भुटानी** सचिव, सहकारिता मंत्रालय, द्वितीय तल, अटल अक्षय ऊर्जा भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड, एनआईए बिल्डिंग के पीछे, **नई दिल्ली–110003.**	अध्यक्ष
धारा 10 (1) (ii) के अंतर्गत नामित		
2	**रिक्त** अपर सचिव, सहकारिता मंत्रालय, अटल अक्षय ऊर्जा भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड, एनआईए बिल्डिंग के पीछे, **नई दिल्ली–110003.**	उपाध्यक्ष
3	**श्री संजीव चोपड़ा** सचिव, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, कृषि भवन, **नई दिल्ली–110001.**	सदस्य
4	**श्री संजीव कुमार** अपर सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, कृषि भवन, **नई दिल्ली–110001.**	सदस्य
धारा 10 (1) (iii) के अंतर्गत नामित		
5	**श्री शाजी के. वी.** अध्यक्ष, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक(नाबार्ड), प्लाट नं. सी–24, जी ब्लाक, बान्द्रा कुर्ला काम्पलेक्स, पोस्ट बाक्स नं.–8121, बान्द्रा (ईस्ट), **मुम्बई–400051**	सदस्य

क. सं.	सदस्यों के नाम	पदनाम
धारा 10 (1) (iv) के अंतर्गत नामित		
6	**श्री हर्षवर्धन शाहजीराव पाटिल** अध्यक्ष, राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लि0, अंसल प्लाजा, ब्लाक–सी, द्वितीय तल, अगस्त क्रान्ति मार्ग, **नई दिल्ली–110049**	**सदस्य**
धारा 10 (1) (v) के अंतर्गत नामित		
7	**श्री धर्मेन्द्र प्रताप यादव** प्रधान सचिव, हथकरघा, हस्तशिल्प, वस्त्र एवं खादी विभाग, तमिलनाडु सरकार, सचिवालय, फोर्ट स्ट्रीट जॉर्ज, चेन्नई, **तमिलनाडु–600 009.**	**सदस्य**
8	**श्री राजेश कुमार सिंह** प्रधान सचिव (सहकारिता), उत्तर प्रदेश सरकार, कमरा नं.604–605, सी ब्लाक, लोक भवन, सचिवालय, लखनऊ, **उत्तर प्रदेश–226001.**	**सदस्य**
धारा 10 (1) (vi) के अंतर्गत नामित		
9	**श्री शामलभाई बी. पटेल** अध्यक्ष, गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन महासंघ लि0, (जीसीएमएमएफ), अमूल डेरी रोड, पोस्ट बाक्स न. 10, आणंद, **गुजरात–388001**	**सदस्य**
10	**श्रीमती बोड्डु जयलक्ष्मी** अध्यक्ष, आंध्र प्रदेश स्त्री निधि ऋण सहकारी संघ लि0, द्वितीय तल, एनटीआर प्रशासनिक बिल्डिंग, आरटीसी काम्पलेक्स, एनटीआर डिस्ट्रिक्ट, विजयवाड़ा, **आंध्र प्रदेश–520013.**	**सदस्य**
धारा 10 (1) (vii) के अंतर्गत नामित		
11	**श्री धनन्जय कुमार सिंह** एस–52/82, सहकारी भवन कैंटोन्मेंट, वाराणसी, **उत्तर प्रदेश–221002.**	**सदस्य**
धारा 10 (1) (viii) के अंतर्गत नामित		
12	**श्री पंकज कुमार बंसल** प्रबंध निदेशक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, 4, सीरी इंस्टीटयूशनल एरिया, हौज खास, **नई दिल्ली–110016.**	**सदस्य**

अनुबंध–III

रा.स.वि.नि. का संगठनात्मक चार्ट (31.03.2024 को)

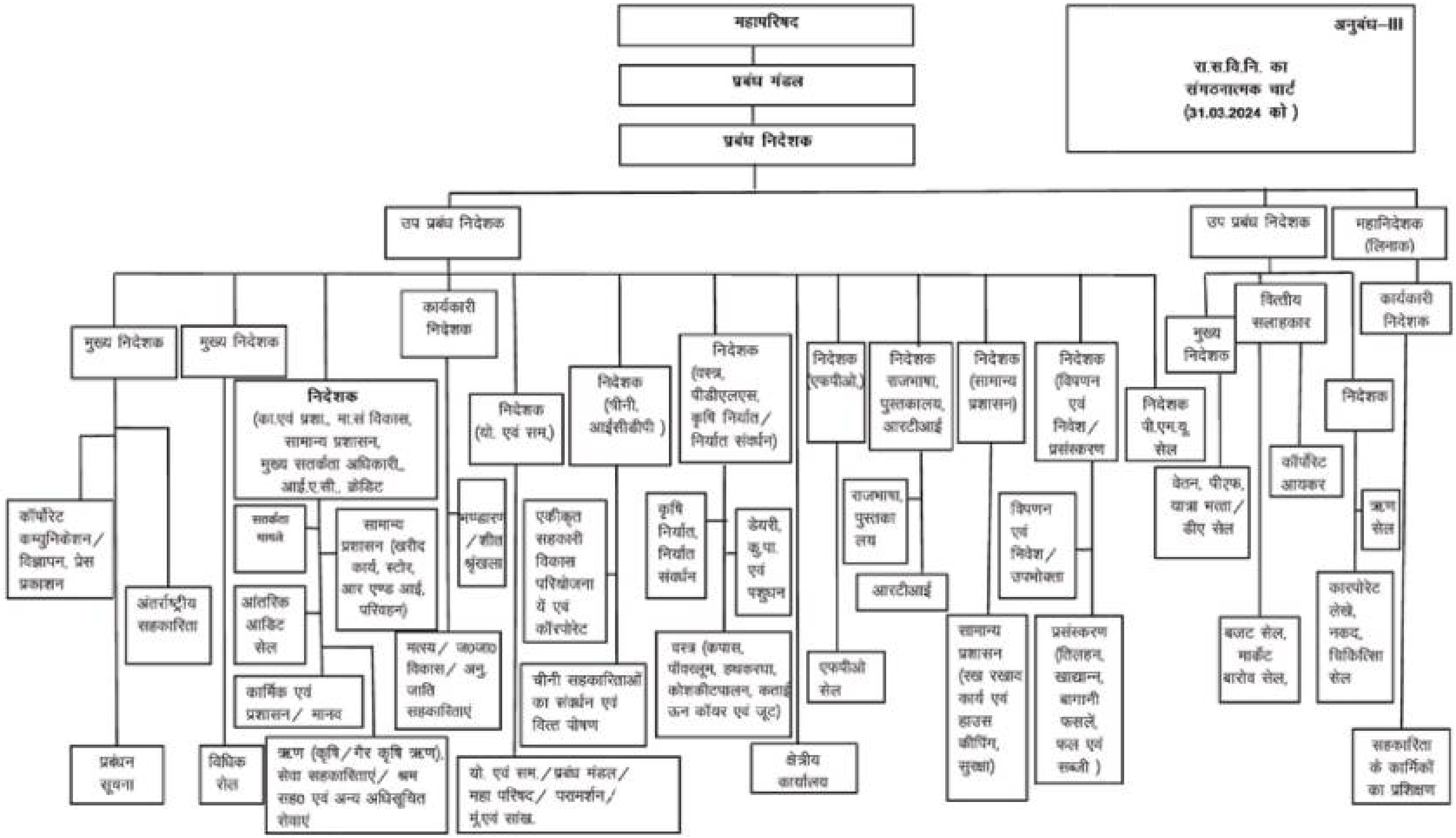

अनुबंध –iv

रा.स.वि.नि. द्वारा कार्यान्वित स्कीमें/सहायता प्राप्त कार्यकलाप

I- रा.स.वि.नि. प्रायोजित स्कीमें

क. सहायता प्राप्त कार्यकलापः

रा.स.वि.नि. सहकारिताओं को उनके विकास के लिए ऋणों (आवधिक एवं निवेश दोनों ऋण) के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है । ऋण अवयव रा.स.वि.नि. की स्वंय की निधियों से प्रदान किये जाते हैं जबकि पात्र सब्सिडी केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के साथ सामजंस्य स्थापित करने के पश्चात प्रदान की जाती है। रा.स.वि.नि. द्वारा सहाय्यित कार्यकलापों की सूची निम्न प्रकार से है:–

क. विपणन :

– मार्जिन मनी/कार्यशील पूंजी सहायता

– प्राथमिक/जिला सहकारी विपणन समितियों के अंशपूंजी आधार का सुदृढ़ीकरण

– फर्नीचर, फिक्सचर, प्रशीतित वैनों समेत परिवहन वाहनों की खरीद

– कृषि विपणन संरचना, ग्रेडिंग तथा मानकीकरण का विकास/सुदृढ़ीकरण

ख. प्रसंस्करण :

– नये चीनी कारखानों की स्थापना (निवेश ऋण)

– वर्तमान चीनी कारखानों का आधुनिकीकरण तथा विस्तारण/विविधीकरण (निवेश ऋण तथा आवधिक ऋण)

– नई कताई मिलों की स्थापना/वर्तमान कताई मिलों का आधुनिकीकरण/विस्तारण/पुर्नस्थापना

– वर्तमान कपास जिन्निंग एवं प्रेसिंग इकाइयों का आधुनिकीकरण/विस्तारण तथा आधुनिक कपास जिन्निंग एवं प्रेसिंग इकाइयों की स्थापना

– लघु एवं मध्यम आकार की कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रक प्रसंस्करण इकाइयाँ/प्रि/पोस्ट लूम प्रसंस्करण/गार्मेंट एवं बुनाई इकाइयाँ

– खाद्यान्न/तिलहन/बागानी फसलें/फल एवं सब्जी/मक्का स्टार्च/पार्टिकल बोर्ड आदि जैसी अन्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना

– मार्जिन–मनी/कार्यशील पूंजी सहायता

– नई कताई मिलों में राज्य सरकार द्वारा अंशपूंजी सहभागिता

ग. भंडारण :

– गोदामों का निर्माण तथा वर्तमान गोदामों की मरम्मत/नवीकरण

– मार्जिन–मनी/कार्यशील पूंजी सहायता

घ. शीत श्रृंखला :

- शीत भंडारों का निर्माण/विस्तारण/आधुनिकीकरण
- शीत श्रृंखला के अवयवों की स्थापना जिसमें मुख्यतः शामिल हैं – (i) एकीकृत पैक हाउस, (ii) परिवहन से संबंधित (iii) शीत भंडारण (फार्म गेट के पास–थोक रूप में) (iv) शीत भंडारण (बाजार के पास हब रूप में) और (v) राइपनिंग यूनिट (पकाने के लिए इकाइयां/सामग्री) इत्यादि
- मार्जिन–मनी/कार्यशील पूंजी सहायता

ड. औद्योगिक

- सभी प्रकार की औद्योगिक सहकारिताएं, कुटीर एवं ग्रामोद्योग, हस्तशिल्प/ग्रामीण शिल्प आदि

च. सहकारिताओं के माध्यम से आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का वितरण :

- संरचनाओं जैसे शॉपिंग केन्द्रों, डीजल/केरोसिन बंक एवं भंडारों तथा थोक उपभोक्ता सहकारी भंडारों, विभागीय उपभोक्ता भंडारों एवं उपभोक्ता संघों का नव निर्माण/विस्तारण/आधुनिकीकरण
- उपभोक्ता वस्तुओं के वितरण हेतु फर्नीचर फिक्सचर, प्रशीतित वाहनों समेत यातायात वाहनों की खरीद
- मार्जिन–मनी/कार्यशील पूंजी सहायता

छ. ऋण एवं सेवा सहकारिताएं/अधिसूचित सेवाएं:

- कृषि ऋण/कृषि बीमा
- जल संरक्षण कार्य/सेवाएं
- ग्रामीण क्षेत्रों में सिंचाई, सूक्ष्म सिंचाई
- पशु देखभाल/स्वास्थ्य, बीमारी की रोकथाम
- सहकारिताओं के जरिए ग्रामीण स्वच्छता, जल निकासी, मल–जल व्ययन
- पर्यटन, आतिथ्य, यातायात
- नये, गैर पारंपरिक एवं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों द्वारा विद्युत का उत्पादन एवं वितरण
- ग्रामीण आवास
- अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल एवं शिक्षा
- ऋण सहकारी समितियों के लिए संरचना का सजृन

ज. सहकारी बैकिंग इकाई :

- आधुनिक बैंकिंग इकाइयों से संबंधित संरचना निर्माण के लिए पैक्स को सहायता

झ. कृषिक सेवाएं :

- सहकारी कृषक सेवा केन्द्र

- कस्टम हायरिंग हेतु कृषि सेवा केन्द्र
- कृषिक निवेश, विनिर्माण एवं संबद्ध इकाइयों की स्थापना
- सिंचाई/जल संग्रहण कार्यक्रम

ण. जिला योजना स्कीमें :

- चयनित जिलों में एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं

ट. कमजोर वर्गों की सहकारिताएं :

- मात्स्यिकी, डेयरी एवं पशुधन, कुक्कुटपालन, अनु0 जा0, जन जातीय सहकारिताएं, हथकरघा, कॉयर, जूट, कोशकीटपालन, महिला, पर्वतीय क्षेत्र, तंबाकू तथा श्रम सहकारिताएं

ठ. सहकारिताओं के कंप्यूटरीकरण हेतु सहायता :

- कंप्यूटरों की खरीद/संस्थापना, हार्डवेयर, सिस्टम व सॉफ्टवेयर, नेटवर्किंग, अनुरक्षण लागत, तकनीकी जन शक्ति, विकासात्मक क्षमता एवं प्रशिक्षण आदि हेतु सहायता प्रदान की जाती है

ड संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यक्रम :

ख. रा0स0वि0नि0 के केन्द्रित उत्पाद :

क) **युवा सहकार–सहकारी उद्यम सहयोग एवं नवीन योजना :** इस योजना का उद्देश्य नवगठित सहकारी समितियों को नए एवं/या नवीन विचारों के साथ प्रोत्साहित करना है।

ख) **आयुष्मान सहकार :** इस योजना में अस्पतालों, स्वास्थ्य देखभाल, चिकित्सा शिक्षा, नर्सिंग शिक्षा, पैरामेडिकल शिक्षा, स्वास्थ्य बीमा और आयुष जैसी समग्र स्वास्थ्य प्रणालियों को शामिल करने के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण है।

ग) **नंदिनी सहकार :** इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार करना तथा महिला सहकारी समितियों के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता की गतिशीलता का समर्थन करना है। यह महिलाओं के उद्यम, व्यवसाय योजना निर्माण, क्षमता विकास, ऋण तथा सब्सिडी और/या अन्य योजनाओं के ब्याज अनुदान के महत्वपूर्ण निवेश को एकत्रित करेगा।

घ) **डेयरी सहकार :** यह एक सहकारी डेयरी व्यवसाय है जो कि ईएसजी (पर्यावरण, सामाजिक, शासन) से जुड़ी गतिविधियों में उच्च परिणाम प्राप्त करने के लिए सहकारी समितियों को प्रोत्साहित करने हेतु वित्तीय सहायता का केन्द्रित ढांचा है। इसमें नई परियोजनाओं के लिए सहकारी समितियों द्वारा बुनियादी ढांचे का निर्माण तथा मौजूदा परियोजनाओं का आधुनिकीकरण तथा/या विस्तार शामिल है ।

ङ) **डिजिटल सहकार :** डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों के अनुरूप, रा.स.वि.नि. ने हैंडहोल्डिंग तथा क्रेडिट लिंकेज के लिए डिजिटल रूप से सशक्त सहकारी समितियों के लिए एक केन्द्रित वित्तीय सहायता ढांचे की कल्पना की है, जो कि डिजिटल इंडिया में सक्रिय रूप से भाग लेने के उद्देश्य से भारत सरकार/राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/एजेंसियों के साथ सहकारिताओं के बीच अनुदान, सब्सिडी, प्रोत्साहन आदि के साथ जुड़ा हुआ है।

च) **स्वयं शक्ति सहकार योजना** : यह महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण/अग्रिम प्रदान करने हेतु रा.स.वि.नि. द्वारा कृषिक ऋण सहकारिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करती है ।

छ) **दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना** : रा.स.वि.नि. ने अपने क्षेत्राधिकार के अंतर्गत दीर्घावधि ऋणों के बढ़े हुए उधार/कार्यकलापों हेतु अग्रिम/जिंसों/सेवाओं के संबंध में कृषिक ऋण सहकारिताओं के लिए दीर्घावधि वित्तीय सहायता को विस्तारित किये जाने हेतु यह योजना शुरु की है।

II. **अन्य केन्द्रीय योजनाएं :**

क) **भंडारण तथा भंडारण संरचना के अतिरिक्त केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक विपणन (सीएसआईएसएएम) स्कीम की उपयोजना–कृषिक विपणन संरचना (एएमआई)** – कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय कृषि विकास येाजना (प्रशिक्षण), कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

ख) **एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच)** – कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

ग) **कृषि अवसंरचना निधि स्कीम के अंतर्गत वित्तीय सुविधा के माध्यम से ब्याज रियायत एवं ऋण गारंटी** – कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ।

घ) **राष्ट्रीय कृषि विस्तारण एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी)** की बीज एवं पादप सामग्री के उप मिशन के अंतर्गत बीज उत्पादन अवयवों को बढ़ाने हेतु सहायता।

ङ) **प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई)**– मात्स्यिकी विभाग, मात्स्यिकी, पशुधन एवं डेयरी मंत्रालय।

च) **प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारिकीकरण (पीएमएफएमई)** – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय।

छ) **10,000 किसान उत्पादन संगठनों के गठन एवं संवर्धन हेतु योजना (एफपीओ)**– कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय।

ज) (i) **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)** – खाद्य प्रस्संकरण एवं मूल्यवर्धन योजना– खाद्य एवं प्रंसस्करण उद्योग मंत्रालय।

(ii) **प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई)** – एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्यवर्धन अवसंरचना स्कीम– खाद्य एवं प्रस्संकरण उद्योग मंत्रालय ।

झ) **राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम** – जनजातिय कार्य मंत्रालय।

ञ) **राष्ट्रीय पशुधन मिशन(एनएलएम) तथा राष्ट्रीय गोकुल मिशन – (आरजीएम)** – पशुधन एवं डेयरी विभाग, मात्स्यिकी, पशुधन एवं डेयरी मंत्रालय।

ट) **पुनर्गठित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)** – पशुधन एवं डेयरी विभाग, मात्स्यिकी, पशुधन एवं डेयरी मंत्रालय।

अनुबंध –V

सहायता प्राप्त स्कीमों के लिए सहायता की पद्धति (पैटर्न)

रा.स.वि.नि. सहकारी समितियों को उनके विकास के लिए ऋण (आवधिक तथा निवेश दोनों प्रकार के ऋण) तथा सब्सिडी/ब्याज रियायत के रुप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। यह सहायता विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं तथा रा.स.वि.नि. प्रायोजित योजना के अंतर्गत प्रदान की जाती है। निगम द्वारा ऋण अवयव अपनी निजी निधियों से जबकि सब्सिडी/ब्याज रियायत रा0स0वि0नि0 द्वारा क्रियान्वित की जा रही विभिन्न केंद्रीय क्षेत्रक योजनाओं के अनुसार प्रदान की जाती है। सब्सिडी की राशि भारत सरकार से प्राप्त होने की शर्त पर दी जाती है अन्यथा समकक्ष राशि ऋण के रुप में प्रदान की जाती है। सीएसआईएसएसी के अंतर्गत सब्सिडी कृषि और संबद्ध कार्यकलापों के लिए थी तथा स्कीम के अंतर्गत स्वीकृत परियोजनाओं हेतु प्रतिबद्ध देनदारियों को समाप्त करने के लिए संवितरित की गई थी।

2. **कमजोर वर्ग में** (i) विपणन (ii) प्रसंस्करण (कृषि तथा संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित लघु तथा मध्यम आकार की प्रसंस्करण इकाइयाँ), (iii) भंडारण, सहित शीत श्रृंखला तथा (iv) उपभोक्ता कारोबार तथा कृषि एवं संबद्ध कार्यकलापों से संबंधित (क) मात्स्यिकी, (ख) डेयरी एवं पशुधन, (ग) कुक्कुटपालन (घ) कॉयर, (ङ.) जूट, (च) कोशकीटपालन, (छ) हथकरघा एवं (ज) तम्बाकू सहकारिताओं द्वारा शुरु किए गए कार्यकलाप सम्मिलित है। इन कार्यक्रमों/कार्यकलापों के अलावा उपर्युक्त कार्य करने के लिए कमजोर वर्गों के लाभ, जनजातीय/अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों/पर्वतीय क्षेत्रों, श्रम तथा महिला सहकारिताओं तक भी विस्तारित किए जाएंगे।

3. **विभिन्न कार्यक्रमों के निधिपोषण की पद्धति निम्न प्रकार से है :**

क. व्यापार विकास एवं अवसंरचनात्मक सृजन (परियोजना सुविधाएँ):

व्यापार विकास कार्यकलापों हेतु रा.स.वि.नि. द्वारा वित्त पोषित क्षेत्रों/कार्यकलापों हेतु सभी प्रकार की राष्ट्रीय, राज्य, जिला, क्षेत्रीय एवं प्राथमिक स्तरीय सहकारिताओं को कार्यशील पूंजी सहायता विस्तारित की गई। निम्नलिखित कार्यकलापों के लिए अवसंरचनात्मक सृजन हेतु आवधिक ऋण एवं मार्जिन मनी ऋण सहायता विस्तारित की गई –

राज्य सरकार के माध्यम से वित्त पोषण	प्रत्यक्ष वित्त पोषण
अवसंरचनात्मक सृजन (परियोजना सुविधाएँ)	
ऋण* – 90% तक	ऋण – 70%
समिति का हिस्सा – न्यूनतम 10%	समिति का हिस्सा – 30%
मार्जिन मनी	
बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु ऋण* 100%	ऋण 100%
कार्यशील पूँजी	
रा.स.वि.नि. मूल्यांकन के अनुसार, आवश्यकता की शर्त पर।	रा.स.वि.नि. मूल्यांकन के अनुसार, आवश्यकता की शर्त पर।

* राज्य सरकार अपने विवेकानुसार ऋण तथा हिस्सा पूंजी तथा/या सब्सिडी के किसी भी संयोजन में इसे समिति को प्रदान कर सकती है।

(ख) प्रसंस्करण

(i) चीनी मिलें

इस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित कार्यकलाप एवं वित्त पोषण पद्धति निम्न प्रकार से है:–

कार्यकलाप	रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	प्रत्यक्ष वित्त पोषण
नई चीनी इकाइयाँ	आवधिक ऋण – 60% निवेश ऋण – 30% सदस्य अंशदान – 10%	आवधिक ऋण – 60% हिस्सा पूंजी – 30% सदस्य अंशदान – 10%	आवधिक ऋण – 70% सदस्य अंशदान – 30%
आधुनिकीकरण / विस्तारण	आवधिक ऋण – 60% निवेश ऋण – 30% सदस्य अंशदान – 10%	आवधिक ऋण – 60% हिस्सा पूंजी – 30% सदस्य अंशदान – 10%	आवधिक ऋण – 70% सदस्य अंशदान – 30%
कार्यशील पूंजी	आवश्कतानुसार ऋण	आवश्कतानुसार ऋण	आवश्कतानुसार ऋण
चीनी उपोत्पाद (i) कोजेनरेशन एवं (ii) एथानॉल इकाइयाँ	आवधिक ऋण – 90% सदस्य अंशदान – 10%	आवधिक ऋण – 90% हिस्सा पूंजी / सदस्य अंशदान – 10%	आवधिक ऋण – 90% सदस्य अंशदान – 10%

(परि.ला; = परियोजना लागत; आ.ऋ.–आवधिक ऋण, नि.ऋ.–निवेश ऋण, स.अंश–सदस्य अंशदान, हि.पू; = हिस्सा पूंजी)

नोटः– राज्य सरकारों को निवेश ऋण केवल उन्हीं चीनी सहकारिताओं हेतु दिया जाएगा जिनको वित्तीय संस्थाओं / बैंकों से आवधिक ऋण की निश्चित स्वीकृति मिल चुकी है तथा संयंत्र एवं मशीनरी आदि हेतु आदेशों को अंतिम रुप दिया जा चुका है। नई चीनी सहकारिताओं को आवधिक ऋण अवयव वित्तीय संस्थाओं / बैंकों द्वारा दिया जाएगा।

(ii) लघु एवं मध्यम किस्म की कृषि प्रसंस्करण इकाइयाँ

तेल मिलों, खाद्यान्न इकाइयों, फल एवं सब्जी इकाइयों, बागानी फसलों प्रसंस्करण इकाइयों, डेयरी इकाइयों, मत्स्यिकी इकाइयों / सिल्क रीलिंग / टविस्टिंग, रेशम कताई, ऊन कताई और जूट प्रसंस्करण जैसी इकाइयाँ और अन्य कोई ऐसा कृषि प्रसंस्करण कार्यकलाप जो रा.स.वि.नि. के अधिदेश में सम्मिलित हो, की सहकारिताओं द्वारा नई इकाइयों की स्थापना, विस्तारण, आधुनिकीकरण, विविधीकरण हेतु वित्तीय सहायता दी जाती है।

राज्य सरकार के माध्यम से वित्त पोषण	प्रत्यक्ष वित्त पोषण
अवसंरचनात्मक सृजन (परियोजना सुविधाएँ)	
ऋण – 90%	ऋण – 70%
समिति का हिस्सा – 10%	समिति का हिस्सा – 30%
मार्जिन मनी	
बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु ऋण – 100%	ऋण 100%

(iii) सहकारी कताई एवं जिनिंग कार्यक्रम

इस क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित कार्यकलाप तथा वित्त पोषण की पद्धति निम्न प्रकार से है–

(क) अवसंरचना

प्राथमिक उधारकर्ता के रूप में राज्य सरकार	प्रत्यक्ष वित्त पोषण
क) नई इकाइयों की स्थापना, वर्तमान इकाइयों का आधुनिकीकरण/विस्तारण	
ऋण 95%* तक समिति का अंशदान – न्यूनतम 5%	ऋण 70%* तक समिति का अंशदान – न्यूनतम 30%
(ख) रुग्ण सहकारी कताई मिलों की पुनर्स्थापना	
ऋण 95%* तक समिति का अंशदान# – न्यूनतम 10%	लागू नहीं (राज्य सरकार की भागीदारी अनिवार्य है)

* राज्य सरकार अपने विवेकानुसार ऋण तथा हिस्सा पूंजी तथा/या सब्सिडी के किसी भी संयोजन में इसे समिति को प्रदान कर सकती है।

आवश्यक होने की स्थिति में राज्य सरकार भी इसमें अंशदान प्रदान कर सकती है।

(ख) मार्जिन मनी

प्राथमिक उधारकर्ता के रूप में राज्य सरकार सीधा	प्रत्यक्ष वित्त पोषण
मार्जिन मनी सहायता	
ऋण 100%* तक	ऋण 100%* तक

* 'राज्य सरकार अपने विवेकानुसार ऋण तथा/या हिस्सा पूंजी तथा/या सब्सिडी के किसी भी संयोजन में इसे समिति को प्रदान कर सकती है।

(ग) कार्यशील पूंजी

आवश्यकता के अनुसार रा.स.वि.नि. की समीक्षा के अधीन ।

ग. एकीकृत सहकारी विकास परियोजनाएं (आईसीडीपी)

रा.स.वि.नि. के अधिदेश के तहत सभी गतिविधियां आईसीडीपी के अंतर्गत वित्त पोषण के लिए पात्र हैं। वित्त पोषण पद्धति निम्न प्रकार से है:–

रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से समिति को
ऋण – 100% आईसीडीपी के अंतर्गत कवर की गई किसी भी पात्र गतिविधि के लिए केंद्र सरकार के विभाग से सब्सिडी उपलब्ध होने पर, यदि कोई हो, तो उसे सामंजस्य स्थापित कर लाभार्थी सहकारी समितियों को दिया जा सकता है और ऋण की समतुल्य राशि रा.स.वि.नि. द्वारा कम की जा सकती है।	ऋण + हिस्सा पूंजी + राज्य सब्सिडी (यदि कोई हो) –100% आईसीडीपी के तहत कवर की गई किसी भी पात्र गतिविधि के लिए केंद्र या राज्य सरकार के विभाग से सब्सिडी उपलब्ध होने पर, यदि कोई हो, तो उसे सामंजस्य स्थापित कर लाभार्थी सहकारी समितियों को दिया जा सकता है और ऋण की समतुल्य राशि रा.स.वि.नि. द्वारा कम की जा सकती है।

नोटः भारत सरकार की सामंजस्य योजना के मामले में, योजना के अनुसार वित्त पोषण पद्धति होगी।

रा.स.वि.नि. द्वारा राज्य सरकार को संवितरित वित्तीय सहायता अधिकतम 8 वर्ष की अवधि के लिए हो सकती है, जिसे वार्षिक किस्तों में चुकाया जा सकता है। अवसंरचनात्मक विकास के लिए ऋण के पुनर्भुगतान पर 3 वर्ष की स्थगन अवधि हो सकती है, जबकि अन्य ऋणों जैसे मार्जिन मनी, हिस्सा पूंजी तथा परियोजना कार्यान्वयन टीम आदि के पुनर्भुगतान के लिए कोई स्थगन अवधि नहीं हो सकती है। इसके अलावा, इसमें ब्याज का भुगतान पर कोई स्थगन अवधि नहीं हो सकती है।

घ. युवा सहकार : सहकारी उद्यम सहयोग एवं नवीन स्कीम

इस स्कीम का उद्देश्य सहकारी क्षेत्र में सभी प्रकार की गतिविधियों को शामिल करते हुए स्टार्ट–अप को सक्षम बनाना है।

पात्रता :–

क) नवीन, इनोवेटिव एवं मूल्य श्रृंखला संवर्धन अभिप्रेत योजना समेत किसी भी प्रकार की सहकारी समितियाँ।

ख) सहकारी समिति न्यूनतम तीन महीने से परिचालन में होनी चाहिए।

ग) सहकारी समिति का सकारात्मक निवल मूल्य होना चाहिए।

घ) सहकारी समिति को परिचालन के पिछले वर्षों के दौरान नकद राशि की हानि नहीं होनी चाहिए, जैसा लागू हो, और पिछले तीन वर्षों में कोई नकद राशि की हानि नहीं हुई है (यदि समिति 3 वर्षों से अधिक कार्यरत/परिचालन में है।

परियोजना लागत :–

क) ऐसी सहकारी समिति जो एक वर्ष या उससे अधिक समय से कार्यरत है, तो परियोजना लागत 3.00 करोड़ रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ख) ऐसी सहकारी समिति जो तीन महीने से अधिक एवं एक वर्ष से कम समय से कार्यरत है, तो परियोजना की लागत 1.00 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। हालाँकि सहकारी समिति अपने कार्यकाल के एक वर्ष की अवधि एकबार पूरी करने के बाद, यह सहकारी समिति सहायता हेतु स्वीकार्य योग्य हो जाएगी, जिसमें एक या उससे अधिक वर्षों से प्राप्त सहायता लाभों को छोड़कर है, यदि कोई हो।

ग) परियोजना की प्रकृति एवं गतिविधियों के आधार पर कार्यशील पूंजी ऋण परियोजना के हिस्से के तौर पर प्रदान किया जा सकता है, हालांकि कार्यशील पूंजी कुल परियोजना लागत का 20% से अधिक नहीं होगी।

ऋण अवधि :–

ऋण की अवधि 5 वर्ष है, जिसमें मूलधन के भुगतान पर 2 वर्ष का स्थगन शामिल है। परियोजना के प्रकार एवं राजस्व सृजन की क्षमता के आधार पर स्थगन की अवधि भिन्न होगी।

ब्याज दर :–

प्रोत्साहन के तौर पर, परियोजना कार्यकलापों हेतु आवधिक ऋण पर लागू ब्याज दर की तुलना में 2% कम ऋण देय होगा। ब्याज प्रोत्साहन केवल समयानुसार ऋण भुगतान पर लागू होगा।

प्रतिभूति :–

रा.स.वि.नि. की संतुष्टि के लिए ऋण हेतु सहकारी समितियां निम्नलिखित में से कोई एक या मिश्रित रूप में प्रतिभूति पेश कर सकती है :–

क) संपतियों के बंधक समेत प्रस्तावित परियोजना के अंतर्गत सृजित किये जाने वाली संपत्तियां।

ख) अनुसूचित बैंकों की स्थाई जमा रसीदें।

ग) विश्वसनीय सहकारी संस्थानों की गारंटी अर्थात वह संस्था जिसकी मजबूत वित्तीय स्थिति एवं प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड हो।

घ) राज्य/केन्द्र सरकार की गारंटी।

ड़) केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/सांविधिक निकायों/केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के सी.एस.आर. फाउंडेशनों की गारंटी।

च) लघु किसान कृषि व्यापार संघ (एस.एफ.ए.सी.)/पूर्वोत्तर वित्त विकास निगम (एनईडीएफआइ)/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (एसआईडीबीआई) की गारंटी।

छ) स्थाई जमा रसीद के रूप में निदेशक मंडल/सदस्यों की व्यक्तिगत गारंटी और/या अनुसूचित बैंकों की गारंटी।

सब्सिडी

यदि किसी स्रोत अथवा स्कीम के अंतर्गत प्रस्तावित कार्यकलाप यदि सब्सिडी के योग्य हो, तो यथारूप में लागू होगा।

वित्त पोषण पद्धति :–

परियोजनाओं को ऋण : इक्विटी अनुपात के आधार पर वित्त पोषण प्रणाली समेत निम्नलिखित रूप में सहयोग प्रदान किया जाएगा –

श्रेणी–क :–

80% : 20% – पूर्वोत्तर क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सहकारी समितियां।

– नीति आयोग द्वारा चिन्हित महत्वाकांक्षी जिलों में पंजीकृत एवं कार्यरत कोई भी सहकारी समिति।

– 100% महिला सदस्यों वाली कोई भी सहकारी समिति।

– 100% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति दिव्यांगजनों (पीडब्ल्यूडी) वाली कोई भी सहकारी समिति।

श्रेणी–ख :–

70% : 30% – किसी भी प्रकार की सहकारी समिति, जो सभी प्रकार की कार्यकलापों के लिए श्रेणी–क के अंतर्गत नहीं आता है।

प्रस्तावति कार्यकलापों हेतु सब्सिडी के लिए पात्र होने की स्थिति में, उपलब्धता की शर्त पर, ऋण अवयव आनुपातिक रूप से कम हो जाएगा।

ङ. आयुष्मान सहकार

योजना के उद्देश्य हैं :

(क) सहकारी समितियों द्वारा अस्पतालों/स्वास्थ्य/शिक्षा सुविधाओं के माध्यम से किफायती और समग्र स्वास्थ्य देखभाल के प्रावधान में सहायता करना,

(ख) सहकारी समितियों द्वारा आयुष सुविधाओं को बढ़ावा देने में सहायता करना,

(ग) सहकारी समितियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के उद्देश्यों को पूरा करने में सहायता करना,

(घ) सहकारी समितियों को नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन में भाग लेने में सहायता करना,

(ङ) सहकारी समितियों को शिक्षा, सेवाओं, बीमा और उससे संबंधित गतिविधियों सहित व्यापक स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने में सहायता करना।

सम्मिलित गतिविधियाँ :

I) **अवसंरचना सृजन हेतुः** अस्पताल नवीयन, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, नवीकरण, स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के बुनियादी ढांचे सम्मिलित किया गया है ।

(क) सभी प्रकार के अवसंरचनात्मक संरचना हेतु :

- अस्पताल और/या चिकित्सा/आयुष/दंतचिकित्सा/नर्सिंग/फार्मेसी/पैरामेडिकल/फिजियोथेरेपी कॉलेजों में स्नातक और/या स्नातकोत्तर कार्यक्रम संचालित करना,
- योग कल्याण केंद्र
- आयुर्वेद, एलोपैथी, यूनानी, सिद्ध, होम्योपैथी अन्य पारंपरिक चिकित्सा स्वास्थ्य केंद्र
- बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ
- उपशामक देखभाल सेवाएं
- विकलांग व्यक्तियों के लिए स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ
- मानसिक स्वास्थ्य देखभाल सेवाएँ,
- आपातकालीन चिकित्सा सेवाएँ और आघात केंद्र
- फिजियोथेरेपी सेंटर
- मोबाइल क्लिनिक सेवाएँ
- हेल्थ क्लब और जिम
- आयुष फार्मास्युटिकल विनिर्माण
- औषधि परीक्षण प्रयोगशाला
- दंत देखभाल केंद्र
- नेत्र देखभाल केंद्र
- प्रयोगशाला सेवाएं
- डायग्नोस्टिक्स(निदान) सेवाएं

- ब्लड बैंक/रक्ताधान सेवाएं
- पंचकर्म/थोक्कनम/ क्षार सूत्र चिकित्सा केंद्र
- यूनानी चिकित्सा पद्धति (इलाज बिल तदबीर) की रेजिमेंटल थेरेपी केंद्र
- मातृ एवं शिशु देखभाल सेवाएँ
- प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य सेवाएं
- किसी भी अन्य संबंधित केंद्र या सेवाओं को रा.स.वि.नि. द्वारा सहायता के लिए उपयुक्त माना जा सकता है

(ख) टेलीमेडिसिन एवं दूरस्थ सहायक चिकित्सा प्रक्रिया।

(ग) रसद स्वास्थ्य, स्वास्थ्य देखभाल तथा शिक्षा।

(घ) डिजिटल स्वास्थ्य से संबंधित सूचना और संचार प्रौद्योगिकी।

(ङ) बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (आई.आर.डी.ए.) द्वारा मान्यता प्राप्त स्वास्थ्य बीमा।

II) दिन–प्रतिदिन के कार्यों हेतु आवश्यक कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए मार्जिन राशि, जिसका उल्लेख उपर्युक्त पैरा 1 में प्रस्तुत है।

III) दिन–प्रतिदिन के कार्यों के लिए कार्यशील पूंजी।

पात्रता

देश में किसी भी राज्य/बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई सहकारी समिति, अस्पताल/स्वास्थ्य सेवा/स्वास्थ्य शिक्षा से संबंधित सेवाएं प्राप्त करने हेतु उप–नियमों में उपयुक्त प्रावधान के साथ, इस योजना के दिशानिर्देशों की पूर्ति के अधीन वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगी। रा.स.वि.नि. सहायता या तो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से या सीधे उन सहकारी समितियों को प्रदान की जाएगी, जो रा.स.वि.नि. प्रत्यक्ष वित्त पोषण दिशानिर्देशों को पूरा करती हैं। भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य वित्त–पोषण एजेंसी की अन्य योजनाओं या कार्यक्रमों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की अनुमति है।

परियोजना लागत

वास्तविक आवश्यकता के अनुसार।

ऋण अवधि

ऋण की अवधि 8 वर्ष के लिए होगी, जिसमें मूलधन के पुनर्भुगतान पर 1–2 वर्ष की अधिस्थगन सम्मिलित है, जो परियोजना के प्रकार और राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता पर निर्भर करता है।

ब्याज दर

रा.स.वि.नि. परिपत्र के अनुसार समय–समय पर ब्याज दर संशोधित किया जाता है। प्रोत्साहन के रूप में, रा.स.वि.नि. उधारकर्ता सहकारी समिति के मामले में परियोजना गतिविधियों के लिए आवधि ऋण पर लागू ब्याज दर से 1% कम प्रदान करेगा, जब ऋण के पूरे अवधि के दौरान महिला सदस्य की संख्या अधिकतम रहती हैं, और पुनर्भुगतान उचित समय पर किया जाता है।

प्रतिभूति

रा.स.वि.नि. सहायता या तो राज्य सरकार के माध्यम से या प्रत्यक्ष वित्त पोषण के तहत प्रदान की जाती है। प्रत्यक्ष वित्त पोषण के मामले में, सहकारी समिति रा.स.वि.नि. की संतुष्टि के लिए निम्नलिखित में से किसी एक या संयोजन में ऋण के लिए सुरक्षा प्रदान कर सकती है :

(क) रा.स.वि.नि. ऋण के 1.5 गुना की सीमा तक परियोजना के तहत सृजित की जाने वाली परिसंपत्तियों सहित परिसंपत्तियों का बंधक;

(ख) राज्य / केंद्र सरकार द्वारा गारंटी;

(ग) अनुसूचित बैंकों / राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफडीआर की प्रतिज्ञा, रा.स.वि.नि. ऋण के 1.2 गुना की सीमा तक;

(घ) केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों / सांविधिक निकायों / केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के सीएसआर फाउंडेशनों द्वारा गारंटी;

(ङ) अनुसूचित बैंकों / राष्ट्रीयकृत बैंकों से गारंटी;

(च) रा.स.वि.नि. ऋण के 1.2 गुना की सीमा तक सरकारी बांडों / प्रतिभूतियों का बंधक एवं समनुदेशन।

सब्सिडी

रा.स.वि.नि. ऋण सहायता को सब्सिडी / अनुदान / वीजीएफ / भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी अन्य वित्त पोषण एजेंसी के किसी अन्य तंत्र के साथ जोड़ा जाना प्रस्तावित है।

वित्त पोषण पद्धति

परियोजनाओं को निम्नलिखित वित्त पोषण पद्धति के साथ सहयोग प्रदान किया जाएगा :

राज्य सरकार के माध्यम से वित्त पोषण		प्रत्यक्ष वित्त पोषण
रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार	राज्य सरकार से समिति	रा.स.वि.नि. से समिति
अवसंरचना सृजन (परियोजना सुविधाएं) :		
ऋण – 90%	ऋण – 50% ; हिस्सा पूँजी – 40%	ऋण – 70%
समिति का हिस्सा – 10%	समिति का हिस्सा – 10%	समिति का हिस्सा – 30%
मार्जिन मनी :		
बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए ऋण–100%	ऋण या हिस्सा पूँजी या ऋण– सह– हिस्सा पूजी 100%	ऋण 100%
कार्यशील पूँजी :		
आवश्यकतानुसार ऋण	ऋण	ऋण

च. नंदिनी सहकार

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं की सामाजिक–आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाना है। यह महिला सहकारिताओं के माध्यम से महिलाओं की उद्यमशीलता की गतिशीलता का समर्थन करता है। यह महिलाओं संबंधी उद्यम, व्यवसाय योजना निर्माण, क्षमता विकास, ऋण एवं सब्सिडी और/या अन्य योजनाओं के ब्याज रियायत के महत्वपूर्ण निवेश को एकत्रित करेगा। रा.स.वि.नि., स्वयं या कई मंत्रालयों के प्रमुख कार्यक्रमों की एजेंसी के रूप में क्षेत्रीय योजनाओं को लागू कर रहा है। नंदिनी सहकार एक केंद्रित रुपरेखा होगा और इसका उद्देश्य रा.स.वि.नि. क्रेडिट लिंकेज के सीमा के अंतर्गत आने वाली गतिविधियों में विशेष रूप से सम्मिलित महिला सहकारिताओं को विस्तृत वित्तीय सहायता प्रदान करना होगा।

पात्रता :

देश में किसी भी राज्य/बहु राज्य सहकारी समितियों अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी महिला सहकारी समिति पात्र होगी। प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम 50: महिला सदस्यों वाली कोई भी सहकारी समिति भी पात्र है। नवीन एवं/अथवा नवाचारी विचारों से संबंधित परियोजनाओं के मामले में, महिला सहकारी समितियां जो न्यूनतम तीन महीने से संचालन में हैं, वे भी रा.स.वि.नि. की दिशानिर्देशों के अनुसार लागू योजना के अंतर्गत सहायता की पात्र हैं।

योजना के अंतर्गत आने वाली गतिविधियां :

- अवसंरचनाः सृजन, आधुनिकीकरण, विस्तार, मरम्मत, अवसरंचना के नवीनीकरण हेतु;
- दिन–प्रतिदिन के कार्यों के लिए आवश्यक कार्यशील पूंजी जुटाने के लिए मार्जिन मनी।
- दिन–प्रतिदिन के व्यावसायिक कार्यों के संचालन हेतु कार्यशील पूंजी।

सांकेतिक व्यावसायिक गतिविधियाँ: यह योजना शहरी आवास को छोड़कर, किसी भी व्यवसाय योजना आधारित गतिविधियाँ/रा.स.वि.नि. अधिदिष्ट सेवा, उदहारण स्वरुप कृषि–प्रसंस्करण, आपूर्ति श्रृंखला, मूल्यवर्धन, लॉजिस्टिक, कृषि यंत्रीकरण, खुदरा, खाद्यान्न के विपणन, निवेश आपूर्ति, बागानी, बागवानी, ग्रामीण आवासीकरण, कमजोर वर्ग के कार्यक्रम, जनजातीय सहकारिताएँ, डेयरी, कुकुक्ट–पालन, पशुधन, मत्स्य पालन, हथकरघा, कॉयर, जूट, कोशकीट पालन, कम्प्यूटरीकरण, वस्त्र, पैक्स के बुनियादी ढांचे/ऋण/विपणन सहकारिताएं, कृषि बीमा, जल संरक्षण कार्य/सेवाएं, पर्यटन, आतिथ्य, परिवहन, अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल/योग कल्याण सुविधा, शिक्षा, बिजली उत्पादन तथा वितरण, ऊर्जा के नए, गैर–पारंपरिक एवं नवीकरणीय स्रोत आदि हेतु सहायता करेगी।

सहायता का माध्यम :

रा.स.वि.नि. द्वारा प्रत्यक्ष अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के माध्यम से पात्र सहकारी समितियों को सहायता प्रदान की जाती है। रा.स.वि.नि. क्रेडिट लिंकेज को भारत सरकार की वर्तमान योजनाओं (यथा. एआईएफ, डीआईडीएफ, एफआईडीएफ, 10,000 एफपीओ, एफएफपीओ, पीएमएमएसवाई, पीएम एफएमई, एमएसएमई इत्यादि) अथवा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/अथवा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता अथवा विकासात्मक एजेंसी/सीएसआर फाउंडेशन के साथ क्रेडिट लिंकेज के रूप में प्रोत्साहित किया जाता है।

परियोजना लागत :

महिला सहकारी समितियों द्वारा व्यवहार्य प्रस्तावों के मामले में परियोजना लागत पर कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है जो कम से कम तीन वर्षों से सफलतापूर्वक परिचालित हैं। परियोजना लागत में अवसंरचना, मार्जिन मनी एवं कार्यशील

पूंजी सम्मिलित है। परियोजना की लागत सीमाएँ इस प्रकार हैं :

क्र. सं.	आवेदक समिति के संचालन का कार्यकाल	अधिकतम परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
1.	> 3 माह एवं < 1 वर्ष	1.00
2.	> 1 वर्ष एवं < 3 वर्ष	3.00
3.	> 3 वर्ष	वास्तविक आवश्यकता के अनुसार (कोई सीमा नहीं)

ऋण अवधि :

ऋण की अवधि 5–8 वर्षों के लिए होगी, जिसमें मूलधन के पुनर्भुगतान पर 1–2 वर्षों का अधिस्थगन भी सम्मिलित है, जो परियोजना के प्रारूप एवं राजस्व उत्पन्न करने की क्षमता पर निर्भर करता है ।

ब्याज–दर एवं ब्याज रियायत :

क्रेडिट लिंकेज हेतु, बाजार की स्थितियों के आधार पर समय–समय पर प्रकाशित ब्याज दर पर रा.स.वि.नि. परिपत्र लागू करेगा। गतिविधियों की प्रकृति के आधार पर ब्याज सबवेंशन के रूप में सहायता निम्नानुसार होगी :

क. नवीन एवं नवाचारी गतिविधियों हेतु ब्याज रियायत : रा.स.वि.नि. नवीन एवं नवाचारी गतिविधियों हेतु आवधिक ऋण हिस्से पर 2% ब्याज रियायत प्रदान करेगा।

ख. नवीन एवं नवाचारी के अतिरिक्त गतिविधियों हेतु ब्याज रियायत : रा.स.वि.नि. सभी गतिविधियों से संबंधित परियोजना के लिए आवधिक ऋण हिस्से पर 1% ब्याज रियायत प्रदान करेगा।

उचित समय पर पुनर्भुगतान हेतु रा.स.वि.नि. ब्याज रियायत प्रोत्साहन लागू होगा। ब्याज रियायत या सब्सिडी या भारत सरकार की अन्य योजनाओं से समर्थन या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र/विकास एजेंसियों की किसी भी योजना या द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता को प्रोत्साहित एवं अनुमति दी जाएगी।

प्रतिभूति :

रा.स.वि.नि. सहायता या तो सहकारी समिति को प्रत्यक्ष वित्त पोषण के माध्यम से या राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से प्रदान की जाती है। प्रत्यक्ष वित्त पोषण की स्थिति में, सहकारी समिति, रा.स.वि.नि. की संतुष्टि के लिए ऋण हेतु सुरक्षा के तौर पर निम्नलिखित में से किसी एक या एक से अधिक का संयोजित रूप गिरवी में रख सकती है :

(क) रा.स.वि.नि. ऋण के 1.5 गुना की सीमा तक परियोजना के अंतर्गत बनाई जाने वाली संपत्ति सहित संपत्तियों को गिरवी रख सकती है;

(ख) राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/केंद्र सरकार द्वारा गारंटी;

(ग) रा.स.वि.नि. ऋण के 1.2 गुना की सीमा तक अनुसूचित बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों के एफडीआर प्रतिज्ञा को गिरवी रख सकती है;

(घ) केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों/केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के सीएसआर फाउंडेशन द्वारा गारंटी;

(ङ) अनुसूचित बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों से गारंटी;

(च) रा.स.वि.नि. ऋण के 1.2 गुना की सीमा तक सरकारी बंधकों/प्रतिभूतियों के बंधक एवं समानुदेशन

(छ) विश्वसनीय सहकारी संस्थानों की गारंटी, अर्थात स्वस्थ वित्तीय स्थिति और प्रमाणित ट्रैक रिकॉर्ड वाले संस्थान;

(ज) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी)/पूर्वोत्तर वित्त विकास निगम (नेडफी)/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) की गारंटी;/ऋण गारंटी निधि

(झ) स्थाई जमा रसीदों (एफडीआर) के रूप में निदेशक मंडल/सदस्यों की व्यक्तिगत गारंटी।

सब्सिडी

नंदिनी सहकार को भारत सरकार/राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र द्वारा शासित की वर्तमान योजनाओं या भविष्य में सरकार की किसी भी योजना के साथ या द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहायता या विकासात्मक एजेंसियाँ/सी.एस.आर. तंत्रों के साथ क्रेडिट लिंकेज के रूप में संघटित किया जा सकता है। यद्यपि, यदि परियोजना की लागत में कार्यशील पूंजी ऋण घटक सम्मिलित है, सब्सिडी केवल परियोजना लागत (कार्यशील पूंजी को छोड़कर) के पूंजी निवेश के लिए योग्य होगी। परियोजनाओं के त्वरित और सुचारू कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए, सब्सिडी के बदले में योग्य ऋण प्रदान किया जा सकता है। रा.स.वि.नि. द्वारा आगे संवितरण के लिए जब कभी भी सब्सिडी प्राप्त होगी, ऋण खाते में समायोजित किया जाएगा।

वित्त पोषण पद्धति :

राज्य सरकार के माध्यम से वित्त पोषण		प्रत्यक्ष वित्तपोषण
रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति	रा.स.वि.नि. से समिति
अवसंरचनात्मक सृजन (परियोजना सुविधाएँ) :		
ऋण – 90%	ऋण – 50% हिस्सा पूँजी – 40	ऋण – 70%
समिति का हिस्सा – 10%	समिति का हिस्सा – 10%	समिति का हिस्सा – 30%
मार्जिन मनी :		
बैंक ऋण प्राप्त करने के लिए ऋण–100%	ऋण या हिस्सा पूँजी या ऋण–सह –हिस्सा पूँजी 100%	ऋण 100%
कार्यशील पूँजी :		
आवश्यकतानुसार ऋण	ऋण	ऋण

नई एवं नवाचारी परियोजना गतिविधियों की स्थिति में, महिला सहकारिताओं को प्रत्यक्ष वित्त पोषण के तहत 80:20 के इक्विटी अनुपात में वित्त पोषण पद्धति के साथ सहायता प्रदान की जाएगी।

छ. डेयरी सहकार

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा डेयरी सहकार, सहकारी डेयरी व्यवसाय पर केन्द्रित रूपरेखा है जिसका उद्देश्य सहकारिताओं को ईएसजी (पर्यावरणीय, सामाजिक, सुशासन) से संबंधित गतिविधियों में प्रोत्साहित कर उच्चतर परिणाम प्राप्त करना है। इसमें सहकारिताओं द्वारा नए या आधुनिकीकरण और/या मौजूदा परियोजनाओं के विस्तार के लिए बुनियादी ढांचे का निर्माण सम्मिलित है।

अन्तर्निहित गतिविधियां: "आत्मनिर्भर भारत" के उद्देश्यों की पूर्ति की दिशा में, रा.स.वि.नि. द्वारा गोवंशीय पशुओं के विकास, खरीद, प्रसंस्करण, गुणवत्ता आश्वासन, मूल्यवर्धन, ब्रांडिंग, पैकेजिंग, विपणन, परिवहन और दूध और दूध उत्पादों के भंडारण, डेयरी उत्पादों के निर्यात जैसी गतिविधियों के लिए पात्र सहकारिताओं को डेयरी सहकार के तहत वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम द्वारा वित्तीय सहायता के अंतर्गत सहायक गतिविधियाँ और सेवाएँ जैसे अक्षय ऊर्जा, आईसीटी, पशु चारा/चारा सप्लीमेंट का निर्माण, आर एंड डी, पीईटी बोतल/पैकेजिंग सामग्री निर्माण, डेयरी उपकरण और मशीनरी का निर्माण, डेयरी से संबंधित रखरखाव सेवाएं, पशु चिकित्सा दवाओं, पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं की डिलीवरी, पशु चिकित्सा/डेयरी शिक्षा, क्षमता निर्माण आदि सम्मिलित है।

पात्रता

देश में किसी भी राज्य/बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत, उप–नियमों में उपयुक्त प्रावधान सहित पंजीकृत कोई भी सहकारी समिति।

परियोजना लागत

पात्र सहकारिताओं द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को वित्तीय सहायता की कोई न्यूनतम या अधिकतम सीमा नहीं है।

ऋण अवधि

ऋण की अवधि 5 से 8 वर्षों की है, जिसमें मूलधन के पुर्नभुगतान पर 1 से 3 वर्षों का स्थगन सम्मिलित है।

वित्त पोषण पद्धति

(क) अवसंरचना सृजन

राज्य सरकार के विवेकानुसार

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से वित्त पोषण		प्रत्यक्ष वित्त पोषण
रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से समिति को	रा.स.वि.नि. से समिति को
वित्तीय सहायता/ऋण 95% तक	ऋण एवं/या हिस्सा पूँजी एवं/या अनुदान#	वित्तीय सहायता/ऋण 80% तक
समिति का हिस्सा – न्यूनतम 5%	समिति का हिस्सा – न्यूनतम 5%	समिति का हिस्सा – न्यूनतम 20%

(ख) व्यापार विकास हेतु मार्जिन मनी

राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र के माध्यम से वित्त पोषण		प्रत्यक्ष वित्त पोषण
रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र को	राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र से समिति को	रा.स.वि.नि. से समिति को
बैंक ऋण प्राप्त करने हेतु 100% तक ऋण	ऋण एवं/या हिस्सा पूँजी 100% तक	ऋण 100% तक

नोटः मार्जिन मनी सहायता रा.स.वि.नि. की समीक्षा के अधीन है।

(ग) कार्यशील पूँजी

आवश्यकतानुसार रा.स.वि.नि. की समीक्षा के अधीन।

ज. डिजिटल सहकार

डिजिटल इंडिया के सिद्धांतों के अनुरूप, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (रा.स.वि.नि.) ने डिजिटल इंडिया में सक्रिय रूप से भाग लेने वाली सहकारी समितियों के उद्देश्य से डिजिटल रूप से सशक्त सहकारिताओं हेतु भारत सरकार/राज्य/राज्य संघ क्षेत्र/एजेंसियों से अनुदान, सब्सिडी, प्रोत्साहन आदि के समन्वय से सहायता एवं क्रेडिट लिंकेज हेतु एक केंद्रित वित्तीय सहायता ढांचे की कल्पना की है।

पात्रता

किसी भी राज्य/बहुराज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत कोई भी सहकारी समिति योजना के तहत वित्तीय सहायता के लिए पात्र होगी । एफपीओ, एफएफपीओ, संघबद्ध एसएचजी सहकारितायें भी पात्र हैं।

सहायता पद्धति

रा.स.वि.नि. द्वारा या तो राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासन या प्रत्यक्ष सहकारिताओं को सहायता प्रदान की जाएगी।

परियोजना लागत

क्र. सं.	आवेदक समिति के संचालन का कार्यकाल	अधिकतम परियोजना लागत (करोड़ रुपये में)
1.	> 3 माह एवं < 1 वर्ष	1.00
2.	> 1 वर्ष एवं < 3 वर्ष	3.00
3.	> 3 वर्ष	वास्तविक आवश्यकता के अनुसार (कोई सीमा नहीं)

ऋण अवधि

ऋण की अवधि 5 से 8 वर्षों की है, जिसमें मूलधन के भुगतान पर 1 से 2 वर्षों का स्थगन सम्मिलित है।

ब्याज दर

रा.स.वि.नि. द्वारा समय–समय पर अधिसूचना अनुसार ब्याज दर लागू होगी ।

प्रतिभूति

रा.स.वि.नि. की संतुष्टि हेतु सहकारी समितियाँ ऋण के लिए प्रतिभूति प्रदान कर सकती है ।

सब्सिडी

भारत सरकार या किसी अन्य स्रोत की मुख्य योजनाओं के तहत, यदि सब्सिडी के लिए पात्र है, तो लागू होगी ।

झ. स्वयं शक्ति सहकार योजना

यह महिला स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) को ऋण/अग्रिम प्रदान करने हेतु रा.स.वि.नि. द्वारा कृषि ऋण सहकारिताओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की एक नई योजना है। इस योजना के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

(i) गरीबों तक किफायती लागत प्रभावी विश्वसनीय वित्तीय सेवाओं की पहुंच।

(ii) सामान्य/सामूहिक सामाजिक–आर्थिक गतिविधियों को शुरू करने हेतु महिला एसएचजी को पर्याप्त बैंक ऋण तक पहुंच की सुविधा प्रदान करना।

(iii) स्थायी आजीविका का संवर्धन।

पात्रता

इस योजना के तहत निम्नलिखित प्रकार की कृषि ऋण सहकारिताएँ रा.स.वि.नि. के ऋण हेतु पात्र होंगी ।

(i) प्राथमिक कृषि ऋण सहकारी समिति (पैक्स)

(ii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबीएस)

(iii) राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)

(iv) एसएचजी संघीय सहकारिताएँ/सहकारी संघ

प्रत्यक्ष वित्त पोषण के निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाली ऋण सहकारिताओं को रा.स.वि.नि. ऋण प्रदान किया जाएगा।

(i) सहकारी समितियाँ कम से कम 3 वर्षों से परिचालन में होनी चाहिए।

(ii) सहकारी समितियों की निवल संपत्ति सकारात्मक होनी चाहिए, प्रदत्त शेयर पूंजी 100% से कम नहीं होनी चाहिए, अर्थात प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

(iii) सहकारी समितियों को पिछले तीन वर्षों के दौरान कोई नकद हानि नहीं होनी चाहिए एवं पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों में शुद्ध लाभ होना चाहिए।

निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए रा.स.वि.नि. सहायता विस्तारित की जाएगी

महिला एसएचजी को कार्यशील पूंजी ऋण या आवधिक ऋण देने हेतु पात्र ऋण सहकारिताओं को रा.स.वि.नि. सहायता प्रदान की जाएगी ।

वित्त–पोषण पद्धति

ऋण सहकारिताओं की आवश्यकता एवं रा.स.वि.नि. (क्रेडिट सहकारिताओं के ऋण व्यवसाय टर्नओवर के अनुसार) द्वारा किए गए मूल्यांकन के अनुसार महिला एसएचजी को लघु/मध्यम अवधि के ऋण प्रदान करना।

ऋण अवधि

अल्पावधि कार्यशील पूंजी ऋण, मूलधन के पुनर्भुगतान में अधिकतम 6 महीने के स्थगन के साथ 3 वर्षों तक के लिए होगा। हालांकि, ब्याज के भुगतान में कोई स्थगन नहीं होगी। क्रेडिट सहकारिताएँ वार्षिक सत्यापन सहित परिक्रामी आधार पर 5 वर्षों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण भी प्राप्त कर सकती हैं। ऋण का भुगतान अर्धवार्षिक किश्तों में किया जाएगा।

ब्याज दर

रा.स.वि.नि. परिपत्र के अनुसार समय–समय पर संशोधित ब्याज दर।

प्रतिभूति

रा.स.वि.नि. की संतुष्टि हेतु ऋण निम्नलिखित में से एक या दो या अधिक के संयोजन द्वारा सुरक्षित किया जाएगाः

(i) ऋण राशि के 1.50 गुना की सीमा से कम मूल्य के ऋण सहकारिताओं की अचल संपत्तियों का बंधक।

(ii) ऋण राशि के कम से कम 1.10 गुना अंकित मूल्य वाली आवधि जमा रसीदें गिरवी रखना।

(iii) राज्य सरकार की गारंटी/बैंक गारंटी।

(iv) महिला एसएचजी से प्राप्त ऋण सहकारी समितियों के ऋण/अग्रिम का गिरवी (हाइपोथेकेशन) ऋण राशि का कम से कम 1.25 गुना सीमा तक।

उपरोक्त के अतिरिक्त, ऋण समझौता एवं मांग वचन पत्र भी निर्धारित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो उत्तर दिनांकित(पोस्ट डेटेड) चेक भी प्रतिभूति दस्तावेजों का हिस्सा बनेंगे।

ञ. दीर्घावधि कृषक पूंजी सहकार योजना

यह रा.स.वि.नि. के दायरे में आने वाली गतिविधियों हेतु अग्रिम /वस्तुओं /सेवाओं के लिए कृषि ऋण सहकारी समितियों को दीर्घावधि ऋण प्रदान करने हेतु रा.स.वि.नि. की दीर्घकालिक वित्तीय सहायता को विस्तार देने की एक नई योजना है। इस योजना के उद्देश्य हैंः

(i) सहकारी समितियों और उनके सदस्यों के लिए वृद्धि–पूर्ण एवं निर्बाध ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना।

(ii) कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में पूंजी निर्माण को सुदृढ बनाना।

(iii) गैर–कृषि क्षेत्रक गतिविधियों का समर्थन करके ग्रामीण एवं अर्ध–शहरी क्षेत्रों में वैकल्पिक आजीविका के अवसरों को बढ़ावा प्रदान करना ।

पात्रता

इस योजना के तहत निम्न प्रकार की कृषि ऋण सहकारी समितियां रा.स.वि.नि. के ऋण के लिए पात्र होंगीः

(i) प्राथमिक कृषिक ऋण सहकारी समितियाँ (पैक्स)

(ii) जिला केंद्रीय सहकारी बैंक (डीसीसीबी)

(iii) राज्य सहकारी बैंक (एसटीसीबी)

(iv) प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (पीसीएआरडीएस)

(v) राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (एससीएआरडीएस)

निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए रा.स.वि.नि. सहायता विस्तारित की जाएगी

रा.स.वि.नि. की सहायता पात्र कृषि ऋण सहकारी समितियों को दी जाएगी ताकि वे रा.स.वि.नि. के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले कार्यकलापों/वस्तुओं/सेवाओं के लिए दीर्घकालिक ऋण/अग्रिम उधार दे सकें।

रा.स.वि.नि. से दीर्घकालिक वित्त प्राप्त करने के लिए पात्र कृषि क्षेत्र एवं गैर–कृषि क्षेत्र में कार्यकलापों/सेवाओं की सूची इस प्रकार है:

बंजर भूमि विकास, जल संरक्षण कार्य/सेवाएं, सिंचाई, ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म सिंचाई, कृषि उपकरण और एवं कृषि मशीनीकरण, एसएचजी/जेएलजी, कृषि मशीनीकरण, ग्रामीण स्वच्छता/जल निकासी/सीवेज प्रणाली, भूमि विकास/जल संरक्षण सहित भूमि सुधार, बागवानी विकास (फलों की फसलें, फूलों की खेती, मशरूम, सब्जियां आदि), फसलोत्तर फसलें (नारियल, काजू, सुपारी, रबर, कॉफी, इलायची, चाय, बांस आदि)।

विविध कार्यकलापों (डेयरी, कुक्कुटपालन, सुअर पालन, खरगोश, मत्स्य पालन, भेड़ एवं बकरी पालन, गोबर गैस/बायो–गैस, फार्म हाउस, कोशकीट पालन, ग्रामीण गोदाम , शीत भंडारण/भंडार आदि, लघु उद्योग/कृषि–प्रसंस्करण, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयाँ, परिवहन वाहन, श्रम सहकारी समितियाँ, पर्यटन, बिजली और बिजली, अस्पताल; स्वास्थ्य देखभाल; एवं शिक्षा आदि)।

सूची केवल उदाहरणात्मक है, संपूर्ण नहीं। यदि इसमें उल्लिखित कार्यकलाप रा.स.वि.नि. अधिनियम के अनुसार रा.स.वि.नि. के क्षेत्राधिकार में आते हैं तो उन्हें भी इसमें शामिल किया जा सकता है।

सहायता के प्रकार

रा.स.वि.नि. ऋण, पात्र ऋण सहकारी समितियों को या तो संबंधित राज्य सरकार /केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन के माध्यम से या प्रत्यक्ष उन सहकारी समितियों को प्रदान किया जाएगा जो प्रत्यक्ष वित्त पोषण हेतु पात्र निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं :

(i) सहकारी समिति कम से कम 3 वर्ष से परिचालन में होनी चाहिए।

(ii) सहकारी संस्था की निवल संपत्ति सकारात्मक होनी चाहिए, 100% से कम प्रदत्त शेयर पूंजी नहीं होनी चाहिए, अर्थात प्रदत्त शेयर पूंजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।

(iii) सहकारी समिति को पिछले 3 वर्षों में कोई नकद हानि नहीं होना चाहिए तथा पिछले तीन वर्षों में से कम से कम दो वर्षों में शुद्ध लाभ होना चाहिए।

वित्तपोषण की पद्धति

वित्त के अन्य स्रोतों जैसे नाबार्ड, राज्य सरकार, स्वयं की निधियों से, जमाओं, अन्य वित्तपोषण संस्थानों आदि को ध्यान में रखते हुए सहकारी समिति की आवश्यकता के अनुसार ऋण कुल आवश्यकता का 80: से अधिक नहीं होना चाहिए।

ऋण अवधि

दीर्घकालिक ऋण 5 वर्ष के लिए होगा, जिसमें ऋण के पुनर्भुगतान और ब्याज के भुगतान बिना स्थगन कोई रोक नहीं होगी। ऋण के संवितरण के समय प्रचलित ब्याज दर लागू होगी । राज्य सरकारों के माध्यम से प्रदान किए गए ऋण के मामले में, ऋण का भुगतान वार्षिक किश्तों में किया जाएगा और प्रत्यक्ष वित्त पोषित ऋण के मामले में, ऋण का भुगतान अर्धवार्षिक किश्तों में किया जाएगा।

प्रतिभूति

सहकारी समितियों को सीधे स्वीकृत ऋण के मामले में, रा.स.वि.नि. की संतुष्टि के लिए ऋण निम्नलिखित में से एक या दो या अधिक के संयोजन द्वारा सुरक्षित किया जाएगाः

(i) राज्य/केंद्र सरकार द्वारा गारंटी;

(ii) अनुसूचित बैंकों/राष्ट्रीयकृत बैंकों से गारंटी;

(iii) उधारकर्ता सहकारी समिति की अचल संपत्तियों का बंधक ऋण राशि के 1.50 गुना से कम नहीं होना चाहिए।

(iv) ऋण राशि के कम से कम 1.10 गुना अंकित मूल्य वाली स्थाई जमा रसीदें गिरवी रखना।

(v) रा.स.वि.नि. ऋण के 1.2 गुना की सीमा तक सरकारी बांड/प्रतिभूतियों के बंधक एवं निर्धारण।

उपर्युक्त के अतिरिक्त, ऋण समझौता एवं मांग वचन पत्र भी निर्धारित किया जाएगा। यदि आवश्यक हो, तो पोस्ट दिनांकित चेक भी सुरक्षा दस्तावेज का हिस्सा बनेगें।

अन्य केंद्रीय क्षेत्रक योजना

निम्नलिखित केन्द्रीय क्षेत्रक योजना के अंतर्गत रा.स.वि.नि. के माध्यम से सहायताः

ट. कृषिक विपणन अवसंरचना (एएमआई) भंडारण अवसंरचना के अतिरिक्त, केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक विपणन योजना (सीएस—आईएसएएम) की उपयोजना

वित्तीय सहायता हेतु स्कीम :—

- निर्माण के साथ जीर्णोद्धार की भंडारण अवसंरचना परियोजनाएं
- भंडारण के अतिरिक्त अवसंरचना परियोजनाएं (प्राथमिक प्रसंस्करण जैसे सॉटिंग, ग्रेटिंग, प्रशीतन, शीतलन आदि)
- 1000 मी. ट. तक के अकेले शीत भंडारण की अनुमति है।

सब्सिडी हेतु परियोजना की पूंजीगत लागत गणना वित्तीय संस्था द्वारा मूल्यांकित परियोजना लागत या चार्टर्ड अकाउंटेन्ट द्वारा प्रमाणित योग्य अवयवों की वास्तविक लागत में, जो भी कम हो, के आधार पर की जाएगी।

एएमआई के अंतर्गत —भंडारण संरचना के अतिरिक्त वित्त पोषण की पद्धति

श्रेणी	सब्सिडी की दर (पूंजी लागत पर)	अधिकतम सब्सिडी सीमा (रुपये लाख में)
क) पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर तथा अंडमान एवं निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र, पर्वतीय* तथा जनजातीय क्षेत्र	33.33%	30.00
ख) अन्य क्षेत्रों में: 1. पंजीकृत एफपीओ, महिला, अनु0जा0/ अनु0ज0जा0 के लाभार्थी तथा उनकी सहकारिताएं**	33.33%	30.00
2. अन्य सभी लाभार्थियों हेतु	25%	25.00

एएमआई के अंतर्गत –भंडारण संरचना हेतु वित्तपोषण की पद्धति

श्रेणी	सब्सिडी की दर (पूंजी लागत पर)	अधिकतम सब्सिडी सीमा (रुपये लाख में)		
		50–1000 मी.ट. रुपये / मी.ट.में	1000 से अधिक तथा 10000 मी.ट रुपये / मी.ट.में	अधिकतम सीमा (लाख रुपये में)
क) पूर्वोत्तर राज्य, सिक्किम तथा अंडमान एवं निकोबार एवं लक्षद्वीप समूह संघ शासित क्षेत्र, पर्वतीय' तथा जनजातीय क्षेत्र	33.33%	1333.20	1333.20	133.20
ख) अन्य क्षेत्रों में:				
1. अनु0जा0 / अनु0ज0जा0** सहकारिताओं हेतु	33.33%	1166.55	1000.00	100.00
2. अन्य सभी लाभार्थियों हेतु	25%	875.00	750.00	75.00

* पर्वतीय क्षेत्र वह स्थान है जो समुद्र तल से 1,000 मीटर से अधिक ऊंचाई पर स्थित है।

** अनु0जा0 / अनु0ज0जा0 की सहकारिताएं राज्य सरकार के संबंधित अधिकारी द्वारा प्रमाणित की जाएंगी।

अन्य मानदंडः–

(i) ब्लॉक लागत का न्यूनतम 20% लाभार्थी समिति / राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाना है।

(ii) साइलो सब्सिडी की गणना के लिए लागत मानदण्ड अन्य भंडारण अवसंरचना के समान ही रहेंगे।

(iii) नवीनीकरण की सहायता केवल रा0स0वि0नि0 के माध्यम से सहकारी समितियों की भण्डारण अवसंरचना परियोजना तक ही सीमित रहेगी, जो बैंक / रा0स0वि0नि0 द्वारा मूल्यांकित परियोजना लागत या वास्तविक परियोजना लागत या भण्डारण क्षमता के 750 रुपये / मी.ट., जो भी कम हो, के लिए लागू होगी।

(iv) रुपल्स स्प्लिटिंग और ऑयल क्रशिंग की परियोजनाओं के लिए 25% श्रेणी के लिए अधिकतम सब्सिडी केवल 12.50 लाख रूपये और 33.33% श्रेणी में केवल 16.66 लाख रूपये हैं।

ठ. एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एम.आई.डी.एच.)/राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड (एन.एच.बी.) राष्ट्रीय बागवानी मिशन (एन.एच.एम.)

सामान्य क्षेत्र में परियोजना लागत का 35% की दर पर ऋण क्रेडिट लिंकड बैक एंडेड सब्सिडी और पर्वतीय, पूर्वोत्तर और अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजना लागत 50% की दर पर एकीकृत पैक हाउस, प्री–कूलिंग इकाई, कोल्ड रूम, मोबाइल प्री–कूलिंग इकाई, रीपिंग चैम्बर और रेफ्रीजरेटेड ट्रांसपोर्ट वाहन की स्थापना के लिए एमआईडीएच / एनएचबी / एनएचएम योजनाओं के अंतर्गत प्रदान किया जाता है। एमआईडीएच / एनएचबी / एनएचएम योजनाओं के अंतर्गत सहायता प्रणाली

निम्नानुसार होगा :–

सामान्य क्षेत्र			पूर्वोत्तर, पर्वतीय एवं अनुसूचित क्षेत्र		
रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	प्रत्यक्ष वित्त पाषण	रा.स.वि.नि. से राज्य सरकार को	राज्य सरकार से समिति को	प्रत्यक्ष वित्त पोषण
ऋण 55% उत्तरवर्ती स.* 35%	ऋण 45% अनु0जा0 10% उत्तरवर्ती सब्सिडी* 35%	ऋण 55% उत्तरवर्ती सब्सिडी* 35%	ऋण 40% उत्तरवर्ती सब्सिडी* 50%	ऋण 30% अनु0जा0 10% उत्तरवर्ती सब्सिडी* 50%	ऋण 40% उत्तरवर्ती स‍ि. ब्सडी* 50%
सदस्यों का योगदान	10%	10%	10%	10%	10%

* विशिष्ट शीत श्रृंखला अवयव के लिए उत्तरवर्ती सब्सिडी भारत सरकार/एनएचएम/एनएचबी से प्राप्त होने पर दी जाएगी अन्यथा रा.स.वि.नि. से समकक्ष ऋण दिया जाएगा।

हालांकि कुछ लघु अवयवों जैसे 9मि*6मि के आकार वाले समेत लघु पैकहाउस, वाष्पीकरण/कम ऊर्जा वाला ठंडा कक्ष (8 मि.टन), संरक्षण इकाई (कम लागत), कम लागत वाले प्याज भंडारण संरचना (25 मि.टन) और पूसा शून्य ऊर्जा प्रशीतन कक्ष (100 कि.ग्रा.) के लिए उच्च सब्सिडी उपलब्ध है और इस स्थिति में कुल लागत का 50% सब्सिडी के रूप में प्रदान किया जाता है। लागत मानदंड, सहायता प्रणाली, परिचालन दिशा–निर्देश आदि का विवरण www.midh.gov.in, www.nhb.gov.in, जैसी वेबसाइटों पर देखा जा सकता है।

क. कानूनी इकाई होनी चाहिए तथा उपनियमों के अनुसार अपने सदस्यों से इक्विटी एकत्रित की जानी चाहिए।

ख. शेयर धारकों की संख्या योजना के अनुसार है।

ग. लघु एवं सीमांत तथा भूमिहीन किरायेदारों में से न्यूनतम 50% शेयर धारक।

घ. प्रति सदस्य अधिकतम शेयरधारिता कुल इक्विटी के 10% से अधिक नहीं होनी चाहिए।

ङ. निदेशक मंडल एवं संचालन निकाय में महिलाओं की भागीदारी होनी चाहिए।

च. स्थायी राजस्व मॉडल के आधार पर अगले 18 महीनों के लिए व्यवसाय योजना एवं बजट होना चाहिए।

ङ. कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ) योजना के तहत वित्तपोषण सुविधा के माध्यम से ब्याज अनुदान एवं ऋण गारंटी – कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

रा.स.वि.नि. को एआईएफ योजना के लिए कार्यान्वयन एजेंसी (आईए) के रूप में नामित किया गया है। यह योजना लाभार्थी सहकारी समितियों को देश में कृषि बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए फसल–पश्चात प्रबंधन, बुनियादी ढांचे तथा सामुदायिक

कृषि परिसंपत्तियों से संबंधित व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश के लिए मध्यम/दीर्घकालिक ऋण वित्तपोषण सुविधा का लाभ उठाने की सुविधा प्रदान करेगी।

मुख्य विशेषताएं:

क) 7 वर्ष की अवधि के लिए 2 करोड़ रुपये की सीमा तक के ऋण पर 3% प्रति वर्ष की ब्याज छूट।

ख) 2 करोड़ रुपये से अधिक के ऋण के मामले में, ब्याज छूट केवल 2 करोड़ रुपये तक सीमित होगी।

ग) 2 करोड़ रुपये तक के ऋण के लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट (सीजीटीएमएसई) योजना के तहत क्रेडिट गारंटी कवरेज।

ढ. राष्ट्रीय कृषि विस्तारण एवं प्रौद्योगिकी मिशन (एनएमएईटी) के बीज एवं पौधरोपण सामग्री (एस.एम.एस.पी.) के उपमिशन के अंतर्गत बीज उत्पादन अवयव की वृद्धि हेतु सहायता

निगम राष्ट्रीय कृषिक विस्तारण एवं प्रौद्योगिकी (एनएमएईटी) के बीज एवं पौधारोपण सामग्री (एस.एम.एस.पी.) हेतु उप मिशन के अंतर्गत उपर्युक्त अवयव को कार्यान्वित कर रहा है। इस अवयव के अंतर्गत सहायता बीज सफाई, ग्रेडिंग, प्रसंस्करण, बीज शोधन, पैकेजिंग तथा भंडारण इकाइयों तथा अनुसंधान एवं विकास समेत बीज परीक्षण सुविधाओं से संबंधित आधारभूत सुविधाओं के सृजन तक सीमित होगी। इस अवयव के कार्यानवयन तथा निगरानी के लिए राष्ट्रीय बीज निगम नोडल एजेंसी होगी।

क्रेडिट लिंक्ड बैंक एंडेड सब्सिडी की राशि सामान्य क्षेत्रों में परियोजना पूंजी लागत की 40% की दर से तथा पर्वतीय तथा अधिसूचित क्षेत्रों में अधिकतम 150 लाख रुपये प्रति परियोजना के आधार पर 50% की दर से दी जायेगी। प्रयुक्त कुल निधि की 2% राशि नोडल एजेंसी के प्रशासनिक प्रभारों के रुप में देने की अनुमति दी जायेगी। इस अवयव के अंतर्गत बीज गोदामों के निर्माण तथा उपर्युक्त अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के सृजन हेतु सहायता रा.स.वि.नि. द्वारा दी जाती है। वित्त पोषण की पद्धति में ब्लाक लागत की अधिकतम 52% राशि आवधिक ऋण के रुप में, ब्लाक लागत की 38% राशि सब्सिडी (अधिकतम 150.00 लाख रुपये की ब्लाक लागत के अधीन) के रुप में तथा ब्लाक लागत की न्यूनतम 10% राशि समिति के अंश के रुप में सम्मिलित होगी।

ण) मत्स्य पालन, पशुपालन तथा डेयरी मंत्रालय के मत्स्य विभाग की पीएम मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई) :

मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास के लिए एक समर्पित योजना जो मछली उत्पादन तथा उत्पादकता, गुणवत्ता, प्रौद्योगिकी, फसलोत्तर अवसंरचना, मूल्य श्रृंखला के आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, पता लगाने की क्षमता, एक मजबूत मत्स्य प्रबंधन ढांचे की स्थापना और मछुआरों के कल्याण में महत्वपूर्ण कमियों को दूर करती है।

पीएमएमएसवाई एक अंब्रेला योजना है जिसके दो भिन्न अवयव नामतः (क) केन्द्रीय क्षेत्रक योजना तथा (ख) केन्द्र प्रायोजित योजना हैं। केन्द्रीय क्षेत्रक योजना को आगे गैर लाभार्थी तथा लाभार्थी उप अवयव/गतिविधि में निम्न तीन व्यापक शीर्षों के अंतर्गत विभाजित किया गया है।

(i) उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि।

(ii) अवसंरचना तथा फसलोत्तर प्रबंधन।

(iii) मत्स्य प्रबंधन तथा नियामक संरचना।

वित्त पोषण पद्धति

केंद्र क्षेत्रक योजना (सीएस) अवयव	• संपूर्ण परियोजना/इकाई लागत केंद्र सरकार द्वारा वहन की जाएगी (अर्थात 100% केंद्रीय वित्त पोषण) • एनएफडीबी सहित सरकार और उसकी संस्थाओं द्वारा किए गए लाभार्थी उन्मुख गतिविधियों के मामले में, केंद्रीय सहायता सामान्य वर्ग के लिए इकाई/परियोजना लागत के 40% तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/महिला वर्ग हेतु 60% तक सीमित होगी।
केंद्र प्रायोजित योजना (सीएसएस) के अवयव	**गैर लाभार्थी–उन्मुख गतिविधियां** • संपूर्ण परियोजना/इकाई लागत नीचे दिए गए विवरण के अनुसार केंद्र एवं राज्य के बीच साझा की जाएगी : • केंद्र एवं सामान्य राज्यों के बीच 60:40 • पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्यों के बीच 90:10 • संघ राज्य क्षेत्रों एवं केंद्र सरकार की संस्थाओं हेतु 100% **लाभार्थी–उन्मुख अर्थात व्यक्तिगत/सामूहिक गतिविधियां** • केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारों की सरकारी वित्तीय सहायता सामान्य वर्ग हेतु परियोजना/इकाई लागत के 40% तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति एवं महिलाओं हेतु परियोजना/इकाई लागत के 60% तक सीमित होगी। • इस सरकारी सहायता को केंद्र एवं राज्य के बीच निम्नलिखित अनुपात में साझा किया जाएगा : पूर्वोत्तर एवं हिमालयी राज्य : 90% केंद्रीय हिस्सा और 10% राज्य हिस्सा संघ राज्य क्षेत्र : 100% केंद्रीय हिस्सा अन्य राज्य : 60% केंद्रीय हिस्सा एवं 40% राज्य हिस्सेदारी

मत्स्य–पालन किसान उत्पादक संगठनों (एफएफपीओ) का गठन एवं संवर्धन :

पीएमएमएसवाई योजना के तहत, मत्स्य–पालन विभाग, मत्स्य–पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार ने 1070 एफएफपीओ के गठन एवं संवर्धन हेतु रा.स.वि.नि. को स्वीकृति प्रदान की है (सहकारी समिति अधिनियम के तहत 70 का गठन एवं पंजीकरण किया जाएगा तथा 1000 मौजूदा प्राथमिक मत्स्य सहकारी समितियों (पीएफसीएस) को एफएफपीओ के रूप में सुदृढ़ किया जाएगा)

त. प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना (पीएमएफएमई)– कृषि प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

उद्देश्य

- वर्त्तमान सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमियों, एफपीओ, स्वयं सहायता समूहों एवं सहकारिताओं द्वारा ऋण तक पहुंच में वृद्धि;
- ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग को सुदृढ़ करके व्यवस्थित आपूर्ति श्रृंखला सहित एकीकरण;
- वर्त्तमान 200000 उद्यमों को औपचारिक रुपरेखा के रूपांतरण हेतु समर्थन;

- सामान्य प्रसंस्करण सुविधा, प्रयोगशालाओं, भंडारण, पैकेजिंग, विपणन एवं ऊष्मायन सेवाओं जैसी सामान्य सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि;
- खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में संस्थानों, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण का सुदृढ़ीकरण; तथा
- उद्यमों के लिए पेशेवर एवं तकनीकी सहायता तक पहुंच में वृद्धि।

वित्त–पोषण पद्धतिः

यह योजना खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में सम्मिलित सहकारी समितियों को पात्र परियोजना लागत के 35% की दर से ऋण से जुड़े अनुदान के माध्यम से उनकी मौजूदा प्रसंस्करण गतिविधियों के उन्नयन हेतु पूंजी निवेश के लिए ओडीओपी एवं गैर ओडीओपी उत्पाद के प्रसंस्करण हेतु नई इकाइयों को समर्थन प्रदान करता है।

कार्यान्वयन प्रक्रिया :

यह योजना राज्य सरकारों के माध्यम से लागू की जाएगी एवं यह उत्पादक सहकारी समितियों को कृषि मूल्य श्रृंखला में अग्रवर्ती एवं पश्चवर्ती के संबंध (फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड लिंकेज) विकसित करने तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय बाजारों से जुड़ने के लिए बड़े अवसर प्रदान करती है।

थ. 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के गठन तथा संवर्धन हेतु योजना - कृषि, सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

योजना

इस योजना का उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के रूप में लघु एवं सीमांत किसानों का समूहीकरण के माध्यम से समग्र और सहायक पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण से समावेशी एवं स्थायी परिवर्तन लाना है।

एफपीओ के संवर्धन में रा.स.वि.नि. की भूमिका

इस योजना के तहत कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में, रा.स.वि.नि., अपने अधिदेश के अनुसार ऐसे एफ.पी.ओ. की आवंटित संख्या का गठन तथा संवर्धन करता है, जो राज्य सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत है। पहले के राज्य सहकारी अधिनियमों के अलावा, इनमें पारस्परिक रूप से सहायता प्राप्त या आत्मनिर्भर सहकारी समिति अधिनियम या किसी भी नाम से जाना जाता है, या बहुउद्देशीय सहकारी समिति अधिनियम (एमएससीएस अधिनियम) सम्मिलित हैं।

रा.स.वि.नि. अपने पैनलबद्ध क्लस्टर आधारित व्यावसायिक संगठनों (सीबीबीओ) के माध्यम से एफपीओ को बढ़ावा देगा, जो ब्लॉक स्तर पर कार्य करेगा और योजना के तहत रा.स.वि.नि. को आवंटित एफपीओ के गठन हेतु जिम्मेदार होगा।

क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (सी.बी.बी.ओ.)

(i) एफपीओ बनाने के लिए कार्यान्वयन एजेंसियां राज्य/क्लस्टर स्तर पर क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (सीबीबीओ) की पहचान करेंगी;

(ii) किसी दिए गए राज्य में, भूगोल उत्पाद समूहों, फसल पद्धति आदि के आधार पर एक या एक से अधिक सीबीबीओ हो सकते हैं तथा एक सीबीबीओ एक से अधिक राज्यों में भी काम कर सकता है।

(iii) सीबीबीओ के पास कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र में एफपीओ की व्यावसायिक विशेषज्ञता एवं अपेक्षित अनुभव की जानकारी होनी चाहिए तथा इस क्षेत्र में विशेषज्ञों का एक पैनल होना चाहिए । (क) फसल पालन; (ख) कृषि विपणन/मूल्य संवर्धन एवं प्रसंस्करण; (ग) सामाजिक संघटन; (घ) विधि एवं लेखा; और (च) कृषि एवं कृषि विपणन में आईटी/एमआईएस।

विभिन्न हितधारकों हेतु उपलब्ध लाभ

क) क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन (सीबीबीओ) का संवर्धन

एफपीओ के गठन एवं सीबीबीओ के ऊष्मायन लागत, अधिकतम 25 लाख रुपये/ एफपीओ समर्थन या वास्तविक जो भी कम हो, तक सीमित है, गठन के वर्ष से पांच वर्षों के लिए प्रदान किया जाता है। इसमें आधारभूत सर्वेक्षण, किसानों को जुटाने, जागरूकता आयोजन कार्यक्रम एवं प्रदर्शन यात्राओं का आयोजन, पेशेवर हैंड होल्डिंग इन्क्यूबेशन तथा अन्य उपरिव्यय सम्मिलित है।

सीबीबीओ को कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा भुगतान राशि, पूर्व में संवितरित राशि का उपयोग प्रमाण पत्र प्राप्त करने के बाद, विमुक्त किया जाता है।

ख) एफपीओ प्रबंधन लागत

योजना के अंतर्गत, एफपीओ को गठन के वर्ष से तीन वर्षों के लिए अधिकतम 18.00 लाख रूपये/एफपीओ या वास्तविक, जो भी कम हो, तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जानी है। चौथे वर्ष से, एफपीओ को अपनी व्यावसायिक गतिविधियों का प्रबंधन स्वयं करना होगा।

निर्देशात्मक वित्तीय सहायता निम्नानुसार है :

- सीईओ/प्रबंधक का वेतन अधिकतम 25000 रुपये प्रति माह
- लेखाकार का वेतन अधिकतम 10000 रुपये प्रति माह
- एकमुश्त पंजीकरण लागत अधिकतम 40000 रुपये तक
- यात्रा एवं बैठक की लागत अधिकतम 18000 रुपये प्रति वर्ष
- कार्यालय किराया अधिकतम 48000 रुपये प्रति वर्ष
- उपयोगिता शुल्क (मोबाइल और बिजली) अधिकतम 12000 रुपये प्रति वर्ष
- फर्नीचर एवं फिक्स्चर हेतु एकमुश्त लागत अधिकतम 100000 रुपये
- विविध (सफाई/स्टेशनरी) अधिकतम 12000 रुपये प्रति वर्ष

इसके अलावा संचालन, प्रबंधन, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता एवं अवसंरचनात्मक विकास आदि के किसी भी खर्च को एफपीओ द्वारा अपने स्रोतों से पूरा किया जाना है।

ग) एफपीओ को इक्विटी अनुदान

(i) इक्विटी अनुदान एफपीओ के प्रति किसान सदस्य के लिए 2000 रुपये तक के मिलान अनुदान के रूप में है, जो अधिकतम 15.00 लाख रुपये प्रति एफपीओ की सीमा के अधीन होगा ।

(ii) एफपीओ अधिकतम 3 चरणों में (पहले आवेदन के 4 वर्ष की अवधि के साथ) इक्विटी अनुदान प्राप्त कर सकता है, यह सीमा के अधीन एवं अतिरिक्त विपणन अनुदान हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अतिरिक्त सदस्य इक्विटी जुटाने में सक्षम है ।

घ) ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं हेतु ऋण गारंटी सुविधा

पात्र ऋणदात्री संस्थाओं (ईएलआई) को एक क्रेडिट गारंटी कवर प्रदान करना, जिससे वे एफपीओ को अपने ऋण जोखिम को कम करते हुए संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान कर सकें।

प्रति एफपीओ लिमिटेड 2.00 करोड़ रुपये के ऋण के लिए क्रेडिट गारंटी कवर :

क. 1 करोड़ रु. तक का ऋण – 85 लाख रुपये की सीमा के साथ 85% गारंटी कवर (क्रेडिट सुविधा का अधिकतम गारंटी शुल्क 0.75%)

ख. 1–2 करोड़ रुपये के लिए, 150 लाख रुपये की अधिकतम सीमा के साथ 75% गारंटी कवर (क्रेडिट सुविधा का अधिकतम शुल्क 0.85%)

अधिक जानकारी के लिए कृपया https://agricoop-nic.in/en. पर देखें

द. प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना (पी.एम.के.एस.वाई.) – खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

i) कृषि–समुद्रीय प्रसंस्करण और कृषि–प्रसंस्करण क्लस्टरों की विकास योजना

प्रधान मंत्री किसान सम्पदा योजना एक व्यापक पैकेज है जिसके परिणामस्वरूप खेतों (फार्म गेट) से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन सहित आधुनिक अवसंरचना का निर्माण होगा । प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना के तहत मूल्य संवर्धन हेतु निम्नलिखित योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं :

(i) सृजन / खाद्य प्रसंस्करण का विस्तार / संरक्षण क्षमताएँ (इकाई योजना)

(ii) कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर

(iii) खाद्य सुरक्षा एवं गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना

वित्तपोषण पद्धति :

योजना के अनुसार परियोजना के क्षेत्र एवं अवयवों के आधार पर पात्र परियोजना लागत का 35% से 70% तक सहायता अनुदान की परिकल्पना की गई है। अधिक जानकारी के लिए कृपया www.mofpi.nic.in पर देखें

ii) एकीकृत शीत श्रृंखला एवं मूल्य संवर्धन अवसंरचना योजना

इस योजना का उद्देश्य **गैर–बागवानी उत्पादों, डेयरी, मांस, कुक्कुट– पालन एवं समुद्रीय / मछली (झींगा को छोड़कर)** के पोस्ट हार्वेस्ट नुकसान को कम करने की दिशा में खेतों (फार्म गेट) से उपभोक्ता तक बिना किसी अवरोध के एकीकृत शीत श्रृंखला, संरक्षण तथा मूल्य संवर्धन अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करना है। इससे उत्पादकों को एक सुसज्जित आपूर्ति श्रृंखला एवं शीत श्रृंखला के माध्यम से खाद्य प्रोसेसर एवं बाजार से जोड़ा जा सकेगा, जिससे किसानों को लाभकारी मूल्य एवं उपभोक्ताओं को खाद्य उत्पादों की उपलब्धता वर्ष–भर सुनिश्चित हो सकेगी।

वित्त–पोषण पद्धति

सामान्य क्षेत्रों में परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान पात्र परियोजना लागत का 35% तथा विषम क्षेत्रों में परियोजनाओं के साथ–साथ अ.नु.जा / अ.नु.ज.जा, एफपीओ एवं स्वयं सहायता समूहों की परियोजनाओं के लिए सहायता अनुदान पात्र परियोजना लागत का 50% होगा, जो प्रति परियोजना अधिकतम 10 करोड़ रुपये के अधीन है। मंत्रालय या एकीकृत बागवानी विकास मिशन (एमआईडीएच) द्वारा जारी लागत मानदंडों का पालन किया जाएगा, जहां भी उपलब्ध हो।

अधिक जानकारी के लिए कृपया www.mofpi.nic.in पर देखें

ध. राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त और विकास निगम (एनएसटीएफडीसी), जनजातीय कार्य मंत्रालय

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) अनु.ज.जा. सहकारिताओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के लिए उदार शर्तों पर वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

विशेषताएँ :

निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के अधीन अनु.ज.जा. सहकारिताओं के लिए राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं

विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) से कम ब्याज दरों पर रियायती वित्तपोषण उपलब्ध है:

- न्यूनतम 80% या उससे अधिक सदस्य अनुसूचित जनजाति समुदाय से संबंधित होने चाहिए और आवेदक की वार्षिक पारिवारिक आय गरीबी रेखा से दोगुनी से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- सदस्यता में परिवर्तन के मामले में, उक्त सहकारी समिति यह सुनिश्चित करेगी कि एनएसटीएफडीसी ऋण की चालू अवधि के दौरान अनु.ज.जा. सदस्यों का प्रतिशत 80% से कम न हो।

रियायती वित्तपोषण एनएसटीएफडीसी से अनुमोदन की प्राप्ति के अधीन है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया https://tribal.nic.in/nstfdc.aspx. पर देखें

ण. राष्ट्रीय पशुधन मिशन(एनएलएम) तथा राष्ट्रीय गोकुल मिशन (आरजीएम) मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

इन योजनाओं के तहत, किसान सहकारी संगठन (एफसीओ)/किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) (सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत) रा.स.वि.नि. से सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं। योग्य प्रस्तावों को संबंधित योजना के अनुरूप रा.स.वि.नि. के ऋण मानदंडों के अनुसार वित्त पोषित किया जाएगा। योग्य गतिविधियों, अवयवों एवं वित्तपोषण पद्धति का विवरण निम्नवत है

राष्ट्रीय पशुधन मिशन

क्र.सं.	गतिविधियाँ	अवयव	वित्त–पोषण पद्धति
1	पशुधन एवं कुक्कुट–पालन नस्ल विकास	न्यूनतम 1000 पेरेंट्स लेयर (मूल अंडे देने वाली) वाली मदर यूनिट के साथ पेरेंट फार्म, रूरल हैचरी की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की जाएगी।	ब्लॉक लागत का 50% तक ऋण तथा कुल परियोजना लागत (अधिकतम 25 लाख रुपये) का 50% तक भारत सरकार की सब्सिडी
2	जुगाली करने वाले छोटे आकार वाले पशुओं (भेड़/बकरी) में नस्ल विकास	100 मादाओं के गुणक में भेड़/बकरी प्रजनन इकाई + अधिकतम सीमा 500 वाली 5 नरों की इकाई + प्रति इकाई में 25 पशु तक।	ब्लॉक लागत का 50% तक ऋण तथा कुल परियोजना लागत (अधिकतम 50 लाख रुपये) का 50% तक भारत सरकार की सब्सिडी
3	सुअर पालन उद्यमी संवर्धन	ब्रीडर फार्म की स्थापना में न्यूनतम 50 से लेकर 100 मादा सूअर तथा 5 से लेकर 25 नर सूअर तक के लिए सहायता प्रदान की जाएगी।	ब्लॉक लागत का 50% तक ऋण तथा कुल परियोजना लागत (अधिकतम 30 लाख रुपये) का 50% तक भारत सरकार की सब्सिडी
4	पशुचारा एवं भूसा उद्यमिता गतिविधियाँ	घास पशुचारा/कुल मिश्रित राशन/साइलेज ब्लॉक की स्थापना हेतु सहायता प्रदान की जायेगी।	ब्लॉक लागत का 50% तक ऋण तथा कुल परियोजना लागत (अधिकतम 50 लाख रुपये) का 50% तक भारत सरकार की सब्सिडी

राष्ट्रीय गोकुल मिशन :

क्र.सं.	गतिविधियाँ	अवयव	वित्त–पोषण पद्धति
1	नस्ल गुणन फार्म (बीएमएफ)	किसानों को उच्च आनुवंशिक योग्यता वाली बछिया उपलब्ध कराने हेतु उद्यमिता मॉडल के माध्यम से बीएमएफ स्थापित करने का प्रस्ताव है । फार्म की क्षमता 200 दुधारू पशुओं की है। पूर्वोत्तर /पर्वतीय क्षेत्रों के लिए फार्म की क्षमता/50 दुधारू पशुओं की है।	कुल अनुमानित परियोजना लागत 4 करोड़ रुपये होगी। ब्लॉक लागत (अधिकतम 2 करोड़ रुपये) का 52% तक ऋण और कुल परियोजना लागत (अधिकतम 2 करोड रुपये) का 50% तक भारत सरकार की सब्सिडी एनडीडीबी के माध्यम से दी जाती है।

अधिक जानकारी के लिए कृपया http://www.dahd.nic.in **पर देखें**

त. पुनर्गठित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि (एएचआईडीएफ)

रा.स.वि.नि. पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी), मत्स्यपालन, पशुपालन एवं डेयरी मंत्रालय, भारत सरकार की पुनर्गठित पशुपालन अवसंरचना विकास निधि योजना के तहत ऋण प्रदान करने वाली संस्थाओं में से एक है। इस योजना के अंतर्गत, डेयरी सहकारी समितियां, एफपीओ (सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत) एवं एमएसएमई (सहकारी समिति अधिनियम के तहत पंजीकृत) रा.स.वि.नि. से सहायता प्राप्त करने हेतु पात्र हैं। पात्र प्रस्तावों का वित्तपोषण, संबंधित योजना के अनुरूप रा.स.वि.नि. के ऋण मानदंडों के अनुसार किया जाएगा। योजना के अंतर्गत, पात्र उधारकर्ता डीएएचडी, भारत सरकार के अनुमोदन के अधीन 3% की ब्याज छूट (यथासमय परिचालित रा.स.वि.नि. ब्याज दर पर) तथा मूलधन के पुनर्भुगतान पर अधिकतम 2 वर्ष के अधिस्थगन सहित अधिकतम 10 वर्ष अवधि के लिए परियोजना लागत के 90% तक आवधिक ऋण प्राप्त कर सकेंगे। योजना के अंतर्गत पात्र कार्यकलाप इस प्रकार हैं:

i) डेयरी प्रसंस्करण तथा मूल्यवर्धन अवसंरचना;

ii) मांस प्रसंस्करण तथा मूल्यवर्धन अवसंरचना;

iii) पशुचारा संयंत्र;

iv) नस्ल सुधार प्रौद्योगिकी तथा नस्ल गुणन फार्म;

v) पशु चिकित्सा वैक्सीन तथा औषधि विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना;

vi) पशु अपशिष्ट से धन प्रबंधन (कृषि अपशिष्ट प्रबंधन);

उपर्युक्त प्रमुख कार्यकलापों के उप–अवयवों तथा अन्य विवरणों हेतु: https://www.dahd.nic.in पर देखें।

रा.स.वि.नि. सहायता प्राप्त करने के लिए नोटः

I. सामान्य मानदंड

i. प्रसंस्करण इकाइयों और अन्य अवसंरचनात्मक सुविधाओं के मामले में ऋण–इक्विटी अनुपात को परियोजनाओं की व्यवहार्यता को ध्यान में रखते हुए समायोजित किया जा सकता है। सदस्यों के योगदान को कम किया जा सकता है बशर्ते राज्य सरकार सदस्यों के हिस्से का उचित हिस्सा बनाए।

ii. भारत सरकार/अन्य संस्थानों की विशिष्ट योजनाओं के तहत वित्त पोषित परियोजनाओं के मामले में, उनकी सहायता की पद्धति लागू होगी।

iii. रा.स.वि.नि. की योजनाओं को भारत सरकार/सरकार के विभागों/कोई अन्य स्रोतों की योजनाओं के साथ जोड़ा जा सकता है। सहायता पद्धति को तदनुसार समायोजित किया जाएगा; इस शर्त के साथ कि केवल एक केंद्रीय सब्सिडी उपलब्ध होगी। तथापि, यदि वांछित हो तो राज्य सरकारें अपने स्रोतों से सब्सिडी का अंशदान कर सकती हैं।

iv. एक से अधिक राज्यों में संचालन के क्षेत्र वाली सहकारी समितियों को सहायता सीधे संपत्ति आदि के बंधक के माध्यम से उपयुक्त सुरक्षा के अधीन प्रदान की जा सकती है।

v. प्रत्यक्ष वित्त पोषण रा.स.वि.नि. द्वारा समय–समय पर तय दिशा–निर्देशों के अनुसार होगा।

vi. सहायता का पैटर्न प्रदान की जा सकने वाली वित्तीय सहायता की अधिकतम सीमा को इंगित करता है।

vii. कार्यक्रम/परियोजना को सांविधिक/अनिवार्य आवश्यकताओं अर्थात प्रदूषण, पर्यावरण, स्वच्छता आदि को पूरा करना चाहिए।

viii. सहकारी समितियों में आम तौर पर एक लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित बोर्ड होगा, जो व्यावसायिक रूप से प्रबंधित होगा एवं फारवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज संबंधों के लिए उचित व्यवस्था करेगा।

II. प्रत्यक्ष वित्त पोषण के लिए मानदंड

रा.स.वि.नि. निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हुए वर्तमान सहकारी समितियों को प्रत्यक्ष सहायता प्रदान कर सकता हैः

(i) सहायता की इच्छुक समिति के पास सकारात्मक निवल मूल्य होना चाहिए और उसकी शेयर पूंजी का क्षरण नहीं होना चाहिए;

(ii) सभी दीर्घकालिक ऋणों को ध्यान में रखते हुए ऋण इक्विटी अनुपात सामान्य रूप से विनिर्माण/प्रसंस्करण गतिविधियों से संबंधित परियोजनाओं के लिए 65:35 से 70:30 के बीच होना चाहिए;

(iii) वित्तीय वर्ष की समाप्ति के 6 महीने के भीतर खाते की लेखापरीक्षा पिछले वित्तीय वर्ष तक पूरी होनी चाहिए। यदि सरकारी लेखापरीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की जाती है और पूरा नहीं किया जाता है, तो चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा लेखा परीक्षित लेखाओं को प्रस्तुत किया जाएगा। नवगठित सोसायटी के मामले में 6 महीने की अवधि की गणना उस तारीख से की जाएगी जब वह उस अधिनियम के अनुसार देय है जिसके तहत समिति पंजीकृत है;

(iv) रा.स.वि.नि. सहायता की इच्छुक सहकारी समिति, या कोई अन्य सहकारी समिति जिसके निदेशक किसी अन्य सहकारिता के निदेशक रहे हैं, द्वारा रा.स.वि.नि./बैंकों/वित्तीय संस्थानों को ऋण के पुनर्भुगतान में कोई बड़ी चूक नहीं होनी चाहिए;

केवल पात्रता मानदंड को पूरा करने से सहकारी समिति रा.स.वि.नि. से सीधे वित्त पोषण के लिए पात्र नहीं हो जाती है। रा.स.वि.नि. विभिन्न मापदंडों के संबंध में परियोजनाओं की व्यवहार्यता की जांच करेगा जैसा कि नीचे दिया गया है:

i) परियोजना की तकनीकी व्यवहार्यता और वित्तीय व्यवहार्यता;

ii) सहकारिता की वित्तीय सुदृढ़ता;

iii) सहकारिता के पिछले वित्तीय और परिचालन प्रदर्शन (जहां लागू हो);

iv) सहकारिता के प्रबंधन/कर्मचारियों की व्यावसायिक विशेषज्ञता;

v) समान परियोजनाओं को संभालने में सहकारिता के प्रबंधन का अनुभव;

vi) सहकारिता का आंशिक ऋण भुगतान निष्पादन (जहां लागू हो);

vii) परियोजना लागत के अपने हिस्से को बढ़ाने के लिए सहकारिता की क्षमता;

viii) रा.स.वि.नि. से मांगे गए ऋणों के लिए पर्याप्त प्रतिभूति की उपलब्धता

केवल ऐसी परियोजनाएं, जो रा.स.वि.नि. की राय में इन मापदंडों के आधार पर व्यवहार्य हैं, रा.स.वि.नि. से सीधे वित्त पोषण सहायता के लिए पात्र होंगी। इसके अलावा, जिन सहकारी समितियों का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, उनका सावधानी पूर्वक मूल्यांकन किया जाएगा, और सहकारिता के संवर्धकों की पृष्ठभूमि और क्षमता का तत्परता के साथ आकलन किया जाएगा।

अन्य नियम, शर्तें और मानदंड रा.स.वि.नि. की वेबसाइट www.ncdc.in पर उपलब्ध हैं

III. प्रतिभूति :

रा.स.वि.नि. सहायता या तो राज्य सरकार के माध्यम से या प्रत्यक्ष वित्त पोषण के अंतर्गत प्रदान की जाती है। प्रत्यक्ष वित्त पोषण के मामले में, सहकारी समिति रा.स.वि.नि. की संतुष्टि के लिए निम्नलिखित में से किसी एक या संयोजन में ऋण के लिए प्रतिभूति प्रस्तुत कर सकती है

i) ऋणों से संबंधित प्रतिभूति के रूप में रा.स.वि.नि. को गिरवी रखी जाने वाली परिसंपत्तियों के मूल्य में पर्याप्त प्रतिभूति मार्जिन होना चाहिए, सामान्यतः 1.25 से 1.5 गुना से कम नहीं होना चाहिए। (प्रतिभूति में कमी को अनुसूचित बैंक की गारंटी या रा.स.वि.नि. के पक्ष में समर्थित अनुसूचित बैंक की एफडीआर के माध्यम से पूरा किया जा सकता है)। एफडीआर की प्रतिभूति के मामले में मार्जिन 1.1 गुना से कम नहीं होना चाहिए ;

ii) सहकारी समितियों/संघों को कार्यशील पूंजी ऋण न्यूनतम 20% मार्जिन रखते हुए, स्टॉक/देनदार/अन्य परिसंपत्तियों के बंधक द्वारा सुरक्षित किया जा सकता है। यदि आवश्यक समझा जाए, तो रा.स.वि.नि. अचल परिसंपत्तियों पर पहले या दूसरे शुल्क की अतिरिक्त प्रतिभूति मांग सकता है। सरकारी खरीद या मूल्य समर्थन कार्यों के लिए कार्यशील पूंजी ऋण के मामले में किसी न्यूनतम मार्जिन पर बल नहीं दिया जा सकता है;

iii) राज्य/केंद्र सरकार द्वारा गारंटी;

iv) केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों/सांविधिक निकायों/केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रमों के सीएसआर संघों द्वारा गारंटी;

v) लघु कृषक कृषि व्यापार संघ (एसएफएसी)/पूर्वोत्तर विकास वित्त निगम (एनईडीएफआई)/भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी)/संगठन/प्रतिष्ठित संघों की गारंटी।

vi) अनुसूचित/राष्ट्रीयकृत बैंकों से गारंटी;

vii) स्थायी जमा रसीदों (एफडीआर) तथा/या अनुसूचित बैंकों की गारंटी के रूप में निदेशक मंडल/सदस्यों की व्यक्तिगत गारंटी।

viii) रा.स.वि.नि. ऋण के 1.1 गुना की सीमा तक सरकारी बांड/प्रतिभूतियों के बंधक तथा नियतन।

IV. संवितरण निधि :

i) रा.स.वि.नि. 25% वेज एंड मीन एडवांसेज संवितरित करने पर विचार तभी करेगा जब समिति 50% जुटा चुकी हो और सदस्यों/राज्य सरकार शेयर पूंजी और आंतरिक उपार्जन के माध्यम से परियोजना के 40% इक्विटी हिस्से का उपयोग करे।

ii) मौजूदा प्रक्रिया के अनुसार, बाद में संवितरित की जाने वाली राशि पर सामान्यतः एक चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित एक महीने के लिए किए गए खर्च और प्रतिबद्ध खर्चों के आधार पर विचार किया जाएगा। 10 करोड़ से अधिक की रा.स.वि.नि. सहायता या एमडी, रा.स.वि.नि. द्वारा तय की गई परियोजनाओं के लिए, ऐसा प्रमाणन रा.स.वि.नि. द्वारा अनुमोदित पैनल से चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा किया जा सकता है।

iii) **प्रसंस्करण शुल्कः** प्रत्यक्ष वित्त पोषण के मामले में, रा.स.वि.नि. की मंजूरी के लिए स्वीकृत राशि के 0.5% की दर से प्रसंस्करण शुल्क लिया जाएगा, जो प्रत्येक मामले में 3.00 लाख रुपये (6.00 करोड़ रुपये का 0.5%) से अधिक नहीं होगा, जीएसटी को छोड़कर। हालांकि, एक वर्ष तक के कार्यशील पूँजी ऋण के लिए प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा। यदि उधारकर्ता राज्य सरकार है तो प्रोसेसिंग शुल्क नहीं लिया जाएगा।

अनुबंध –VI

दिनांक 31.03.2024 को रा.स.वि.नि. में कर्मचारियों की कुल संख्या एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की संख्या

समूह	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनु0 जाति	कुल कर्मचारियों मे अनु0 जाति का प्रतिशत	अनु0जन जाति	कुल कर्मचारियों में अनु0जन जाति का प्रतिशत
क – I (समूह 'क' के निम्नतम संवर्ग के अतिरिक्त)	70	13	18.57	6	8.57
क – II (समूह 'क' का निम्नतम संवर्ग)	64	9	14.06	5	7.81
उप योग	**134**	**22**	**16.42**	**11**	**8.21**
ख	84	15	17.86	6	7.14
ग	57	11	19.30	6	10.53
कुल योग	**275**	**48**	**17.45**	**23**	**8.36**

अनुबंध – VII

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान रा.स.वि.नि. में अनसूचित जातियों एवं अनु.जन जातियों के सदस्यों द्वारा भरी गई आरक्षित रिक्तियों की संख्या

विवरण	अधिसूचित की गई रिक्तियों की कुल संख्या	भरी गई	अनुसूचित जातियां – आरक्षित रिक्तियों की संख्या		नियुक्त किये गये अनु. जा. के उम्मीदवारों की संख्या	पिछले वर्ष से आगे लाई गई अ.जा. की रिक्तियों की संख्या	अनु.जा की तीसरे वर्ष में आगे लाई गई आरक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्त किये गये अ.जन.जा. के उम्मीदवारों की संख्या	तीन वर्ष तक आगे ले जाने के बाद समाप्त हुए आरक्षितों की संख्या	अनुसूचित जनजाति – आरक्षित रिक्तियों की संख्या		नियुक्त किये गये अनु. जन जा. के उम्मीदवारों की संख्या	पिछले वर्ष से आगे लाई गई अ.ज. जा. की रिक्तियों की संख्या	अनु.जन.जा. की तीसरे वर्ष में आगे लाई गई आरक्षित रिक्तियों के लिए नियुक्त किये गये अनु.जाति के उम्मीदवारों की संख्या	तीन वर्ष तक आगे ले जाने के बाद समाप्त हुए आरक्षित स्थानों की संख्या
			कालम 2 में से	कालम 3 में से					कालम 2 में से	कालम 3 में से				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
I. सीधी भर्ती/प्रतिनियुक्ति द्वारा भरे गये पद														
समूह 'क' के निम्नतम संवर्ग के अतिरिक्त	1	6*	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'क' का निम्नतम संवर्ग	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ग 'ख'	1	2**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
वर्ग 'ग'	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
II. पदोन्नति द्वारा भरे गये पद														
समूह 'क' के निम्नतम संवर्ग के अतिरिक्त	16	5	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समूह 'क' का निम्नतम संवर्ग	14	5	5	2	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-
वर्ग 'ख'	62	-	14	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-
वर्ग 'ग'	18	-	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-

* तीन अधिकारियों ने वर्ष 2022–23 में प्रतिनियुक्ति के आधार पर अधिसूचित विभिन्न पदों के विरुद्ध पदभार ग्रहण किया।

** एक कार्मिक ने वर्ष 2021–22 में सीधी भर्ती के आधार पर अधिसूचित विभिन्न पदों के विरुद्ध पदभार ग्रहण किया।

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान राज्यवार/स्कीमवार संवितरणों का विवरण
पूर्ववर्ती केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम

(लाख रुपये में)

क. सं.	राज्य/संस्था का नाम	सहकारी विकास हेतु विपणन, प्रसंस्करण एवं भंडारण आदि हेतु सहायता									
		विपणन		निवेश	खाद्यान्न	उपभोक्ता		भंडारण		कम्प्यूटरों की स्थापना	आईसीडीपी परि–योजना हेतु सहायता
		ऋण	सब्सिडी	सब्सिडी	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	सब्सिडी	सब्सिडी
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	बिहार										1109.14500
2.	हरियाणा										5.85500
3.	मिजोरम										32.97700
4.	नागालैंड										0.00700
5.	राजस्थान										120.28659
6.	तमिलनाडु										47.42000
7.	त्रिपुरा										5.00100
8.	उत्तराखंड	3460.00000	150.82000	1130.35000	117.82000	200.00000	73.06000	840.00000	266.29500		
9.	उत्तर प्रदेश									42.29400	248.93100
	योग	**3460.00000**	**150.82000**	**1130.35000**	**117.82000**	**200.00000**	**73.06000**	**840.00000**	**266.29500**	**42.29400**	**1569.62259**

अनुबंध – VIII (जारी)

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान राज्यवार/स्कीमवार संवितरणों का विवरण
पूर्ववर्ती केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम

(लाख रुपये में)

क. सं.	राज्य/ संस्था का नाम	सहकारी विकास हेतु विपणन प्रसंस्करण एवं भंडारण हेतु सहायता						योग (1 से 16)		
		कमजोर वर्ग								
		मत्स्य सह.		पशुधन		डेयरी				
		ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	योग
		11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	बिहार							0.00000	1109.14500	1109.14500
2	गुजरात						29.64250	0.00000	29.64250	29.64250
3	हरियाणा							0.00000	5.85500	5.85500
4	केरल		26.30357					0.00000	26.30357	26.30357
5	मणिपुर	465.50000	166.25000					465.50000	166.25000	631.75000
6	मिजोरम							0.00000	32.97700	32.97700
7	नागालैंड							0.00000	0.00700	0.00700
8	राजस्थान							0.00000	120.28659	120.28659
9	तमिलनाडु							0.00000	47.42000	47.42000
10	तेलंगाना				24147.38013			0.00000	24147.38013	24147.38013
11	त्रिपुरा							0.00000	5.00100	5.00100
12	उत्तराखंड	2005.00000	693.44000	3325.00000	1319.58000	870.00000	130.46000	10700.00000	3881.82500	14581.82500
13	उत्तर प्रदश							0.00000	291.22500	291.22500
	योग	**2470.50000**	**885.99357**	**3325.00000**	**25466.96013**	**870.00000**	**160.10250**	**11165.50000**	**29863.31779**	**41028.81779**

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान राज्यवार/स्कीमवार संवितरणों का विवरण
पूर्ववर्ती केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम/अन्य स्कीम

(लाख रुपये में)

क. सं.	राज्य/ संस्था का नाम	एफपीओ (किसान उत्पादक संगठन)	आईसीडीपी (चयनित जिलों मे परियोजनाएं)	पीएमएमएसवाई: नीली क्रांति हेतु अनुदान	पीएमएमएसवाई: मत्स्य एफपीओ	पीएम एफएमई: एफवी कृषि प्रसंस्करण	महाराष्ट्र सरकार (ब्याज सब्सिडी)	सहकारी चीनी मिलों (सीएसएम)	कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ): विपणन गोदाम	कृषि अवसंरचना निधि (एआईएफ): ग्रामीण गोदाम	योग (20 से 28)		
		सब्सिडी	सब्सिडी	सब्सिडी	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	सब्सिडी	योग
		20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	आंध्र प्रदेश	317.69656		2.57000	702.76802						0.00000	1023.03458	1023.03458
2	असम	76.80803		4.81322	7.66490						0.00000	89.28615	89.28615
3	बिहार	297.81931	126.83400	19.39600	9.95000						0.00000	453.99931	453.99931
4	दिल्ली	201.49302		0.92717	25.00200						0.00000	227.42219	227.42219
5	गुजरात	324.22679		25.64000	289.45397			11229.91000			11229.91000	639.32076	11869.23076
6	हरियाणा	17.30400	43.20091	196.46038							0.00000	256.96529	256.96529
7	हिमाचल प्रदेश	182.47917			2.52000						0.00000	184.99917	184.99917
8	जम्मू एवं कश्मीर	62.23000			8.70600						0.00000	70.93600	70.93600
9	कर्नाटक	122.65556		1.09657	15.95500						0.00000	139.70713	139.70713
10	केरल	115.36398		1.21893	213.33200						0.00000	329.91491	329.91491
11	मध्य प्रदेश	275.91478	19.70000	4.70548	67.08209	6.70800		800.00000			806.70800	367.40235	1174.11035
12	महाराष्ट्र	223.94185		1.65750	881.91040		945.42709	180620.78000			180620.78000	2052.93684	182673.71684
13	मणिपुर	24.43009			4.02275						0.00000	28.45284	28.45284
14	मेघालय	19.02744			2.84841						0.00000	21.87585	21.87585
15	मिजोरम	3.00300	8.54300		6.78500						0.00000	18.33100	18.33100
16	नागालैंड	55.77147	10.98750								0.00000	66.75897	66.75897
17	ओडिशा	203.81021		3.60354	87.24000						0.00000	294.65375	294.65375
18	पंजाब	44.33600									0.00000	44.33600	44.33600
19	राजस्थान	313.29337	131.67800	2.42072					6.74850	6.87500	13.62350	447.39209	461.01559
20	सिक्किम	21.90500									0.00000	21.90500	21.90500
21	तमिलनाडु	253.08248	95.21050	17.25579	14.62284						0.00000	380.17161	380.17161
22	त्रिपुरा	124.30760	11.61600		14.24964						0.00000	150.17324	150.17324
23	उत्तर प्रदेश	535.21779	98.36900	4.45847	28.41136						0.00000	666.45662	666.45662
24	पश्चिम बंगाल	278.06483			147.64935						0.00000	425.71418	425.71418
25	छत्तीसगढ़	131.95024		1.42628	2.08300						0.00000	135.45952	135.45952
26	झारखण्ड	237.49751		4.87242	12.09785						0.00000	254.46778	254.46778
27	उत्तराखंड	237.17603		2.37939	39.15424						0.00000	278.70966	278.70966
28	दमन एवं द्वीप				10.71000						0.00000	10.71000	10.71000
29	तेलंगाना	132.28701			16.67252						0.00000	148.95953	148.95953
	योग	4833.09312	546.13891	294.90186	2610.89134	6.70800	945.42709	192650.69000	6.74850	6.87500	192671.02150	9230.45232	201901.47382

अनुबंध – VIII (जारी)

वत्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान राज्यवार/स्कीमवार संवितरणों का विवरण
केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक विपणन स्कीम (आईएसएएम)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/ संस्था का नाम	आईएसएएम–एएमआई										योग (32 से 41)		
		भंडारण अवयव				भंडारण अवयव के अतिरिक्त								
		विपणन गोदाम		ग्रामीण गोदाम		खाद्यान्न	तिलहन		अन्य प्रसंस्करण	डेयरी				
		ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	ऋण	सब्सिडी	योग
		32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44
1	गुजरात	224.18000	21.59812		1.71500	26.25930				199.28500	89.99410	423.46500	139.56652	563.03152
2	आईएफएफडीसी			50.00000	18.75000							50.00000	18.75000	68.75000
3	मध्य प्रदेश			70.70000	23.48859		5.63800	2.56250				76.33800	26.05109	102.38909
4	मिजोरम	15.36000										15.36000	0.00000	15.36000
5	ओडिशा									28.30000	1.30500	28.30000	1.30500	29.60500
6	राजस्थान		0.31035	4.25000	0.34764							4.25000	0.65799	4.90799
7	तेलंगाना	58.20000	14.22000	6.48500	0.29600							64.68500	14.51600	79.20100
8	उत्तर प्रदेश	130.00000	15.00000					3.13278	5.54149			130.00000	23.67427	153.67427
	योग	427.74000	51.12847	131.43500	44.59723	26.25930	5.63800	5.69528	5.54149	227.58500	91.29910	792.39800	224.52087	1016.91887

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान राज्यवार/स्कीमवार संवितरणों का विवरण
निगम प्रायोजित स्कीमें

(लाख रुपये में)

क. सं.	राज्य/ संस्था का नाम	विपणन एवं निवेश				उपभोक्ता	भण्डारण	आईसी एवं एससी		योग (45 से 52)
		विपणन		निवेश				कार्यशील पूंजी वित्त		
		कार्यशील पूंजी वित्त	सीजीएस के साथ एफपीओ	कार्यशील पूंजी वित्त	मार्जिन मनी	ग्रामीण उपभोक्ता	ग्रामीण गोदाम/ अन्य	ग्रामीण आवासीय	सेवा सहकारिताएं	
		ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण
		45	46	47	48	49	50	51	52	53
1	आंध्र प्रदेश	999990.00000							327000.00000	1326990.00000
2	अरुणाचल प्रदेश									0.00000
3	बिहार								80000.00000	80000.00000
4	छत्तीसगढ़	1899000.00000								1899000.00000
5	गुजरात	41000.00000	70.00000							41070.00000
6	हरियाणा	988473.00000								988473.00000
7	हिमाचल प्रदेश									0.00000
8	कर्नाटक	232.00000		200.00000			126.00000		25306.92800	25864.92800
9	केरल				25.00000	8.70000			26550.00000	26583.70000
10	मध्य प्रदेश								31006.00000	31006.00000
11	महाराष्ट्र								3640.00000	3640.00000
12	मिजोरम					131.25000				131.25000
13	ओडिशा									0.00000
14	पंजाब	165000.00000								165000.00000
15	राजस्थान						13.74000		4.98000	18.72000
16	तेलंगाना	1192980.00000		50.00000						1193030.00000
17	उत्तर प्रदेश	150.00000						27.00000		177.00000
18	उत्तराखंड		52.00000							52.00000
19	पश्चिम बंगाल									0.00000
	योग	**5286825.00000**	**122.00000**	**250.00000**	**25.00000**	**139.95000**	**139.74000**	**27.00000**	**493507.90800**	**5781036.59800**

अनुबंध – VIII (जारी)

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान राज्यवार/स्कीमवार संवितरणों का विवरण
निगम प्रायोजित स्कीमें (जारी)

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संस्था का नाम	प्रसंस्करण							कमजोर वर्ग			योग (54 से 63)
		चीनी			वस्त्र	बागानी फसलें	जूट	एनएलएम (पशुधन)	मत्स्यपालन	जनजातीय	हथकरघा	
		चीनी सह. मिलों के आधु. तथाविस्ता. हेतु अंशपूंजी/मा.मनी	को–जन. रेशन	कार्यशील. पूंजी	कार्यशील. पूंजी	अन्य प्रसंस्करण इकाईयां	महिला सहाका. रिताएं					
		ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण
		54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64
1	अंडमान एवं निकोबार									168.75000		168.75000
2	गुजरात	666.95000		4500.00000								5166.95000
3	हरियाणा											0.00000
4	हिमाचल प्रदेश											0.00000
5	मध्य प्रदेश							3.89000				3.89000
6	महाराष्ट्र	5000.00000	7838.47000	6975.00000	3490.00000				525.06180			23828.53180
7	मिजोरम										22.89200	22.89200
8	कर्नाटक					130.86000						130.86000
9	केरल											0.00000
10	तेलंगाना						5.00000					5.00000
	योग	**5666.95000**	**7838.47000**	**11475.00000**	**3490.00000**	**130.86000**	**5.00000**	**3.89000**	**525.06180**	**168.75000**	**22.89200**	**29158.12380**

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान राज्यवार/स्कीमवार संवितरणों का विवरण
निगम प्रायोजित स्कीमें (जारी)

(लाख रुपये में)

क. सं.	राज्य/संस्था का नाम	संवर्धनात्मक एवं विकासात्मक कार्यक्रम		अन्य योजनाएं				योग (65 से 70)		
				सेवा सहकारिताओं को सहायता						
		शिक्षण प्रचार कार्यक्रम	चुनिंदा जिलों में आईसीडीपी	भवन नर्माण/सरंचना सृजन	कृषि ऋण	युवा सहकार	आयुष्मान सहकार			
		सब्सिडी	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	ऋण	सब्सिडी	योग
		65	66	67	68	69	70	71	72	73
1	आन्ध्र प्रदेश							0.00000	0.00000	0.00000
2	बिहार					19.39600		19.39600	0.00000	19.39600
3	हरियाणा							0.00000	0.00000	0.00000
4	हिमाचल प्रदेश							0.00000	0.00000	0.00000
5	झारखण्ड							0.00000	0.00000	0.00000
6	कर्नाटक							0.00000	0.00000	0.00000
7	केरल		107.57100	266.96000			275.00000	649.53100	0.00000	649.53100
8	मध्य प्रदेश							0.00000	0.00000	0.00000
9	मिजोरम		102.92900					102.92900	0.00000	102.92900
10	राजस्थान				6000.00000	3.59600		6003.59600	0.00000	6003.59600
11	तमिलनाडु							0.00000	0.00000	0.00000
12	त्रिपुरा							0.00000	0.00000	0.00000
13	उत्तर प्रदेश					15.24801		15.24801	0.00000	15.24801
14	पश्चिम बंगाल					70.00000		70.00000	0.00000	70.00000
15	अन्य							0.00000	0.00000	0.00000
16	प्रचार एवं प्रशिक्षण	675.26733						0.00000	675.26733	675.26733
	योग	**675.26733**	**210.50000**	**266.96000**	**6000.00000**	**108.24001**	**275.00000**	**6860.70001**	**675.26733**	**7535.96734**

अनुबंध – VIII (जारी)

वित्तीय वर्ष 2023–24 के दौरान राज्यवार/स्कीमवार संवितरणों का विवरण

(लाख रुपये में)

क्र. सं.	राज्य/संस्था का नाम	चीनी विकास निधि	निगम प्रायोजित योग			केन्द्रीय क्षेत्रक स्कीमें/अन्य योग			सभी स्कीमों का योग		
		ऋण	ऋण	सब्सिडी	योग	ऋण	सब्सिडी	योग	ऋण	सब्सिडी	योग
		74	75	76	77	78	79	80	81	82	83
1	अंडमान एवं निकोबार		168.75000	0.00000	168.75000	0.00000	0.00000	0.00000	168.75000	0.00000	168.75000
2	आंध्र प्रदेश		1326990.00000	0.00000	1326990.00000	0.00000	1023.03458	1023.03458	1326990.00000	1023.03458	1328013.03458
3	असम		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	89.28615	89.28615	0.00000	89.28615	89.28615
4	बिहार		80019.39600	0.00000	80019.39600	0.00000	1563.14431	1563.14431	80019.39600	1563.14431	81582.54031
5	छत्तीसगढ़		1899000.00000	0.00000	1899000.00000	0.00000	135.45952	135.45952	1899000.00000	135.45952	1899135.45952
6	दिल्ली		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	227.42219	227.42219	0.00000	227.42219	227.42219
7	दमन एवं दीव		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	10.71000	10.71000	0.00000	10.71000	10.71000
8	गुजरात		46236.95000	0.00000	46236.95000	11653.37500	808.52978	12461.90478	57890.32500	808.52978	58698.85478
9	आईएफएफडीसी		0.00000	0.00000	0.00000	50.00000	18.75000	68.75000	50.00000	18.75000	68.75000
10	हरियाणा		988473.00000	0.00000	988473.00000	0.00000	262.82029	262.82029	988473.00000	262.82029	988735.82029
11	हिमाचल प्रदेश		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	184.99917	184.99917	0.00000	184.99917	184.99917
12	जम्मू एवं कश्मीर		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	70.93600	70.93600	0.00000	70.93600	70.93600
13	झारखंड		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	254.46778	254.46778	0.00000	254.46778	254.46778
14	कर्नाटक		25995.78800	0.00000	25995.78800	0.00000	139.70713	139.70713	25995.78800	139.70713	26135.49513
15	केरल		27233.23100	0.00000	27233.23100	0.00000	356.21848	356.21848	27233.23100	356.21848	27589.44948
16	मध्य प्रदेश		31009.89000	0.00000	31009.89000	883.04600	393.45344	1276.49944	31892.93600	393.45344	32286.38944
17	महाराष्ट्र		27468.53180	0.00000	27468.53180	180620.78000	2052.93684	182673.71684	208089.31180	2052.93684	210142.24864
18	मणिपुर		0.00000	0.00000	0.00000	465.50000	194.70284	660.20284	465.50000	194.70284	660.20284
19	मेघालय		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21.87585	21.87585	0.00000	21.87585	21.87585
20	मिजोरम		257.07100	0.00000	257.07100	15.36000	51.30800	66.66800	272.43100	51.30800	323.73900
21	नागालैंड		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	66.76597	66.76597	0.00000	66.76597	66.76597
22	ओडिशा		0.00000	0.00000	0.00000	28.30000	295.95875	324.25875	28.30000	295.95875	324.25875
23	प्रचार एवं प्रशिक्षण		0.00000	675.26733	675.26733	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	675.26733	675.26733
24	पंजाब		165000.00000	0.00000	165000.00000	0.00000	44.33600		165000.00000	44.33600	165044.33600
25	राजस्थान		6022.31600	0.00000	6022.31600	17.87350	568.33667	586.21017	6040.18950	568.33667	6608.52617
26	सिक्किम		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	21.90500	21.90500	0.00000	21.90500	21.90500
27	तमिलनाडु		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	427.59161	427.59161	0.00000	427.59161	427.59161
28	तेलंगाना		1193035.00000	0.00000	1193035.00000	64.68500	24310.85566	24375.54066	1193099.68500	24310.85566	1217410.54066
29	त्रिपुरा		0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	155.17424	155.17424	0.00000	155.17424	155.17424
30	उत्तर प्रदेश		192.24801	0.00000	192.24801	130.00000	981.35589	1111.35589	322.24801	981.35589	1303.60390
31	उत्तराखंड		52.00000	0.00000	52.00000	10700.00000	4160.53466	14860.53466	10752.00000	4160.53466	14912.53466
32	पश्चिम बंगाल		70.00000	0.00000	70.00000	0.00000	425.71418	425.71418	70.00000	425.71418	495.71418
	योग	**0.00000**	**5817224.17181**	**675.26733**	**5817899.43914**	**204628.91950**	**39318.29098**	**243902.87448**	**6021853.09131**	**39993.55831**	**6061846.64962**

अनुबंध –IX

वित्तीय वर्ष 1962–63 से वित्तीय 2023–24 तक सभी रा.स.वि.नि. सहकारी विकास योजनाओं के अंतर्गत संवितरित राज्यवार निधियां

(लाख रुपये में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संस्थान	कुल ऋण	कुल सब्सिडी	योग (ऋण + सब्सिडी)
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	5237.356	630.721	5868.077
आंध्र प्रदेश	3102088.635	25663.164	3127751.799
अरुणाचल प्रदेश	9999.971	3149.067	13149.038
असम	14208.291	3287.665	17495.956
बिहार	1118949.921	32973.946	1151923.867
चंडीगढ़	0.450	6.237	6.687
छत्तीसगढ़	9742510.771	2179.845	9744690.616
दमन एवं दीव	170.480	10.710	181.190
दिल्ली	0.000	1027.428	1027.428
गोवा	419.638	88.942	508.580
गुजरात	413844.092	16386.580	430230.672
हरियाणा	4589463.116	6874.841	4596337.957
हिमाचल प्रदेश	85339.872	11808.651	97148.523
जम्मू एवं कश्मीर	3094.760	982.217	4076.977
झारखंड	12287.518	3796.074	16083.592
कर्नाटक	345389.368	5652.520	351041.887
केरल	983659.261	12201.906	995861.167
लक्षद्वीप	9.920	3.720	13.640
मध्य प्रदेश	945646.082	17777.241	963423.323
महाराष्ट्र	2080438.780	17473.978	2097912.758
मणिपुर	5610.081	1552.999	7163.080
मेघालय	10710.534	3527.489	14238.023
मिजोरम	6199.502	2129.686	8329.188
नागालैंड	12833.805	4200.019	17033.824
ओडिशा	331486.297	2271.848	333758.145
पुडुचेरी	4457.638	514.922	4972.560
पंजाब	280612.917	1430.580	282043.497
राजस्थान	1250089.191	22558.203	1272647.393
सिक्किम	964.505	343.733	1308.238
तमिलनाडु	370185.667	10319.848	380505.514

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र/संस्थान	कुल ऋण	कुल सब्सिडी	योग (ऋण + सब्सिडी)
तेलंगाना	3572162.733	70365.427	3642528.159
त्रिपुरा	3674.613	1424.296	5098.909
उत्तर प्रदेश	729677.424	13326.083	743003.507
उत्तराखंड	43496.813	11675.158	55171.971
पश्चिम बंगाल	180313.049	25482.902	205795.951
उप योग	**30255233.049**	**333098.647**	**30588331.695**
एफकोरिपन	2.514	313.561	316.075
एआईएचएफएमसीएस	25.725	0.000	25.725
फेडसुकॉप	12.500	15.396	27.896
वित्तीय प्रबंधन एवं विशेष अध्ययन	5.952	183.090	189.042
फिश्कोफेड	49.013	68.579	117.592
इफको	170693.790	6.450	170700.240
आईएफएफडीसी	692.082	243.011	935.093
आईपीएल	3.400	0.000	3.400
जेआईएमसीआई/एनएचईसी	158.220	5.790	164.010
कृभको	100.000	0.000	100.000
भूमि विकास बैंक संघ	0.000	1.140	1.140
नैकोफ	9930.000	0.000	9930.000
नैफेड	535438.088	192.682	535630.770
एनसीसीएफ	1388.885	37.500	1426.385
एनसीसीटी	0.000	38.364	38.364
एनसीयूआई	0.000	27.150	27.150
एनएलसीएफआई	10.000	5.893	15.893
एनपीसी	0.000	15.551	15.551
एनपीएल	13.600	0.000	13.600
अन्य	112.627	2080.698	2193.325
पेट्रोफिल्स	1089.930	0.000	1089.930
प्रचार एवं प्रशिक्षण	0.000	8438.028	8438.028
टोबैकोफेड	30.000	0.000	30.000
ट्राइफेड	5.000	76.606	81.606
उप योग	**719761.326**	**11749.489**	**731510.815**
कुल योग	**30974994.374**	**344848.136**	**31319842.510**

अनुबंध –X

संक्षिप्तियां

एईपी	कृषि निर्यात नीति
एएचआईडीएफ	पशुपालन अवसंरचना विकास निधि
एआईसीटीई	अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद
एआईएफ	कृषि अवसंरचना निधि
एफ्कोस्पिन	अखिल भारतीय सहकारी कताई मिल संघ लि.
एएमआई	कृषि विपणन आधारिक संरचना
एएमसीएस	स्वचालित दुग्ध एकत्रीकरण तंत्र
अमूल	आनंद मिल्क यूनियन लि.
एपीडा	कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण
बीबीएसएसएल	भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड
बीआईएससीओएमएयूएन	बिहार राज्य सहकारी विपणन संघ लि.
बीओएम	प्रबंध मण्डल
बी–टू–बी	व्यवसाय–से–व्यवसाय
सीबीबीओ	क्लस्टर आधारित व्यापार संगठन
सीआईसीएएफ	सहकारी संस्थान साइबर सुरक्षा सलाहकार मंच
सीआईसीटीएबी	अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता एवं कृषि बैंकिंग प्रशिक्षण केन्द्र
कंजूमरफेड	केरल राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ
कॉपएक्सिल	कृषि क्षेत्रक निर्यात संवर्धन परिषद
सीपीआईओ	केंद्रीय जन–सूचना अधिकारी
सीएसआईएसएसी	केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक सहकारिता स्कीम
सीएसआईएसएएम	केन्द्रीय क्षेत्रक एकीकृत कृषिक विपणन स्कीम
सीएसआर	कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व
सीवीसी	केन्द्रीय सतर्कता आयोग
सीडब्ल्यूसी	केन्द्रीय भण्डारण निगम
डीसीसीबी	जिला केन्द्रीय सहकारी बैंक
डीआईडीएफ	डेयरी प्रसंस्करण एवं अवसंरचना विकास निधि
डोनर	पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास
ईई	पात्र संस्थाएं
ईटीपी	बहिःस्राव निस्तारण संयंत्र
एफडीपी	संकाय विकास कार्यक्रम
एफएफपीओ	मछली किसान उत्पादक संगठन
एफआईडीएफ	मत्स्य पालन एवं एक्वाकल्चर अवसंरचना विकास निधि
फिशकापफैड	राष्ट्रीय मछुआरा सहकारी संघ लि.
एफपीओ	किसान उत्पादक संगठन
एफएसएसएआई	भारतीय खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण
एफवाई	वित्तीय वर्ष
जीसी	सामान्य परिषद
जीसीएमएमएफ	गुजरात दुग्ध विपणन संघ लि.

जीओआई	भारत सरकार
एचआरडी	मानव संसाधन विकास
आईसीए	अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन
आईसीएआर	भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद
आईसीडीपी	एकीकृत सहकारी विकास परियोजना
इफ्फको	भारतीय कृषक उर्वरक सहकारी लि.
आईएफएफडीसी	भारतीय कृषि सहकारी वानिकी विकास लि.
आईआईसीटीएफ	भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सहकारी व्यापार मेला
आईआईएम	भारतीय प्रबंध संस्थान
आईपीएल	इंडियन पोटाश लिमिटेड
आईआरएमए	ग्रामीण प्रबंधन संस्थान
आईएसबीएन	इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नम्बर
आईएसओ	अंतरराष्ट्रीय गुणवत्ता संगठन
जेडब्ल्यूजी	संयुक्त कार्य समूह
कृभको	कृषक भारतीय कोऑपरेटिव लिमिटेड
लैम्प्स	बृहद आकारीय कृषिक बहुउद्देश्यीय सहकारी समिति
लिफिक	लिनाक–रा.स.वि.नि. मत्स्यपालन व्यवसाय ऊष्मायन केंद्र
लिनाक	लक्ष्मणराव इनामदार राष्ट्रीय सहकारी अनुसंधान एवं विकास अकादमी
एमडीपी	प्रबंधन विकास कार्यक्रम
एमएनआरई	नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय
एमओएफपीआई	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय
एमओआई	आशय ज्ञापन
एमओयू	समझौता ज्ञापन
एमपैक्स	बहुउद्देश्यीय प्राथमिक कृषिक सहकारी समिति
एमएसपी	न्यूनतम समर्थन मूल्य
एमटी	मीट्रिक टन
नाबार्ड	राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक
नैफकब	राष्ट्रीय शहरी सह0 बैंक एवं ऋण समिति लि.
नेफेड	भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ
नैफसकॉब	राष्ट्रीय राज्य सहकारी बैंक संघ लि.
एनसीसीएफ	भारतीय राष्ट्रीय उपभोक्ता सहकारी संघ
रा.स.वि.नि.	राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम
एनसीईएल	राष्ट्रीय सहकारी निर्यात लिमिटेड
एनसीओएल	राष्ट्रीय सहकारी जैविक लिमिटेड
एनसीयूआई	भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ
एनडीडीबी	राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड
एनई	पूर्वोत्तर
एनईसी	पूर्वोत्तर परिषद
नेडैक	एशिया एवं प्रशांत क्षेत्र कृषिक सहकारी विकास नेटवर्क
एनएफसीएसएफ	राष्ट्रीय सहकारी चीनी कारखाना संघ लिमिटेड
एनएचबी	राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड

एनएचएम	राष्ट्रीय बागवानी मिशन
एनआईपीएचएम	राष्ट्रीय वनस्पति स्वास्थ्य प्रबंधन संस्थान
नीति आयोग	राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान
एनएलई	नोडल ऋणदायी संस्था
एनएसटीएफडीसी	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम
एनपीए	गैर निष्पादक परिसंपत्तियाँ
एनयूसीएफडीसी	राष्ट्रीय शहरी सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड
पीएसीएस (पैक्स)	प्राथमिक कृषिक सहकारी समितियां
पीसीएमएस	प्राथमिक सहकारी विपणन समितियां
पीएफसीएस	प्राथमिक मछुआरा सहकारी समिति
पीआईए	परियोजना कार्यान्वयन एजेंसी
पीआईटी	परियोजना कार्यान्वयन टीम
पीएमएफएमई	प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम औपचारीकरण
पीएमएमएसवाई	प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना
आरजीएम	राष्ट्रीय गोकुल मिशन
आरकेवीवाई	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना
आरटीसी	क्षेत्रीय प्रशिक्षण केन्द्र
आरटीआई	सूचना का अधिकार
रबड़मार्क	केरल राज्य सहकारी रबड़ विपणन संघ
सार्क	दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन
एससी	अनुसूचित जाति
एससीबी	राज्य सहकारी बैंक
एसडीएफ	चीनी विकास निधि
एसएचजी	स्वयं सहायता समूह
एसआईपी	प्रशिक्षुता कार्यक्रम योजना
एसटी	अनुसूचित जनजाति
एसटीक्यूसी	मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन
टैनफेड	तमिलनाडु सहकारी विपणन संघ लिमिटेड
ट्राईफैड	भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड
टीएसएफसीओएफ	तेलंगाना राज्य मछुआरा सहकारी समिति संघ लि.
टीयूएफएस	प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना
यूसीबी	शहरी सहकारी बैंक
यूडी/एलडी	अल्प विकसित/अल्पतम विकसित
यूटी	संघ राज्य क्षेत्र
वैमनीकॉम	वैकुण्ठ मेहता राष्ट्रीय सहकारी प्रबंधन संस्थान
डब्ल्यूसी	कार्यशील पूंजी
डब्ल्यूडीआरए	भण्डारण विकास नियामक प्राधिकरण
एक करोड़	10 मिलियन अथवा 100 लाख
एक लाख	100 हजार
एक टन	10 क्विंटल अथवा 1000 कि0ग्रा0

टिप्पणी

टिप्पणी